NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 56
Date 11/10/01

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूश चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 28 नवम्बर, 2000/7 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 124	1-55
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 125 से 140	56-86
अतारांकित प्रश्न संख्या 1375 से 1535	86-326
सभा पटल पर रखे गए पत्र	327-329
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	329
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
छठा प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण	330
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	330
किसानों की समस्याओं के बारे में	330-349
पश्चिम बंगाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के मुद्दे पर अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	350-354
नियम 377 के अधीन मामले...	356-362
(एक) मध्य प्रदेश सरकार को राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में मलेरिया महामारी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	356
(दो) हरियाणा राज्य के लिए पृथक राजधानी और उच्च न्यायालय की आवश्यकता	
श्री किशन सिंह सांगवान	356
(तीन) मुम्बई में चेम्बूर में पेट्रोलियम टैंकरों के लिए पार्किंग टर्मिनल की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	357
(चार) गुजरात सरकार को राज्य में पर्यटन के विकास के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	357

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	358
(छह) देश में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय हान्दिक	359
(सात) केरल में कॉयर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	359
(आठ) देश में एड्स उन्मूलन हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. ब्रह्मनैया	359
(नौ) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
श्री भाल चन्द्र यादव	360
(दस) हरियाणा सरकार को राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	361
(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में हल्दिया-रायमंगल पट्टी को सुन्दर वन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	361
(बारह) कर्नाटक में विशेष रूप से गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	362
सरकारी विधेयक – पारित	362–444
(एक) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित	362–407
विचार करने के लिए प्रस्ताव	363
डा. सत्यनारायण जटिया	363, 397
श्री बसुदेव आचार्य	364
श्री शीशराम सिंह रवि	369
श्री रमेश चेन्नितला	372
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	374
श्री ए.सी. जोस	376
डा. संजय पासवान	380

विषय	कालम
श्री के. मलयसामी	381
श्री सी. कुप्पुसामी	385
श्री रामजी लाल सुमन	387
श्री प्रभुनाथ सिंह	388
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	390
श्री राशिद अलवी	392
श्री मोहन रावले	394
खण्ड 2 से 4 और 1	407
पारित करने के लिए प्रस्ताव	407
(दो) समपहरण (निरसन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित.	408–415
विचार करने के लिए प्रस्ताव	415
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	408, 412
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	409
श्री गिरधारी लाल भार्गव	410
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	411
खण्ड 2 और 1	414
पारित करने के लिए प्रस्ताव	415
(तीन) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित.	415–444
विचार करने के लिए प्रस्ताव	415
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	415, 439
श्री रमेश चेन्नितला	416
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	418
श्री वरकला राधाकृष्णन	421
डा. बी.बी. रमैया	422
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	424
श्री ए.सी. जोस	425
श्री प्रभुनाथ सिंह	427
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	428
श्री मोहन रावले	430
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	432
श्री जी.एम. बनातवाला	433
श्री रामदास आठवले	436
श्री सुरेश कुरूप	437
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	438
खंड 2 से 4 और 1	443
पारित करने के लिए प्रस्ताव	444

लोक सभा

मंगलवार, 28 नवम्बर, 2000/7 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आपने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था किन्तु मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। उस बैठक में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इसे कैसे उठाना चाहिए। यदि आप यह मुद्दा यहीं उठाना चाहते हैं तो आप इसे शून्य काल के दौरान उठा सकते है। इस समय कृपया आप हमें सहयोग दीजिए।

प्रश्न संख्या 121, श्री राम मोहन गाड्डे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर विज्ञान के शिक्षक

***121. श्री[+] राम मोहन गाड्डे :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश को निकट भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के शिक्षकों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर विज्ञान शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता के संबंध में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अपनी अनुमोदित संस्थाओं के संबंध में नमूने के तौर पर एक सर्वेक्षण किया गया था। नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या में कमी महसूस की गई है। लगभग सभी सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थाओं को योग्य संकाय आकर्षित करने तथा उन्हें अपने यहां बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से भी अन्य इंजीनियरी विधाओं की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी विधाओं के क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित "सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मानव संसाधन विकास कार्यबल" में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी और संकाय की संख्या में कमी को दूर करने, तथा संकाय की गुणवत्ता को बेहतर बनाने एवं सेवा में उन्हें बनाए रखने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से बहुत से युवकों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ी है किन्तु यह बड़े ही खेद की बात है कि कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़े युवाओं और अध्यापकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उच्च दक्षता प्राप्त व्यावसायिकों का पलायन हो रहा है। हमारे देश में इन व्यावसायिकों को तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम वेतन, भत्ते व सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए इनका विकसित देशों में जाने की ओर रूझान बढ़ रहा है।

मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इतनी उच्च दक्षता वाले सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों के प्रतिभा पलायन पर, जिनकी सेवाओं की "देश को" आवश्यकता है और देश ने जिनकी शिक्षा पर काफी अधिक खर्च किया है, रोक लगाने के लिए क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं?

ऐसे प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही हैं? क्या आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी अध्यापकों की कमी की राज्यवार सूची है? यदि हैं, तो उसका ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, आज का सवाल टीचर्स की शॉर्टेज से संबंधित है ब्रेन-ड्रेन से संबंधित नहीं है। टीचर्स की कमी के सवाल के उत्तर में मैंने बताया है कि इसके लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है बल्कि केवल एक छोटा सा सर्वेक्षण ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा किया गया है। स्टेटवाइज ऐसी कोई विशेष कमी की कोई शिकायत हमारे पास लिखित रूप में नहीं है। चूंकि इन्फर्मेशन टैक्नॉलॉजी का क्षेत्र बड़े व्यापक रूप से और एकदम बढ़ रहा है इसलिए हमें आगे आने वाले समय में तीन से चार हजार शिक्षकों की कमी हो सकती है, ऐसा महसूस किया गया है।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे : हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी अध्यापकों की शिक्षा काफी हद तक अछूती नहीं है। इसलिए अध्यापक शिक्षा मॉडल में सूचना प्रौद्योगिकी की तमाम सुविधाओं को शामिल क्यों नहीं कर दिया जाता? हम सभी अध्यापकों और छात्रों को इंटरनेट, और ई-मेल जैसी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए हम सभी छात्र-अध्यापकों को जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि सन् 2008 तक देश को करीब 23 लाख सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विद्यालय स्तर से लेकर अध्यापकों की शिक्षा के स्तर तक शिक्षा में कम्प्यूटर का समावेश कर सही मायनों में एक अच्छी शुरूआत की है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का मुख्य शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना करने का विचार है? यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, यह जो एक सर्वे किया गया है, उसमें दो बातें हैं। एक तो जिसमें डिमांड फार आई.टी. एनेबल्ड सर्विसेस है। वह अधिक है। दूसरी डिमांड फार कोर आई.टी. प्रोफेशनल सर्विसेस होती हैं जिसमें डाटा प्रौसेसिंग आदि आती हैं। इन जनरल इसमें जो डिमांड है, वह इन दोनों को मिलाकर 22 लाख के करीब है। लेकिन आने वाले सालों में जो टीचर्स की कमी है, वह दूर करने के लिए कई स्टेप उठाये गये हैं। इसके लिए जो एक टॉस्क फोर्स गठित किया गया था उसने कई सजेशन्स दिये हैं जिसमें अर्ली इनडेक्शन यानी जो स्टूडेंट सीनियर क्लास में है, उस स्टूडेंट को लॉस्ट क्लास से ही इच्छा खासा स्टाइपन देकर पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ आकर्षित करेंगे। यह भी उसमें एक भाव है। उसमें 10 हजार रुपये तक की स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है और वह स्कॉलरशिप उसे तब तक मिलती रहेगी ताकि वह पी.जी., कम्पलीट कर सके क्योंकि टीचर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की आवश्यकता रहती है। हम उसे पोस्ट ग्रेजुएट में 10 हजार रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर दे देंगे। उसके बाद उसकी अंडरटेकिंग रहेगी कि वह आने वाले तीन साल तक टीचर की तरह काम करे। उसमें कई सजेशन्स और भी दिये गये हैं जिससे आने वाले दिनों में टीचर्स की कमी महसूस न हो। इसके लिए पूरे तरीके से प्रयास किये जा रहे हैं और उसमें बाकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है।

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में अध्यापकों की कमी महसूस की हैं। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि अन्य देशों की तुलना में आई.टी. में भारत का स्थान अग्रिम है जबकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अध्यापक नहीं है। मेरा माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना है कि आई.टी. टीचर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं तो हम छात्रों को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। जबकि ए.आई.सी.टी. ने अपने सर्वे में कहा कि 50 छात्रों के लिए एक अध्यापक की जरूरत होती है। जब सरकार नार्म्स के अनुसार, अपने नियमों के तहत 15 छात्रों के लिए एक अध्यापक की जरूरत है तो इसके लिए 23 लाख अध्यापकों की जरूरत है। यह जरूरत आप कैसे पूरा कर सकती हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री माने, इसका जवाब दिया जा चुका है। आपका अनुपूरक प्रश्न कौन सा है?

श्री शिवाजी माने : मेरा सप्लीमैंट्री प्रश्न यह है कि राज्य सरकारों ने केन्द्र से कुछ वित्तीय सहायता मांगी है तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र ने आई.टी. अध्यापक की कमी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव दिया है या नहीं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, यह जो बार-बार 23 लाख की बात की जाती है तो मैं कहना चाहूंगी कि 23 लाख आज की डिमांड नहीं है बल्कि यह लगभग वर्ष 2007 तक की

डिमांड है। 2007 तक हमें लगभग 23 लाख अध्यापकों की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* अब आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* वह उठकर खड़े हो रहे थे। इसलिए हमने एक कार्यबल के अनुसार व्यवस्था बनाई है, वर्ष 2007 तक टीचर्स की कमी की पूर्ति करने की दृष्टि से यह प्रोग्राम बनाया गया है। इन ऑल ऐसे जो कोई भी इंस्टीट्यूशन आ जायेंगे, उनको हम फैसिलटीज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार विजिटिंग फैक्लटी एलाऊ करेंगे, एडजक्ट फैक्लटी एलाऊ करेंगे। जैसा मैंने कहा कि पी.जी. कोर्स करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट प्रोत्साहित करेंगे। हमने 1998-99 में चालीस ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप दे दी है और आने वाले साल में सौ लोगों को दे देंगे। ऐसा करके करीब एक हजार अध्यापक इसी में से निकल आएंगे। यह पूरी योजना 2007 तक की है इसमें स्टेटवाइज कुछ नहीं है। जो योजना सब के लिए दी गई है, वे भी उसका उपयोग कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : सभी स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी के अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए, आवश्यक और त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इलैक्ट्रानिक्स विभाग कम लागत पर आसान सहव्यवसाय व्यवस्था की अनुमति दे सकता है। जो 'ओ', 'ए' और 'बी' की सहव्यवसाय व्यवस्था दे रहा है। माननीय मंत्री जी को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि स्कूल और कॉलेजों में कार्यरत कुछ प्रतिशत अध्यापकों से लघु या संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा जाए जिसमें कई मॉड्यूल समाहित हों। केन्द्र सरकार, कम्प्यूटरों और विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित कार्यशालाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जैसा मैंने पहले कहा, हर समय पोस्ट ग्रैजुएट्स की आवश्यकता नहीं होती, अलग-अलग कोर्सेस होते हैं। अंडर ग्रैजेएट्स के लिए, जो सीनीयर स्टूडैंट्स हैं, उनके लिए फैसीलिटेट किया गया है कि वे भी नीचे की क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। एनकरेजिंग टीचिंग असिस्टैंस योजना के अन्तर्गत हम यह कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें होने के लिए विज़िटिंग फैकल्टीज यानी ऐसे कई रैपुटेड इंसटीट्यूशन्स हैं, वहां से विज़िटिंग फैकल्टीज के रूप में भी आ सकते हैं। हम उस योजना में भी मदद करेंगे। तीसरा ऐडजंक्ट फैकल्टीज, कोई भी व्यक्ति पड़ोस के किसी कालेज में पढ़ा रहा है तो वह भी वहां आकर क्लासेस ले सकता है। ऐसी योजना भी दी गई है। उसके साथ ही आई.टी. की तरफ से पोस्ट ग्रैजुएशन और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम ऐक्सटैन्डेड टू आई.टी., यह सजैशन भी इसमें दी गई है। जहां-जहां इस प्रकार किया जाएगा, वहां हमारी तरफ से मदद है लेकिन वह हमने प्रोग्राम के अन्तर्गत ही किया है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : जी नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था। डी.ओ.इ.ए.सी.सी. 12000 रु. से लेकर 15,000 रु. तक के पाठ्यक्रम के लिए फ्रैन्चाइज व्यवस्था प्रदान कराता है। इस विभाग द्वारा प्रदान की गई फ्रैन्चाइज व्यवस्था से पता चलता है कि संस्थान, कॉलेज या दूसरी संस्थाएं भी स्कूलों और कॉलेजों में 12000 रु. से भी कम पर ओ.ए. और बी. स्तर के कोर्स उपलब्ध करा सकते हैं ताकि गुणवत्ता और विस्तार दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। मैंने यह प्रश्न पूछा था।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्वालिटी के साथ कहीं कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐक्सपैन्शन के लिए टास्क फोर्स ने कई सजैशन्स दिए हैं, हम उस बारे में सोच रहे हैं। उनमें से कई लागू किए गए हैं, कई लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी टास्क फोर्स का प्रतिवेदन आना है लेकिन उसमें जो सजैशन्स हैं, उनके बारे में हम सोच रहे हैं।

श्री शिवराज वी. पाटील : महोदय, इन्फौर्मेशन टैक्नोलौजी बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, लिप्स एंड बाउंड्स से प्रगति हो रही है। यह वैस्टर्न कंट्रीज और कुछ ईस्टर्न कंट्रीज में भी हो रहा है। अगर हमारे पास शिक्षकों की कमी है तो क्या हम उन देशों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को विज़िटिंग टीचर्स विज़िटिंग प्रोफैसर्स कह कर अपने देश में लाकर बच्चों को उसका लाभ देने का प्रयत्न कर सकते हैं या नहीं? दूसरी बात यह है कि यह नया विज्ञान है, नई प्रौद्योगिकी है और इसका पढ़ाने का तरीका भी दूसरा हो सकता है। जैसा कि वीडियो टेप और आडियो टेप आजकल बाजार में हैं। ये वीडियो और आडियो टेप इंटरएक्टिव हैं। एक लेक्चर देने के बाद कोई सवाल उठा तो उसका जवाब उसके अंदर लिखा हुआ है। ऐसे वीडियो और आडियो टेप संसार में बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। उनको लाकर हमारे बच्चों का नुकसान न हो, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सहूलियत हो, इस प्रकार की एक अच्छी स्कीम बनाकर उसके तहत इसमें हमारी कोई कमी है तो आप उसे पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से कर सकते हैं। क्या गवर्नमैंट इसके ऊपर विचार करके कोई कंक्रीट स्टेप लेगी?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जो विज़िटिंग फैक्लटी की बात मैंने की है, तो उसमें दोनों प्रकार के सजेशन्स हैं कि हिन्दुस्तान

से और बाहर से ऐसे कई इंस्टीट्यूशन्स में विशिष्ट लोग यहां पर आ सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से चर्चा करनी पड़ेगी कि उन्हें किस प्रकार से ला सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि यह सब बातें ध्यान में रखते हुए कि आने वाले दिनों में यह जो इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें विशिष्ट प्रकार के अध्यापन या अध्ययन की जो जरूरत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री के द्वारा यह टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टॉक्स फोर्स में एच.आई.डी. मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के अन्तर्गत, चेयरमैन के अन्तर्गत, टॉस्क फोर्स मिनिस्टर, आई.टी. मिनिस्टर और दो-तीन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इसी से यह बात सिद्ध होती है कि हम इस पर पूरे तरीके से अभ्यास करके और देश में किसी प्रकार से आई.टी. में प्रगति कर सकें, इसके लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि

[अनुवाद]

लगभग सभी सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थाओं को अध्यापन के लिए दक्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें अपने यहां बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से भी अन्य इंजीनियरी विधाओं की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी विधाओं के क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज पाटील जी ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होने जा रही है, तो पांच-दस साल आगे नजर रखकर हमारी शिक्षण प्रणाली क्या होगी? इस संबंध में ग्रामीण लोगों को भी जानकारी नहीं है और न शहरी लोगों को जानकारी है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए अग्रसर है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को सहायता और जानकारी देने के लिए कोई स्कीम है? इसके अलावा अभी उन्होंने विज्ञान के बारे में कहा कि वह इतना आगे बढ़ा हुआ है तो विज्ञान कम सुरक्षा के लिए आप कुछ उपाय करने वाली हैं?

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, यह टीचर्स के बारे में प्रश्न है। इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है।

श्री मोहन रावले : मैं वही पूछ रहा हूं। कि टीचर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? इन्होंने उसके कारण बताये हैं मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप सुरक्षा का उपयोग करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका अनुपूरक नहीं है। महोदया, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मेरा प्रश्न यह है कि पांच-दस साल आगे नजर रखकर क्या शिक्षा प्रणाली होगी? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सही अनुपूरक प्रश्न पूछिए वरना मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मंत्री महोदया, इसका जवाब देने के लिए राजी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी उत्तर देने को तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, पांच दस साल और उससे आगे भी नजर रखकर योजना बनाई जाती है। इसलिए यह टॉस्क फोर्स बनाया है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि आने वाले 10 साल तो नहीं बल्कि इससे भी आगे के सालों को ध्यान में रखकर और क्वालिटी में भी कहीं कोई कमी हो आदि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर टॉस्क फोर्स का तुरंत गठन किया गया है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल उठाया गया है कि आई.टी. टीचर्स की कमी महसूस हो रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने स्टडी किया है कि रूरल और अर्बन का ब्रेकअप क्या है? क्या रूरल एरिया के लिए जो कि थ्रस्ट एरिया मेनजमेंट है, उसके लिए ऐफर्ट्स करने जा रहे हैं या नहीं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल है, वह कोई रूरल और अर्बन का ब्रेकअप नहीं है। जहां-जहां

इंस्टीट्यूशन हैं या जहां-जहां संस्थायें हैं, वे भी इस टैक्नोलॉजी से संबंधित संस्थायें हैं, उसमें जो शिक्षकों की कमी आने की संभावना है, उसको कैसे अपग्रेड करें, इस दृष्टि से संस्था रूरल में हो या अर्बन में हो लेकिन वहां पर आई.टी. टीचर्स की जो कमी है, उसको हमें पूरा करना है। इसलिए ओवरऑल यह विचार किया जाता है कि जहां भी शिक्षकों की कमी है, उसके लिए हम एक डिस्टेंट एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं। डिस्टेंट एजुकेशन सिस्टम से यह हो सकता है कि एक ही कालेज में बैठकर छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज इंटरनेट भी आया है, इसमें इसका भी पूरा-पूरा उपयोग होगा। इसका इस्तेमाल होकर ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं में बैठे हुए छात्रों तक शिक्षक पहुंच सकें, इन सब बातों का इसमें विचार किया गया है। इसमें रूरल और अर्बन एरिया का सवाल नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूशनवाइज विचार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार

***122. श्री ⁺शीशराम सिंह रवि :**
श्री विजय गोयल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने हाल में खुल्लमखुल्ला यह माना है कि निगम में व्यापक भ्रष्टाचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) दिल्ली नगर निगम में कितने कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये;

(घ) दिल्ली नगर निगम में व्याप्त अबाध भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए कौन से उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या भ्रष्ट/दोषी अधिकारियों को तत्परता से दंडित करने के लिए कोई तंत्र तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक हित याचिका, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय कर रहा है, के संबंध में नियुक्त समिति के एक सदस्य ने, जो एक वकील भी है, दिल्ली नगर निगम में तथाकथित व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में एक बयान दिया था।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा ने, 1.4.1997 से 22.11.2000 तक की अवधि के दौरान 59 मामले दर्ज किए, जिनमें दिल्ली नगर निगम के 104 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे।

(घ) से (च) दिल्ली नगर निगम ने चौबीसों घंटे शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपने सतर्कता विभाग में एक विशेष एकक गठित किया है ताकि शिकायतों को तत्परता से दूर किया जा सके और भ्रष्ट अधिकारियों का जवाब-तलब किया जा सके। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कार्यकरण में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि संगठन में भ्रष्टाचार को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने प्रश्न के भाग ''क'' और ''ख'' के विषय में पूर्ण विवरण जो सभापटल पर रखा गया है, उसका विवरण पूरी तरह नहीं दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत जो भ्रष्ट अधिकारों के सम्बन्ध में पेपर में और उच्चतम न्यायालय में जो विषय रखा गया है, उसका पूर्ण विवरण भी उत्तर में नहीं आया है। यह सिर्फ दिल्ली नगर निगम का ही विषय नहीं है, पूरे देश में भ्रष्टाचार के बारे में जो संदेश गया है, उससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। माननीय मंत्री जी इस विषय में क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आज तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव : दिल्ली नगर निगम ने कदाचार को कम करने और जनता की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में, से एक है उनके सतर्कता विभाग में एक विशेष कक्ष की स्थापना। प्रक्रिया को आसान बनाने और कार्यनिष्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि संगठन में भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। सभापटल पर रखे गए उत्तर में आंकड़े दिए गए हैं।

जनता की परेशानी और कदाचार को कम करने के उद्देश्य से निगम के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों या उठाए गए कदमों के अनुसार मैं कुछ उदाहरण दूंगा। एक ऐसी कार्ययोजना बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत अनिवास कर, भवन निर्माण और कारखाना लाइसेंसिंग विभाग और स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील विभागों का अचानक निरीक्षण किया जाएगा।

दूसरा, पिछले अनुभवों से पता चलता है कि कनिष्ठ अभियंताओं पर जिम्मेदारी डालना कठिन है। भवन निर्माण विभाग सबसे संवेदनशील है करीब 95 प्रतिशत शिकायतें इसी विभाग के विरुद्ध मिलती हैं। विभाग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है कि भवन निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता को न्यूनतम अवधि के लिए वहां कार्य करना होगा। अवैध निर्माण इत्यादि की अनुमति देने पर उन्हें एक या दो महीनों में स्थानांतरित कर दिया जाता था। अब यह बदल दिया गया है। उनका सेवा काल एक साल निर्धारित कर दिया गया है। वे वहां एक साल तक रहेंगे ताकि उन्हें जिम्मेदार बनाया जा सके।

एक मुद्दा है सी और डी फार्म का। सामान्यतया दिल्ली में गृह निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भी घर में सैनीटरी कार्य के लिए फार्म सी के रूप में एक और अनुमति लेनी होती है।

सैनेटरी कार्य के पश्चात् उसे 'डी' फार्म प्राप्त करना होता है। इस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार की पर्याप्त संभावना रहती है। अधिकतर अधिकारी इन फार्मों के बहाने उस व्यक्ति विशेष के घर जाते हैं और धन इत्यादि की मांग करते हैं। इसलिए विभाग ने इन फार्मों को प्राप्त करने की बाध्यता ही समाप्त कर दी है। तथापि निगम के ''बाई-लॉज'' में संशोधन करना बाकी है। शहरी विकास मंत्रालय में जब भी इस फाईल पर कार्यवाही होगी तो यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी *...(व्यवधान)* कई और भी उपाय किए गए हैं। सतर्कता विभाग भी है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने यहां तक कहा है कि 59 मामलों में जांच की गई है, 104 अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है और सी-तथा डी फॉर्म के बारे में जो भ्रष्टाचार बढ़ाता था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बारे में हम कोई नया कानून बना रहे हैं? अभी तक कोई भी अधिकारी न निगम से निकाला गया है और न ही पनिश किया गया है और न ही उसके बारे में कोई सूची पेश की गई है। पूरे दिल्ली नगर निगम ने इस विवरण को आये हुए काफी समय हो गया परंतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा न ही उसके बारे में सदन को यह बताया गया है कि जिन अधिकारियों के बारे में जांच की गई है या अलग से उनके पीछे जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में माननीय मंत्री जी का क्या कदम लेने का इरादा है? मैं तो यह चाहूंगा कि वास्तव में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकालकर कहीं से ईमानदार अधिकारियों को इसमें लाया जाये तथा निगम को आगे चलाया जाये।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, जैसाकि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि भ्रष्टाचार मिटाने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने हेतु एक तंत्र है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : एक दो आदमी को पनिश क्यों नहीं करते? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष अनुपूरक प्रश्न है। क्या किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : लिखित उत्तर में यह बताया गया है कि 1.4.1997 से 22.11.2000 की अवधि में *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु : यह तो लिखा ही है। एम.सी.डी. ने खुद क्यों नहीं कोई कदम लिया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

लिखित उत्तर में केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य एजेंसियां ही लिखा है। दिल्ली नगर निगम ने क्या किया है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दो तंत्र है। लिखित उत्तर में एक तंत्र के बारे में उल्लेख है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले दर्ज किए हैं। दर्ज किए गए 59 मामलों में दिल्ली नगर निगम के 104 अधिकारी संलिप्त हैं *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : लेकिन दि.न.नि. ने कुछ नहीं किया है। जबकि अन्य एजेंसियां मामले दर्ज कर रही है, दि.न.नि. क्या कर रहा है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय दि.न.नि. में एक सतर्कता विभाग है और उसने कार्यवाही की है। विभाग ने 1997-98 के दौरान 314 मामले निपटाए हैं जिनमें 370 अधिकारी संलिप्त थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कई बार मंत्री महोदय के उत्तर सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए उत्प्रेरित करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, मैं पिछले पांच वर्षों का ब्यौरा दे रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वरिष्ठ मंत्री महोदय उत्तर देने में उनकी सहायता क्यों नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : कनिष्ठ मंत्रियों को भी कुछ काम देना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : इस वर्ष के दौरान 30.9.2000 तक 233 अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं। उनके विरुद्ध 197 मामले दर्ज है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, यह सही नहीं है। यदि माननीय सदस्य ने उत्तर तथा चार्ट देखा होता तो उन्हें पता चलता कि वर्ष 2000 में ही नौवें महीने तक लगभग 235 अधिकारियों पर विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 135 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 100 मामलों के संबंध में या तो मामले समाप्त कर दिए गए अथवा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन निगम के 35 अधिकारियों को दण्डित किया गया और दण्ड में नौकरी से निकालना, बरखास्तगी, फटकार, पेंशन में कटौती, चेतावनी तथा वेतन से वसूली शामिल है। विभिन्न प्रकार के दण्ड दिए गए। यह कहना गलत है कि एक भी अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल।

...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा : भ्रष्टाचार के संबंध में कितनी शिकायतें हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, मैंने श्री विजय गोयल को बोलने के लिए आमंत्रित किया है आपको नहीं। आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : महोदय, मंत्री जी का जवाब वास्तविकता से परे है, कई मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट कार्पोरेशन के भी मेम्बर हैं। वास्तविकता यह है कि हम में से कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि एमसीडी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जिस विजिलेंस डिपार्टमेंट को लगाया गया है उसमें ही खुद इतना भ्रष्टाचार है, सीबीआई दूसरे लोगों को, जे.ई. और ए.ई. को पकड़ना चाहती है। यह पोलिटिकल मामला नहीं है। भ्रष्टाचार भी कोई दो-तीन साल से नहीं है बल्कि बरसों से पनप रहा है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हम लोग एक-दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते रहते हैं, जो नौकरशाही और ब्यूरोक्रेट्स हैं वे सब अपनी जेबों में पैसा डालते रहते हैं, इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए। आज कार्पोरेशन का भ्रष्टाचार ऐसा है जो मुंह-बाय आपके सामने खड़ा है। आठ-आठ, दस-दस मंजिलें, भ्रष्टाचार की इस बात को बता रही हैं कि बिना जे.ई.-ए.ई. की जेब में पैसा गए बिल्डिंग नहीं बन पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न केवल एक लॉयर ने कोर्ट में कहा कि जज साहब, अगर आपने एक एम.सी. के आदमी को निकाला तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में पूरा कार्पोरेशन ही खाली कर देना पड़े। उसके बाद कमिश्नर ने कोर्ट में आकर इस बात को माना कि हां, एम.सी.डी. में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं इस पर चाहूं तो घंटों भर बोल सकता हूं। कार्पोरेशन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सब पार्टियों को यह अपील करना चाहिए कि कार्पोरेशन के सभी एम्पलाइज़ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि किस-किस के घर में कितना-कितना पैसा गया। ...*(व्यवधान)* पिछले एक साल में जे.ई.-ए.ई. की जेबों में करोड़ों रुपए गए हैं।

मैं मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या वे सदन की वेदना को समझते हुए पूरे कार्पोरेशन की स्क्रीनिंग करने के लिए कोई स्कीम निकालेंगे और जो बिल्डिंग बाय लॉज हैं उन्हें चेंज करने के लिए कोई टाइम बाउंड कमेटी बनाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, हम संसद में चर्चा कर रहे हैं और संसद में चर्चा करते हुए इस बात से परिचित हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, शासन और प्रशासन में अलग स्तरों पर है। इस सदन में किस क्षेत्र की चर्चा ज्यादा की जाएगी, इस पर जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि कार्पोरेशन में अपना भी एक इंटरनल मैकेनिज़्म भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का है, वह अपर्याप्त होगा। अगर वह किसी राज्य में है तो अपर्याप्त हो सकता है, लेकिन इसकी चिन्ता केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिए, राज्य सरकारों की

कम और लोकल बॉडीज़ की तो और भी कम करनी चाहिए। मैं इस बात से परिचित हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : तो यह प्रश्न क्यों पूछने दिया गया है? ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहता। ...*(व्यवधान)* महोदय, इस सदन में कोई भी भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहेगा और मैं भी चाहूंगा कि जहां भ्रष्टाचार हो, उसे रोका जाए। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उपाय, व्यवस्था है उसमें कार्पोरेशन की अपनी कुछ आटोनोमि है, उसका उपाय उन्हें करने देना चाहिए। उसमें अगर कोई कमी हमारे ध्यान में आएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आपके कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों तब प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, यह क्या है? जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो आप उन्हें उत्तर क्यों नहीं देने दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। क्या प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने का यही तरीका है?

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दिल्ली नगर निगम देश की राजधानी में है। लेकिन जब इस संसद ने एक विधेयक पारित किया और दिल्ली में एक पृथक् सरकार बनाने हेतु इसे संविधान का अंग बनाया तब यह आशा की गई थी कि निगम से संबंधित समस्याओं के संबंध में चर्चा मुख्यत: दिल्ली विधान सभा में होगी न कि संसद में जैसाकि पहले हुआ करता था। महोदय, इसके बावजूद क्योंकि दिल्ली की समस्त जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मंत्री महोदय नहीं मानते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, आपको मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार की ओवर-ऑल जिम्मेदारी है लेकिन प्रमुख रूप से दिल्ली की जिम्मेदारी यहां की चुनी हुई सरकार की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी बात भ्रष्टाचार के संबंध में हो, जनरल टर्म्स में मैं उसका नोटिस लूंगा और अगर कोई ध्यान में लाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई करूंगा। लेकिन अगर संसद सारा समय कोरपोरेशन के भ्रष्टाचार की चर्चा करेगी तो यह उचित नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती श्यामा सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती श्यामा सिंह को बोलने के लिए आमंत्रित किया है। वे भी सभा की एक सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस बात को समझ लें कि दिल्ली नगर निगम में स्थापित किए गए सभी जांच आयोग अथवा सतर्कता प्रकोष्ठ अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इन जांच आयोगों अथवा सतर्कता प्रकोष्ठों की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए जिसके अंतर्गत दोषी अधिकारियों को एक समय के भीतर दण्डित किया जाएं। उन्हें यह बता दिया जाए कि यदि वे इस तरह के व्यापक भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं तो उन्हें उनकी सेवाओं से बरखास्त किए जाने जैसे कठोर दण्ड भी दिए जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति होती तो मेरे विचार से दिल्ली नगर निगम इतना भ्रष्ट निकाय नहीं होता जैसाकि आज है। मेरा सुझाव है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, आपने केवल सुझाव ही दिया है।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, सरकार को सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। क्या सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने पहले बताया कि दिल्ली नगर निगम में एक आंतरिक तंत्र अर्थात् सतर्कता विभाग है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है जो भ्रष्टाचार के मामले देखती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह केन्द्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः, वे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भी जा सकते हैं अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। लेकिन इन सभी मामलों में दिल्ली की निर्वाचित सरकार के प्राधिकार, निर्वाचित दिल्ली निगम के प्राधिकार और केन्द्र सरकार वह भी एक निर्वाचित निकाय है की भी बात आती है। ये सभी निर्वाचित निकाय हैं। केन्द्र सरकार इस तरह का संतुलन कायम करती है और इस संतुलन में, मैं कहूंगा कि हमें यह सुनिश्चित करने हेतु ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि निगम सहित सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त हो।

[हिन्दी]

उर्वरक पर राज-सहायता

***123. श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उर्वरकों पर राज-सहायता देते समय की जा रही अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ङ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा एकक-वार प्रतिधारण मूल्य योजना (आरपीएस) कई प्रकार से अलाभकर है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की ऊंची लागत आती है, उद्योग को अधिक भुगतान होता है और लागत-दक्षता के लिये इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं है। आयोग ने यह उल्लेख भी किया है कि आरपीएस का घोर रुप से दुरुपयोग किया गया है।

(ग) और (घ) ईआरसी की रिपोर्ट की उर्वरक विभाग में जांच की जा रही है और ईआरसी की सिफारिशों पर सरकार के मत को अंतिम रूप देने हेतु शीघ्र ही अन्तर-मंत्रालय परामर्श किये जायेंगे।

(ङ) प्रसंगवश, ईआरसी की रिपोर्ट में भी उल्लिखित यूरिया निर्माता एककों की क्षमताओं के पुनर्मूल्यांकन से सम्बन्धित मुद्दे, सरकार को उपयुक्त सलाह और उन पर सिफारिशें देने के लिये सरकार द्वारा मई 2000 में डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित एक समिति को पहले ही भेजे गये हैं। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। तथापि, अलघ समिति की रिपोर्ट के लम्बित रहने तक यूरिया एककों की क्षमताओं का दिनांक 1.4.2000 से अन्तरिम पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि व्यय सुधार आयोग की आरपीसी कई प्रकार से अलाभकर है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की ऊंची लागत आती है। उद्योगों को अधिक भुगतान होता है और लागत दक्षता के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि आर.पी.एस. का घोर रुप से दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में यह बात उभर कर सामने आई है कि व्यय सुधार समिति ने राज सहायता में हो रही अनियमितता को स्वीकार किया है। मैं यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उर्वरक की राज सहायता का मतलब है कृषि क्षेत्र को राज सहायता देना। बीते समय में कृषि

पर राज सहायता और उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता दिन प्रतिदिन कम की जा रही है। नई आर्थिक नीति के समझौते के आधार पर राज सहायता कम की जा रही है। विकसित देशों में क्या कृषि पर राज सहायता मिलती है या नहीं? क्या यह बात सही है कि 1998-99 में अमेरिका में भी 4 लाख 18 हजार 400 करोड़ रुपए की राज सहायता किसानों को मिली। यहां राज सहायता कम करने या बंद करने पर क्या आप विचार कर रहे हैं? यदि हां तो राज सहायता को बढ़ाने का विचार करेंगे?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया गया है कि एक्सपैंडिचर रिफार्म्स कमीशन ने हाल में अपनी रिपोर्ट दी। उससे पहले हमने एक एक्सपर्ट कमेटी डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में बना दी थी। उसकी रिपोर्ट अभी आनी है। इसके अलावा मेरे प्रोडीसेसर ने इसे रिअस्सैस किया। सरकार को इस साल उसकी कैपेसिटी में साढ़े चार सौ करोड़ रुपए की बचत हुई। हमने जिस कमेटी को पहले बनाया था। वह रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में जो-जो सिफारिशें होंगी, उससे हम इस सबसिडी के खर्चे को वहन करेंगे।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि राज सहायता को कम किया जा रहा है और क्या विकसित देशों में कृषि पर राज सहायता दी जा रही है या नहीं? इसका माननीय मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है और मैंने उसे पहले प्रश्न में भी पूछा लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। मंत्री जी उसे स्पष्ट करें। उर्वरकों पर राज सहायता दी जा रही है। खाद्य पदार्थों पर राज सहायता के पैसे केवल रख-रखाव पर खर्च होते हैं लेकिन उर्वरकों पर राज सहायता के पैसे उर्वरकों के उद्योगों के रख-रखाव और व्यवस्थां पर खर्च होने के बावजूद भी किसानों को लाभ नहीं होता है। इसलिए उर्वरकों की राज सहायता में बढ़ोत्तरी करके सीधे किसानों को उसका लाभ मिल सके, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करना चाहती है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे किसानों को सीधे लाभ नहीं मिल रहा है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, सबसिडी से बैनिफिट किसानों को ही होता है लेकिन ऐसी शिकायतें आई हैं जो कमेटी के पास भी हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज ने सबसिडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ली। हमने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। यह किसानों के लिए ही किया जा रहा है। यदि एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसी कोई सिफारिश दी ...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय : मैंने पूछा था कि किसान को सीधे राज सहायता देने पर विचार होगा या नहीं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : एक्सपर्ट कमेटी जो रिपोर्ट देगी और यदि मैम्बर साहब और कोई सुझाव देना चाहें तो उसको हम कंसिडर करेंगे लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूं।

श्री नवल किशोर राय : इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज धान को कोई खरीदने वाला नहीं है। आप किसान नेता हैं। किसानों को सीधे राज सहायता का लाभ मिले, आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैं यही कह रहा हूं कि उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यदि उसमें ऐसी कोई बात आती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। मेरा अपना विचार भी यही है। मैं भी एक किसान हूं। हमने जो कुछ डायरैक्ट किसानों को देने की कोशिश की उसमें बिचौलिया सभी कुछ खा जाता है। आपका प्रश्न था कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं।

श्री नवल किशोर राय : इसमें केवल फैक्ट्री वालों को लाभ होता है ...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : आप सजेशन दे दीजिये लेकिन पहले एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिये कि उसमें क्या आयेगा? उसके बाद करेंगे।

श्री नवल किशोर राय : आप सबसिडी बंद करने जा रहे हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : हम सबसिडी बंद करने नहीं जा रहे हैं।

श्री नवल किशोर राय : आप सबसिडी पुराने तरह से बढ़ावें। जिस तरह से अमरीका और अन्य देशों में है, आप उसी तरह से कम कर रहे हैं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर रोज चर्चा होती है कि आज किसानों की दुर्दशा हो रही है और उस दुर्दशा में बहुत हद तक, जिस तरह से किसानों को उर्वरक प्रदान करने की बात है, वह भी सहयोगी है। जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा एक सामाजिक दायित्व है, उसी तरह से अनाज और कृषि को उद्योग न कहकर, मैं यह कहूंगा कि यह एक सामाजिक दायित्व है। उसमें उर्वरक मंत्रालय काफी योगदान कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि किसानों को सीधे फायदा होता है जबकि श्री राय ने पूछा कि किसानों को सीधे किस तरह से फायदा होता है जबकि प्रश्न के जवाब में लिखा हुआ है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा प्राधिकरण मूल्य योजना कई बार अलाभकर है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक की ऊंची लागत होती है, इससे उद्योग को अधिक फायदा होता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि किसानों को सीधे फायदा होता है जबकि यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उद्योग को ज्यादा फायदा होता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों को किस तरह से सीधे फायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो सदन को स्पष्ट रूप से बताये, यदि भविष्य में नहीं होगा तो क्यों?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. इन्दौरा, इसका उत्तर दिया जा चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति इस मामले की जांच करेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : क्या कोई ऐसी कमेटी बनी है जिसने यह प्रावधान बनाया है? वह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और कमेटी की रिपोर्ट को किस तरह से लागू करना चाहते हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : इस कमेटी की रिपोर्ट इसी साल में 5-10 दिन में आ जायेगी।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि खाद्यान्न पर मिलने वाली सबसिडी से एफ.सी.आई. को फायदा दिया जा रहा है और इसी तरह से उर्वरक के क्षेत्र में हो।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : इस समय किसानों को 12 हजार करोड़ रुपये की सबसिडी दी जा रही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, यह क्या है?

श्री लक्ष्मण सेठ : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न उर्वरक उद्योगों द्वारा किस तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। इस संबंध में व्यय सुधार आयोग की क्या रिपोर्ट है? इन अनियमितताओं को रोकने हेतु आप क्या कदम उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, डा. अलघ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को भी उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह क्या है?

श्री लक्ष्मण सेठ : क्या अनियमितताएं हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): अध्यक्ष महोदय, क्या एक्सपर्ट कमेटी में किसानों का प्रतिनिधित्व होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, मेरे आने से पहले उर्वरक नीति पर एक सलाहकार कमेटी बनाई गई थी जिसमें सभी साइंटिस्ट्स और आफिसर्स मैम्बर्स हैं लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : क्या अनियमितताएं हैं? आपने इसका उल्लेख नहीं किया है?

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार व्यापक और दीर्घकालिक उर्वरक राजसहायता नीति बनाएगी और उर्वरक की मांग को पूरा करने हेतु इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, नई फर्टिलाइजर पॉलिसी बन रही है। लेकिन इस साल कोई कमी नहीं है, बल्कि एक्सेस पड़ा है। इस साल किसी किस्म की खाद की कोई कमी नहीं है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सहायता अनुदान

***124. श्री+ सुरेश चन्देल :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिये गये सहायता अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिया गया सहायता अनुदान उनके खर्चों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सहायता अनुदान को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि उन्हें दी गई धनराशि का समुचित सदुपयोग हो, क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः अनुबंध-I और II के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को, जिनकी स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियमों के तहत की गई है, दिए जाने वाले योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से दिए जाते हैं तथा राज्य विश्वविद्यालयों, जिनकी स्थापना राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अधीन की गई है, को दिए जाने वाले योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों के पात्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप केवल विकास हेतु अनुदान ही प्रदान करता है और ये अनुदान उनकी जरूरतों का एक भाग मात्र होते हैं। संबंधित राज्य सरकारों तथा अभिकरणों, जैसा भी मामला हो, का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे अपने द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पर्याप्त विकास तथा अनुरक्षण अनुदान प्रदान करें। पात्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को वितरण के लिए सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए जाने वाले योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदानों में कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी गई 922.22 करोड़ रुपये (योजनागत) तथा 1906.65 करोड़ रुपये (गैर-योजनागत) राशि की तुलना में नौवीं योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि करके 2000.00 करोड़ रुपये (योजनागत) तथा लगभग 4696.68 करोड़ रुपये (गैर-योजनागत) की राशि आबंटित की गयी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग, आयोग विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों द्वारा अपने-अपने व्यय के संबंध में प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों और उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर करता है।

अनुबंध I

योजनागत तथा योजनेत्तर योजनाओं के अन्तर्गत 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 और 2000-2001 (अद्यतन) वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को (राज्यवार) दिये गये अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अद्यतन)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
1.	अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद	574.02	935.44	1127.62	497.18

1	2	3	4	5	6
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	134.16	310.38	285.28	94.45
3.	श्री सत्यसांई उच्चतर अध्ययन सं.	45.50	49.14	66.00	15.00
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1891.62	3076.89	3017.87	1602.43
5.	उर्दू विश्वविद्यालय	100.00	200.00	400.00	200.00
6.	ए.पी.स्वा. एवं वि. विश्व.	0.14	-	-	-
7.	आन्ध्र प्रदेश कृषि	-	-	-	-
8.	आन्ध्र विश्वविद्यालय	450.25	344.88	457.63	305.53
9.	बी.आर. अम्बेडकर मु. विश्व.	-	-	-	-
10.	जवाहर नेहरू तकनीकी	136.07	84.56	38.75	84.08
11.	ककातिया	115.90	85.70	121.62	43.01
12.	नागार्जुन	117.64	125.34	87.87	34.37
13.	उस्मानिया	327.94	407.86	436.31	205.07
14.	श्रीकृष्ण देवराया	152.26	124.24	101.81	30.41
15.	श्रीवेंकटेश्वर	279.67	314.48	337.52	92.10
16.	श्री पदमावती महिला वि.वि.	67.23	79.71	61.00	22.50
17.	तेलुगू विश्वविद्यालय	38.93	38.35	70.63	19.77
18.	एन.पी.टी.टी.	-	-	0.22	-
19.	आचार्य एन.जी. राजे कृषि वि.	-	-	0.10	-
अरूणाचल प्रदेश					
	अरूणाचल विश्वविद्यालय	57.09	59.90	84.64	28.12
असम					
1.	असम विश्वविद्यालय	658.89	966.32	2166.96	470.95
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय	482.05	877.59	1705.75	363.94
3.	असम कृषि	-	-	-	-
4.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	88.44	50.12	157.98	32.90
5.	गोवहाटी विश्वविद्यालय	81.35	151.47	147.79	31.26
बिहार					
1.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	57.21	58.98	56.13	24.61
2.	बी.आर.ए. बिहार विश्व.	69.98	78.54	94.83	48.11

1	2	3	4	5	6
3.	बिसरा कृषि	-	-	-	-
4.	के.एस. दरभंगा संस्कृत	40.46	40.49	66.06	15.00
5.	मगध विश्वविद्यालय	78.45	83.22	78.17	1.40
6.	जयप्रकाश विश्व. छपरा	-	-	-	-
7.	एल.एन. मिथिला	48.56	74.20	52.10	20.59
8.	पटना विश्वविद्यालय	169.67	71.14	155.26	7.23
9.	राजेन्द्र कृषि	0.04	-	-	-
10.	रांची विश्वविद्यालय	81.99	38.13	96.83	33.82
11.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	-	-	-	-
12.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	1132.91	93.39	-	4.19
13.	बी.आई.टी. मेसरा	99.75	72.15	-	106.14
दिल्ली					
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	6077.35	10359.66	11138.24	4748.14
2.	इन्द्रा गांधी रा.मु.वि.	7.06	0.05	-	-
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया	2394.26	3678.44	3880.51	1568.19
4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	3532.23	6057.31	5070.34	2372.68
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1.40	6.37	4.43	4.65
6.	जामिया हमदर्द	483.10	679.45	416.52	296.55
7.	आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय	-	1.07	-	-
8.	श्री लाल बहा.शा.रा. सं. विद्यापीठ	203.29	431.88	393.23	183.07
9.	रा. कला इतिहास संग्रहालय वि. संस्थान	1.50	1.80	10.44	0.68
हरियाणा					
1.	हरियाणा कृषि	1.99	2.48	1.77	-
2.	कुरूक्षेत्र	120.37	124.04	190.46	37.04
3.	महर्षि दयानन्द	146.60	97.19	77.52	39.59
4.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय	53.65	36.87	40.96	13.85
5	रा. डेयरी अनुसधान संस्थान	-	-	1.68	0.68

1	2	3	4	5	6
गुजरात					
1.	भावनगर	81.48	112.37	69.00	27.31
2.	गुजरात	218.30	181.16	165.13	18.90
3.	गुजरात कृषि	-	-	-	-
4.	गुजरात आयुर्वेद	-	-	3.00	-
5.	गुजरात विद्यापीठ	477.71	877.71	644.97	345.88
6.	एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय	182.54	246.29	191.40	127.87
7.	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय	29.42	70.77	42.28	19.77
8.	सरदार पटेल	198.54	168.51	266.69	32.40
9.	सौराष्ट्र	102.68	132.84	134.91	39.85
10.	दक्षिण गुजरात	85.68	78.89	99.51	33.12
गोवा					
	गोवा विश्वविद्यालय	87.36	122.58	123.90	21.17
हिमाचल प्रदेश					
1.	हिमाचल प्रदेश	154.91	113.74	142.88	92.17
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि	0.20	-	-	-
3.	डा. वाई.एस.पी. उद्यान एवं वन विश्व.	-	-	-	-
जम्मू व कश्मीर					
1.	जम्मू	207.09	82.09	94.06	48.87
2.	कश्मीर	95.12	206.95	134.24	35.29
3.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान तथा तक. विश्व	0.83	-	0.72	-
कर्नाटक					
1.	बंगलौर	198.37	293.58	235.22	19.80
2.	भारतीय विज्ञान संस्थान	139.49.	266.20	416.73	102.70
3.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	-	1.55	-	-
4.	गुलबर्गा	75.59	96.79	84.95	2.34
5.	कन्नड़	-	-	54.00	9.00
6.	कर्नाटक	140.11	208.81	291.51	78.28
7.	कोलेर	76.08	53.47	77.92	0.54

1	2	3	4	5	6
8.	मंगलौर	93.67	121.54	121.84	13.94
9.	मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी	0.52	-	-	0.61
10.	मैसूर	187.48	262.63	291.78	12.48
11.	राष्ट्रीय भारतीय विधि संस्थान	77.31	45.91	106.10	47.65
12.	राष्ट्रीय मानसिक स्व एवं तंत्र का विज्ञान संस्थान	3.00	4.61	9.05	-
13.	कृषि विज्ञान विश्व. धारवाड़	-	-	-	1.00
14.	कृषि विश्वविद्यालय बंगलौर	0.20	0.81	-	-
केरल					
1.	कालीकट	68.53	252.97	174.53	7.50
2.	कोचीन विज्ञान एवं तक. विश्व.	218.20	119.73	140.78	54.84
3.	केरल	148.61	196.84	147.01	57.80
4.	केरल कृषि	0.46	-	-	-
5.	महात्मा गांधी विश्व. कोट्टायम	81.32	81.35	163.27	15.66
6.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्व.	-	-	-	-
मणिपुर					
	मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल	165.50	140.59	142.32	35.58
मध्य प्रदेश					
1.	अवधेश पी. सिंह	89.82	62.58	58.47	4.01
2.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	121.12	112.40	284.84	42.01
3.	चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय	27.40	27.40	31.42	13.70
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	184.85	167.91	336.19	48.07
5.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय	144.10	122.68	153.58	70.34
6.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	59.56	47.90	82.97	26.46
7.	इन्द्रा कला संगीत	57.73	0.38	69.96	18.70
8.	इन्द्रागांधी कृषि विश्वविद्यालय	0.20	40.42	-	-
9.	जवाहरलाल नेहरू कृषि	-	-	-	-
10.	जिवाजी	62.34	91.81	95.09	11.23
11.	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान	12.65	16.19	42.34	0.68

1	2	3	4	5	6
12.	माखनलाल सी.आर.पी. विश्व.	-	-	-	-
13.	भार.: विद्या तथा संग्रहालय विज्ञान उन्नत अध्ययन प्रा.नि.के.	-	-	0.87	-
14.	पं. रविशंकर शुक्ला	60.42	37.30	95.88	0.70
15.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	184.80	102.44	143.67	68.01
16.	विक्रम	88.99	79.64	105.33	30.10
महाराष्ट्र					
1.	अमरावती विश्वविद्यालय	63.09	67.08	67.73	26.16
2.	डा. बी.एस.ए. तक. विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3.	मुम्बई विश्व.	381.54	518.58	510.65	189.71
4.	कोंकण कृषि	-	-	-	-
5.	महात्मा फूले कृषि	-	-	-	-
6.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ	-	3.01	-	-
7.	बी.ए. मराठवाड़ा विश्व.	136.70	99.11	99.78	9.66
8.	नागपुर विश्ववद्यालय	113.47	114.44	80.57	81.62
9.	उत्तरी महाराष्ट्र	51.34	62.82	54.75	20.33
10.	पुणे विश्वविद्यालय	442.00	449.28	387.75	292.92
11.	पंजाब राव कृषि	-	-	4.05	-
12.	एस.एन.डी.टी. महिला	260.93	245.02	114.40	28.38
13.	शिवाजी	79.44	80.76	195.17	53.54
14.	यशवन्त राव चौहाण	1.14	-	-	-
15.	एस.आर.टी. मराठवाड़ा	-	61.48	32.45	15.40
16.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान	-	-	-	-
17.	दक्कन कालेज स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान संस्थान	31.00	59.00	22.78	1.26
18.	गोखले राजनीतिक और आर्थिक संस्थान, पुणे	44.00	68.17	55.02	-
19.	अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	3.81	10.00	9.35	2.97
20.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	544.67	881.39	821.09	385.88
21.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	56.60	36.47	23.30	-
22.	हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	29.00	100.00	50.00	100.00

1	2	3	4	5	6
23.	भारतीय विद्यापीठ	-	6.80	6.40	1.70
24.	हाफकिंस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	-	0.49	-	-
मेघालय					
	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	2338.74	3571.24	4095.19	1815.28
नागालैंड					
	नागालैंड विश्वविद्यालय	840.49	1707.41	1755.57	792.05
उड़ीसा					
1.	बरहामपुर	127.47	100.59	205.62	26.25
2.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व.	0.20	1.21	-	-
3.	सम्बलपुर	94.61	106.74	112.57	42.27
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ	35.45	28.20	111.91	17.06
5.	उत्कल	162.60	142.39	372.44	39.87
पांडिचेरी					
	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	998.42	1708.02	1710.99	189.49
पंजाब					
1.	गुरू नानक देव	147.37	200.71	192.53	96.88
2.	पंजाब	304.09	271.95	388.11	190.44
3.	पंजाब कृषि	0.27	4.11	0.75	2.20
4.	पंजाबी	198.19	111.72	174.69	39.92
5.	थापर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	93.14	77.95	87.68	45.07
राजस्थान					
1.	वनस्थली विद्यापीठ	81.46	371.83	99.06	307.14
2.	बिरला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान	99.75	72.15	22.25	38.64
3.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय	-	0.35	-	-
4.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	141.46	176.50	227.28	55.28
5.	जे.एन. भारती संस्थान	24.41	79.24	27.02	32.70
6.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	71.13	58.06	78.72	18.70
7.	एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय	146.22	125.37	102.77	25.23

1	2	3	4	5	6
8.	राजस्थान विद्यापीठ	51.60	30.45	44.81	0.32
9.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय	-	0.05	-	-
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय	216.13	167.39	285.82	86.17
तमिलनाडु					
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय	67.37	74.31	66.31	24.43
2.	अन्नामलाई	201.27	151.43	83.51	27.25
3.	अन्ना विश्वविद्यालय	357.45	360.03	266.81	73.80
4.	भारथीयार विश्वविद्यालय	122.08	86.95	85.31	12.31
5.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	115.58	102.59	167.41	28.95
6.	डा. एम.जी.आर. मेडीकल	-	-	0.53	-
7.	मद्रास विश्वविद्यालय	337.29	355.16	313.81	96.32
8.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	182.44	212.79	242.89	22.72
9.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	59.50	33.50	40.17	16.25
10.	एम. सुन्दरनार विश्वविद्यालय	79.48	51.46	50.19	20.55
11.	तमिलनाडु कृषि	-	3.0	2.91	-
12.	तमिल विश्वविद्यालय	55.40	63.68	64.64	3.48
13.	टी.एन.वी. एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	-	1.38	-	-
14.	वनस्पति विज्ञान एस.ओ.आई.	-	-	0.22	-
15.	सी.एल.आर.आई.	-	-	0.30	-
16.	श्री रामचन्द्र मेडीकल कालेज	-	-	0.13	-
17.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	421.79	739.31	753.18	369.36
18.	श्री चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती न्यायशास्त्र महावि.	38.65	37.52	22.02	4.67
19.	श्री अविनाशीलिंगम गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा	293.78	789.97	630.36	293.75
20.	श्री रामचन्द्र मेडीकल कालेज एवं अनुसंधान सं.	0.41	-	1.11	-
21.	अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अध्ययन संस्थान	-	0.35	0.2	-
22.	मद्रास समाज कार्य विद्यालय	-	0.30	-	-
त्रिपुरा					
	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	98.62	61.29	89.05	27.20

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश					
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	195.95	137.80	338.10	102.54
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	10128.10	16338.72	15747.16	6232.27
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	10891.90	17712.79	16241.26	7199.04
4.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	1.36	1.09	-	-
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	29.50	114.30	177.75	60.72
6,	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय	-	-	-	-
7:	डा. भीमराम अम्बेडकर विश्वविद्यालय	96.20	40.55	72.07	20.21
8.	डा. राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय	45.09	62.42	51.40	3.77
9.	जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय	22.55	38.17	6.19	0.71
10.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	119.21	130.15	159.21	38.28
11.	एच.एन.बी. (गढ़वाल) विश्वविद्यालय	103.25	54.01	111.05	12.97
12.	कानपुर विश्वविद्यालय	48.74	31.95	60.40	1.30
13.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	117.21	72.17	78.37	17.07
14.	लखनऊ विश्वविद्यालय	190.21	117.47	220.79	118.35
15.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	66.19	45.80	69.09	7.17
16.	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय	61.55	31.60	89.52	18.70
17.	नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-
18.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	-	-	-	0.10
19.	रूड़की विश्वविद्यालय	427.96	412.09	464.35	293.34
20.	संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	56.93	34.02	47.18	2.85
21.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	621.10	526.97	370.00	45.00
22.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान	10.00	30.67	11.90	4.00
23.	दयाल बाग शैक्षिक संस्थान	254.90	421.55	360.55	147.32
24.	वन अनुसंधान संस्थान	0.81	1.08	2.15	-
25.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	303.49	648.86	482.32	270.33
पश्चिम बंगाल					
1.	वर्दवान विश्वविद्यालय	217.48	160.83	287.85	67.75
2.	बी.सी. कृषि विश्वविद्यालय	0.65	0.45	1.19	-

1	2	3	4	5	6
3.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	36.62	89.40	17.38	18.07
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	531.71	348.21	348.87	96.11
5.	जाधवपुर विश्वविद्यालय	451.56	313.23	433.45	150.74
6.	कल्याणी विश्वविद्यालय	80.55	67.47	75.10	30.81
7.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	81.53	88.36	110.13	33.00
8.	रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय	92.03	30.79	154.22	30.80
9.	विद्या सागर विश्वविद्यालय	58.36	93.53	66.99	28.35
10.	विश्व भारती विश्वविद्यालय	2822.73	4488.93	4046.13	2124.45

अनुबंध II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

योजनागत तथा योजनेत्तर योजनाओं के तहत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (अद्यतन) के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

राज्य विश्वविद्यालय (लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्यवार तथा विश्व-विद्यालयवार कालेजों को दिया गया अनुदान	वर्ष			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अद्यतन)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	आंध्र विश्वविद्यालय	236.88	261.78	154.71	48.77
2.	ककतिया विश्वविद्यालय	81.94	92.91	44.50	13.33
3.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	157.12	211.08	99.12	51.60
4.	उसमानिया विश्वविद्यालय	250.81	266.54	159.78	41.10
5.	श्री कृष्णा देवराया	44.92	52.70	30.13	9.89
6.	श्री वेंकटेश्वर	106.54	151.23	40.11	3.80
अरूणाचल प्रदेश					
	अरूणाचल विश्वविद्यालय	8.77	5.27	5.01	0.86

1	2	3	4	5	6
असम					
1.	डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय	232.03	192.28	179.35	22.82
2.	गोहाटी विश्वविद्यालय	210.56	233.91	315.48	114.00
3.	असम विश्वविद्यालय	23.67	19.54	27.93	7.43
बिहार					
1.	तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय	43.82	93.24	59.60	15.21
2.	बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय	60.80	105.78	57.52	45.70
3.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	-	7.85	8.42	1.75
4.	मगध विश्वविद्यालय	100.64	231.15	153.13	62.12
5.	जयप्रकाश विश्वविद्यालय	12.80	44.67	39.59	4.75
6.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय	141.95	238.06	217.59	38.13
7.	पटना विश्वविद्यालय	22.90	31.59	56.15	-
8.	रांची विश्वविद्यालय	117.08	207.97	122.30	22.23
9.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	7.84	-	-	-
10.	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय	3.08	-	-	-
हरियाणा					
1.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	226.55	202.10	195.76	17.29
2.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय	117.72	117.93	140.69	57.48
गुजरात					
1.	भावनगर विश्वविद्यालय	27.78	23.68	31.19	23.80
2.	गुजरात विश्वविद्यालय	202.75	186.19	169.56	51.95
3.	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय	91.09	81.43	70.50	2.58
4.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	27.76	34.86	29.60	7.67
5.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	84.65	73.49	86.02	36.26
6.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	81.04	75.98	69.70	21.47
गोवा					
	गोवा विश्वविद्यालय	33.75	53.44	42.77	12.88
हिमाचल प्रदेश					
	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	99.69	78.53	51.23	1.08

1	2	3	4	5	6
दिल्ली					
	दिल्ली विश्वविद्यालय	2018.61	25257.92	25708.04	13694.84
जम्मू और कश्मीर					
1.	जम्मू विश्वविद्यालय	39.22	36.00	30.18	-
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	46.51	40.88	37.63	9.00
कर्नाटक					
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय	240.40	250.83	94.94	36.28
2.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	76.84	124.80	30.00	47.57
3.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	245.74	293.70	232.45	34.27
4.	कोवेम्पू विश्वविद्यालय	64.36	64.91	40.17	22.04
5.	मंगलौर विश्वविद्यालय	132.42	111.41	107.94	53.52
6.	मैसूर विश्वविद्यालय	99.92	68.85	66.44	31.07
केरल					
1.	कालीकट विश्वविद्यालय	139.52	154.41	156.91	33.29
2.	केरल विश्वविद्यालय	166.79	256.96	154.11	10.27
3.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	237.24	182.10	179.97	43.00
4.	कन्नुर विश्वविद्यालय	199.01	18.74	25.49	-
मणिपुर					
	मणिपुर विश्वविद्यालय	113.90	180.25	182.10	112.80
मध्य प्रदेश					
1.	अवधेश पी. सिंह विश्वविद्यालय	97.71	99.44	114.26	14.70
2.	बरकतुला विश्वविद्यालय	135.04	202.58	205.56	67.63
3.	गुरूपासी दास विश्वविद्यालय	121.10	121.15	106.10	19.92
4.	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	6.45	6.58	12.44	-
5.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	129.97	168.98	170.21	19.84
6.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	121.41	135.96	152.02	37.35
7.	जीवाजी विश्वविद्यालय	73.63	131.08	169.94	15.34
8.	पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	107.79	115.75	162.42	50.22

1	2	3	4	5	6
9.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय	67.46	105.03	80.76	26.68
10.	विक्रम विश्वविद्यालय	68.61	106.99	95.92	12.29
महाराष्ट्र					
1.	अमरावती विश्वविद्यालय	177.02	205.53	169.10	91.16
2.	बम्बई विश्वविद्यालय	276.32	277.88	272.90	97.97
3.	डा. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	193.59	207.72	179.54	98.55
4.	नागपुर विश्वविद्यालय	198.20	280.88	207.29	86.16
5.	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	155.17	153.50	98.67	73.52
6.	पुणे विश्वविद्यालय	338.76	294.94	317.00	124.37
7.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	48.33	84.74	57.08	16.17
8.	शिवाजी विश्वविद्यालय	216.49	224.28	210.70	97.57
9.	एस.आर.टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	129.90	162.67	143.41	66.05
नागालैंड					
	नागालैंड विश्वविद्यालय	14.74	12.00	18.53	1.87
मेघालय					
	एन.ई.एच.यू.	45.48	51.89	92.14	33.79
उड़ीसा					
1.	ब्रहामपुर विश्वविद्यालय	65.44	61.97	64.88	21.86
2.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	110.55	170.61	127.94	38.53
3.	उत्कल विश्वविद्यालय	318.20	496.12	540.71	88.68
पंजाब					
1.	गुरूनानक देव विश्वविद्यालय	249.92	350.83	260.91	43.87
2.	पंजाब विश्वविद्यालय	256.97	281.74	246.77	26.00
3.	पंजाब विश्वविद्यालय	82.22	110.48	153.46	5.10
पांडिचेरी					
	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	25.86	10.20	4.00	0.58
राजस्थान					
1.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय	19.95	22.44	14.91	2.17
2.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय	198.09	274.82	306.63	69.34

1	2	3	4	5	6
3.	एम.एल. सुखादिया विश्वविद्यालय	27.15	45.31	68.52	18.08
4.	राजस्थान विश्वविद्यालय	168.94	172.98	253.19	30.51
तमिलनाडु					
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय	1.55	1.28	2.10	-
2.	अन्ना विश्वविद्यालय	0.01	-	-	-
3.	भरतियार विश्वविद्यालय	136.81	138.40	97.60	32.06
4.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	241.86	216.13	170.46	47.97
5.	मद्रास विश्वविद्यालय	338.82	259.29	241.08	19.97
6.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	301.25	271.54	230.56	42.91
7.	एम. सुन्दरनार विश्वविद्यालय	152.99	93.31	131.96	18.32
8.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1.70	3.90	7.00	-
9.	पेरियार विश्वविद्यालय	19.25	22.52	14.44	1.57
त्रिपुरा					
	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	18.73	19.37	9.70	3.82
उत्तर प्रदेश					
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	21.92	34.90	25.77	1.00
2.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	48.22	69.65	34.96	12.48
3.	चौ. चरणसिंह विश्वविद्यालय	169.41	139.74	157.34	42.98
4.	डा. भीमराव अम्बेडकर लोहिया आगरा विश्वविद्यालय	176.85	125.00	97.21	2.78
5.	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय	97.33	90.77	72.28	6.13
6.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	89.63	117.58	60.44	10.63
7.	एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय	63.10	56.11	43.51	0.75
8.	कानपुर विश्वविद्यालय	169.97	153.67	146.47	4.80
9.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	11.44	36.89	19.72	-
10.	लखनऊ विश्वविद्यालय	26.88	46.61	55.33	12.58
11.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	-	-	7.50	-
12.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय	110.27	80.75	105.12	3.20
13.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	71.12	128.32	100.89	0.41

1	2	3	4	5	6
14.	रूड़की विश्वविद्यालय	-	0.15	-	-
15.	संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	1.60	10.44	5.12	6.00
16.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ	4.18	-	-	-
17.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	101.85	119.09	185.15	256.78
पश्चिम बंगाल					
1.	बर्दवान विश्वविद्यालय	178.73	176.43	209.59	65.33
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	460.06	537.15	626.11	170.63
3.	जाधवपुर विश्वविद्यालय	3.15	2.65	14.89	1.95
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय	10.17	12.34	8.44	0.78
5.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	93.88	88.18	72.48	19.92
6.	विद्या सागर विश्वविद्यालय	118.20	114.59	110.85	33.63

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल : अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा का महत्व किसी से छिपा नहीं है। देश भर में कालेज और विश्वविद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस समय देश में 8500 कालेज और 229 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 60 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी अनुदानों में पिछले वर्षों में कमी की है। जब कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह माना है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में उसमें वृद्धि की गई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह ध्यान में आया है कि उसमें काफी कमी की गई है। इसी तरके से उच्च शिक्षा पर जो लागत खर्च आता है, उसमें भी निरंतर कमी आई है। वर्ष 1980-81 में यह 716 रुपये से घटता हुआ अब 429 रुपये तक आ गया है। इसी तरीके से जो सार्वजनिक व्यय है उसकी स्थिति भी बदतर दिखाई देती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में प्रति छात्र लागत जो कटौती हुई है उसकी सालाना वृद्धि दर भी नकारात्मक रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उसे सुधारने के लिए मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटीज को दी जाने वाली ग्रान्ट्स में किसी भी प्रकार की कोई कटौती या कमी नहीं की गई है। उल्टे मैं यह कहूंगी कि हर फाइव ईयर प्लान में उसमें बढ़ोत्तरी हुई है, यानी बढ़ाकर ही ग्रान्ट्स दी गई हैं। इसी दृष्टि से उच्च शिक्षा में भी इसी प्रकार से बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है।

श्री सुरेश चन्देल : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1997-98 में वहां 99.64 लाख रुपया आबंटित किया गया, वर्ष 1998-99 में 78.53 लाख रुपया दिया गया, इसी तरीके से वर्ष 1999-2000 में 51 लाख और इस साल 2000-2001 में 1.08 लाख रुपया आबंटित किया गया। जो निरंतर गिरावट को दर्शाते हैं, इसका क्या कारण है। क्या मंत्री जी इसमें भविष्य में वृद्धि करने का आश्वासन देती है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो सालाना बात बताई है, मैं कहना चाहूंगी कि यू.जी.सी. के द्वारा यूनिवर्सिटीज को जो ग्रान्ट्स दी जाती है, वे फाइव ईयर प्लान्स के मुताबिक सैंक्शन की जाती हैं। अगर हम देखें तो आठवें फाइव ईयर प्लान में हिमाचल प्रदेश को जो ग्रान्ट्स दी गई हैं वे करीब-करीब एक करोड़ चालीस लाख की हैं, वह पूरे पांच साल में आबंटित करनी होती हैं यानी पांच साल में हर साल बीस परसेन्ट और वह भी उस यूनिवर्सिटी से उसकी जो ग्रान्ट्स पहले दी गई हैं उसके बराबर और यह रिपोर्ट आने के बाद अगली ग्रान्ट वितरित होती है। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं की गई है। ग्रान्ट्स पांच साल में दी जाती हैं और नौवें फाइव ईयर प्लान में भी इससे

और बढ़ोत्तरी हुई है, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं है। यह ग्रान्ट्स सालाना नहीं दी जाती हैं, यह फाइव ईयर के हिसाब से दी जाती हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री को राज्य मंत्री की अपेक्षा अच्छी तरह उत्तर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि योजना और गैर योजना दोनों के अन्तर्गत संबद्ध विश्वविद्यालयों को अनुदानों के आबंटन के संबंध में क्या मंत्रालय क्षेत्रीय असंतुलनों के मुद्दे का भी ध्यान रखेगा। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (आज तक) के दौरान पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाली सूची में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय को बर्दवान विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में क्रमशः 81.53 लाख रुपये, 88.36 लाख रुपये, 110.13 लाख रुपये तथा 33 लाख रुपये मिले। महोदय, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय पिछले एक वर्ष से आंदोलन कर रहा है। उसकी अपनी स्थानीय नैतिक समस्याएं हैं। विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु इस विश्वविद्यालय को पर्याप्त अनुदान नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं यहां का रहने वाला ही नहीं हूं वरन् मैंने इस विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। महोदया, मैंने आपके मंत्रालय को तीन पत्र लिखे और आपके मंत्रालय ने इनकी पावती भेजी। रायगंज कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई सहायता नहीं मिलती है। यह विश्वविद्यालय लम्बे समय से इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। दार्जिलिंग हिल इस क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में राजबोंगशी समुदाय की भाषा है। इसी को भी विवाद क्षेत्र में आदिवासियों का भी दाखिला होता है। पूर्वोत्तर कुछ के विद्यार्थी भी इसी क्षेत्र में हैं। आपने जो आंकड़े दिए हैं। कृपया उनको देखें। यह केवल गरीब नहीं वरन् बर्दवान विश्वविद्यालय से भी अधिक गरीब हैं जिनका अधिकार क्षेत्र और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र समान नहीं है।

मालदा जिसका प्रतिनिधित्व बरकत दा करते हैं, के संबंध में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मालदा विश्वविद्यालय को विज्ञान शिक्षा के विस्तार के लिए दी जाने वाली सहायता में कमी आई है। मैंने विद्यार्थियों की मांग पर तीन पत्र भेजे हैं। क्या मंत्री महोदय इस क्षेत्र की समस्याओं और पिछड़ेपन को देखते हुए इस मुद्दे पर विशेषरूप से विचार करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके अनुदान अन्य विश्वविद्यालयों के बराबर हों।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जो ग्रांट्स दी जाती हैं उनमें बैलेन्स क्रियेट किया जाता है कि पूरे देश में बैलेन्स रहे। उसमें भी मैं एक और बात बताना चाहती हूं कि अगर पश्चिम बंगाल की बात है तो फिर वही बात आती है कि पांच साल का ऐलोकेशन देखें तो कमी नहीं है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज रहती हैं उसमें माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को जो ग्रांट्स दी जाती हैं, वह केवल डैवलपमेंटल ग्रांट्स दी जाती हैं और उसमें भी 50:50 का एलोकेशन रहता है। 50 प्रतिशत स्टेट द्वारा भी देना होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल ने वह दिया नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : साइंस का ऐक्सपैन्शन करने के लिए कुछ नहीं दिया है, लड़कियों की तरक्की के लिए कुछ नहीं दिया है। जो प्लान अप्रेजल आया था, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, उस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : ऐसी बात नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे किसी भी प्रदेश को उससे वंचित नहीं किया जाता है। पहले भी मैंने कहा कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो स्कीम्स के अनुसार डैवलपमेंटल ग्रांट्स दी जाती हैं जो पश्चिम बंगाल को भी दी जा रही हैं। उसमें भी लड़कियों के लिए और सहूलियत हम देते हैं। वहां गर्ल्स होस्टल बनाने के लिए या और कामों के लिए अलग-अलग नॉर्म्स प्रेस्क्राइब किये जाते हैं। बहुत ऐक्स्ट्रा ग्रांट्स दी जाती हैं। किसी खास यूनिवर्सिटी की बात माननीय सदस्य को पिन्च करती हो तो उसकी जानकारी हमें लिखें या हमसे मिलें, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी लोकैलिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि वहां कितनी जरूरत है। ...*(व्यवधान)* उड़ीसा में उत्कल यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा वहां की बर्दवान की यूनिवर्सिटी को हमने ज्यादा पैसा ऐलोकेट किया है क्योंकि वह ट्राइबल है। यह बात ध्यान में रखी जाती है। अगर किसी खास यूनिवर्सिटी के बारे में शिकायत है तो उसके बारे में आप हमसे मिल सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया एकदम स्पष्ट अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी : स्पीकर साहब, हमारे देश में जो ऐजुकेशन सिस्टम है, पुराना सिस्टम है। उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही है। सिस्टम इस तरह का है जैसे किसान का गन्ना अगर एक साल ज्यादा कीमत पर बिकता है तो वहां सारे किसान गन्ना बोने लगते हैं। हमारे यहां इंजीनियरिंग और मैडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं। क्या सरकार की कोई स्कीम है कि वह देखे कि देश को जरूरत किसकी है?

अध्यक्ष महोदय, कभी सारे लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराते हैं, कभी मैडीकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं और तीन साल के बाद पता चलता है कि इंजीनियरिंग और मैडीकल का कोई स्कोप नहीं रह गया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार कोई ऐसा कमीशन या सिस्टम बनाने पर विचार करेगी कि आने वाले समय में हमारे देश को कितने इंजीनियरों और कितने डॉक्टरों अथवा कितने मैनेजरों की आवश्यकता है उसके बारे में देश की जनता को जानकारी मिल सके ताकि उसके अनुसार

[अनुवाद]

बच्चे अपनी पढ़ाई करें? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे सहयोग करेंगे अथवा नहीं। क्या वे सहयोग के लिए कोई आयोग नियुक्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न विशुद्ध रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है जिसका उत्तर मैंने दे दिया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह बैलेंस भी देखा जाता है और इस बारे में हमारा मंत्रालय बराबर ध्यान देता है।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा, राज्य सरकारों का भी विषय है। महाविद्यालयों को मान्यता देने, वहां के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने आदि का विचार करने का दायित्व राज्य सरकारों का भी है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यदि मिलकर विचार करें, तो समस्या का समाधान कुछ हद तक हो सकता है। इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही विचार करना इतना आवश्यक नहीं है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का भी विचार करना आवश्यक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भूतपूर्व सांसदों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्था

***125. श्री सुकदेव पासवान :**
श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सांसदों को दिल्ली में ''ट्रांजिट आवास'' का निर्माण करके आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का राजधानी में ''ट्रांजिट आवास'' के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और इसके कब तक आवास-योग्य हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, हां। प्रस्ताव प्राप्त हुए थे किन्तु धन की तंगी और उपयुक्त भूमि के अभाव में उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका।

उड़ीसा में बच्चों की बिक्री और भुखमरी से होने वाली मौतें

***126. श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की बिक्री और भुखमरी से होने वाली मौतों के बारे में उड़ीसा से कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में भुखमरी से होने वाली मौतों और जनजातीय बच्चों की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों

को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां प्रदान करता है। एक अलग केन्द्रीय क्षेत्र योजना अर्थात् ग्राम अन्न बैंक योजना को 1996-97 में आरंभ किया गया। इस योजना को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही अनुसूचित जनजातियों के पौषणिक मानक गिरावट के प्रति एक सुरक्षा उपाय की व्यवस्था करने के द्वारा सुदूर और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से जनजातियों की और विशेष रूप से बच्चों की मौत के विरुद्ध निवारक उपायों के लिए केन्द्रीय योजना समिति द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में से चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया।

राष्ट्र ध्वज संबंधी संहिता

***127. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिनमें फैशन डिजाइनरों द्वारा तथा लोगों द्वारा राष्ट्र ध्वज को रात को फहराता हुआ छोड़ देने तथा किसी दूसरे ढंग से इसका प्रयोग करके ध्वज संहिता का उल्लंघन किया गया है तथा इसे गैर-सरकारी समारोहों में भी उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ध्वज संहिता को कानूनी दर्जा देने के संबंध में संसद के समक्ष कोई विधेयक लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने के संबंध में सरकार को सूचित किए गए मामलों के ब्यौरे दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आम जनता द्वारा इसके अप्रतिबन्धित अथवा उदारतापूर्वक उपयोग किए जाने की सीमा तय करने राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन और प्रयोग तथा अन्य संबंधित मामलों को शासित करने, के लिए एक अलग संविधान बनाने के औचित्य सहित राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग/लगाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए एक अन्तःमंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने के संबंध में सरकार को सूचित किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	राज्य	अपराध की तारीख	किया गया अपराध	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रमेश चजादे	राजस्थान	अगस्त, 1997	राष्ट्रीय ध्वज का वाणिज्यिक उपयोग	उसे छः मास के लिए अच्छे आचरण की शर्त के साथ 2000/- रुपए के सुरक्षा बांड देने पर छोड़ दिया गया था।
2.	श्री दासारी रमन्ना	आन्ध्र प्रदेश	15.8.1997	ध्वज का अपमान किया	मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में लम्बित पड़ा है।
3.	सोम ग्रुप ऑफ कम्पनीज, भोपाल भोपाल	मध्य प्रदेश	मार्च 1998	ध्वज का अपमान किया	मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में लम्बित पड़ा है।
4.	श्री राधेश्याम उर्फ पप्पु	मध्य प्रदेश	अगस्त, 1999	ध्वज को जलाया	-वही-
5.	श्री दर्शन लाल	मध्य प्रदेश	अगस्त, 1999	ध्वज का अपमान	-वही-
6.	श्रीमती चेलाथाय और श्री थम्बी एडवरडसम	तमिलनाडु	अगस्त, 1999	ध्वज को उलटा फहराया	-वही-

1	2	3	4	5	6
7.	श्री अखतर अली	राजस्थान	15.8.2000	सूर्य अस्त के पश्चात ध्वज को नहीं निकाला	मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में लम्बित
8.	श्री मंगला राम	राजस्थान	15.8.2000	फहराने के पश्चात् ध्वज को पोल सहित हटाया।	-वही-
9.	श्री अनिल उर्फ वेंकटेश्वर	मध्य प्रदेश	26.1.2000	राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर काला झण्डा फहराया।	-वही-
10.	सुश्री मालिनी रमानी	नई दिल्ली	अगस्त, 2000	ध्वज को पोशाक रूप में उपयोग	मामला दर्ज किया गया और जांच-पड़ताल पूरी की गई।

राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना

***128. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा उपयोग की गई;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि लाभार्थियों तक समय पर पहुंच रही है;

(ग) यदि नहीं, तो समय पर यह सहायता उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 1998-99, 1999-2000 तथा चालू वर्ष के दौरान लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना जो अगस्त, 1995 में शुरू की गई थी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटकों में से एक घटक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की 19 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाली गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के लिए, प्रसव के 12 से 8 सप्ताह पूर्व, जच्चा और बच्चा के पोषण के लिए 500 रुपये का एक-मुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

2. विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निधियां और राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोग निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वीकृत निधियां•	उपयोग की गई निधियां•	लाभार्थियों की संख्या
1997-98	49.57	54.60	1557292
1998-99	56.56	70.47	1562072
1999-2000	67.38	71.42	1286257*
2000-2001	44.84	32.67	502492

*राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के अंतर्गत लाभ की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर देने तथा कुछ राज्यों/जिलों द्वारा वास्तविक उपलब्धि की सूचना न देने के कारण।

•कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधियों को अगले वित्त वर्ष के लिए अग्रनीत कर देने की वजह से किसी वर्ष विशेष में उपयोग में लाई गई निधियां स्वीकृत निधियों से अधिक हैं।

3. यद्यपि लाभ राशियां समय पर मुहैया कराना आवश्यक है लेकिन योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में यह पाया गया था कि कुछेक राज्यों ने लाभ राशियों की स्वीकृति के लिए लम्बी प्रक्रियायें निर्धारित की थीं जिनमें पंजीकरण की औपचारिकतायें जैसे आवेदन पत्र के साथ विभिन्न प्रमाण (जिनकी जिला स्तर पर किसी अधिकारी से सत्यापन कराना आवश्यक था) होने चाहिए,

शामिल थीं जिससे चयन स्तर पर ही विलंब हो जाता था। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र के परामर्श से इन प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है। निचले स्तर पर लाभार्थियों के चयन का काम तथा राशियों के वितरण का काम अब संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम सभाओं में पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

4. इसी प्रकार यह देखा गया था कि कुछ राज्यों ने 500 रुपये की लाभ राशि का वितरण मनीआर्डरों के जरिए शुरू किया था जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बार जब व्यक्ति घर में मौजूद नहीं होता तो मनीआर्डर डाकघर को लौटा दिया जाता था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित संशोधित दिशा-निर्देशों में पंचायतों/स्थानीय निकायों की व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है तथा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के तहत निधियां वरीयत: सार्वजनिक सभाओं जैसे ग्राम सभाओं (गांवों में) तथा आस-पड़ोस/मोहल्ला समितियों (कस्बों में) की बैठकों में नकद बांटी जायें।

5. लाभ राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिये जाने से यह योजना और अधिक आकर्षक हो गई है तथा दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया गया है/उदार बना दिया गया है। संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क रखा जाता है तथा राज्य स्तरीय बैठकों/फील्ड निरीक्षणों के जरिए कार्य निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

6. 1998-99, 1999-2000 तथा चालू वर्ष के दौरान कवर किये गये लाभार्थियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है जिससे यह देखा जायेगा कि लाभार्थियों की संख्या में कमी प्रति व्यक्ति सहायता की राशि जिसे वर्ष 1998-99 में बढ़ा दिया गया था, के 1999-2000 के वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से दर्शाये जाने के कारण आई है। इसके अतिरिक्त यद्यपि कुछ राज्यों ने खर्च की सूचना दी है, लेकिन उन्होंने योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की संख्या की सूचना नहीं दी है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम—राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 कवर किए गए लाभार्थी	1999-2000 कवर किए गए लाभार्थी	2000-01 कवर किए गए लाभार्थी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	404039	336296	174136
2.	अरूणाचल प्रदेश	60	248	4
3.	असम	18303	25682	8987
4.	बिहार	197322	141387	12787
5.	छत्तीसगढ़*	असूचित	असूचित	39986
6.	गोआ	33	71	14
7.	गुजरात	21460	13038	452
8.	हरियाणा	14147	8309	2537
9.	हिमाचल प्रदेश	2082	3100	1446
10.	जम्मू व कश्मीर	6508	5321	असूचित
11.	झारखंड*	असूचित	असूचित	9264
12.	कर्नाटक	34670	35264	15700

1	2	3	4	5
13.	केरल	35438	18344	3276
14.	मध्य प्रदेश	167046	90800	26209
15.	महाराष्ट्र	129219	87915	31421
16.	मणिपुर	2510	1241	374
17.	मेघालय	2959	3103	600
18.	मिजोरम	3022	2388	1472
19.	नागालैंड	673	2052	असूचित
20.	उड़ीसा	151406	132591	41326
21.	पंजाब	3742	3985	असूचित
22.	राजस्थान	48693	11336	2842
23.	सिक्किम	असूचित	551	असूचित
24.	तमिलनाडु	29485	35142	2842
25.	त्रिपुरा	10156	9413	56
26.	उत्तर प्रदेश	187924	225509	54479
27.	उत्तरांचल*	असूचित	असूचित	3847
28.	पश्चिम बंगाल	90688	92640	27407
29.	अंडमान निकोबार	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दादरा व न. हवेली	असूचित	225	असूचित
31.	चण्डीगढ़	5	0	असूचित
32.	दमन व द्वीव	9	असूचित	असूचित
33.	दिल्ली	असूचित	असूचित	असूचित
34.	लक्षद्वीप	असूचित	असूचित	असूचित
35.	पांडिचेरी	473	506	असूचित
	कुल	1562072	1286257	502492

*नव सृजित राज्य।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

***129. श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एस.एस.आर.) ने देश के कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को दी जाने वाली सहायता में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा कितने शोध पत्र तैयार किए गए;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का ही स्तर कम करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तैयार किए गए शोध पत्रों/पुस्तकों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार किए गए शोधपत्र/पुस्तकें
1997-98	137
1998-99	156
1999-2000	125

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नक्सलवादी गतिविधियां

***130. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :**
श्री नागमणि :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य, विशेषकर देश के जनजातीय क्षेत्र नक्सलवादी/वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रभावित राज्यों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और निकट भविष्य में कितनी सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के कुछेक भाग मुख्यतया वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं।

(ग) और (घ) इन राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के सम्पूर्ण आयाम को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार के लिए भी यह चिन्ता का विषय बन गया है। अतः केन्द्र सरकार ने वामपंथी गतिविधियों को रोकने के लिए इन राज्यों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा और समन्वय करने, प्रत्येक राज्य के संबंध में कार्य-योजना का प्रबोधन करने और समस्या के विकासात्मक और सुरक्षा पहलुओं, दोनों के बारे में सिफारिशें करने, के लिए गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों को सदस्य के रूप में लेकर केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय केन्द्र का गठन किया है।

यह समन्वय केन्द्र समय-समय पर अपनी बैठकें करता है। वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता प्रदान करना, पहचान की गई खराब सड़कों का निर्माण/सुधार, इस समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाना, नियमित आधार पर आसूचना का आदान-प्रदान करना, अर्ध-सैनिक बलों की सहायता प्रदान करना इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं और उन पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ङ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत, प्रभावित राज्य सरकारों को वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान दी गई निधियां और 2000-2001 के दौरान आवंटित/रिलीज की गयी निधियां निम्न प्रकार से हैं:-

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	आवंटित 2000-2001	रिलीज 2000-2001
आन्ध्र प्रदेश	1209.56	709.56	354.78	698.52	
बिहार	783.12	633.12	508.53	777.06	388.53
मध्य प्रदेश	387.82	437.82	846.36	792.72	396.82
महाराष्ट्र	-	324.91	568.82	837.64	418.82
उड़ीसा	164.61	104.61	52.30	348.70	174.35

सरकार ने, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 1.4.1996 से पूर्व व्यापी प्रभाव से एक योजना भी कार्यान्वित की है, इस योजना के अंतर्गत, 1.4.1996 से 31.3.1999 तक की अवधि के दौरान वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने पर उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित व्यय की राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति की गयी है:

आन्ध्र प्रदेश	30.46 करोड़ रु.
बिहार	28.80 करोड़ रु.
मध्य प्रदेश	5.00 करोड़ रु.
महाराष्ट्र	1.96 करोड़ रु.
उड़ीसा	3.58 करोड़ रु.

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए अन्तर-मंत्रालयी समिति

***131. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की मांगों पर विचार करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास

***132. श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के प्रत्यर्पण और पुनर्वास हेतु 2600 करोड़ रुपए की एक कार्य योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) प्रवासियों की वापसी के लिए जम्मू और कश्मीर की सरकार ने एक कार्य योजना बनाई है। इस योजना की गृह मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

***133. श्री के.पी. सिंह देव :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो बाकी बचे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कब तक इस योजना के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और कार्यक्रमों का किस सीमा तक क्रियान्वयन किया गया है; और

(ङ) दूसरी किस्त कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसका मूल उद्देश्य ग्राम स्तर पर आवश्यकता आधारित आधारभूत ढांचा प्रदान करना है, के अन्तर्गत वर्तमान में दिल्ली और चंडीगढ़ को कवर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना के अन्तर्गत सारी निधियां जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए ग्राम पंचायतों को वितरित की जाती है। क्षेत्र में महसूस की गई जरूरतों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन से कार्य/योजनाएं शुरू की जाती हैं।

(घ) और (ङ) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल, 1999 से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियों के आबंटन और वास्तविक निष्पादन के साथ उनका उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की दूसरी किस्त को ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने पर जारी किया जाता है जिसमें उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत उपयोग दर्शाने के साथ-साथ पिछले वर्ष की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र और निधियों का गबन न करने/निधियों का विपथन न होने संबंधी प्रमाण-पत्र आदि दिया गया हो। सामान्तया अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिसम्बर के अन्त तक दूसरी किस्त प्राप्त हो जाती है यदि रिलीज संबंधी उनके प्रस्ताव अन्य सभी दृष्टि से पूर्ण होते हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत वित्तीय और वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.99 को बकाया	आवंटन			रिलीज			कुल उपलब्धि निधियां
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र (मार्च)	राज्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1954.74	9319.52	3106.51	12426.03	9617.32	3205.45	12822.77	14777.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	381.09	204.90	68.30	273.20	142.71	47.57	190.28	571.37
3.	असम	4466.90	5324.02	1774.67	7098.69	3787.01	1262.21	5049.22	9516.12
4.	बिहार	11666.61	30529.68	10176.56	40706.24	28484.06	9493.74	37977.80	49644.41
5.	गोवा	3.16	137.12	45.71	182.82	124.11	41.37	165.48	168.64
6.	गुजरात	794.44	3508.04	1169.35	4677.39	3508.03	1169.23	4677.26	5471.70
7.	हरियाणा	425.85	2063.84	687.95	2751.79	2063.87	343.94	2407.81	2833.66
8.	हिमाचल प्रदेश	237.44	869.16	289.72	1158.88	1752.41	584.08	2336.49	2573.93
9.	जम्मू व कश्मीर	159.84	1075.71	358.57	1434.28	897.74	299.22	1196.96	1356.80
10.	कर्नाटक	3919.71	7037.56	2345.85	9383.41	7037.56	2345.62	9383.18	13302.89
11.	केरल	1129.91	3157.73	1052.58	4210.30	3157.72	1052.47	4210.19	5340.10
12.	मध्य प्रदेश	4119.90	15474.69	5158.23	20632.92	16926.38	5641.56	22587.94	26687.84
13.	महाराष्ट्र	3049.74	13911.52	4637.17	18548.70	13911.47	4636.69	18548.16	21597.90
14.	मणिपुर	66.24	356.92	118.97	475.89	115.54	38.51	154.05	220.29
15.	मेघालय	280.64	399.88	133.29	533.17	132.18	44.06	176.24	456.88
16.	मिजोरम	14.38	92.53	30.84	123.38	92.37	30.79	123.16	137.54
17.	नागालैंड	86.09	274.30	91.43	365.73	223.90	74.63	298.53	384.62
18.	उड़ीसा	2286.64	10659.61	3553.20	14212.82	15974.14	5324.18	21298.32	23584.96
19.	पंजाब	214.15	1003.01	334.34	1337.34	975.08	324.99	1300.07	1514.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	राजस्थान	7037.70	5343.85	1781.28	7125.14	5343.85	1781.11	7124.96	14162.66
21.	सिक्किम	20.24	102.45	34.15	136.60	102.45	34.15	136.60	156.84
22.	तमिलनाडु	263.93	8240.50	2746.83	10987.33	9163.14	3054.07	12217.21	12481.14
23.	त्रिपुरा	322.22	644.43	214.81	859.24	487.95	162.63	650.58	972.80
24.	उत्तर प्रदेश	5471.85	33598.18	11199.39	44797.57	33593.14	11196.59	44789.73	50261.58
25.	पश्चिम बंगाल	6840.43	11846.03	3948.68	15794.71	10800.26	3599.73	14399.99	21240.42
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	48.49	93.87	0.00	93.87	13.00	0.00	13.00	61.49
27.	दा. व न. हवेली	0.00	61.96	0.00	61.96	30.98	0.00	30.98	30.98
28.	दमन व दीव	0.61	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.61
29.	लक्षद्वीप	8.26	47.06	0.00	47.06	23.53	0.00	23.53	31.79
30.	पांडिचेरी	0.00	91.91	0.00	91.91	45.96	0.00	45.98	45..96
	कुल	55271.20	165500.00	55058.39	220558.40	168527.86	55788.57	224316.43	279587.63

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रयुक्त निधियां	प्रतिशत उपयोग	पूरे किए गए कार्य (संख्या में)	चल रहे कार्य	कुल कार्य
1	2	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	9954.72	67.36	40762	22763	63525
2.	अरुणाचल प्रदेश	461.48	80.77	525	81	606
3.	असम	7800.48	81.97	12456	5728	18184
4.	बिहार	35324.14	71.15	65784	48034	113818
5.	गोवा	114.34	67.80	45	146	191
6.	गुजरात	4774.39	87.26	20370	4611	24981
7.	हरियाणा	2666.87	94.11	12469	2217	14686
8.	हिमाचल प्रदेश	1163.94	45.22	6731	1117	7848
9.	जम्मू व कश्मीर	805.55	59.37	2910		2910
10.	कर्नाटक	10191.73	76.61	50697	25392	76089
11.	केरल	3652.85	68.40	16068	15280	31348
12.	मध्य प्रदेश	20841.39	78.09	54635	8304	62939
13.	महाराष्ट्र	18748.46	86.81	68937	38347	1072284

1	2	11	12	13	14	15
14.	मणिपुर	93.87	42.61	980	463	1443
15.	मेघालय	180.96	39.61	-	-	-
16.	मिजोरम	187.19	136.10	1028	22	1050
17.	नागालैंड	291.76	75.86	2954	0	2954
18.	उड़ीसा	13751.03	58.30	50358	14096	64454
19.	पंजाब	1014.24	66.96	10913	5448	16361
20.	राजस्थान	8149.69	57.54	156.63	5623	21486
21.	सिक्किम	206.97	131.97	636	161	797
22.	तमिलनाडु	13391.37	107.29	40953	1349	42302
23.	त्रिपुरा	812.95	83.57	3114	125	3239
24.	उत्तर प्रदेश	35804.80	71.24	153536	39964	193500
25.	पश्चिम बंगाल	13074.47	61.55	65664	23087	88751
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	14.29	23.24	40	3	43
27.	दा. व न. हवेली	0.85	2.74	-	-	-
28.	दमन व दीव	0.00	0.00	-	-	-
29.	लक्षद्वीप	10.43	32.81	8	1	9
30.	पांडिचेरी	41.90	91.17	12	47	59
	कुल	203527.13	72.80	698448	262409	960857

नोट : खाली खानों का तात्पर्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जानकारी न मिलने से है।

[हिन्दी]

साइबर अपराध अनुसंधान और विकास इकाइयों की स्थापना

***134. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में साइबर अपराध अनुसंधान और विकास इकाइयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इस कार्य में कुछ सहायता दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों को इन इकाइयों से कितना सहयोग मिलने की संभावना है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या है जहां ऐसी इकाइयों को स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने सरकार के वैज्ञानिकों, परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख प्रयोगशाला को शामिल करके हैदराबाद में कम्प्यूटर अपराध विश्लेषण सुविधाएं सृजित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इससे कम्प्यूटर फोरेंसिक्स, के लिए सुविधाओं का सृजन होगा, अर्थात् सूचना का वैज्ञानिक एकत्रीकरण, जांच, विश्लेषण तथा उपलब्ध अथवा कम्प्यूटर में भण्डारित सूचना को

पुनः प्राप्त करके उसका प्रस्तुतीकरण इस तरह से करना जिससे इसे एक शक्य वैधानिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके।

आवश्यक मूलभूत ढांचा सृजित करने तथा अपेक्षित उपकरण जैसे कि फोरेन्सिक वर्क स्टेशन तथा एवीडेंस रिकवरी यूनिट तथा विश्व में अन्यत्र उपलब्ध उन्नत साफ्टवेयर पैकेज हासिल कर लेने के बाद, साईबर अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख हैदराबाद प्रयोगशाला में एक साधारण शुरूआत की जाएगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 1.8.2000 से एक "साईबर क्राईम रिसर्च एण्ड डैवलपमैंट यूनिट" का सृजन भी किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की साईबर क्राईम रिसर्च एण्ड डैवलपमैंट यूनिट में राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता से राज्य भी लाभान्वित होंगे।

[अनुवाद]

जैव उर्वरक

***135. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर, ने समुदी शैवाल को जैव उर्वरक में परिवर्तित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास किया है ताकि खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी वाणिज्यिक बिक्री की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्री खर-पतवार को तरल रूप में जैव उर्वरक निर्माण में रुचि रखने वाले उद्योगों को इस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु कुछ कदम उठाये जाने वाले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन कैमिकल रिसर्च इन्सटिट्यूट (सीएसएमसीआरआई), भावनगर ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रखने वाली मैरीन शैवल विशेषकर समुद्री शैवल से ठोस एवं तरल मिश्रण तैयार करने के लिये एक प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रक्रिया वाणिज्यिक दोहन हेतु रिलीज कर दी गई है और इस उत्पाद का विनिर्माण तथा वाणिज्यिक रूप से विपणन करने वाले मै. हर्बल एग्रो आर्गेनिक्स, राजकोट, गुजरात और मै. ए.एफ.ई. इंडस्ट्रीज, नासिक, महाराष्ट्र को तकनीकी जानकारी हस्तान्तरित कर दी गई है।

पनधारा विकास कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि

***136. श्री एम. जनार्दन रेड्डी :**
श्री राजो सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पनधारा विकास कार्यक्रम पर इसके क्रियान्वयन से लेकर अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इससे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से कुछ राज्यों में पनधारा विकास कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने हेतु तीन मुख्य कार्यक्रम नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है।

2. (प्रो. हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली) समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के एक भाग के रूप में इन सभी तीनों कार्यक्रमों को 1 अप्रैल, 1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

3. वर्ष 1995-96 से लेकर वर्ष 1999-2000 तक की अवधि के दौरान विभाग द्वारा इन तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रम-वार और राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

4. वर्ष 1995-96 से वर्ष 1999-2000 तक की अवधि के दौरान 31 मार्च, 2000 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	परियोजनाओं की संख्या	विकसित किए जाने वाला कुल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	192	18.27	728.04
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	8335	41.68	1667.00
3.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	3694	18.47	886.00

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग ने अभी तक विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में कोई भी वाटरशेड विकास परियोजना आरंभ नहीं की है और इस संबंध में इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.*	डी.डी.पी.**
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	47.29	119.80	24.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.09	-	-
3.	असम	2.59	-	-
4.	बिहार	6.89	13.42	-
5.	गुजरात	24.72	39.29	76.00
6.	हरियाणा	3.08	-	29.43
7.	हिमाचल प्रदेश	17.61	4.72	16.71
8.	जम्मू और कश्मीर	3.76	8.30	36.26
9.	कर्नाटक	19.37	41.49	22.29
10.	केरल	4.71	-	-
11.	महाराष्ट्र	6.89	61.64	-
12.	मध्य प्रदेश	18.94	72.34	-
13.	मणिपुर	6.31	-	-
14.	मेघालय	1.02	-	-

1	2	3	4	5
15.	मिजोरम	0.50	-	-
16.	नागालैंड	15.82	-	-
17.	उड़ीसा	16.16	10.83	-
18.	पंजाब	1.65	-	-
19.	राजस्थान	21.21	17.74	194.27
20.	सिक्किम	10.44	-	-
21.	तमिलनाडु	12.65	35.63	-
22.	त्रिपुरा	1.00	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	51.66	55.16	-
24.	पश्चिम बंगाल	3.87	7.27	-
	योग	298.23	487.67	401.17

*सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संबंध में वर्ष 1995-96 से वर्ष 1998-99 तक वित्त पोषण पद्धति केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 में अंशदान के आधार पर थी जिसे 1.4.99 के पश्चात् स्वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में बदलकर 75:25 के आधार पर दिया गया था।

**मरूभूमि विकास कार्यक्रम के संबंध में वित्त पोषण पद्धति को 1.4.99 के पश्चात् स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से बदलकर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 में अंशदान के आधार पर कर दिया गया था।

[हिन्दी]

कीटनाशक उद्योग

***137. श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार की उदासीनता और आबकारी कानूनों में असंगति होने के कारण कीटनाशक उद्योग समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली कुछ छोटी इकाइयां बंद हो गई हैं और बाकी इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को अनुमति देकर घरेलू उद्योग की उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) केन्द्रीय सरकार के 2000-01 के बजट से पहले तकनीकी पेस्टिसाइडों और सूत्रयोगों के लिए विभिन्न स्तर पर उत्पाद शुल्क लागू था। पेस्टिसाइड उद्योग में तकनीकी पेस्टिसाइड और उनके सूत्रयोगों पर एक समान रूप से 8% उत्पाद शुल्क के लिए मांग की जाती रही थी। केन्द्रीय सरकार के 2000-01 के बजट में पेस्टिसाइड पर एक समान रुप से 16% उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

(ख) से (घ) पेस्टिसाइड उद्योग में स्वदेशी कंपनियों का काफी हिस्सा है। हालांकि रुग्णता और बंद होने के अनेक कारण हो सकते हैं, फिर भी, इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व के कारण पेस्टिसाइड इकाइयों के बंद होने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

बाल विवाह

***138. श्री राम टहल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अब भी बाल विवाह हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल विवाह को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। बाल विवाह की दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा अभी देश के कुछ भागों में जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान देश में दर्ज मामलों की संख्या क्रमश: 78, 56 और 44 थी। इन आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में 1978 में किए गए एक संशोधन के द्वारा विवाह के लिए न्यूनतम आयु, लड़कों के लिए बढ़ाकर 21 वर्ष लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गयी थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय भी बना दिया गया था। तथापि, इस अधिनियम को लागू करना और इसका कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को भी 1976 में संशोधित किया गया था ताकि कोई लड़की बाल विवाह को नकारने में समर्थ हो सके, चाहे विवाह पक्का हुआ हो या नहीं।

ऊपर उल्लिखित कानूनी प्रावधानों के अलावा, बाल विवाह की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) राष्ट्रीय कार्य योजना, जो लड़कियों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के बारे में है, के अन्तर्गत, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बाल विवाह के विरुद्ध जागरुकता पैदा की जा रही है। स्वयंसेवी संगठनों और विश्वविद्यालयों के जरिए बाल विवाह और इसके परिणामस्वरूप जल्दी गर्भवती होने से लड़कियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरुकता भी पैदा की जा रही है।

(2) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लड़कियों का दर्जा बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजना तैयार करने को कहा गया है, जिसका एक उद्देश्य लड़कियों के विवाह को, विवाह की कानूनी आयु से आगे बढ़ाने का होना चाहिए।

(3) महिला और बाल विकास विभाग "बालिका समृद्धि योजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत, 15 अगस्त, 1997 को या इसके बाद पैदा हुई लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को धन दिया जाता है। वित्तीय सहायता प्रत्येक कक्षा में पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति सहित लड़कियों के खातों में सावधिक जमा के रूप में है। इस प्रकार से वंचित धनराशि लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु पूरी होने और तब तक अविवाहित रहने पर मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत, 8 लाख लड़कियों के लाभार्थ वर्ष 1999-2000 के दौरान 40 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गयी है।

विवरण

वर्ष 1997 से 1999 तक की अवधि के दौरान बाल विवाह अवरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	23	5	0
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	29	30	14
7.	हरियाणा	0	3	0
8.	हिमाचल प्रदेश	6	4	3
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	1	2	0
11.	केरल	4	1	11
12.	मध्य प्रदेश	0	1	1
13.	महाराष्ट्र	0	0	7
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	1

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	1	2	4
20.	राजस्थान	10	5	2
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1	0	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल राज्य	76	54	44
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	1	2	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दा. व न. हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	0	0
	कुल (संघ शासित)	2	2	0
	कुल (समस्त भारत)	78	56	44

स्रोत 1. 1997-1998 - भारत में अपराध आंकड़े हैं।
2. 1999 - मासिक अपराध आंकड़े।
टिप्पणी : 1999 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयां

***139. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना से घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा घाटे में चल रही इकाइयों की स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से विनिवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (इस्को) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही हानि हो रही है जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) को वर्ष 1998-99 से हानि होने लगी है।

(ख) से (घ) प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. की पुनर्गठन की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

हालांकि, सेल के पुनर्गठन की योजना के एक भाग के रूप में उसकी कुछ गैर-महत्वपूर्ण/अव्यवहार्य परिसंपत्तियों को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित किया जाना है, परन्तु इस समय सेल में सरकार की साम्या के विनिवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. के लिए विनिवेश आयोग ने इसकी शेष 51% से अनाधिक साम्या को एक नीतिपरक क्रेता के पक्ष में विनिवेश करने सहित 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार संपूर्ण संचित हानि को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की है। विनिवेश आयोग की इस सिफारिश पर सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

"सेल" में व्यय

***140. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में प्रचार-प्रसार बैठकों और दौरों पर इकाई-वार कितना खर्च हुआ है;

(ख) व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान "सेल" के लाभ में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान "सेल" के घाटों को रोकने और "सेल" को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचार, बैठकों और दौरों पर सेल द्वारा किया गया व्यय नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

संयंत्र/इकाई	1997-98	1998-99	1999-2000
भिलाई इस्पात संयंत्र	8.15	6.55	9.43
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2.80	1.72	1.51
राउरकेला इस्पात संयंत्र	4.55	3.56	4.62
बोकारो इस्पात संयंत्र	4.29	3.26	2.97
मिश्र इस्पात संयंत्र	1.38	1.30	1.96
सेलम इस्पात संयंत्र	1.84	1.50	1.29
कच्चा माल प्रभाग	3.05	2.31	2.29
वी आई एस एल	-	0.60	0.49
अन्य इकाइयां	22.28	17.28	14.80
सेल	48.34	38.08	39.36

(ख) सेल ने मितव्ययिता संबंधी कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रचार व्यय में कमी, दूर संचार सुविधाओं का विवेकपूर्ण उपयोग, माल-सूची में कमी, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वी.आर.एस.) का कार्यान्वयन शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। अधिकांश इस्पात प्रयोक्ता उद्योगों में मन्दी के कारण मांग में कमी होना हानि का मुख्य कारण है जिससे बिक्री से कम प्राप्ति के साथ-साथ मूल्यह्रास और ब्याज बढ़ गया।

(ङ) सेल की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और कम्पनी को लाभप्रद बनाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में सेल के कारोबार एवं वित्तीय पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

स्कूलों और कालेजों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात

1375. **श्री एस.पी. लेपचा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997, 1998 और 1999 में प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में भारत भर में अध्यापक-विद्यार्थी राज्य-वार अनुपात क्या है;

(ख) प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में अध्यापकों-विद्यार्थियों की वृद्धि दर क्या है; और

(ग) इस संबंध में कुछ एशियाई देशों के साथ तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में 1997 और 1998 के दौरान राज्यवार शिक्षक छात्र अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 1997 और 1998 के संबंध में प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में छात्रों और शिक्षकों की वृद्धि दर संलग्न विवरण-II में दी गई है।

वर्ष 1999 के मामले में शिक्षक-छात्र अनुपात तथा शिक्षकों और छात्रों की वृद्धि दर के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि राज्य सरकारों से राज्यवार ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 1996-97 के दौरान कुछेक चयनित एशियाई देशों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षकों और छात्रों की वृद्धि दर के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षक छात्र अनुपात					
		प्राथमिक स्कूल		माध्यमिक स्कूल		कालेज	
		1997	1998	1997	1998	1997	1998
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1:49	1:46	1:32	1:33	1:49	1:51
2.	अरुणाचल प्रदेश	1:36	1:38	1:29	1:25	1:24	1:29
3.	असम	1:37	1:35	1:21	1:15	1:26	1:24

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	1:62	1:63	1:42	1:43	1:39	1:41
5.	गोवा	1:19	1:21	1:25	1:26	1:20	1:19
6.	गुजरात	1:47	1:51	1:30	1:31	1:30	1:32
7.	हरियाणा	1:47	1:46	1:23	1:26	1:23	1:27
8.	हिमाचल प्रदेश	1:30	1:30	1:31	1:29	1:35	1:29
9.	जम्मू व कश्मीर	1:30	1:30	1:17	1:17	1:16	1:16
10.	कर्नाटक	1:31	1:32	1:20	1:20	1:29	1:35
11.	केरल	1:30	1:29	1:29	1:19	1:38	1:41.
12.	मध्य प्रदेश	1:44	1:44	1:34	1:32	1:33	1:30
13.	महाराष्ट्र	1:38	1:36	1:32	1:33	1:36	1:33
14.	मणिपुर	1:19	1:19	1:21	1:21	1:21	1:21
15.	मेघालय	1:40	1:39	1:19	1:18	1:20	1:15
16.	मिजोरम	1:28	1:24	1:09	1:14	1:27	1:23
17.	नागालैंड	1:21	1:20	1:25	1:29	1:29	1:35
18.	उड़ीसा	1:35	1:37	1:17	1:20	1:58	1:57
19.	पंजाब	1:40	1:42	1:28	1:28	1:30	1:30
20.	राजस्थान	1:42	1:44	1:25	1:26	1:27	1:27
21.	सिक्किम	1:17	1:18	1:21	1:21	1:19	1:19
22.	तमिलनाडु	1:39	1:39	1:45	1:43	1:40	1:39
23.	त्रिपुरा	1:18	1:21	1:17	1:17	1:19	1:19
24.	उत्तर प्रदेश	1:42	1:42	1:39	1:39	1:41	1:41
25.	पश्चिम बंगाल	1:57	1:52	1:45	1:41	1:39	1:34
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	1:21	1:20	1:22	1:21	1:20	1:20
27.	चंडीगढ़	1:42	1:26	1:28	1:22	1:29	1:22
28.	दा. व न. हवेली	1:39	1:45	1:25	1:36	1:25	1:27
29.	दमन व दीव	1:45	1:49	1:13	1:13	1:30	1:35
30.	दिल्ली	1:39	1:38	1:28	1:28	1:29	1:30
31.	लक्षद्वीप	1:33	1:25	1:15	1:17	1:12	1:17
32.	पांडिचेरी	1:27	1:26	1:27	1:30	1:34	1:29
	भारत	1:42	1:42	1:29	1:28	1:35	1:34

विवरण II

शिक्षकों की वृद्धि दर	1997	1998
1	2	3
प्राथमिक स्कूल	4.57%	1.71%
माध्यमिक स्कूल	2.72%	6.85%
कालेज	5.82%	12.15%

छात्रों की वृद्धि दर	1997	1998
प्राथमिक स्कूल	-2.69%	0.69%
माध्यमिक स्कूल	-6.72%	0.27%
कालेज	4.94%	9.55%

टिप्पणी : प्रतिशत दर की गणना पिछले वर्ष के आधार पर की गई है।

विवरण-III

क्र.सं.	एशियाई देश	शिक्षक छात्र अनुपात 1996-97		शिक्षकों की वृद्धि दर 1996-97		छात्रों की वृद्धि दर 1996-97	
		प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर
1.	भारत	1:61	1:25	2%	3%	0%	3%
2.	चीन	1:24	1:17	1%	2%	3%	6%
3.	मलेशिया	1:19	1:20	3%	3%	0%	6%
4.	मंगोलिया	1:31	1:15	7%	1%	33%	-20%
5.	कोरिया गणतंत्र	1:31	1:25	-1%	1%	-3%	-1%
6.	सिंगापुर	1:25	1:20	2%	5%	3%	1%
7.	ईरान	1:30	1:31	-3%	12%	-6%	14%

मेदरा समुदाय के संबंध में मानव वैज्ञानिक अध्ययन

1376. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मेदरा समुदाय के संबंध में मानव वैज्ञानिक अध्ययन कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण (एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) ने इस समुदाय के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय में एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि मेदरा समुदाय के दर्जे के निर्धारण के लिए भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण (एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया) से एक अध्ययन करवाया जाए। भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण से अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण को अपने निष्कर्ष शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मरण कराया गया है।

[हिन्दी]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कोयला खानें

1377. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) द्वारा चलाई जा रही कोयला खानों से 8 किलोमीटर

के घेरे के भीतर कौन-कौन से गांवों का विकास हेतु चयन किया गया है;

(ख) क्या एस.ई.सी.एल. ने इन गांवों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक इस संबंध में कितना व्यय हुआ है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान खनन कार्य और इन खानों के विकास हेतु प्रति वर्ष कितनी राशि का अनुमोदन और उपयोग किया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सामुदायिक विकास हेतु किसी विशेष गांव का चयन नहीं किया गया है। लेकिन साथ ही, कंपनी ने उन गांवों में जो खान प्रचालनों के 8 कि.मी. के दायरे में आते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन आवश्यकता आधारित परिधीय गतिविधियां दायरे में शुरू की हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) गांव में शुरू की गई परिधीय विकासात्मक गतिविधियां जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आती हैं, प्रायः निम्नलिखित क्षेत्रों में की जा रही हैं:-

1. सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/सुधार।
2. हैंड पम्पों का लगाया जाना।
3. हैंड पम्पों की मरम्मत कराना।
4. शैक्षिक संस्थान बिल्डिंगों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत कराना।
5. सड़कों/पुलों का निर्माण/मरम्मत कराना।
6. चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य संबंधी कैम्प लगाना।
7. बस स्टैंड का निर्माण।
8. बिजली के खम्बे, कन्डक्टर्स इत्यादि की व्यवस्था करना।
9. अन्य विविध कार्य करना।

(घ) वर्ष 2000-01 के दौरान सितम्बर, 2000 तक रु. 0.61 करोड़ का जो व्यय किया गया वह अनंतिम था।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान खानों/परियोजनाओं पर किया गया पूंजीगत व्यय और सामुदायिक विकास व्यय नीचे दिये जा रहे हैं:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	खान और परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	सामुदायिक विकास व्यय
1997-98	341.00	0.61
1998-99	309.00	1.59
1999-2000	618.00	2.36

[अनुवाद]

पुलिस स्थलों का मास्टर प्लान

1378. श्री साहिब सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 में विभिन्न पुलिस स्थापनाओं और गतिविधियों के लिए 'योजना मापदण्डों' की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली के पुलिस विभाग ने 2005-2010 के लिए पुलिस स्थलों का मास्टर प्लान तैयार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कितनी पुलिस परियोजनाएं पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित है;

(च) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। पुलिसक अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसे दिल्ली पुलिस की आवास आवश्यकता सहित इसकी आवश्यकताओं का अध्ययन करने का कार्य सौपा गया था

ने मास्टर-प्लान-2001 में निर्धारित मानदण्डों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया है।

(ङ) से (छ) इस समय दिल्ली पुलिस के पास 5 वर्ष से अधिक पुरानी 83 परियोजनाएं हैं जिनमें भूमि उपलब्ध है लेकिन या तो निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया है और या शुरू हो गया है तो अभी पूरा नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

1.	पुलिस स्टेशन	1.15 हैक्टेयर
2.	पुलिस पोस्ट	0.16 हैक्टेयर
3.	जिला कार्यालय और बटालियन	
	जिला कार्यालय का क्षेत्र	0.80 हैक्टेयर
	बटालियन का क्षेत्र	4.00 हैक्टेयर
4.	पुलिस लाईन	4 से 6 हैक्टेयर

[हिन्दी]

सरकारी आवास के आबंटन में आरक्षण

1379. **श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी आवासों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए सरकारी आवासों के आबंटन में अलग-अलग प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, टाइप-I और टाइप-II में 10 प्रतिशत रिक्तियां तथा टाइप-III और टाइप-IV में 5% रिक्तियां क्रमशः अनुसूचित जातियों (अनु. जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अनु.ज.जा.) के कर्मचारियों को आबंटन के लिये आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आबंटन 2 : 1 के अनुपात में किया जाता है। इस प्रयोजन से अलग-अलग प्रतीक्षा सूचियां तैयार की गई हैं। आरक्षण के अलावा, अनु.जा. और अनु.ज.जा. कर्मचारियो को सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भी बारी आने पर, आबंटन देने पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

गांवों को सड़कों से जोड़ना

1380. **प्रो. दुखा भगत :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु राज्यों को डीजल उपकर से 2500 करोड़ रुपए जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा दें;

(ग) क्या राज्यों ने ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु अपनी कार्य-योजनाएं तैयार करके प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा दें?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) योजना आयोग ने चालू वर्ष के लिए ग्रामीण सड़कों के वास्ते आबंटन के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया है। विवरण-I में संलग्न है। राज्यों को अभी कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) ग्रामीण सड़कों के बारे में कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	190
2.	बिहार*	260
3.	गोवा	5
4.	गुजरात	50
5.	हरियाणा	20

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	60
7.	जम्मू व कश्मीर	20
8.	कर्नाटक	95
9.	केरल	20
10.	मध्य प्रदेश*	300
11.	महाराष्ट्र	130
12.	उड़ीसा	175
13.	पंजाब	25
14.	राजस्थान	130
15.	तमिलनाडु	80
16.	उत्तर प्रदेश*	375
17.	प. बंगाल	135
18.	अंडमान और निकोबार	10
19.	दादर और नगर हवेली	5
20.	दमन और द्वीव	5
21.	लक्षद्वीप	5
22.	पांडिचेरी	5
	पूर्वोत्तर राज्य	
23.	अरूणाचल प्रदेश	35
24.	असम	75
25.	मणिपुर	20
26.	मेघालय	35
27.	मिजोरम	20
28.	नागालैंड	20
29.	सिक्किम	20
30.	त्रिपुरा	25
	कुल	2350

*झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल के लिए आबंटन को क्रमश: बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के आबंटन में दर्शाया गया है तथा योजना आयोग से इस हेतु आबंटन करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	असम	179.48
2.	बिहार	82.57
3.	गुजरात	167.78
4.	मध्य प्रदेश*	1044.18
5.	मिजोरम	431.39
6.	मणिपुर	198.66
7.	पंजाब	417.76
8.	राजस्थान	779.22
9.	तमिलनाडु	339.04
10.	उत्तर प्रदेश	90.81
11.	पांडिचेरी	52.26
12.	कर्नाटक	196.36
13.	प. बंगाल	49.58
14.	जम्मू व कश्मीर	878.92
15.	उड़ीसा	348.52

*नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जिलों की परियोजनायें शामिल हैं।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान

1381. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों के लिए जिन वेतनमानों की सिफारिश की है उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कालेजों के अध्यापकों और प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) ने इस मुद्दे पर आन्दोलन शुरू किया है;

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों को दिनांक 1.1.1996 से संशोधित कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जर्मनी से निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव

1382. श्री नरेश पुगलिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानविकी के क्षेत्र में भारतीयों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारत गणराज्य और जर्मनी गणराज्य की स्थाई सांस्कृतिक समिति की 15-17 दिसंबर, 1997 को आयोजित 10वीं बैठक में इसके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में जर्मनी गणराज्य ने अपने विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन गैर अनुसंधान कार्य के लिए सीमित संख्या में पूर्णतः वित्तपोषित छात्रवृत्तियों की पेशकश की है।

केन्द्रीय विद्यालयों का अधिग्रहण

1383. श्री टी. गोविन्दन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भुगतान के आधार पर अन्य संगठनों से चलाए जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों के अधिग्रहण के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

1384. श्री जय प्रकाश : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में ऐसे संस्थान खोलने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

1385. श्री अनंत नायक : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99, 1999-2000 के दौरान देश के, विशेषकर उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को ये मकान बांटे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक इकाई की निर्माण लागत क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में जनजातियों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या निम्नानुसार है:-

	1998-99	1999-2000
अखिल भारत	165767	195235
उड़ीसा	18654	19979

(ख) और (ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु कुल आबंटन के कम से कम 60 प्रतिशत का उपयोग करना होगा। एक मकान के निर्माण के लिए सहायता संबंधी अधिकतम सीमा मैदानी तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए क्रमश: 20,000 रुपए तथा 22,000 रुपए है।

कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठन

1386. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जुलाई, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मसूद अजहर्स न्यू आउटफिट गेनिंग फुटहोल्ड इन वैली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक इन नए संगठनों की क्या-क्या गतिविधियां प्रकाश में आई हैं; और

(ग) सरकार ने कश्मीर घाटी में जैश-ए-मोहम्मदी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सरकार को इस बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) फरवरी के शुरू में इसके सृजन से जे.ई.एम. ने, सुरक्षा बलों पर गोलीबारी, हथगोले छोड़ने और आत्मघाती बम हमलों सहित अनेक आतंकवादी गतिविधियों की जिम्मेवारी ली है।

(ग) सरकार स्थिति से अवगत है और जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए बहुआयामी नीति अपनाती रही है। इसमें, आतंकवादियों और उनके छिपने के ठिकानों को निष्क्रिय करने के लिए आसूचना आधारित अभियान चलाना, गहन समन्वय के जरिए विभिन्न स्तरों पर आसूचना का नियमित आदान-प्रदान करना, दोनों तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा का प्रबन्धन, रात में अधिक अभियान चलाना, संवेदनशील स्थलों पर टुकड़ियों की तैनाती, विशेष अभियान ग्रुपों का गठन, आत्मरक्षा करने के लिए ग्रामीणों को भागीदारी के लिए प्रेरित करना इत्यादि शामिल हैं।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा

1387. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है; और

(ख) ग्रामीणों को विकास योजनाओं के प्रति और अधिक जागरूक बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना को 1.4.1999 से पुनर्गठित किया है। पुनर्गठित योजना अर्थात् जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसंपत्तियों सहित जरूरत के मुताबिक ग्रामीण आधारभूत ढांचा सृजित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के लिए निर्धारित धनराशि 1650 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय के कुल योजना आबंटन का 16.9 प्रतिशत है। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना भी 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई है जिसमें प्रमुखत: ढांचे में छोटे-मोटे अंतरालों को दूर करने के लिए ढांचागत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के मद्देनजर लोगों को बुनियादी न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। पूर्ववती न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबों के लिए स्वच्छ-पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, बेघर परिवारों के लिए आवास, पोषाहार, सड़कों से न जुड़े गांवों और बसावटों को सड़कों से जोड़ने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। चालू वित्त वर्ष में शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तगत स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधायें, शिक्षा, आवास, पोषाहार उपलब्ध कराने तथा गांवों को सड़कों से जोड़ने पर पुन: बल दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2500 करोड़ रुपये के आबंटन से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की एक उप-योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार के विभिन्न साधनों जैसे इलेक्ट्रानिक मीडिया (टी.वी. और रेडियो), फिल्मों, समाचार पत्रों में विज्ञापनों, पोस्टरों, पर्चों, बाहरी प्रचार, प्रदर्शनियों तथा अंतर-वैयक्तिक संचार के जरिए गांवों में लक्षित समूहों में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार तथा जागरुकता सृजन के प्रयास करता है।

[हिन्दी]

जनजातीय भाषा और संस्कृति की रक्षा

1388. श्री पी.आर. खूंटे :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी व्यवस्था का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के किन-किन विश्वविद्यालयों में जनजातीय भाषा और संस्कृति से संबंधित पाठ्यक्रम चल रहे हैं और चलाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) भारत सरकार ने जनजातीय भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए कई कार्यनीतियां विकसित की हैं। संस्कृति विभाग के माध्यम से सरकार एक योजना चलाती है जिसके तहत उन स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो जनजातीय/लोक कलाओं तथा संस्कृति के संरक्षण, प्रचार-प्रसार में लगे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय का सृजन विशेष तौर पर जनजातीय मामलों की देखभाल करने के लिए किया गया है जिनमें उनकी भाषा तथा संस्कृति का संरक्षण भी शामिल हैं। केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर ने 80 जनजातीय भाषाओं में विस्तृत शोध करने का कार्य अपने हाथ में लिया है। राज्य सरकारों के पास भी इस उद्देश्य के लिए अपनी परियोजनाएं हैं।

विश्वविद्यालयों का स्वतंत्र अस्तित्व है और वे नियमित रूप से जनजातीय संस्कृति पर अध्ययन/परियोजनाएं चलाते हैं। रवि शंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, ने जनजातीय भाषाओं तथा संस्कृति के प्रोन्नयन हेतु भाषाविज्ञान तथा नृविज्ञान विभाग का गठन किया है। अन्य विश्वविद्यालय जो जनजातीय भाषाओं तथा संस्कृति के प्रोन्नयन में लगे हैं उनमें शामिल हैं, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, रांची विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, दक्कन कॉलेज, पुणे, अरूणाचल विश्वविद्यालय, इटानगर, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद और कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़।

इसके अतिरिक्त सरकारी संगठन जैसे भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता, भारतीय महापंजीकार का भाषा प्रभाग, कलकत्ता और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली भी जनजातीय संबंधी कार्यक्रम चला रहे हैं।

दिल्ली में वाहनों पर रंगीन शीशों पर प्रतिबंध

1389. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में वाहनों पर रंगीन शीशों पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस इसके बारे में किसी घटना के होने पर ही प्रतिबंध के लिए सक्रिय होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियम का अनुपालन न किए जाने और इस संबंध में दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में कोई ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। रंगीन शीशे लगे वाहनों के विरुद्ध निरन्तर कार्रवाई की जाती है। दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 15 नवम्बर, 2000 तक इस अपराध के संबंध में 88,500 मामलों में चालान किए।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.आई.टी. और बी.आई.एस. पाठ्यक्रम

1390. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष से सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक और सूचना विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों की शुरूआत की है;

(ख) क्या इन दोनों पाठ्यक्रमों की अवधि घटा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में इन पाठ्यक्रमों का दर्जा घटाने के विरुद्ध विद्यार्थियों ने विशाल रैली निकाली थी;

(ङ) यदि हां, तो उनकी अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। बी.आई.एस. और बी.आई.टी. पाठ्यक्रमों के लिए पहली बार वर्तमान शैक्षिक वर्ष (2000-2001) से प्रवेश दिये गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) जी हां। बी.आई.एस./बी.आई.टी./बी.सी.ए./बी.एस.सी. (ऑनर्स) (कम्प्यूटर विज्ञान) के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन भवन के पास रिले-धरने पर बैठे हुए थे। 24 नवम्बर, 2000 को शैक्षिक परिषद् की बैठक के बाद उन्होंने अब इस धरने को समाप्त कर दिया है।

(ङ) उनकी मांग थी कि चार वर्षीय बी.आई.टी./बी.आई.एस. डिग्री प्रदान करने के लिए उनके मामले में विचार किया जाए।

(च) शैक्षिक परिषद् ने 24 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी आपात बैठक में यह निर्णय लिया कि बी.सी.ए./बी.एस.सी. (आनर्स) (कम्प्यूटर विज्ञान)/बी.आई.टी./बी.आई.एस. कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के मामले में चार वर्षीय बी.आई.टी./बी.आई.एस. डिग्री देने पर विचार किया जाएगा। शैक्षिक परिषद् ने इस प्रयोजनार्थ अध्यादेशों और परीक्षा योजना में आवश्यक परिवर्तनों को भी प्राधिकृत किया।

[हिन्दी]

यूरेनियम की बरामदगी

1391. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में रेडियोधर्मी यूरेनियम की बरामदगी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दमन और दीव के शिक्षा विभाग में पदों का सृजन

1392. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार के पास केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव के शिक्षा विभाग में पदों के सृजन का प्रस्ताव लंबित है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप प्रशासन का दैनिक कार्य और शिक्षा विभाग का कार्यकरण बाधित हुआ है और स्थानीय लोगों को इससे बड़ी परेशानी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दमन और दीव के शिक्षा विभाग में पदों की आवश्यक संख्या के सृजन को मंजूरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव के शिक्षा विभाग में पदों के सृजन करने संबंधी एक प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर वित्त स्कन्ध के परामर्श से कार्रवाई की गई थी। केन्द्र शासित प्रदेश से कुछ अतिरिक्त सूचनाएं अपेक्षित हैं ताकि इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

अमोनियम क्लोराइड उर्वरक पर राजसहायता

1393. श्री भान सिंह भौरा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अमोनियम क्लोराइड उर्वरक पर राजसहायता बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार यूरिया पर दी जा रही औसत राजसहायता के साथ-साथ अमोनिया की कीमतों पर भी राजसहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्तमान में, अमोनियम क्लोराइड उर्वरक पर सब्सिडी फिर से चालू करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न, नहीं उठता।

विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

1394. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त ढांचे में यह सुझाव दिया गया है कि माध्यमिक स्तर तक कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए और इस स्तर तक किसी भी विद्यार्थी को सफल या असफल नहीं घोषित किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो इसमें सुझाए गए अन्य संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यचर्या विकास की सतत प्रक्रिया के अंग के रूप में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य संरचना प्रकाशित की है। शिक्षार्थियों के लिए एक बेहतर अनुकूल मूल्यांकन प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु पाठ्यचर्या कार्य संरचना में यह सुझाव दिया गया है कि माध्यमिक स्तर से पहले सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित न की जाएं। इस सुझाव के कार्यान्वयन का प्रश्न देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे अलग-अलग शिक्षा बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है।

भूमि आबंटन

1395. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 18.12.95 और 14.12.99 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 और 2170 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि जांच पड़तालें दिल्ली के विभिन्न उपायुक्तों/कलैक्टरों के पास लंबित पड़ी हैं। दिल्ली सरकार से इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है।

जाली पासपोर्ट

1396. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितंबर, 2000 के 'द पायोनियर' में ''पासपोर्ट्स आर डाइम ए डॉक्सन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के कई भागों में पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह धड़ल्ले से चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य और ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में जाली पासपोर्टों की बढ़ती हुई संख्या पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पासपोर्ट कार्यालय, स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर और अपेक्षित दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही वैद्य पासपोर्ट जारी करता है। जब कभी भी जाली पासपोर्टों का पता चलता है। जब्त किए जाते हैं तथा विदेश मंत्रालय को भेजे जाते हैं तो उन्हें तुरन्त रद्द कर दिया जाता है। जांच-पड़ताल से जब कभी भी दलालों और कार्यालय के कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार की प्रमाणनीय सांठगांठ का पता चलता है तो पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(घ) भारतीय पासपोर्ट और वीजा स्टिकरों की सुरक्षा विशेषताओं में संशोधन करना एक सतत् प्रक्रिया है ताकि उसमें कम से कम रद्दोबल की जा सके। संबंधित कानून प्रवर्तन एजेन्सियां भी ऐसे कदाचार को रोकने के लिए सतर्क रहती हैं। सम्पूर्ण आव्रजन स्टाफ भी इस संबंध में चौकसी रखता है तथा यात्रा संबंधी दस्तावेजों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए उनकी छान-बीन करने हेतु उन्हें विशेष प्रशिक्षण और उपकरण दिए जाते हैं। पासपोर्टों को 'टैम्पर-प्रूफ' बनाने के लिए समय-समय पर उसमें नई सुरक्षा विशेषताएं शामिल की जाती है।

मानव विकास पर यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट

1397. श्री मोइनुल हसन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.एन.डी.पी. द्वारा मानव विकास दर हाल में दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छता के घटिया स्तर में रहती है जबकि 19 प्रतिशत लोगों को स्वच्छ पेय जल नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बिंदुओं पर सरकार के अपने दावे और रिपोर्ट के तथ्यों में अंतर है;

(ग) क्या लेखापरीक्षा समीक्षा ने भी कुछ भिन्न आंकड़े दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अमरीकी बाजार में भारतीय भेषजीय कंपनियों का प्रवेश

1398. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भेषजीय कंपनियों को अमरीकी बाजार में प्रवेश नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय भेषज कम्पनियों को अमरीकी बाजार में प्रवेश से मना नहीं किया गया है। यू.एस. वाणिज्य डाटा विभाग के अनुसार भेषज उत्पादों का भारतीय निर्यात 1997 में 1.027 मिलियन डालर था जो बढ़कर 1999 में 8.035 मिलियन डालर हो गया था।

[अनुवाद]

गुजरात में "कपार्ट" द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

1399. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान "कपार्ट" द्वारा सहायता दी जाने वाली एजेंसियों के नाम और स्थान क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मंजूर किए जाने वाले अनुदान, जारी की गई राशि और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मंजूर कितनी परियोजनाएं मंजूर/स्वीकृत हुई;

(ङ) क्या इन एजेंसियों के कार्यकरण की समीक्षा की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) गुजरात में जिन एजेंसियों को लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई है उनके नाम व स्थान बताने वाला विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं और स्वीकृत अनुदान, जारी राशि और उपयोग में लाई गई राशि के ब्यौरे दिए गए हैं, संलग्न विवरण-I में है।

(घ) उक्त अवधि में स्वीकृत/मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
1997-98	62
1998-99	15
1999-2000	11
योग	88

(ङ) जी, हां।

(च) इन एजेंसियों के काम की तीन अवस्थाओं में सुविधादाता-सह-मूल्यांककों द्वारा समीक्षा की जाती है अर्थात् वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन के रूप में परियोजना स्वीकृत करने से पूर्व, मध्यावधि मूल्यांकन के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान और मूल्यांकन पश्चात् समीक्षा के रूप में परियोजना के पूरा होने पर। ऐसी समीक्षाओं के स्वैच्छिक संगठनवार, वर्षवार, ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

विवरण-I

गुजरात : 1997-98 (राशि रुपये में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	लोकमित्र ढेढुकी छासिया, राजकोट	वाटरशेड	2,00,000	1,25,000 अगले वित्तीय वर्षों में धनराशि जारी की गई	1,25,000 अगले वर्ष में धनराशि खर्च की गई
2.	श्री कन्डला तालुका, ग्राम सेवा मंडल सवरकन्डला	वाटरशेड	40,00,000	12,28,870 अगले वित्तीय वर्षों में धनराशि जारी की गई	12,28,870 अगले वित्तीय वर्षों में धनराशि जारी की गई
3.	सर्वोदय केन्द्र स्थान व पोस्ट-अमीरगढ़ पालनपुर, बनासकाठा	वाटरशेड	50,000	50,000 अगले वित्तीय वर्षों में धनराशि जारी की गई	खर्च का आकलन करना है
4.	मालधारी रूरल एक्शन ग्रुप वृंदावन अर्पा., नेहरू पार्क, अहमदाबाद	वाटरशेड	50,000	50,000 अगले वित्तीय वर्षों में धनराशि जारी की गई	खर्च का आकलन करना है
5.	सर्वोदय रचनात्मक संघ, गुन्डी, पो.-लोथल, ढोलका	सी.आर.एस.पी.	3,96,000	1,98,000	1,98,000
6.	नवजागृति विकास ट्रस्ट, राजीव नगर साबरमती अहमदाबाद	सी.आर.एस.पी.	1,10,000	55,000	खर्च का आकलन करना है
7.	श्री बालविकास सघन क्षेत्र समिति, स्थान व पोस्ट-कोठ, ढोलका	पी.सी. व सी.आर.एस.पी.	3,80,520 4.06,219	1,89,000 4.06,219	खर्च का आकलन करना है

1	2	3	4	5	6
8.	दहेगाम विकास योजना, देवकरण ने मुवादा, दहेगाम	पी.सी.	6,16,323	1,81,000	खर्च का आकलन करना है
9.	महिला एकता विकास परिषद, जीवन कला सोसाइटी, बेजालपुर	सी.आर.एस.पी.	2,33,139	1,20,000	खर्च का आकलन करना है
10.	स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषाहार जागृति केन्द्र (चेतना) लालवतीवेन लालभाई बंगला, साहीबाग, अहमदाबाद	ओ.आर.पी.	1,05,000	1,05,000	1,05,000
11.	हेल्पिंग हैन्ड कुटीर ग्रामोद्योग चैरीटेबल ट्रस्ट, ओंकारेश्वर अर्पाट. विश्वकर्मा कम्पलेक्स के पास, वेजपुर रोड	सी.आर.एस.पी.	1,12,584	59,500	59.500
12.	सोसायटी फार वीमेन एक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट बी-2 सनसाइन अर्पाट. डा. एस.आर. कृष्णामार्ग	ओ.आर.पी.	4,27,000	1,05,000	1,05,000
13.	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, आदर्श टेक्नी. इंस्टी., स्टेशन रोड आनन्द	डवाकरा डीडल्यूसीआरए	52,800	45,300	45,300
14.	सेंटर फार एनवायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद	आई.आर.डी.पी.	42,800	42,800	42,800
15.	न्यु इंडिया खादी ग्रामोद्योग चेरीटेबल ट्रस्ट अशोक मिल, जूनी चाली, सरसपुर	सी.आर.एस.पी.	1,01,200	50,600	50,600
16.	त्रिमूर्ति, 43 शांतिनगर, एस.ओ.सी. गोमतीपुर	सी.आर.एस.पी.	1,08,790	58,100	खर्च का आकलन करना है
17.	इंसाफ खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, स्थान व पो.-वानिड, ताल, दसादा, सुरेन्द्रनगर	सी.आर.एस.पी.	1,57,491	44,225	44,225
18.	मानव कल्याण ट्रस्ट, रामपुरा खेरोज, सावरकांठा	पी.सी.	4,44,060	1,31,000	1,31,000
19.	सर्वांगीण ग्राम विकास संस्था, रिद्धि सिद्धि कम्पलेक्स, गुर्जरपोल के पास, प्रांतीज	सी.आर.एस.पी.	1,10,687	51,000	51,000
20.	भागवती खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ पो.-कानीज, ताल समी पातन	सी.आर.एस.पी.	1,16,041	1,16,041	खर्च का आकलन करना है
21.	उत्तर गुजरात ग्राम विकास ट्रस्ट, स्थान, पो. व जिला-टी.ए. चांसम, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	1,04,615	53,600	53,600

1	2	3	4	5	6
22.	आदर्श प्रगति युवक मंडल, पो.-पंढारा, टी.ए. बीजापुर, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	1,10,687	59,700	खर्च का आकलन करना है
23.	पांडु मेवास डेवलपमेंट एजेंसी, स्थान व पो. वालावव ताल, सावली	पी.सी.	5,84,297	2,87,000	2,87,000
24.	आदिवासी रथवा युवक मंडल, स्थान व पो. धंडोला, जिला-बड़ौदा	सी.आर.एस.पी.	2,40,350	2,40,350	1,20,000
25.	श्री आदिवासी मजदूर कारीगर और कामगार विकास मंडल, स्था. पो.-परिया, बलसार	पी.सी.	1,15,920	67,000	67,000
26.	नन्दीग्राम ट्रस्ट धर्मपुर रोड, बलसाड	सी.आर.एस.पी.	2,20,000	1,10,000	1,10,000
27.	श्री शक्तिवर्धक युवा मंडल, स्थान व पो. फलधारा, जिला-बलसाड	पी.सी.	1,56,529	78,000	78,000
28.	पर्यावरण केलवानी मंडल, स्थान व पो.-बलचुंदी, बलसाड	एस.एफ.	1,13,306	56,000	खर्च का आकलन करना है
29.	श्री शारदा सार्वजनिक सेवा मंडल, स्थान व पो. विलोडा, गांधीनगर	सी.आर.एस.पी.	1,10,687	55,345	55,345
30.	श्री विवेकानन्द रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टी. मांडवी, कच्छ	पी.सी.	3,70,667	2,75,328	2,75,328
31.	आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, स्वस्तिक क्रास रोड, जिला-नवरंगपुर	पी.सी.	2,68,980	1,34,490	1,34,490
			2,51,976	1,25,988	खर्च का आकलन करना है
32.	मालधारी सेवा संघ, मोटा रबडी वडा जिला-ढोलका	सी.आर.एस.पी.	3,96,000	2,20,000	2,20,000
33.	श्राफ फाउंडेशन, स्थान व पो.-कलाली, जिला-बड़ौदा	सी.आर.एस.पी.	3,36,490	3,19,000 अगले वित्त वर्ष में राशि जारी की गई	खर्च का आकलन करना है
			1,72,000	1,72,000	1,72,000
34.	सदविचार परिवार, धुलेटा दरवाजा, हनुमान मंदिर, इदार के नजदीक	सी.आर.एस.पी.	3,99,865	2,01,500	2,01,500
35.	जागृति सेवा संघ स्थान व पो. भडाना, जक्सी, पो. रामपुरा भनकोडा, विरंगम	सी.आर.एस.पी.	1,08,790	51,000	खर्च का आकलन करना है
36.	सेन्टर फार हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रीशन अवेयरनेस, लाल भाई बंगला, शाही बाग, अहमदाबाद	ओ.बी.	2,33,625	2,30,000	2,30,000

1	2	3	4	5	6
37.	चन्द्रेश खादी ग्रामोद्योग संघ स्थान व पो. कोट, जिला-ढोलका	सी.आर.एस.पी.	1,20,174	60,100	खर्च का आकलन करना है
38.	वेदछी प्रदेश सेवा समिति स्थान व पो. उद्योग वाड़ी, जिला-सुरत	सी.आर.एस.पी.	4,56,664	2,17,000	2,17,000
39.	श्री प्रगति पुरूषोत्तम कुलवानी मंडल, स्थान व पो. नारायणकुंज जिला-छोटा उदयपुर	सी.आर.एस.पी.	4,61,472	3,60,525	1,20,175
40.	आशीष एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशनल ऑर्गनाइजेशन, स्थान व पो. लिमबोदरा, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	1,35,000	55,000	खर्च का आकलन करना है
41.	चामुंडा निकेतन, स्थान पो.-मोट, जिला-सुरेन्द्र नगर	सी.आर.एस.पी.	1,01,200	50,600	50,600
42.	जयहिन्द खादी ग्रामोद्योग संघ, स्थान व पो. ढोली, जिला-सुरेन्द्र नगर	सी.आर.एस.पी.	2,02,400	55,000	खर्च का आकलन करना है
43.	श्री हरसिद्ध महाकाली सेवा संघ, स्थान व पो.-किंच, जिला-मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	1,08,790	55,600	55,600
44.	श्री आर्य सेवा संघ, स्थान व पो. बसपा, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	4,04,673	1,93,000	1,93,000
45.	श्री दीनदयाल खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट स्थान व पो. खानपुर, जिला-खेडा	सी.आर.एस.पी.	1,10,000	55,000	खर्च का आकलन करना है
46.	सी.ई.यू. देतल सोसायटी पंचनाथ कम्यूनिटी सेंटर, हरिहर चौक, राजकोट	सी.आर.एस.पी.	1,10,687	51,000	खर्च का आकलन करना है
47.	श्री सवगुण खादी ग्रामोद्योग मंडल, स्थान व पो. टोकाराला, सुरेन्द्र नगर	सी.आर.एस.पी.	2,16,820	1,09,000	1,09,000
48.	ग्राम विकास ट्रस्ट, श्री विरम्भ आश्रम, सार्वजनिक कुमार चित्रालय ओखम	पी.सी.	4,00,000	2,00,000	2,00,000
49.	आदर्श चैरीटेबल ट्रस्ट, रेलवे स्टेशन के सामने, स्थान पो. किल्लापरदी, बलसाड़	सी.आर.एस.पी.	1,05,600	53,000	53,000

1	2	3	4	5	6
50.	गुजरात आदिवासी प्रगति परिषद, शंकर नगर, गरबाडा रोड, दाहौद	आई.आर.डी.पी.	2,60,500	1,47,750 अगले वित्त वर्ष में राशि जारी की गई	खर्च का आकलन करना है
51.	खादी ग्रामोद्योग सर्वोदय विकास मंडल, चियादा, ढोलका	सी.आर.एस.पी.	1,20,174	59,000	खर्च का आकलन करना है
52.	हिरल खादी ग्रामोद्योग संघ, रोहितवास समन्द	सी.आर.एस.पी.	4,29,083	1,20,174	1,20,174
53.	श्री ग्राम निर्वाण समाज, माहुवा, भावनगर	सी.आर.एस.पी.	4,20,738	1,10,687	खर्च का आकलन करना है
54.	श्री जलराम सर्वोदय कल्याण संघ, लम्बोदिया	सी.आर.एस.पी.	2,20,000	2,20,000 अगले वित्त वर्ष में राशि जारी की गई	खर्च का आकलन करना है
55.	लोक जागृति युवक मंडल, एम.पी. कोटडा, सावरकांठा	पी.सी.	1,98,450	1,98,450	खर्च का आकलन करना है
56.	श्री मानव विकास मंडल सोसल सोसायटी, बस स्टैंड चंसमा	सी.आर.एस.पी.	1,43,000	65,000	खर्च का आकलन करना है
57.	श्री शकर खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ चालूदो, राधनपुर, बनासकाठा	सी.आर.एस.पी.	1,09,927	55,000	55,000
58.	सर्वोदय रचनात्मक संघ, गुन्डी, लोथल, ढोलका	पी.सी.	4,01,925	4,01,925	1,42,000
59.	सहयोग खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, 2 एफ.सी. मंगल तीर्थ टावर, पाल्डी, अहमदाबाद	सी.आर.एस.पी.	4,04,800	2,02,400	2,02,400
60.	ग्राम्य विकास ट्रस्ट, द्वारका, ओखम	पी.सी.	4,94,100	2,47,000	2,47,000
61.	सेल्फ एम्प्लायड वीमेन एसोसिएशन सेवा, रिसेपसन सेंटर, विक्टोरिया गार्डेन के सामने, भाद्र, अहमदाबाद	डीडब्ल्यूसीआर.ए.	3,96,000	1,43,050	खर्च का आकलन करना है
62.	फील्ड मार्शल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा पी.एम. डीजल्स लिमिटेड, पी.बी, 1003, अधीर इंडस्ट्रीयल स्टेट, राजकोट	सी.आर.एस.पी.	95,128	46,600	खर्च का आकलन करना है

गुजरात : 1998-99

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम तथा पता	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	इस्तेमाल की गई राशि	मूल्यांकन का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7
1.	विकलांग प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक पुनर्वास सोसायटी, (सेवातीर्थ) जूना गढ़ी, मुनि क्वार्टर्स के समीप, मिल रोड, याकुतपुरा बड़ौदा, गुजरात	विकलांग उद्धार कार्य	940280	473827	473817	मध्यावधि मूल्यांकन 24.4.2000 को किया गया
2.	विकास संवर्धन केन्द्र, 2, प्रकृति अपार्टमेंटस, एच.एल. कार्मस कालेज रोड़, अहमदाबाद	वाटरशेड	252300	252300	252300	सहायक स्वैच्छिक संगठन होने के नाते लागू नहीं होता
3.	-वही-	-वही-	400000	400000	400000	-वही-
4.	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ ई-133 भावनगर, गुजरात	-वही-	200000	अपूर्ण दस्तावेजों के कारण राशि जारी नहीं की गयी।	लागू नहीं।	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया था
5.	गुजरात राज्य ग्रामीण विकास सहायता समिति, कलाषी नगर महाकाली मंदिर, अहमदाबाद	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	220000	110000	110000	मध्यावधि मूल्यांकन पूरा हो गया है।
6.	सिद्धेश्वरी कृपा सेवा संघ, रोहितवास, उनावा (बावला) ताल एवं जिला गांधी नगर	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	220000	219783	109783	मध्यावधि मूल्यांकन पूरा हो गया है।
7.	अहमदाबाद अध्ययन कार्य ग्रुप, दलाल बिल्डिंग, बी/एच. होटल कैपरी, रिलीफ रोड़, अहमदाबाद-380001	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	402600	382600	182600	मध्यावधि मूल्यांकन पूरा हो गया है।
8.	आनन्दी बी-1, दिव्या अपार्टमेंटस जजड, बंगलो रोड़, अहमदाबाद	वाटरशेड	100000	100000	100000	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया था

1	2	3	4	5	6	7
9.	गुजरात जनसेवा खादी ग्रामोद्योग शिक्षा न्यास, चित्रालय, बाल्मीनिवास, ताल, लिमडी-363415 जिला सुरेन्द्र नगर	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	110000	55000	55000	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया था।
10.	वसुधरा संसोदन विकास मण्डल ''वसुदा'' द्वारा वलसाड जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन लिमिटेड, एन.एच. सं. 8, पो.आ. अलीपुर-306409 ताल चिखली जिला वालसाड-गुजरात	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	220000	110000	उपयोग का मूल्यांकन किया जाना है	मध्यावधि मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया
11.	भाल नालकाण्ठा सघन क्षेत्र समिति गुण्डी सर्वोदय औश्रम ढोलका जिला अहमदाबाद, गुजरात-382230	पी.सी.	378255	378255	193255	मध्यावधि मूल्यांकन पूरा हो गया था।
		केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	220000	110000	उपयोग का मूल्यांकन किया जाना है।	मध्यावधि मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया
12.	पवन खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ सदापुरा ताल, संतलपुर जिला बनासकांठा	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	220000	220000	110000	मध्यावधि मूल्यांकन पूरा हो गया था।
13.	आदिवासी सेवा संघ, पो.आ. घाटी, ताल भिलोडा, जिला साबरकांठा	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	110000	110000	55000	मध्यावधि मूल्यांकन पूरा हो गया था।
14.	दृष्टि मीडिया कॉलेक्टिव, डी-2, कर्नावटी अपार्टमेंट्स, बी/एच. श्रद्धा पैट्रोल पंप, बोडकदेव, अहमदाबाद	पी.आर.	120000	120000	120000	परियोजना को पूरा किया गया मूल्यांकन किया गया एवं बंद कर दिया गया
15.	सोशल एक्शन फॉर रूरल एंड ट्राईबल इनहैबिटेशन इण्डिया (सारथी) पो. गोधर पश्चिम, ए लुनावाडा, तालुक संत्राम्पुर, जिला पंचमहल	आर्द्स	4505087	शर्तों की प्रतीक्षा है।	लागू नहीं	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया

गुजरात – 1999-2000 (राशि रुपये में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम एवं पता	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वोदय रचनात्मक संघ गुडी, ब्लाक ढोलका अहमदाबाद	पी.सी.	687078	235000	235000
2.	उत्थान डेवलपमेंट प्लानिंग टीम 36, चित्रकूट टिवन्स, एन.आर. मैनेजमेंट इन्क्लेब, वस्त्रपुर जिला अहमदाबाद	आर्टस	2472000	1349393	1349393
3.	डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, 2 प्रकृति अपार्टमेंटस एच.एल. कॉमर्स कॉलेज रोड, अहमदाबाद	वाटरशेड	150000	150000 अगले वित्त वर्ष में राशि जारी की गई	150000 अगले वित्त वर्ष में राशि खर्च की गई
4.	डेवलपमेंट सपोर्ट, 2, प्रकृति अपार्टमेंट्स एच.एल. कामर्स कॉलेज रोड, अहमदाबाद	वाटरशेड	4,41,100	4,41,100	4,41,100
5.	अमर भारती मोती की पवत्नी, देहगम, जि. गांधीनगर	-वही-	100000	100000	100000
6.	सौराष्ट्र वोलंट्री एक्शन (सावा) 102, पंचदीप नेहरू पार्क वस्त्रपुर, अहमदाबाद	-वही-	100000	अपूर्ण दस्तावेजों के कारण राशि रिलीज नहीं की गई	लागू नहीं
7.	श्री सहजानंद सर्व सेवा ट्रस्ट 102, माधव हास्पिटल रोड, विजयनागर, बुज, कच्छ	-वही-	100000	100000 अगले वित्त वर्ष में राशि जारी की गई	उपयोग का मूल्यांकन होना है

1	2	3	4	5	6
8.	टाटा केमिकल्स सोसाईटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, टाटा केमिकल्स लि. मीठापुर, द्वारका जामनगर	वाटरशैड	100000	100000	-वही-
9.	मल्धारी रूरल एक्शन ग्रुप बी/1 वृंदावन एपार्टमेंट, नेहरू पार्क वस्त्रपुर, अहमदाबाद	-वही-	200000	100000	-वही-
10.	श्री बन्नी विकास ट्रस्ट गौरेवाली भूज, कच्छ	-वही-	100000	अपूर्ण दस्तावेजों के कारण राशि रिलीज नहीं की गई	लागू नहीं
11.	लोकमित्र, ढेडुकी, जिला राजकोट	-वही-	5407178	125000	125000

सी.आर.एस.पी. – केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
ओ.आर.पी./ओ.बी. – ग्रामीण निर्धन जन संगठन/लाभयोगी संगठन
पी.सी. – जन सहयोग
डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. – ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास
एस.एफ. – सामाजिक वानिकी
पी.आर. – पंचायत राज
ए.आर.टी.एस. – ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजना के लिए सहायता

विवरण-II

गुजरात : 1997-98

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	परियोजना का नाम	समीक्षा की स्थिति का सारांश
1	2	3	4
1.	लोकमित्र ढेढुकी छासिया, राजकोट	वाटरशेड	हाल में राशि जारी की गई।
2.	श्री कन्डला तालुका, ग्राम सेवा मंडल सवरकन्डला	वाटरशेड	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
3.	सर्वोदय केन्द्र स्थान व पोस्ट-अमीरगढ़ पालनपुर, बनासकाठा	वाटरशेड	समीक्षा की जानी है।
4.	मालधारी रूरल एक्शन ग्रुप वृंदावन अर्पा., नेहरू पार्क, अहमदाबाद	वाटरशेड	समीक्षा की जानी है।
5.	सर्वोदय रचनात्मक संघ, गुन्डी, पो.-लोथल, ढोलका	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।

1	2	3	4
6.	नवजागृति विकास ट्रस्ट, राजीव नगर, साबरमती अहमदाबाद	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
7.	श्री बालविकास सघन क्षेत्र समिति, स्थान व पोस्ट-कोठ, ढोलका	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
		सी.आर.एस.पी.	कार्योत्तर मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
8.	दहेगाम विकास योजना, देवकरण ने मुवादा, दहेगाम	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
9.	महिला एकता विकास परिषद, जीवन कला सोसाइटी, बेजालपुर	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
10.	स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषाहार जागृति केन्द्र (चेतना) लालवतीवेन लालभाई बंगला, साहीबाग, अहमदाबाद	ओ.आर.पी.	कार्योत्तर मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
11.	हेल्पिंग हैन्ड कुटीर ग्रामोद्योग चैरीटेबल ट्रस्ट, ओंकारेश्वर अर्पाट. विश्वकर्मा कम्पलेक्स के पास, वेजपुर रोड	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
12.	सोसायटी फार वीमेन एक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, बी-2 सनसाइन अर्पाट डॉ. एस.आर. कृष्णामार्ग	ओ.आर.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
13.	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, आदर्श टेक्नी. इंस्टी., स्टेशन रोड आनन्द	डवाकरा	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
14.	सेंटर फार एनवायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद	आई.आर.डी.पी.	कार्योत्तर मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
15.	न्यू इंडिया खादी ग्रामोद्योग चेरीटेबल ट्रस्ट, अशोक मिल, जूनी चाली, सरसपुर	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
16.	त्रिमूर्ति. 43 शांतिनगर, एस.ओ.सी. गोमतीपुर	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट। राशि वापस की गई। स्वैच्छिक संगठन एफ.ए.एस. श्रेणी में है।
17.	इंसाफ खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, स्थान व पो. वानिड, ताल, दसादा, सुरेन्द्रनगर	सी.आर.एस.पी.	कार्योत्तर मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
18.	मानव कल्याण ट्रस्ट, रामपुरा खेरोज, सावरकांठा	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
19.	सर्वांगीण ग्राम विकास संस्था, रिद्धि सिद्ध कम्पलेक्स, गुर्जरपोल के पास, प्रांतीज	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
20.	भागवती खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ पो.-कानीज, ताल सभी पातन	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट। राशि वापस की गई। स्वैच्छिक संगठन एफ.ए.एस. श्रेणी में है।

1	2	3	4
21.	उत्तर गुजरात ग्राम विकास ट्रस्ट, स्थान, पो. व जिला-टी.ए. चांसम, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
22.	आदर्श प्रगति युवक मंडल, पो.-पंढारा, टी.ए. बीजापुर, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट। स्वैच्छिक संगठन एफ.ए.एस. श्रेणी में है।
23.	पांडु मेवास डेवलपमेंट एजेंसी, स्थान व पो. वालावव ताल, सावली	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
24.	आदिवासी रथवा युवक मंडल, स्थान व पो. धंडोला, जिला-बड़ौदा	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
25.	श्री आदिवासी मजदूर कारीगर और कामगार विकास मंडल, स्था. पो.-परिया, बलसार	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
26.	नन्दीग्राम ट्रस्ट धर्मपुर रोड, बलसाड	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
27.	श्री शक्तिवर्धक युवा मंडल, स्थान व पो. फलधारा, जिला-बलसाड	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
28.	पर्यावरण केलवानी मंडल, स्थान व पो.-बलचुंदी, बलसाड	एस.एफ.	समीक्षा की जानी है।
29.	श्री शारदा सार्वजनिक सेवा मंडल, स्थान व पो. चिलोडा, गांधीनगर	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
30.	श्री विवेकानन्द रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टी. मांडवी, कच्छ	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
31.	आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, स्वस्तिक क्रास रोड, जिला-नवरंगपुरा	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
32.	मालधारी सेवा संघ, मोटा रबड़ी वडा, जिला-ढोलका	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
33.	श्राफ फाउंडेशन, स्थान व पो.-कलाली, जिला-बड़ौदा	सी.आर.एस.पी.	समीक्षा की जानी है। मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
34.	सदविचार परिवार, धुलेटा दरवाजा, हनुमान मंदिर, इदार के नजदीक	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
35.	जागृति सेवा संघ स्थान व पो. भडाना, जक्सी, पो. रामपुरा, भनकोडा, विरंगम	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट। स्वैच्छिक संगठन एफ.ए.एस. श्रेणी में है।
36.	सेन्टर फार हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रीशन अवेयरनेस, लाल भाई बंगला, शाही बाग, अहमदाबाद	ओ.बी.	कार्योत्तर मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
37.	चन्द्रेश खादी ग्रामोद्योग संघ स्थान व पो. कोट, जिला-ढोलका	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट। स्वैच्छिक संगठन एफ.ए.एस. श्रेणी में है।

1	2	3	4
38.	वेदछी प्रदेश सेवा समिति स्थान व पो. उद्योग वाड़ी, जिला-सुरत	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
39.	श्री प्रगति पुरूषोत्तम कुलवानी मंडल, स्थान व पो. नारायणकुंज जिला-छोटा उदयपुर	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
40.	आशीष एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशनल ऑर्गनाइजेशन, स्थान व पो. लिमबोदरा, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट। स्वैच्छिक संगठन एफ.ए.एस. श्रेणी में है।
41.	चांमुडा निकेतन, स्थान पो.-मोट, जिला-सुरेन्द्र नगर	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
42.	जयहिन्द खादी ग्रामोद्योग संघ, स्थान व पो. ढोली, जिला-सुरेन्द्रनगर	सी.आर.एस.पी.	परियोजना मूल्यांकन कर्त्ता नियुक्त नहीं किया गया। जारी की गई राशि की वापसी के लिए कार्रवाई की जा रही है।
43.	श्री हरसिद्ध महाकाली सेवा संघ, स्थान व पो. किंच, जिला-मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
44.	श्री आर्य सेवा संघ, स्थान पो. बसपा, मेहसाना	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
45.	श्री दीनदयाल खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट स्थान व पो. खानपुर, जिला-खेडा	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई।
46.	सी.ई.यू. देतल सोसायटी पंचनाथ कम्यूनिटी सेंटर, हरिहर चौक, राजकोट	सी.आर.एस.पी.	प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई।
47.	श्री सवगुण खादी ग्रामोद्योग मंडल, स्थान व पो. टोकाराला, सुरेन्द्र नगर	सी.आर.एस.पी.	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
48.	ग्राम विकास ट्रस्ट, श्री विरम्भ आश्रम, सार्वजनिक कुमार चित्रालय ओखम	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
49.	आदर्श चैरीटेबल ट्रस्ट, रेलवे स्टेशन के सामने, स्थान पो. किल्लापरदी, बलसाड़	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
50.	गुजरात आदिवासी प्रगति परिषद, शंकर नगर, गरबाडा रोड, दाहौद	आई.आर.डी.पी.	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
51.	खादी ग्रामोद्योग सर्वोदय विकास मंडल, चियादा, ढोलका	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
52.	हिरल खादी ग्रामोद्योग संघ, रोहितवास समन्द	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
53.	श्री ग्राम निर्वाण समाज, माहुवा, भावनगर	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
54.	श्री जलराम सर्वोदय कल्याण संघ, लम्बोदिया	सी.आर.एस.पी.	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।

1	2	3	4
55.	लोक जागृति युवक मंडल, एम.पी. कोटडा, सावरकांठा	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
56.	श्री मानद विकास मंडल सोसल सोसायटी, बस स्टैंड चंसमा	सी.आर.एस.पी.	परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता की नियुक्ति होनी है।
57.	श्री शकर खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ चालूदो, राधनपुर, बनासकाठा	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
58.	सर्वोदय रचनात्मक संघ, गुन्डी, लोथल, ढोलका	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
59.	सहयोग खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, 2 एफ.सी. मंगल तीर्थ टावर, पाल्डी, अहमदाबाद	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
60.	ग्राम्य विकास ट्रस्ट, द्वारका, ओखम	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
61.	सेल्फ एम्प्लायड वीमेन एसोसिएशन, सेवा रिसेपसन सेंटर, विक्टोरिया गार्डेन के सामने, भाद्र, अहमदाबाद	डवाकरा	प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई।
62.	फील्ड मार्शल फाउंडेशन टस्ट, द्वारा पी.एम. डीजलस लिमिटेड, पी.बी. 1003, अदीर इंडस्ट्रीयल स्टेट, राजकोट	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट संतोषजनक है।
गुजरात 1998-99			
1.	विकलांग प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक पुर्नवास सोसायटी, (सेवातीर्थ) जूनी गढी, मुनि क्वाटर्स के समीप, मिल रोड, याकुतपुरा, बड़ौदा, गुजरात	अपंगता कार्य	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया।
2.	विकास संवर्धन केन्द्र, 2, प्रकृति अपार्टमेंटस, एच.एल. कामर्स कालेज रोड़, अहमदाबाद	वाटरशेड	सहायक स्वैच्छिक संगठन होने के कारण लागू नहीं।
3.	-वही-	वाटरशेड	सहायक स्वैच्छिक संगठन होने के कारण लागू नहीं।
4.	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, ई-133 भावनगर, गुजरात	वाटरशेड	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
5.	गुजरात राज्य ग्रामीण विकास सहायता समिति, कलाषी नगर महाकाली मंदिर, अहमदाबाद	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन पूर्ण।
6.	सिद्धेश्वरी कृपा सेवा संघ, रोहितवास, उनावा (बावला) ताल एवं जिला गांधी नगर	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन पूर्ण।
7.	अहमदाबाद अध्ययन कार्य ग्रुप, दलाल बिल्डिंग, बी/एच. होटल कैपरी, रिलीफ रोड़, अहमदाबाद-380001	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन पूर्ण।
8.	आनन्दी बी-1, दिव्या अपार्टमेंटस जजड, बंगलो रोड अहमदाबाद	वाटरशेड	वित्त पोषणपूर्व मूल्यांकन किया गगा।

1	2	3	4
9.	गुजरात जनसेवा खादी ग्रामोद्योग शिक्षा न्यास, चित्रालय बाल्मीनिवास, ताल, लिमडी-363415 जिला सुरेन्द्र नगर	सी.आर.एस.पी.	वित्त पोषणपूर्व मूल्यांकन किया गया।
10.	वसुधरा संसोदन विकास मण्डल "वसुदा" द्वारा वलसाड जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन लिमिटेड, एन.एच. सं. 8, पो.आ. अलीपुर-306409 ताल चिखली जिला वालसाड-गुजरात	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन के लिए नियुक्त।
11.	भाल नालकाष्ठा सघन क्षेत्र समिति गुण्डी सर्वोदय आश्रम ढोलका जिला अहमदाबाद, गुजरात-382230	पी.सी. सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन किया गया। मध्यवर्ती मूल्यांकन के लिए नियुक्त।
12.	पवन खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ सदापुरा ताल, संतलपुर जिला बनासकांठा	सी.आर.एस.पी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन पूर्ण।
13.	आदिवासी सेवा संघ, पो.आ. घाटी, ताल भिलोडा, जिला साबरकांठा	सी.आर.एस.पी.	मध्यवती मूल्यांकन पूर्ण।
14.	दृष्टि मीडिया कॉलेक्टिव, डी-2, कर्नावटी अपार्टमेंटस, बी/एच श्रद्धा पैट्रोल पंप, बोडकदेव, अहमदाबाद	पी.आर.	परियोजना पूर्ण, मूल्यांकन किया गया और परियोजना बंद।
15.	सोशल एक्शन फॉर रूरल एंड ट्राईबल इनहैबिटेशन इण्डिया (सारथी) पो. गोधर पश्चिम, ए लुनावाडा, तालुक संत्राम्पुर, जिला पंचमहल	आर्ट्स	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
गुजरात 1999-2000			
1.	सर्वोदय रचनात्मक संघ गुडी ब्लाक ढोलका अहमदाबाद	पी.सी.	मध्यवर्ती मूल्यांकन पूर्ण।
2.	उत्थान डेवलपमेंट प्लानिंग टीम 36, चित्रकूट टिवन्स, एन.आर. मैनेजमेंट इन्क्लेब, वस्त्रपुर जिला अहमदाबाद	आर्ट्स	मध्यवर्ती मूल्यांकन के लिए परियोजना मूल्यांकन कर्त्ता नियुक्त किया गया है।
3.	डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, 2, प्रकृति अपार्टमेंटस एच.एल. कॉमर्स कालेज रोड, अहमदाबाद	वाटरशेड	सहायक स्वैच्छिक संगठन होने के कारण लागू नहीं।
4.	डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, 2, प्रकृति अपार्टमेंटस एच.एल. कॉमर्स कालेज रोड, अहमदाबाद	वाटरशेड	सहायक स्वैच्छिक संगठन होने के कारण लागू नहीं।
5.	अमर भारती मोती पवल्ली देहगम जि. गांधीनगर	वाटरशेड	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
6.	सौराष्ट्र वोलंट्री एक्शन (सावा) 102, पंचदीप नेहरू पार्क वस्त्रपुर, अहमदाबाद	वाटरशेड	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
7.	श्री सहजानंद सर्व सेवा ट्रस्ट 102, माधव हास्पिटल रोड, विजयनगर, बुज, कच्छ	वाटरशेड	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।

1	2	3	4
8.	टाटा केमिकल्स सोसाईटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, टाटा केमिकल्स लि. मीठापुर द्वारका जामनगर	वाटरशेड	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
9.	मल्धारी रूरल एक्शन ग्रुप बी/1 वृंदावन एपार्टमेंट, नेहरू पार्क वस्त्रपुर, अहमदाबाद	वाटरशेड	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
10.	श्री बन्नी विकास ट्रस्ट गौरेवाली भूज, कच्छ	वाटरशेड	वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया गया।
11.	लोकमित्र, ढेडुकी, जिला राज कोट	वाटरशेड	कार्ययोजना की मंजूरी से पहले एक दल द्वारा मूल्यांकन किया गया।

रेलगाड़ियों में डकैती

1400. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी.एस. बसवराज :
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रेन डकैती आम और नियमित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 2000 के दौरान लगभग दर्जनभर सशस्त्र बदमाशों ने नई दिल्ली जा रही हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस के यात्रियों को अपना निशाना बनाया;

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) देश में वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान रेलगाड़ियों में हुई लूटपाट के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से मिली सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1997, 1998, 1999 के दौरान रेलों में हुई लूटपाट की घटनाओं की राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	04	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	रे.या.न.	रे.या.न.	रे.या.न.
3.	असम	12	12	09
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	9	23	27
7.	हरियाणा	0	0	06
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	0	0	0
11.	केरल	04	03	0
12.	मध्य प्रदेश	19	22	04
13.	महाराष्ट्र	34	43	60
14.	मणिपुर	0	0	0

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	रे.मा.न.	रे.मा.न.	रे.मा.न.
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	13	11	11
19.	पंजाब	01	0	0
20.	राजस्थान	18	14	04
21.	सिक्किम	रे.मा.न.	रे.मा.न.	रे.मा.न.
22.	तमिलनाडु	10	06	03
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	25	37	11
25.	पश्चिम बंगाल	33	48	58
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	रे.मा.न.	रे.मा.न.	रे.मा.न.
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दा. व न. हवेली	रे.मा.न.	रे.मा.न.	रे.मा.न.
29.	दमन व दीव	रे.मा.न.	रे.मा.न.	रे.मा.न.
30.	दिल्ली (सं.शा.क्षे.)	उ.न.	उ.न.	उ.न.
31.	लक्षद्वीप	रे.मा.न.	रे.मा.न.	रे.मा.न.
32.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	178	223	193

1. उ.न. - का अर्थ है आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
2. रे.मा.न. - का अर्थ है कोई रेलवे मार्ग नहीं।
3. आंकड़े अनन्तिम हैं।

''जेनेटीकली'' आशोधित खाद्य

1401. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुरक्षित खाद्य से संबंधित उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को उनके जीवन और रुचियों पर ''जेनेटीकली'' आशोधित खाद्यों के पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) से (घ) जी हां; भारत में, आनुवंशिकत: आशोधित खाद्य के इस्तेमाल से पड़ने वाले बुरे प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए जैवसुरक्षा मार्गनिर्देश सुविस्तृत एवं पर्याप्त हैं। अभी तक कोई भी आनुवंशिकत: आशोधित खाद्य उपभोक्ताओं के लिए बाजार में लाया नहीं गया है। किसी भी आनुवंशिकत: आशोधित खाद्य को बाजार में लाने से पहले भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत मानव तथा पशु स्वास्थ्य के प्रति इन खाद्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने सहित इनका जैवसुरक्षा मूल्यांकन अनिवार्य है। जिस समय भी आनुवंशिकत: आशोधित खाद्य व्यापारीकरण के लिए तैयार होगा, उपभोक्ताओं को उनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में कुछ मार्गनिर्देशों को अन्तिम रूप देने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

उर्वरक इकाइयां

1402. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में उर्वरक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों द्वारा राज्य-वार कितना उत्पादन और कितनी बिक्री की गई;

(घ) क्या सरकार को नई उर्वरक इकाईयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने

के लिये वर्तमान में सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध की गई हैं:-

(1) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार सामान्यत: उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिये किसी लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के तहत देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) उर्वरक परियोजनाओं के लिये पूंजीगत मामलों की स्वदेशी आपूर्तियों पर निर्यात समलाभ प्रदान किये जाते हैं बशर्ते कि ये आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से की जायें।

(3) प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता के अन्तर्गत उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ वर्तमान में मौजूदा यूरिया क्षमताओं पर लागू है।

(4) कृषकों को नियंत्रणमुक्त फास्फेटक एवं पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत।

(5) नये संयंत्र को लगाने/मौजूदा एककों के आधुनिकीकरण के लिये पूंजीगत माल के आयात पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर।

(6) उत्पाद शुल्क की रियायती दर पर उर्वरक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का आयात।

(ग) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिये कुल मात्रा के रूप में उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यूरिया, डीएपी और एमओपी प्रमुख उर्वरकों की बिक्री उपलब्धता और इस समय सरकार द्वारा मानीटर की जाने वाली बिक्री के गत तीन वर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सामान्यत: उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिये किसी भी लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिये स्वतंत्र है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त शक्तियों से परे ऐसे पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकार के निवेश अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की गई सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की ऐसी उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

विवरण I

1997-98 से 1999-2000 तक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन

(000 मी. टन)

क्षेत्र राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	1856.5	2460.0	2523.3
केरल	1100.7	1100.4	1281.1
कर्नाटक	426.4	554.6	478.1
तमिलनाडु	2179.8	2735.6	2939.9
योग (दक्षिणी क्षेत्र)	5563.4	6850.6	7223.0
पश्चिमी क्षेत्र			
गोवा	784.3	552.6	719.7

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	2222.5	2400.6	2444.6
महाराष्ट्र	2909.6	2930.8	3200.5
गुजरात	5770.4	5622.4	6413.5
राजस्थान	1622.6	1783.3	1996.6
योग पश्चिमी क्षेत्र	13309.4	13489.7	14774.9
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	495.4	375.0	352.1
उड़ीसा	1035.2	1007.4	865.4
प. बंगाल	672.8	550.9	852.4
आसाम	197.0	114.8	122.3
योग पूर्वी क्षेत्र	2400.4	2048.1	2192.2
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	638.6	604.5	578.3
पंजाब	1385.2	1265.5	1135.9
उत्तर प्रदेश	6741.9	7161.6	7003.8
योग उत्तरी क्षेत्र	8765.7	9031.6	8718.0
सकल योग	30038.9	31420.0	32908.1

इन मात्राओं में यूरिया, डीएपी, एएस, सीएएन, अमोनियम, क्लोराईड, एसएसपी और कम्पलेक्स शामिल हैं।

विवरण II

गत 3 वर्षों के दौरान यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की राज्यवार बिक्री

(लाख टन में)

राज्य	डीएपी			एमओपी			यूरिया		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दक्षिणी क्षेत्र									
आन्ध्र प्रदेश	615.91	667.28	694.73	144.99	155.87	228.17	1705.80	2014.16	2016.77
कर्नाटक	357.06	386.04	439.13	212.46	163.94	224.80	864.30	905.36	954.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	8.74	9.66	8.49	137.44	79.97	124.22	116.22	113.19	116.57
तमिलनाडु	233.97	223.93	276.74	350.79	296.40	381.67	816.63	813.66	877.16
अण्डमान एण्ड निकोबार	0	0	0.27	3.01	0.00	0.09	0.64	0.86	0.73
लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
पाण्डिचेरी	6.6	6.27	6.97	2.96	5.56	7.30	20.21	19.48	19.43
योग	1222.28	1293.18	1426.33	851.65	701.73	966.25	3523.82	3866.71	3985.66
पश्चिमी क्षेत्र									
गुजरात	452.06	568.74	540.84	82.80	92.44	103.53	1193.95	1230.04	1053.98
मध्य प्रदेश	480.79	513.75	501.964	51.32	47.27	58.55	1395.76	1262.22	1117.34
महाराष्ट्र	427.01	503.92	569.34	210.19	197.98	230.80	1694.26	1707.47	1876.55
राजस्थान	323.84	327.73	446.564	5.45	6.21	7.39	1131.86	1011.20	1032.10
दादर और नागर हवेली	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.28	0.86	1.01
गोवा	0.42	0.73	0.76	0.70	1.14	0.79	3.83	4.32	4.49
दमन और द्वीप	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.16
योग	1684.12	1914.87	2059.468	350.46	345.04	400.06	5420.94	5216.33	5085.64
उत्तरी क्षेत्र									
हरियाणा	340.73	353.35	493.65	5.61	5.59	6.62	1214.04	1292.15	1247.76
हिमाचल प्रदेश	0.23	0	0.44	2.26	3.23	2.94	39.22	48.78	42.97
जम्मू और कश्मीर	31.42	37.26	37.61	1.73	3.71	1.14	86.31	96.06	94.22
पंजाब	508.1	616.68	672.57	32.37	28.24	38.36	1973.91	2065.37	1974.45
उत्तर प्रदेश	846.4	902.25	1377.2	106.54	112.09	141.64	4662.43	4886.43	4690.92
चण्डीगढ़	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.73
दिल्ली	4.92	2.57	7.8	0.50	0.79	0.13	32.07	35.47	27.24
योग	1731.8	1912.11	2589.27	149.01	153.65	190.83	8008.86	8424.81	8078.29
पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	276.34	299.5	388.624	87.01	85.75	101.38	1256.83	1305.81	1355.67
उड़ीसा	55.53	67.05	96.8	55.92	65.60	76.29	332.17	323.65	418.55
प. बंगाल	311.21	385.41	418.94	215.94	249.90	289.12	976.15	950.34	1089.61
योग	643.08	751.96	904.364	358.87	401.25	466.79	2565.15	2579.80	2863.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र									
असम	15.12	15.26	29.984	25.75	31.66	61.00	74.64	88.53	143.46
मणिपुर	0	0	0	0.83	0.34	0.05	26.25	30.97	33.02
मेघालय	0	0	0	0.14	0.30	0.09	5.66	5.30	4.98
नागालैण्ड	0	0	0	0.04	0.00	0.00	1.03	0.08	0.00
सिक्किम	2.28	4.54	0	0.00	0.00	0.00	0.70	0.55	0.65
त्रिपुरा	0.02	0	0	2.31	0.15	1.47	21.64	14.89	14.69
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0.00	0.22	0.00	0.51	0.10	0.11
मिजोरम	0	0	0	0.00	0.00	0.14	0.86	0.33	0.08
टी बोर्ड (एनई)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	55.49	37.50	0.00
योग	17.42	19.8	29.984	29.07	32.67	62.75	186.78	178.25	196.99
समस्त भारत	5298.7	5891.92	7009.416	1739.06	1634.35	2086.68	19705.55	20265.90	20210.42
कम्पलेक्स विनिर्माता	-	-	-	493.93	569.24	888.58	-	-	-
कुल योग	-	-	-	2232.99	2203.59	2975.26	-	-	-

विवरण III

निवेश अनुमोदन के लिए सार्वजनिक/सहकारी एककों द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	पीएसयू/सहकारी का नाम	प्रस्तावित स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	परिकल्पित उत्पादन		पूरा करने की अनुसूची
				उत्पाद	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि., (कृभको) अमोनिया यूरिया विस्तार परियोजना की तीसरी स्ट्रीम	हजीरा, गुजरात	1318	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 36 माह
2.	कृभको (एफसीआई के मौजूदा स्थल पर नया अमोनिया यूरिया संयंत्र)	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	1536	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 36 माह

1	2	3	4	5	6	7
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) (ग्रासरुट)	नैल्लोर, आन्ध्र प्रदेश	1736	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 39 माह
4.	राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स (अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल, महाराष्ट्र	1332	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 36 माह

*शून्य तिथि सरकार द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन की तिथि है।

उर्वरकों की आवश्यकता

1403. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरकों की वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(ख) उर्वरकों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और गत तीन वर्षों के दौरान मांग की पूर्ति करने के लिए वर्ष-वार कितने उर्वरक का उत्पादन और आयात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वदेशी उत्पादन और आयात पर कितना धन खर्च किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितने उर्वरक संयंत्रों को स्थापित किए जाने की मंजूरी मिली और इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ङ) सरकार की मंजूरी हेतु उर्वरक परियोजनाओं के कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इन परियोजना प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) आयात के साथ-साथ पोषकों, उनके लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन के रूप में उर्वरकों की कुल वार्षिक आवश्यकता संबंधी समेकित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी उत्पादन और आयात पर खर्च की गई वर्षवार राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर दी गई रियायत राशि	यूरिया पर दी गई राज सहायता की राशि		
		स्वदेशी	आयातित	कुल
1997-98	2595.85	6600.00	721.96	7321.96
1998-99	3989.94	7473.00	124.22	7597.22
1999-2000	4500.00	8670.00	74.07	8744.07

(घ) और (ङ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सामान्यत: उर्वरक उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त शक्तियों से परे ऐसे पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं जो वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकार के निवेश अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। ये प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा निवेश मूल्यांकन के अध्यधीन सरकार द्वारा सिद्धान्तत: अनुमोदित किये गए थे। इन परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन पीआईबी द्वारा जुलाई, 1999 में किया गया था। इन परियोजनाओं पर अंतिम निवेश निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव पर सरकार द्वारा जून, 2000 में विचार-विमर्श किया गया और आस्थगित कर दिया गया है।

विवरण I

पोषकों, उत्पादन के लक्ष्यों एवं वास्तविक उत्पादन के रूप में उर्वरकों की कुल वार्षिक आवश्यकता के साथ-साथ आयात नीचे दिया गया है

(लाख टन में)

उर्वरक पोषक	वार्षिक आवश्यकता			उत्पादन के लक्ष्य			वास्तविक उत्पादन			आयात	
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99
नाइट्रोजन	109.01	113.54	115.93	96.10	106.82	110.67	100.86	104.80	108.90	13.62	6.35
फास्फेट	39.54	41.12	47.99	28.60	30.27	33.45	29.76	31.41	33.99	6.72	9.68
पोटाश*	13.72	13.32	16.78	—	—	—	—	—	—	11.40	15.42
योग	161.88	167.97	180.70	124.70	137.09	144.12	130.62	136.20	142.89	31.74	31.45

*पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाएं जो कार्यान्वयनाधीन हैं, के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम अवस्थिति और कम्पनी/सहकारिता	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु. में	उत्पाद	क्षमता (एमटीपीए लाख में)	शून्य तिथि	प्रारम्भण की निर्धारित तिथि	टिप्पणी
	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एफसीआई) के नामरूप संयंत्रों का पुनरूद्धार, नामरूप, आसाम	350.00	यूरिया	5.30	2.11.98	1.5.2001	परियोजना के लिए 2000-01 तक बजटीय सहायता के माध्यम से 144.69 करोड़ रुपये की कुल धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।
	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) यूरिया संयंत्र विस्तार परियोजना/नांगल, पंजाब	135.13	यूरिया	1.48	11.5.99	11.5.2001	इस परियोजना का वित्त पोषण एन.एफ.एल. के आन्तरिक स्त्रोतों के माध्यम से किया जा रहा है।

विवरण III

निवेश अनुमोदन के लिए सार्वजनिक/सहकारी एककों द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	पीएसयू/सहकारी का नाम	प्रस्तावित	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	परिकल्पित उत्पादन		पूरा करने की अनुसूची
				उत्पाद	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि., (कृभको) अमोनिया यूरिया विस्तार परियोजना की तीसरी स्ट्रीम	हजीरा, गुजरात	1318	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 36 माह

1	2	3	4	5	6	7
2.	कृभको (एफसीआई के मौजूदा स्थल पर नया अमोनिया यूरिया संयंत्र)	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	1536	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 36 माह
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) (ग्रासरुट)	नैल्लोर, आन्ध्र प्रदेश	1736	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 39 माह
4.	राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स (अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल, महाराष्ट्र	1332	यूरिया	7.68	*शून्य तिथि से 36 माह

*शून्य तिथि सरकार द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन की तिथि है।

मंत्रियों के दौरे

1404. श्री बीर सिंह महतो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री और उनकी वर्तमान सरकार के अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने कितने देशों का दौरा किया;

(ख) उनके दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) उन दौरों की मुख्य उपलब्धियां क्या रही?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उर्वरकों और बायो गैस संयंत्रों हेतु राजसहायता

1405. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान वर्ष-वार उर्वरकों और बायो गैस संयंत्रों हेतु कितनी राजसहायता दी गई।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण के अधीन है और जिस पर मूल्य-सह-सब्सिडी स्कीम (आरपीएस) के अन्तर्गत सब्सिडी दी जाती है। 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान समेकित भाड़ा सब्सिडी एवं आयातित यूरिया पर सब्सिडी सहित सब्सिडी की कुल रकम क्रमश: 7597.22 करोड़ एवं 8744.7 करोड़ रुपये थी। जहां तक बायो-गैस संयंत्र पर सब्सिडी का सम्बन्ध है वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम-बायो गैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत फैमली टाइप बायो गैस संयंत्र स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सब्सिडी की दर जो गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा मुहैया करायी जाती है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र राज्यों में 6,000 रुपये, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिये 3200 रुपये, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिये 2300 रुपये एवं अन्य के लिये 1800 रुपये प्रति संयंत्र थी। एक पृथक स्कीम के अन्तर्गत सामुदायिक, संस्थागत एवं मल आधारित बायो गैस संयंत्रों को भी केन्द्रीय सब्सिडी निर्धारित मात्रा में दी जाती है जो संयंत्रों के आकार एवं संस्था के क्षेत्र तथा किस्म के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

[अनुवाद]

पद्म भूषण सम्मान की संख्या में वृद्धि

1406. श्री भीम दाहाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पदम भूषण सम्मान की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) विदेशी नागरिकों/अनिवासी भारतीयों तथा मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर सरकार ने "पद्म" पुरस्कारों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर एक वर्ष में 100 करने का अनुमोदन कर दिया है।

'पोलनेट' परियोजना

1407. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपग्रह और वायरलैस के माध्यम से सभी पुलिस स्थापनाओं को जोड़ने के लिए पोलनेट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पोलनेट संयोजन की व्यवस्था करने के लिए कितने बोली लगाने वाले और उक्त व्यवस्था प्रदान करने वाले कितने इच्छुक व्यक्तियों का चयन किया गया;

(ग) क्या स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के आधार पर बोली लगाने वालों में से कुछ और व्यक्तियों की छंटनी की जा रही है;

(घ) क्या अस्वीकार की जाने वाली प्रौद्योगिकी व्यापक रूप से स्वीकृत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) पोलनेट देश में पुलिस दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए एक उपग्रह पर आधारित एकीकृत और समर्पित नेटवर्क है। पोलनेट हेतु निविदा प्रक्रिया बोली लगाने वालों की पूर्व-योग्यता के साथ शुरू हुई जिसका 28 विक्रेताओं ने जवाब दिया। ग्यारह फर्मों को पोलनेट के मुख्य निविदा दस्तावेज जारी करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। पोलनेट संबंधी मुख्य निविदा का, सूचीबद्ध किए गए ग्यारह विक्रेताओं में से, नौ विक्रेताओं से जवाब मिला। उनकी तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

बड़ी मात्रा में औषधों का विपणन

1408. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़ी मात्रा में औषधों और प्रतिपादनों के विपणन हेतु एक मात्र विक्रेता एजेंटों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 364(ई) दिनांक 27.4.2000 जारी की थी, जिसे अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 749 (ई) दिनांक 27.9.2000 द्वारा संशोधित किया गया है। अधिसूचना जारी करने के कारणों का उसमें उल्लेख किया गया है।

बंजरभूमि के विकास हेतु संसाधन

1409. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 22 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4600 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 में योजना के शुरू होने के बाद से वर्ष-वार निवेश से कितनी धनराशि की उगाही की गई है; और

(ख) अगस्त 1998 में योजना के पुनर्गठित करने के बाद से निवेश में कितनी वृद्धि हुई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) भूमि संसाधन विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 से मार्च, 2000 तक 16 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें 61.152 लाख रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता सहित 1106.41 लाख रुपये का कुल निवेश शामिल है। वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अगस्त, 1998 में इस योजना की पुनर्संरचना किए जाने के पश्चात् निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मार्च, 2000 तक स्वीकृत की गई 16 परियोजनाओं में से 998.20 लाख रुपये के कुल निवेश के साथ 12 परियोजनाएं अगस्त, 1998 के बाद स्वीकृत की गई हैं।

विवरण

निवेश संवर्धन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क्र.सं.	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत (लाख रुपये में)	आर्थिक सहायता (लाख रुपये में)	
					स्वीकृत	जारी
1.	1994-95	1	26.00	34.09	8.52	7.20
2.	1995-96	3	65.00	74.12	18.635	17.699
3.	1996-97	-	-	-	-	0.84
4.	1997-98	-	-	-	-	-
5.	1998-99	3	140	211.50	7.00	4.20
6.	1999-2000	9	539.79	786.7	26.9965	16.1959
	योग	16	770.79	1106.41	61.1515	46.1349

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र हेतु पृथक पत्तन

1410. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का विचार अपने निर्यात हेतु पृथक पत्तन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से इस्पात का कितना वार्षिक निर्यात होता है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वी.एस.पी.) द्वारा उत्पादित इस्पात का वार्षिक निर्यात निम्न प्रकार रहा:-

वर्ष	इस्पात	
	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1997-98	393	370
1998-99	201	179
1999-2000	255	203

ए.आई.सी.टी.ई. के अनुमोदन के बिना पाठ्यक्रम चलाना

1411. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.आई.सी.टी.ई. के अनुमोदन के बिना पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम, 1987 के तहत कोई दांडिक प्रावधान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 में उन संस्थानों, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना पाठ्यक्रम चला रहे हैं, के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। तथापि जब किसी ऐसे तकनीकी संस्थान जिसे अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जानकारी प्राप्त होती है, तो उन्हें नोटिस जारी किया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि वे अधिनियम के अनुसार औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करें अन्यथा कार्य करना बन्द कर दें। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दुरूपयोग को रोकने के लिए एक सेल का गठन किया है जो बिना किसी अनुमोदन वाले संस्थानों पर रोक लगाने में मदद करेगा।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को घाटा

1412. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्र लगातार घाटे में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और संयंत्र-वार उनकी क्षमता कितनी है, वास्तविक उपयोग कितना है और इस्पात भंडार का कितना निपटान किया जाता है; और

(घ) इन संयंत्रों को घाटे से बचाने और वैश्वीकरण के संदर्भ में उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को हुए लाभ/हानि (–) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	बी एस पी	डी एस पी	आर एस पी	बी एस एल	ए एस पी	एस एस पी	वी आई एस एल	इस्को	आर आइ एन एल
1997-98	701	-509	-374	367	-88	-120	-84	-395	-177
1998-99	301	-719	-765	-165	-179	-180	-74	-357	-457
1999-00	92	-651	-704	120	-260	-142	-91	-210	-568

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को हुई हानि के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ मन्दीयुक्त बाजार स्थिति, उच्च पूंजी संबद्ध व्यय, सस्ती दर पर आयात, निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक श्रमशक्ति लागत आदि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए सेल के इस्पात संयंत्रों और आई आर एन एल की क्षमता, वास्तविक उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(इकाई : हजार टन में)

संयंत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
	वार्षिक क्षमता	वास्तविक	वार्षिक क्षमता	वास्तविक	वार्षिक क्षमता	वास्तविक
बी एस पी	3153	3524	3153	3352	3153	3411
डी एस पी	1586	1259	1586	1319	1586	1402
आर एस पी	1212	1181	1212	1114	1671	1170
बी एस एल	3156	2748	3156	2541	3780	3246
ए एस पी	184	154	184	99	184	83
एस एस पी	175	177	175	119	175	148
वी आई एस एल	77	50	77	57	77	69
इस्को	377	315	327	265	242	250
आर आई एन एल	2656	2250	2656	1933	2656	2362

विक्रेय इस्पात की बिक्री:-

(हजार टन)

संयंत्र	1997-98 बिक्री	1998-99 बिक्री	1999-2000 बिक्री
बी एस पी	2901.2	334.0	3233.4
डी एस पी	1111.5	1302.3	1346.7
आर एस पी	940	1117.7	1311.6
बी एस एल	2413.6	2489.8	3175.8
ए एस पी	75.6	78.1	73.1
एस एस पी	172.9	126.2	150.2
वी आई एस एल	49	62.4	73.9
इस्को	290.9	290.7	245.2
आर आई एन एल	2.2	2.1	2.2

(घ) प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की सरकार द्वारा उसके पुनर्गठन के लिए अनुमोदित योजना कार्यान्वयनाधीन है।

आर.आई.एन.एल. (वी.एस.पी.) के संबंध में इसकी शेष साम्या के 51% से अनधिक के विनिवेश को कार्यनीति क्रेता के पक्ष में करने सहित 31.3.99 की स्थिति के अनुसार कंपनी की संपूर्ण संचित हानि ,को विनिवेश आयोग द्वारा बट्टे खाते डालने की सिफारिश की गई है। उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इंजीनियरिंग कालेज

1413. श्री के. येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में नए कॉलेज खोलने की अनुमति देने हेतु इंजीनियरिंग कॉलेजों के निरीक्षण हेतु क्या दिशा-निर्देश अपनाए गए हैं;

(ख) इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें बढ़ाने की अनुमति देने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों का निरीक्षण किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन नई तकनीकी संस्थाओं जिनके पास पर्याप्त आधारभूत संरचना की सुविधाएं उपलब्ध हैं, को खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। इन संस्थाओं की जांच व्यवहार्यता पत्र जारी करने के बाद किन्तु अन्तिम मंजूरी देने के पूर्व की जाती है।

(ख) संबंधित संस्था की तैयारी के अलावा, इंजीनियरिंग कालेजों में सीटें बढ़ाने की अनुमति देने के लिए सामान्यतया जिस मानदंड का अनुपालन किया जाता है वह है स्थायी स्थल पर आधारभूत संरचना की सुविधाएं, भवन, संकाय, पुस्तकालय, उपकरण आदि की उपलब्धता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निरीक्षण किए गए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् हैं:

राज्य	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज का नाम
राजस्थान	मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर
हिमाचल प्रदेश	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर
महाराष्ट्र	विश्वैश्वरैय्या क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर
गुजरात	सरदार वल्लभ भाई क्षेत्रीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत
पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज दुर्गापुर
असम	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिल्चर
केरल	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट

रीडरों का पैनल

1414. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु रीडरों का पैनल तैयार करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1415. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) अब तक वस्तुत: कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) शेष धनराशि के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बकाया राशि का भुगतान

1416. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष प्रति बटालियन एक करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान करने हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को धनराशि को तीन करोड़ रुपए तक बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव के कब तक स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। नीति के अनुसार, इस समय, अनन्तिम प्रभारों के रूप में भुगतान किए जाने के लिए निर्धारित दरें 50 लाख रु. प्रति तिमाही प्रति बटालियन हैं। इन अनंतिम प्रभारों का समायोजना वास्तविक व्यय के लेखा परीक्षा किए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाना होता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लिए निर्धारित दरों के समान तैनाती प्रभारों का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार तैनाती प्रभार वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होंगे।

[अनुवाद]

बंग्लादेश की सीमा से तस्करी

1417. डा. बी.बी. रमैया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाल ही में आई बाढ़ के कारण बंग्लादेश की सीमा के साथ लगी बाड़ बह गई हैं और उसके बाद तस्करी की गतिविधियां बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र में बाड़ लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पश्चिम बंगाल में हाल ही में आई बाढ़ के कारण भारत-बंगलादेश सीमा पर अनेक स्थानों पर सीमा पर लगी बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) क्षतिग्रस्त हुई बाड़ का पुनर्निर्माण करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

[हिन्दी]

वाहन चोरी के मामले

1418. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार दिल्ली में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में वाहन चोरी के कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उनमें से कितने मामले अब तक निपटाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि चुराए गए वाहनों के कल-पुर्जे जामा मस्जिद और लाल किले के चोर बाजार मे बेच दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अवैध व्यापार में लगे लोगों के विरुद्ध कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) इन बाजारों में चुराए गए वाहनों के कल पुर्जों की बिक्री की पुष्टि में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। तथापि, चुराए गए बहुत से वाहनों के देश के अन्य हिस्सों में पुन: पंजीकृत किए जाने की सूचना है।

वाहन-चोरों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, प्रत्येक जिले में आटो-चोरी स्क्वायड का बनाया जाना, सभी सीमाओं पर चैक-पोस्टों की स्थापना, पहले वाहन चोरी में संलिप्त अपराधियों पर निगरानी रखना, आटो-चोरों के संगठित गिरोहों के संबंध में आसूचना एकत्र करने के लिए सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों की तैनाती, पार्किंग क्षेत्रों के समीप मोटर साईकिल गश्त को बढ़ाना, और पड़ोसी राज्यों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना शामिल है।

विवरण

वर्ष	सूचित किए गए मामले	दर्ज किए गए मामले	चालान किए गए मामले	जांच-पड़तालाधीन मामले	लापता
1997	7413	7194	844	30	6320
1998	8557	8308	776	49	7483
1999	8078	7864	829	248	6787
2000 (31.10.2000 तक)	6557	6449	345	2817	3287

रसायन उद्योग का विकास

1419. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसायन उद्योग के विकास और इसे पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली में हाल ही में इस संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) रसायन और उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करती रही है। सरकार उनकी जरूरतों का पता लगाने के लिए उद्योग के साथ लगातार संपर्क में है।

रसायन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में लाइसेंस देने की नीतियों में उदारीकरण, निर्यात नीति को सरल बनाना, प्रशुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर सम्मेलन आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में इंडियाकेम, 2000 नई दिल्ली में 6-8 अक्टूबर, 2000 तक आयोजित किया गया था। यह अवसर रसायन उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रमुख विषयों को दर्शाया गया और इससे भारतीय और वैश्विक रसायन उद्योग के बीच विचार-विमर्श बढ़ाने में मदद मिली।

[अनुवाद]

चीन द्वारा दवाओं को डम्प करना

1420. श्री किरीट सोमैया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन द्वारा दवाओं को डम्प किए जाने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय औषधि कंपनियों और संसद सदस्यों ने सरकार से इस बारे में विरोध दर्ज कराया है;

(ग) क्या फार्मास्युटिकल्स एसोसिएशनों ने इस संबंध में औषध नियंत्रक कार्यालय को विस्तृत कार्य योजना सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस उद्योग ने सरकार से कतिपय रियायतों की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी): (क) और (ख) चीन समेत अन्य देशों से (दवाओं की) भरमार बढ़ाए जाने की घटनाएं समय-समय पर डम्पिंग रोधी और सम्बद्ध प्रशुल्क निदेशालय की जानकारी में लाए जाते हैं। हालांकि डम्पिंग रोधी जांच पड़ताल तभी शुरू की जाती है जब कोई स्वदेशी उद्योग आयातित माल की डंपिंग तथा स्वदेशी उद्योग के लिए क्षति के बीच कारणात्मक सम्बन्ध तथा डम्पिंग, क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य सहित उक्त निदेशालय में प्राधिकृत प्राधिकारी को सम्पूर्ण दस्तावेजी याचिका दायर करता है।

उपरोक्त विषय पर एक पत्र एक संसद सदस्य से प्राप्त हुआ है।

(ग) से (छ) देश में प्रपुंज औषधों समेत प्रत्येक औषध के आयात के लिए फीस ढांचा तथा व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक सामान्य अभ्यावेदन को छोड़कर इस संबंध में भेपज संघों से कोई विस्तृत कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है। सरकार ने इस प्रयोजनार्थ औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली को संशोधित करने के लिए 24.10.2000 को एक अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर रहने वाले किसान

1421. श्री पुष्प जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को अपने खेतों में काम करने में कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त किसानों को मुआवजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पंजाब में उन किसानों, जिनकी भूमि भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ से परे है, को अपनी भूमि पर खेती करने के संबंध में कतिपय समस्याएं हैं। सुरक्षा बाड़ के कारण किसानों को होने वाली कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से, सीमा सुरक्षा बल के प्राधिकारी किसानों और सिविल प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करते हैं।

(ग) और (घ) एक विशेष मामले के रूप में, भारत सरकार ने पंजाब में उन किसानों, जिनकी भूमि सीमा क्षेत्रों में बाड़ से परे हैं, की कठिनाईयों को कम करने के लिए पहले 6.45 करोड़ रु. का आबंटन किया था।

सीमा क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं के सृजन हेतु पंजाब के लिए 2000-2001 के दौरान 6.40 करोड़ रु. की धनराशि भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्धारित की है।

[अनुवाद]

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

1422. श्री वाई.वी. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन गैर-सरकारी संगठनों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की पूरी जांच कर ली गई है, जिन्हें हिन्दी प्रचार के लिए अनुदान दिया जाता है;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निधियों का दुरुपयोग रोकने और हिन्दी का उचित प्रचार सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां, हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों का वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् लेखा-परीक्षित लेखाओं तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जांच केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा भी की जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) (1) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में मौजूद सतर्कता तंत्र इन शिकायतों की जांच करता है और पर्याप्त सतर्कता बरती जाती है।

(2) आगे, गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने संबंधी संस्वीकृति-पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाती है ताकि गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

(3) इस योजना में शामिल प्रावधानों के अंतर्गत, अगर सरकारी निधियों के दुरूपयोग संबंधी कोई शिकायत मिलती है, तो उस गैर-सरकारी संगठन से दिए गए अनुदान की संपूर्ण राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकती है।

विवरण

(1) आंध्र प्रदेश: दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मुख्य कार्यालय चैन्नई, आंध्र प्रदेश शाखा)।

(क) सरकारी अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में श्री बी. सतीश कुमार से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तथापि जब इस शिकायत की अधिकारिक तौर पर जांच की गई तो इसे पूर्णत: बेबुनियाद पाया गया।

(ख) एक अन्य व्यक्ति, श्री मो. गौस ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद के विरुद्ध उससे 25,000 रु. चंदे के तौर पर मांगे जाने की एक शिकायत आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज की परंतु उसकी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीधे ही खारिज कर दी गई।

(ग) एक तीसरे व्यक्ति, श्री एन.वी. प्रसाद, आंध्र प्रदेश ने भी उक्त गैर-सरकारी संगठन पर चंदा मांगे जाने का आरोप लगाया जिसकी अभी केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

(2) केरल:- निम्नलिखित चार गैर-सरकारी संगठनों पर सरकारी निधियों का दुरूपयोग करने के लिये हिन्दी प्रचारक कल्याण संगठन के सचिव द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई:-

(1) हिंदी विद्यापीठ, त्रिवेन्द्रम,

(2) गांधी स्मारक ग्राम सेवा केन्द्रम, एस.एल. पुरम्, केरल,

(3) हिंदी प्रचार केन्द्र, कोडुनगलौर, केरल,

(4) गांधी स्मारक हिंदी प्रचार मंडल, एरीपेट, केरल

तथापि जब इस शिकायत की अधिकारिक तौर पर जांच की गई, तो इसे पूर्णत: निराधार पाया गया।

(3) दिल्ली :

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ:-

सुश्री बी.एस. शान्ता बाई, संघ की भूतपूर्व सचिव द्वारा सरकारी अनुदान के दुरूपयोग के संबंध में संघ के विरुद्ध एक शिकायत की गई। संघ ने आरोप की जांच कराने के लिये एक समिति गठित की। बाद में इसका निबटान कर दिया गया।

(4) राजस्थान :

जयपुर हिंदी प्रचार-प्रसार संस्थान, जयपुर:-

सरकारी निधियों के दुरूपयोग के लिये गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध श्री सुरेन्द्र सक्सेना, सचिव, राजस्थान हिंदी सेवा संस्थान, जयपुर द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई। तथापि, जब केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा शिकायत की जांच की गई तो इसे पूर्णत: निराधार पाया गया।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों का आरक्षण

1423. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों में फिलहाल कितनी सीटें हैं;

(ख) इन कालेजों में अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं;

(ग) क्या इन कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) महाराष्ट्र स्थित इंजीनियरी कॉलेजों में कुल 41125 सीटें हैं।

(ख) शैक्षिक वर्ष 2000-2001 के दौरान अन्य राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए डिग्री स्तर पर 294 सीटें और डिप्लोमा स्तर पर 99 सीटें आरक्षित की गई हैं।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जुलाई/अगस्त, 2000 में दिए गए विज्ञापन के उत्तर में 202 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों की जांच करने के बाद कुल 4940 अतिरिक्त सीटें अनुमोदित की गयी।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

1424. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत दी गई निधियों का पूरा उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से राज्यों ने निधियों का उपयोग नहीं किया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रक्रिया उन्मुख कार्यक्रम है। तथापि वर्तमान जानकारी के अनुसार कोई भी राज्य आबंटित निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं कर सका। इसमें प्रमुख गतिविधियों का चयन करना, प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाना/परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, भावी स्वरोजगारियों का चयन करना तथा स्व-सहायता ग्रुपों का गठन तथा उनकी क्षमता का निर्माण करना, स्वरोजगारियों के लिए क्षमता विकास, प्रशिक्षण, ऋण तथा विपणन सहायता शामिल हैं। श्रेणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने, जिसमें कम से कम एक वर्ष का समय लग जाता है, के पश्चात् स्व-सहायता समूह सहायता के पात्र हो जाते हैं।

वर्ष 1999-2000 कार्यक्रम का पहला वर्ष था तथा मुख्यत: प्रारंभिक तैयारी में समय लगने के कारण राज्य उपलब्ध/आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग न कर सकें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक इकाइयों का निजीकरण

1425. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय उर्वरक इकाइयों के निजीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की इकाई-वार मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों में कितना निवेश आमंत्रित करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) में अपनी 97.65% शेयरधारिता में से 51% मद्रास फर्टिलाइजर लि. (एम.एफ.एल.) में 58.74% शेयरधारिता में से 32.74% और पारादीप फास्फेटस लिमिटेड में 100% शेयरधारिता में से 74% शेयरधारिता का विनिवेश, प्रबन्ध नियंत्रण हस्तांतरण सहित अनुकूल क्रेताओं के पक्ष में करने का निर्णय लिया है। फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. और राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. के मामले में विनिवेश सम्बन्धी निर्णय को आस्थगित कर दिया गया है।

एन.एफ.एल. और एम.एफ.एल. के मामले में विनिवेश प्रक्रिया अंतिम अवस्था में ही है। इन दो मामलों में सरकार की सहायता हेतु सलाहकार नियुक्त किये गये हैं।

आई.एस.आई. की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए युवाओं की भर्ती

1426. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.एस.आई. की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सीमा क्षेत्रों के युवाओं को भर्ती करने और प्रशिक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आई.एस.आई. के आसन्न हमले की आशंका के मद्देनजर औद्योगिक इकाइयों और सरकारी उपक्रमों पर नजर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सभी राज्यों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार, इन क्षेत्रों का विकास करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन क्षेत्रों के युवकों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में भी भर्ती किया जाता है। इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर में गांवों के स्वयं सेवकों को शामिल करके, ग्राम सुरक्षा समितियां भी बनाई गई हैं।

(ग) और (घ) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा मुकाबला करने के उपायों के बारे में अधिकारियों को ब्रीफ करने के लिए औद्योगिक इकाईयों का नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाता है। इन प्रतिष्ठानों को विभिन्न आन्तरिक और बाहरी उग्रवादी/आतंकवादी ताकतों से उत्पन्न संभावित खतरों के बारे में मिलने वाली आसूचना का राज्य सरकारों/केन्द्रीय एजेन्सियों और प्रबन्धन के साथ, समय-समय पर आदान-प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

पेयजल

1427. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री जयभद्र सिंह :
श्री पदमसेन चौधरी :
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री जय प्रकाश :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004 के अंत तक प्रत्येक गांव में पेयजल की आपूर्ति करने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए हैं;

(ग) अब तक प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है तथा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कितनी राशि दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से पेयजल की समस्या के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) ऐसे गांवों में पेयजल की आपूर्ति हेतु स्थायी स्रोतों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनमें गर्मी के मौसम में पानी की विकट समस्या होती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण देश में ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां मुहैया कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार की शासन के लिए राष्ट्रीय कार्य-सूची में पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के अनुसार, शासन के लिए राष्ट्रीय कार्य-सूची के अनुसरण में देश में सभी ग्रामीण बसावटों को पांच वर्षों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

(ग) राज्य सरकारों को अपनी-अपनी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, स्वीकृत और कार्यान्वित करने की शक्तियां सौंप दी गई हैं अतः ये योजनाएं राज्य स्तर पर ही स्वीकृत और कार्यान्वित की जाती हैं। प्रत्येक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के लिए स्वीकृत और खर्च की गई राशि का रखरखाव केन्द्र स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1999 से 57 प्रायोगिक जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र सुधार परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृत परियोजना

लागत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 45 परियोजनाओं के संबंध में निधियों की पहली किस्त राज्य सरकारों/जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अन्त में और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी कर दी गई हैं। चूंकि निधियों का वास्तविक इस्तेमाल/इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू ही हुआ है अथवा अभी शुरू होना है अत: इस स्तर पर इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन ने खर्च की गई राशि का विश्लेषण करना समय पूर्व होगा। इन परियोजनाओं से संबंधित निधियां वार्षिक आबंटन के आधार पर नहीं बल्कि परियोजना अवधारणा के सफल कार्यान्वयन के अनुरूप उपलब्धि के आधार पर जारी की जाती हैं।

(घ) से (च) कम वर्षा और भूजल स्तर में गिरावट के कारण पेयजल के अभाव के संबंध में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन राज्यों में पेयजल के अभाव से संबंधित विषम परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं को इस हद तक प्रावधान करने हेतु शिथिल करने का निर्णय लिया है कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत निधियों का इस्तेमाल उपर्युक्त राज्यों के पेयजल अभाव से प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बहाली, नवीकरण, जीर्णोद्धार और परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, अपेक्षित शर्तों में ढील देते हुए गुजरात और राजस्थान को वर्ष 2000-2001 के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।

(छ) जल संरक्षण और वर्षा जल एकत्र करने संबंधी परियोजनाएं शुरू करके स्थायित्व संबंधी उप मिशन के माध्यम से पेयजल स्रोतों के स्थायित्व की समस्या का हल करने के प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार उप मिशन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों में से 25 प्रतिशत निधियों को स्थायित्व संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संसद के सभी सदस्यों से अपनी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से जल संचयन योजनाओं को बढ़ावा देने/शुरू कराने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण पेयजल घटक के लिए कुल आबंटन का कम से कम 25 प्रतिशत मरूभूमि विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों, अतिदोहित डार्क/ग्रे प्रखण्डों और अन्य जल संकट/सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संचयन, जल पुनर्भरण और पेयजल, स्रोतों के स्थायित्व के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर इस्तेमाल किया जायेगा।

विवरण

1.4.1999 से स्वीकृत क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं और स्वीकृत परियोजना लागत को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	प्रायोगिक जिला का नाम	राज्य	स्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	चितूर	आन्ध्र प्रदेश	4000.000
2.	खम्माम	आन्ध्र प्रदेश	3753.000
3.	नालगोंडा	आन्ध्र प्रदेश	4000.000
4.	प्रकाशम	आन्ध्र प्रदेश	4000.000
5.	लोहीत	अरूणाचल प्रदेश	900.000
6.	पश्चिम सियांग	अरूणाचल प्रदेश	700.000
7.	जोरहट	असम	1275.000
8.	कामरूप	असम	1000.000
9.	सोनीतपुर	असम	1181.000
10.	धनबाद	बिहार (झारखंड)	4000.000
11.	वैशाली	बिहार	4000.000
12.	मेहसाना	गुजरात	4000.000
13.	राजकोट	गुजरात	4000.000
14.	सूरत	गुजरात	4000.000
15.	करनाल	हरियाणा	1507.000
16.	यमुना नगर	हरियाणा	986.180
17.	सिरमोर	हिमाचल प्रदेश	2005.000
18.	श्रीनगर	जम्मू व काश्मीर	2511.000

1	2	3	4
19.	उधमपुर	जम्मू व कश्मीर	2500.000
20.	बेल्लारी	कर्नाटक	4000.000
21.	मंगलौर	कर्नाटक	4000.000
22.	मैसूर	कर्नाटक	4000.000
23.	कासरागोड	केरल	4000.000
24.	कोल्लाम	केरल	4000.000
25.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2927.940
26.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	4000.000
27.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	4000.000
28.	रायसेन	मध्य प्रदेश	4000.000
29.	सिहोर	मध्य प्रदेश	1795.000
30.	अमरावती	महाराष्ट्र	2126.000
31.	धूले	महाराष्ट्र	3952.780
32.	नांदेड	महाराष्ट्र	4000.000
33.	रायगढ़	महाराष्ट्र	3793.000
34.	सेरछिप	मिजोरम	268.980
35.	दीमापुर	नागालैंड	594.000
36.	बालासोर	उड़ीसा	4000.000
37.	सुन्दरगढ़	उड़ीसा	4000.000
38.	भटिंडा	पंजाब	752.190
39.	मोगा	पंजाब	344.000
40.	मुक्तसर	पंजाब	3992.800
41.	अलवर	राजस्थान	4000.000
42.	जयपुर	राजस्थान	4000.000
43.	सिकर	राजस्थान	2171.000
44.	सिक्किम दक्षिण	सिक्किम	1322.480
45.	सिक्किम पश्चिम	सिक्किम	892.350
46.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	4000.000
47.	कुड्डालोर	तमिलनाडु	4000.000
48.	पेरमबलुर	तमिलनाडु	4000.000
49.	वेल्लौर	तमिलनाडु	4000.000
50.	पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा	2819.400
51.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3000.000
52.	चन्दौली	उत्तर प्रदेश	2500.000
53.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	4000.000
54.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3000.000
55.	सोनभद्रा	उत्तर प्रदेश	2500.000
56.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	4000.000
57.	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	4000.000
	कुल		169070.100

[हिन्दी]

मोहन धारिया समिति की रिपोर्ट

1428. श्री वाई.जी. महाजन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परती भूमि विकास संबंधी मोहन धारिया समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) नवम्बर, 1994 में गठित मोहन धारिया समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 8 दिसम्बर, 1995 को प्रस्तुत की थी।

(ख) और (ग) समिति की मुख्य सिफारिशें और सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सिफारिशें	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
(1)	जल, भूमि के उचित उपयोग तथा बंजरभूमि विकास के लिए राज्यों द्वारा संदर्शी योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं।	समिति की रिपोर्ट, इसमें की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों को भेजी गई थी। उनसे जल, भूमि के उचित उपयोग तथा बंजरभूमि के विकास के लिए 10-15 वर्षों की आवश्यक संदर्शी योजनाएं तैयार करने हेतु विशेष रूप से अनुरोध किया गया था।
(2)	सभी प्रकार के वनीकरण, बंजरभूमि विकास, भूमि तथा जल संरक्षण तथा सम्बद्ध योजनाओं के लिए केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर एक उपयुक्त संरचना युक्त तथा अधिकार प्राप्त समन्वय प्राधिकरण होना चाहिए। इसी प्राधिकरण के तहत वनेतर बंजरभूमि और वनीय बंजरभूमि को विकसित किए जाने के लिए भूमि संसाधन विभाग के नाम से एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए।	घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए सभी क्षेत्र विकास योजनाओं नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को कार्यान्वित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग के नाम से एक अलग विभाग बनाया गया है।
(3)	जलाक्रांत तथा लवणीय भूमि को कृषि योग्य बनाना।	जलाक्रांत तथा लवणीय भूमि को विकसित करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा के राज्यों में अब तक सात प्रायोगिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
(4)	बंजरभूमि के विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की अधिक भागीदारी होनी चाहिए।	यह व्यवस्था करने हेतु कि वाटरशेड समिति के एक तिहाई सदस्य महिलायें हों, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के लिए लागू वाटरशेड विकास के समान मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित किया गया था।
(5)	भूतल तथा भू-जल दोनों के संबंध में बाढ़ नियंत्रण तथा जल नीति की समीक्षा।	जल संसाधन मंत्रालय ने सूचित किया था कि बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने तथा बाढ़ से संरक्षण करने और बाढ़ के संभावित क्षेत्रों को निर्धारित करने जैसे उपायों पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है इसके परिणामस्वरूप बाढ़ से होने वाली क्षति में कमी आएगी। भू-जल की पुन:पूर्ति को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक मॉडल प्रपत्र भी तैयार किया गया है और संशोधित किया गया है तथा सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड जिसे सुदृढ़ बना कर पुनर्जीवित किया गया है, ने भी भू-जल की कृत्रिम पुन: भराई के संबंध में एक मैनुअल तैयार किया है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल परियोजनाएं

1429. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फिलहाल विश्व बैंक की सहायता से राज्य-वार कौन-कौन सी पेयजल परियोजनाएं चलाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जहां तक ग्रामीण जल आपूर्ति का संबंध है, विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) राज्य में "उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना" (स्वजल परियोजना) नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 284.93 करोड़ रुपए है, और इसे 1996 में शुरू किया गया था।

शहरी जल आपूर्ति के संबंध में, विश्व बैंक की सहायता से तमिलनाडु राज्य में "II चेन्नई जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसकी संशोधित परियोजना लागत 546.31 करोड़ रुपए है, इसे 12.6.1997 को शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) किसी भी राज्य सरकार से विश्व बैंक की सहायता वाली पेयजल परियोजनाओं को विशेषत: ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कोल इंडिया लि. और अन्य कंपनियों का पुनर्गठन

1430. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1999-2000 तथा चालू वर्ष के दौरान संबंधित समझौता ज्ञापन के अनुसार कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों/निगमों/मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है/ विचाराधीन हैं;

(घ) सरकारी उपक्रमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ङ) इनकी उपलब्धियां क्या-क्या हैं और किस स्तर तक उत्पादन में गिरावट आई है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार नई कोयला खान परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई और इनके लिए कितना ऋण, सहायता राशि प्रदान की गई तथा इसमें से कितने का उपयोग किया गया;

(छ) नई परियोजनाओं की लागत बढ़ने और इन्हें पूरा करने में हो रही धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ज) कोयला परियोजनाओं को पूरा करने और कोयला उत्पादन के लिए प्रस्तावित निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न के (क) भाग के लिए दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के नीति-उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं:-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।

(2) जनशक्ति का यौक्तिकीकरण।

(3) वैगनों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में कोल इंडिया लि. की सहायता करना।

(4) कोयला बिक्री की बकाया राशि को वसूल करने में सहायता करना।

(ङ) कार्यान्वयन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(1) 1.1.2000 से कोयले की कीमत-निर्धारण तथा वितरण का पूर्णत: विनियंत्रण।

(2) वैगनों की आपूर्ति के मामलों में रेलवे के साथ वर्धित समन्वय।

(3) "नकद दो और माल लो" योजना को सख्ती से लागू करना और चूककर्ता राज्यों को केन्द्रीय योजनागत सहायता से कटौती करके वसूली करना।

(4) घाटे में चल रही कोयला कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता।

(च) वर्ष 2000-01 के दौरान निम्नलिखित नई परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है:-

(1) सलुंगा-जीनागोरा ओ.का.

(2) पारेज ईस्ट ओ.का.

(3) पौनी ओ.का.

(4) सनेर विस्ता. भू.ग.

इस प्रयोजन के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) को कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

(छ) किसी परियोजना की पूंजीगत लागत का अनुमान स्थिर कीमत अर्थात् परियोजना के तैयार करने/अनुमोदित करने के समय प्रचलित कीमत के आधार पर लगाया जाता है। निर्माण अवधि के दौरान पूंजीगत लागत में वृद्धि करने के लिंए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है और चूंकि कोयला परियोजनाओं में ओपन कास्ट परियोजनाओं की पक्वनावधि बहुत लम्बी होती हैं अत: परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा होने पर भी परियोजना की लागत में वृद्धि हो जाती है।

नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

(1) वन भूमि सहित के अर्जन में विलम्ब।

(2) प्रभावित कार्मिकों के पुनर्वास में विलम्ब।

(3) प्रतिकूल भू-खनन स्थिति।

(4) विनिर्माताओं/ठेकेदारों द्वारा उपस्करों की आपूर्ति/टर्न की ठेकों के निष्पादन में विलम्ब।

(5) विविध समस्याएं यथा-कानून और व्यवस्था, आग, कोयला खाली करना आदि।

(ज) 9वीं योजना अवधि तथा अंतिम वर्ष 2001-2002 के दौरान नई परियोजनाओं में निवेश तथा कोयले के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

राज्य	निवेश (रु. करोड़ में)	उत्पादन (एमटीसी)
पश्चिम बंगाल	534.66	17.48
बिहार/झारखंड	2237.41	77.02
उड़ीसा	1382.11	44.50
उत्तर प्रदेश	1125.84	16.50
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	3923.87	93.24
महाराष्ट्र	1286.42	29.76
असम और मेघालय	15.87	0.50
कुल (सीआईएल)	10506.18	279.00

मानित विश्वविद्यालय

1431. श्री अरुण कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नालन्दा स्थित पालि. प्रतिष्ठान और वैशाली स्थित प्राकृत प्रतिष्ठान को मानित विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/ प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट सिक्योरिटी कमीशन

1432. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुलिस के काम काज पर निगरानी रखने के लिए एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई आपत्तियां मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कमीशन के कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुसार, ''पुलिस'' राज्य का विषय है। अत: इस संबंध में निर्णय करना मुख्यतया राज्य सरकारों का काम है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग और बोहरा समिति की लम्बित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए श्री जे.एफ. रिबेरो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने की सिफारिश की है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, समिति की रिपोर्टों को उच्चतम न्यायालय में दायर कर दिया गया है और मामला न्यायाधीन है।

प्राकृतिक संसाधनों हेतु लाइसेंस

1433. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 1 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1362 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) संगत सूचना अभी तक एकत्र नहीं हुई है। जैसे ही यह सूचना एकत्र होती है उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जांच आयोग की रिपोर्ट

1434. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसिंहपुरा और पहलगाम नरसंहारों की जांच हेतु गठित क्रमश: न्यायमूर्ति पाण्डियान और लेफ्टिनेंट जनरल मुखर्जी जांच आयोगों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां तो इनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) न्यायमूर्ति पाण्डियन (बराकपुरा में 3.4.2000 को हुई गोली-बारी के संबंध में) तथा लै. जन. मुखर्जी समिति (पहलगाम में 1.8.2000 को तीर्थयात्रियों पर हुए हमले में संबंध में) की रिपोर्टें जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकार को प्राप्त हो गई हैं।

लै. जनरल मुखर्जी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति की रिपोर्ट हाल ही में राज्य सरकार से मिली है तथा केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली अपेक्षित किसी कार्रवाई को ध्यान में रख कर उसकी जांच की जा रही है। परन्तु, चूंकि अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकार से संबंधित है। अत: मामले पर अपना मत बनाने से पहले भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार से संबंधित निष्कर्षों पर समुचित कार्रवाई हेतु उनके द्वारा विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा की गई सूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति पाण्डियन आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार, जिसने न्यायमूर्ति पाण्डियन को जांच करने के लिए नियुक्त किया था, द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उर्वरक की दुकानें

1435. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में ''कृभको'' तथा ''इफको'' द्वारा उर्वरकों की कितनी दुकानें स्थानवार खोली गई;

(ख) अन्य किन-किन स्थानों पर स्थान-वार उर्वरकों की दुकानें/केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु ''कृभको'' तथा ''इफको'' द्वारा कोई नई योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड (कृभको) और इंडियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव लि. (इफको) उर्वरकों का विपणन राज्य सहकारी समितियों के नेट वर्क के माध्यम से करती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ऐसी सहकारी समितियों की संख्या लगभग 6500 है। इसके अतिरिक्त, कृभको तथा इफको ने क्रमश: 37 और 66 कृषक भारती सेवा केन्द्रों और कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना की है जिसके माध्यम से कृषकों को उर्वरकों की बिक्री की जाती है।

(ख) और (ग) कृभको तथा इफको की उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में नये कृषक भारती सेवा केन्द्र और कृषक सेवा केन्द्र खोलने की वर्तमान में कोई योजना नहीं हैं।

(घ) और (ङ) कृभको तथा इफको ने कृषकों को उर्वरक प्रदान करने हेतु कोई नई योजना तैयार नहीं की है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था कृषकों को प्रभावी रूप से उर्वरक उपलब्ध करा रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम

1436. मोहम्मद अनवारूल हक : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के आई.ई.सी. डिविजन के तहत ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए दृश्य-श्रव्य पटकथा के चयन हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान फिल्मों सहित कितने दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों को तैयार/का निर्माण किया गया तथा इनकी अवधि, भाषा तथा जोन-वार ब्यौरा अलग-अलग क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी निधियां आबंटित की गई तथा कितनी निधियों का वास्तव में उपयोग किया गया;

(घ) इनमें से कितने कार्यक्रमों को विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों में टी.वी. चैनलों में दिखाया गया;

(ङ) ग्रामीण विकास पर इन कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा; और

(च) उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय के उक्त डिवीजन द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसियों को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) दृश्य-श्रव्य के संबंध में प्राप्त पटकथाओं पर विचार इनके माध्यम से दिये जाने वाले संदेश की प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) यद्यपि इस संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि कुल मिलाकर ग्रामीण विकास गतिविधियों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

(च) आई.ई.सी. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की एक सहायक गतिविधि है, जिसके लिए निधियां मंत्रालय के संबंधित प्रभागों द्वारा रिलीज की जाती हैं।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों का ब्यौरा:

वर्ष	निर्मित दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों का ब्यौरा	एजेंसी
1997-98	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में चार वीडियो स्पाट्स हिन्दी में, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में तथा 3 उत्तर-पूर्व की भाषाओं अर्थात् नागमीस, मणिपुरी तथा खासी में	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
1998-99	शून्य	
1999-2000	शून्य	

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित तथा इस्तेमाल की गई निधियां:-

वर्ष	आवंटित निधियां	इस्तेमाल की गई निधियां
1997-98	287.20 लाख रुपये	निर्माण - 12.98 लाख रुपये प्रसारण - 55.50 लाख रुपये
1998-99	शून्य	प्रसारण - 38.41 लाख रुपये
1999-2000	412.75 लाख रुपये	प्रसारण - 42.31 लाख रुपये

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर उत्तर-पूर्व राज्यों में टी.वी. चैनलों पर दिखाये गये कार्यक्रमों की संख्या:-

वर्ष	प्रसारण का ब्यौरा	उत्तर-पूर्व में प्रसारण
1997-98	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय चैनल पर 42 प्रसारण क्षेत्रीय केंद्रों पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में 180 प्रसारण	180 प्रसारणों में से 12 प्रसारण दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी से
1998-99	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय केन्द्रों पर 75 प्रसारण पंचायती राज के बारे में क्षेत्रीय केन्द्रों पर 28 प्रसारण	75 प्रसारणों में से 5 प्रसारण दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी से
1999-2000	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय नेटवर्क पर 10 प्रसारण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय केन्द्रों पर 225 प्रसारण	225 प्रसारणों में से 15 प्रसारण दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी से

बांग्लादेश में भारतीय एन्कलेव

1437. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें बांग्लादेश सीमा के भीतर भारतीय एन्कलेवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, उन एंक्लेवों के नाम बतायें जहां भारतीय प्रधान मंत्रियों ने 31 दिसंबर, 2000 तक दौरा किया;

(ग) इन एंक्लेवों में भारतीय नागरिकों के सामने आ रही कठिनाईयों के संबंध में उनके द्वारा क्या टिप्पणी की गई;

(घ) वहां रह रहे भारतीयों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कोई दौरा नहीं किया गया तो इसके क्या कराण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) भारत का बंगलादेश में भारतीय इन्कलेवों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं है। बंगलादेश में भारतीय इन्कलेवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) भारत सरकार को बंगलादेश में भारतीय इन्कलेवों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की दशा के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। भारत सरकार मामले की गम्भीरता से अवगत है और बंगलादेश के साथ सीमा संबंधी सभी मामलों को शीघ्र हल करने के प्रति पूर्णतः वचनबद्ध है।

(ङ) कोई दौरा नहीं किया गया है चूंकि भारत बंगलादेश भूमि सीमा समझौता, 1974 के उपबन्धों के अनुसार इन इन्कलेवों की बंगलादेश के साथ अदला-बदली की जानी है।

[हिन्दी]

हल्दिया इकाई को बन्द किया जाना

1438. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. की हल्दिया इकाई को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने पहले ही हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) की हल्दिया उर्वरक परियोजना, जिसे कभी आरम्भ नहीं किया जा सका था, को बन्द करने/अलग करने का फैसला लिया जा चुका है क्योंकि इसे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया गया है। तथापि वह

मुद्दा कुल मिलाकर कम्पनी के लिये एकक-वार प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित पुनर्वास पैकेज से जुड़ा हुआ है और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की कार्रवाई के निष्कर्षों पर आधारित है।

[अनुवाद]

कोयले की मांग/आपूर्ति

1439. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कोयले का कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) नौवीं योजना अवधि के लिए कोयले के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन हेतु कितना अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या देश में वर्तमान में कोयले की मांग एवं आपूर्ति में अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले के आयात में कितनी वृद्धि हुई;

(च) क्या इसके परिणामस्वरूप मांग/आपूर्ति के अंतर में कमी आाई है;

(छ) कोयले के आयात से इसके उत्पादन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है;

(ज) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व बैंक तथा अन्य देशों से ऋण लिया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में कोयले का उत्पादन 300.09 मिलियन टन हुआ।

(ख) 9वीं योजना (2001-2002) के अंतिम वर्ष के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में प्रायोगिक श्रेणीवार कोयला उत्पादन इस प्रकार है:-

कोल इंडिया लि. (मिलियन टन में)

ग्रेड	लक्ष्य	ग्रेड	लक्ष्य
कोकर		**अकोककर**	
मैट./एल.डब्ल्यू.			
एसटी-I	0.25	ग्रेड-ए (एलएफ)	2.21
एसटी-II	0.70	ग्रेड-बी (एलएफ)	19.27
डब्ल्यू-I	1.80	ग्रेड-सी (एलएफ)	30.67
डब्ल्यू-II	2.06	ग्रेड-डी (एलएफ)	25.03
डब्ल्यू-III	4.89	ग्रेड-ए	0.53
डब्ल्यू-IV	7.20	ग्रेड-बी	2.66
एस.सी.-I	0.20	ग्रेड-सी	7.85
उप जोड़	17.10	ग्रेड-डी	8.32
अन्य कोककर		ग्रेड-ई	54.70
डब्ल्यू-II	0.20	ग्रेड-एफ	94.92
डब्ल्यू-III	2.74	ग्रेड-जी	0.00
डब्ल्यू-IV	6.12	उप-जोड़	246.15
उप-जोड़	9.05	**कोइंलि-जोड़**	279.00
कोककर (एनएलडब्ल्यू)			
एनएलडब्ल्यू-I	0.05		
एनएलडब्ल्यू-III	2.15		
एनएलडब्ल्यू-IV	4.50		
अन्य (एसएलवी)	0.00		
उप-जोड़	6.70		

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

अकोककर			
ग्रेड-बी	0.360	ग्रेड-एफ	5.530
ग्रेड-सी	7.467	ग्रेड-जी	0.800
ग्रेड-डी	6.333		
ग्रेड-ई	11.890	एससीसील-जोड़	32.38

(ग) से (छ) देश पावर ग्रेड कोयला के मामले में आत्मनिर्भर है। बहरहाल कोककर कोयला और उच्च श्रेणी के अकोककर कोयला भंडार की कमी है।

गत तीन वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए कोयले का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

वर्ष	कुल आयात (मिलियन टन में)
1997-98	17.21
1998-99	15.64
1999-2000	17.50 (अनंतिम)

कुछ उपभोक्ता यह चाहते हैं कि सीमेंट संयंत्र तथा ताप बिजली घर मुख्यत: गुणवत्ता के कारण कोयला आयात के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित होने चाहिए क्योंकि ऐसा आयातित कोयला तटवर्ती क्षेत्रों में सस्ता पड़ता है।

इस्पात संयंत्र निम्नलिखित उद्देश्यों से कोककर कोयले का आयात कर रहे हैं (1) अपेक्षित श्रेणी के कोककर कोयले की आवश्यकता तथा देश में उसकी उपलब्धता के बीच अंतराल दूर करना, और (2) ब्लास्ट फर्नेसों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए तकनीकी कारणों से समस्त मिश्रित कोयला की गुणवत्ता में सुधार करना।

(ज) से (ञ) कोल इंडिया लि. ने कोयले के उत्पादन को बढ़ाने तथा कोल इंडिया लि. की 24 लाभकारी खानों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) हेतु विश्व बैंक (आईबीआरडी) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) के साथ करार किए थे। ऋण की कुल राशि अमरीकी डालर 1030 मिलियन थी। इसमें से अमरीकी डालर 522.60 मिलयन का उपयोग किया जा रहा है और शेष अमरीकी डालर 507.40 मिलियन का कोई उपयोग नहीं किया गया है।

कोल इंडिया लि. ने अनेक प्रचालनात्मक कारणों से ऋण के शेष अप्रयुक्त भाग को रद्द करने के लिए विश्व बैंक तथा जेबीआईसी से स्वयं अनुरोध किया था। नरम घरेलू ब्याज दर तथा संतुलन-पत्र के बल पर घरेलू क्रेडिट के आधार पर उपलब्ध अधिक लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल का विचार था कि ऋण के अप्रयुक्त भाग के लिए विश्व बैंक/जेबीआईसी परियोजना वित्त को जारी रखना उसके सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं था।

चूंकि सुविधा शेष, विश्व बैंक तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) ऋण की अप्रयुक्त शेष-सुविधा को सम्मत रूप से रद्द करने में शामिल था अत: कोल इंडिया लि. ने कोयला मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से ऋण के अप्रयुक्त भाग को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की। कोल इंडिया लि. को विश्वास है कि जिन परियोजनाओं के लिए ऋण दिया गया है उन परियोजनाओं को वह अपने संसाधनों से पूरा कर देगी।

उड़ीसा में विद्यालय भवनों का पुन: निर्माण

1440. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 अक्तूबर, 1999 को उड़ीसा में आये महाचक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त एवं पूरी तरह से ढह गए विद्यालय भवनों के पुन: निर्माण का कार्य केन्द्रीय सरकार के कुछ विभाग एवं एजेंसियों ने अपने हाथों में लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विद्यालय तथा महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक राज्य में विशेषकर केन्द्रपाड़ा जिले में ऐसे कितने भवनों का निर्माण किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र

1441. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) इस्पात संयंत्र हेतु और अन्य प्रयोजनार्थ कुल कितनी भूमि पर बोकारो इस्पात संयंत्र का मालिकाना अधिकार है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने स्कूलों व अन्य सामाजिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित आवासों का आबंटन किया गया है और इनमें से कुछ आवासों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) को स्थापित करने के लिए 26,908.565 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और 4378.675 एकड़ भूमि बिहार सरकार द्वारा अंतरित की गई थी। तथापि, बोकारो इस्पात संयंत्र के स्वामित्व/उपयोग की अधीन भूमि का क्षेत्रफल 28,216.375 एकड़ है।

(ग) और (घ) जी, हां। बोकारो इस्पात संयंत्र ने शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं की भूमि आबंटित की है जो निम्नानुसार है:-

(1)	शैक्षणिक संगठन	200.18 एकड़
(2)	सामाजिक संगठन	1.70 एकड़
(3)	व्यावसायिक संगठन	1.92 एकड़
(4)	धार्मिक संगठन	18.25 एकड़
	योग	222.05 एकड़

(ङ) और (च) बोकारो इस्पात संयंत्र के पास लगभग 37,350 क्वार्टर हैं और इनमें से अधिकांश क्वार्टर आबंटित हैं। तथापि, पूर्व कर्मचारियों/उनके आश्रितों और बाहरी लोगों का क्रमश: 518 और 105 क्वार्टरों पर अवैध रूप से कब्जा है।

[अनुवाद]

'स्मार्ट' विद्यालय

1442. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन के प्रावधान वाले 'स्मार्ट' विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट स्कूलों का विकास स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) की प्रस्तावित योजना के संघटकों में से एक है।

शुरूआत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक स्कूल का चयन किया जाएगा और शेष का उपयुक्त रूप से वितरण केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के बीच कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विश्व हिन्दी सम्मेलन

1443. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 नवम्बर, 2000 से विश्व हिन्दी सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किये जाने की संभावना है;

(ख) सरकार की इस सम्मेलन में क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इन प्रस्तावों के संबंध में कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) दिल्ली स्थित भारतीय संस्कृति संस्थान नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा अमेरिका में नवम्बर, 2000 में विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए जाने की सूचना दी गई थी।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा उक्त सम्मेलन के आयोजन के लिए राजनैतिक दृष्टि से अनापत्ति-पत्र जारी किया गया है। तथापि, किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा विदेश में आयोजित किए जाने वाले किसी भी सम्मेलन में सरकार का सहयोजन नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किशोरों के लिए नीति

1444. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की जनसंख्या में किशोरों की आबादी तीस प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बावजूद सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों में उन्हें पृथक समूह नहीं माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र ने सरकार को किशोरों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 10-19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों की संख्या भारत की जनसंख्या का 21.4% है।

(ख) सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में इस आयु वर्ग के लिए कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है।

(ग) भारत में यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा हाल ही में "भारत में किशोर - एक रूपरेखा" शीर्षक से किए गए एक अध्ययन में किशोरों के लिए सुस्पष्ट नीति और कार्यक्रमों की आवश्यकता अभिव्यक्त की गई है।

(घ) इस प्रकार की सभी सिफारिशें सरकार द्वारा नीति निर्माण में निवेश के रूप में कार्य करती हैं। इन दिनों स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण, खेल-कूद और मनोरंजन के क्षेत्र में किशोरों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विशेष रूप से किशोर लड़कियों के लिए 'किशोरी शक्ति-योजना' नामक एक स्कीम शुरू की है।

[हिन्दी]

विज्ञान में अनुसंधान कार्य हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं

1445. श्री रामशकल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान संबंधी उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और विश्वविद्यालयों में ऐसी सुविधाओं में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

1446. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकट भविष्य में सभी राज्यों को स्वायत्तता तथा शक्तियों के अंतरण के मुद्दे पर अध्ययन हेतु मुख्यमंत्रियों का एक पृथक सम्मेलन बुलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के साथ-साथ उन संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक जहां विधान सभा नहीं है, अन्तर-राज्योय परिषद के सदस्य हैं, जिसमें सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा निर्णय लिए जाते हैं। अन्तर-राज्यीय परिषद द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उन्हें क्रियान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है।

[हिन्दी]

तकनीकी संस्थाएं

1447. श्रीमती रेनू कुमारी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में तकनीकी संस्थाओं की संख्या बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का तथा लोकनायक जय प्रकाश तकनीकी संस्थान को इंजीनियरिंग कालेज के रूप में स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) कुछ अन्य राज्यों, जहां स्व-वित्त पोषण के आधार पर कई संस्थाएं चल रही हैं, की तुलना में बिहार में तकनीकी संस्थानों की संख्या कम है।

(ख) और (ग) पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य स्तर पर तकनीकी संस्थान की स्थापना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उर्वरक संयंत्रों पर व्यय की गई राशि

1448. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज तक उर्वरक संयंत्रों को स्थापित किए जाने के संयंत्र-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) कितने संयंत्रों में कार्य आरंभ हो चुका है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सामान्यत: उर्वरक संयंत्रों स्थापना/विस्तार के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त शक्तियों से परे ऐसे पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इसके अलावा, सरकार देश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय नहीं करती है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान, कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं जहां परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सरकार द्वारा बजटीय सहायता मुहैया करायी गयी है, पर व्यय की गयी रकम सहित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम अवस्थिति और कंपनी	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	उत्पाद	अतिरिक्त क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	प्रारम्भण की शून्य तिथि	व्यय की गई (रकम करोड़ रु. में)			
						1997-98	1998-99	1999-2000	31.10.2000 तक 2000-01
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि., नामरुप, आसाम के नामरुप संयंत्रों का पुनरूद्धार	350.00	यूरिया	3.80	2.11.98	-	12.34	18.87	9.26
2.	मद्रास फर्टिलाइजर लि., चैन्नई तमिलनाडू की पुनरूद्धार परियोजना	601.43	यूरिया एनपीके	0.76 1.84	मार्च, 98 में परियोजना का आरम्भ	81.70	31.43	-	-

[अनुवाद]

नेल्लौर उर्वरक कम्पनी

1449. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेल्लौर उर्वरक कम्पनी का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्तार-कार्य कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार को किसी नेल्लौर उर्वरक कम्पनी के विस्तार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अनुमानत: 1736 करोड़ रुपये की पूंजी लागत से आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में 7.68 लाख मी. टन प्रति वर्ष यूरिया क्षमता का एक नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर कोपरेटिव लि. (इफको) के एक प्रस्ताव को सरकार ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त पर सिद्धान्तत: अनुमोदन प्रदान किया है। इस परियोजना का निवेश मूल्यांकन पीआईबी द्वारा इसकी 9.7.1999 को हुई बैठक में किया गया था। परियोजना की व्यवहार्यता, सब्सिडी की मात्रा में कमी करने हेतु फीड स्टाक के रूप में एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने की वांछनीयता और सीमित मांग आपूर्ति अन्तर भविष्यवाणियों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा रखने की आवश्यकता के बारे में पीआईबी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुये इस परियोजना पर अंतिम निवेश निर्णय लेने के लिये सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है और इसे आस्थगित किया है।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1450. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की गयीं;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं में निर्धारित लागत की सीमा से अधिक लागत लग चुकी है;

(ग) क्या भिलाई और अन्य इस्पात संयंत्रों में भी इस प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) सेल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधीन तीन आधुनिकीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं में लागत कुछ अधिक रही है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

परियोजना	अनुमोदित लागत अनुमान	प्रत्याशित लागत*	अधिक लागत
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2268 (आधार तारीख: 1988 की तीसरी तिमाही)	4372	1704
राउरकेला इस्पात संयंत्र	3954 (आधार तारीख: 1992 की प्रथम तिमाही	4185	231
बोकारो इस्पात संयंत्र	1793 (आधार तारीख: 1994 की प्रथम तिमाही)	1998	205

*सेल के वित्तीय पुनर्गठन के बाद प्राप्त

उपर्युक्त को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में सरकार द्वारा कोई प्रमुख आधुनिकीकरण परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि प्रौद्योगिकीय आवश्यकता, निधियों की उपलब्धता और बाजार की मांग के आधार पर मौजूदा सुविधाओं में अनिवार्य प्रतिस्थापन, संशोधन और उन्नयन किया गया है।

इस्पात इकाइयों को बंद किया जाना

1451. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में कुछ इस्पात इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका आंशिक कारण ईंधन अधिभार को बढ़ाने का प्रस्ताव है जो कि इन इस्पात इकाइयों से वसूला जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इस विवाद को निपटाने के लिए और इन इकाइयों को बंद होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सरकार को कुछ राज्यों में कुछ इस्पात इकाइयां, जो बन्द होने के कगार पर हैं, के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

1452. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू सत्र के आरंभ में देश के विभिन्न भागों में स्थित लगभग 775 केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 6 से 7 प्रतिशत तक पद रिक्त पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले सत्र में ऐसे बहुत से पदों को समाप्त कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चयन सूची द्वारा श्रेणी-वार कितने पदों को भरा जाना है; और

(ङ) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालयों के बंद किये जाने/विलयन के कारण करीब 970 कर्मचारी अतिरिक्त हो गये और उन्हें अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर तैनात कर दिया गया है। 1 नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, करीब 487 स्नातकोत्तर शिक्षकों, 549 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, 172 प्राथमिक शिक्षकों तथा 535 अन्य शिक्षकों (हैडमास्टरों सहित) के पद रिक्त थे। राज्यवार रिकार्ड नहीं रखे जाते। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है तथा यह अंतिम चरण में है। तथापि उक्त प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती, शिक्षकों की सतत उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये संविदा आधार पर तथा अंशकालिक आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

शैक्षिक संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता में कटौती

1453. डा. संजय पासवान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की है और इन संस्थाओं को स्वयं धन जुटाने का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नयी व्यवस्था के परिणामस्वरूप शिक्षा महंगी होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) जी, नहीं। वित्तीय सहायता मांग और संसाधनों की कुल उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है। तथापि शैक्षिक संस्थाओं को यथासंभव आंतरिक संसाधनों की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाने का सरकार का निरंतर प्रयास रहता है। आठवीं योजना में 8522 करोड़ रु. के व्यय की तुलना में 9वीं योजना के लिए शिक्षा पर केन्द्रीय योजनागत आवंटन 24908 करोड़ रु. है। इसका अर्थ 192 प्रतिशत की वृद्धि है। 5449.04 करोड़ रु. के चालू वर्ष के केन्द्रीय योजनागत परिव्यय में 4700.00 करोड़ रु. के विगत वर्ष के योजनागत परिव्यय की तुलना में 16% की वृद्धि है।

[अनुवाद]

आई.एस.ओ. द्वारा प्रमाणन

1454. श्री उत्तम राव ढिकले : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी उर्वरक इकाइयों को आई.एस.ओ. 14000 प्रमाणन प्राप्त करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी उर्वरक इकाइयों ने आई.एस.ओ. प्रमाणन वस्तुतः प्राप्त कर लिया है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) उर्वरक विभाग ने सभी रुग्ण एककों एवं फर्टिलाइजर

एसोशिएशन आफ इंडिया के अलावा सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सहकारी समितियों को आइएसओ 14000 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयत्न करने के लिए लिखा था।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दस एककों ने आइएसओ 14000 प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

(ग) इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन उद्योग

1455. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितने पेट्रो-रसायन उद्योग चल रहे हैं;

(ख) 30 सितंबर, 2000 की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र के व्यक्तियों से राज्य में पेट्रो-रसायन और सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस प्रस्तावों की शीघ्र मंजूरी पुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर महाराष्ट्र में स्थित 24 पेट्रो रसायन उद्योग हैं, जिसमें से इस समय 21 में उत्पादन हो रहा है।

(ख) 30 सितम्बर, 2000 तक केन्द्र सरकार को या तो महाराष्ट्र सरकार से या व्यक्तियों से राज्य में पेट्रो रसायन और सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा के लिए पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय सहायता

1456. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च शिक्षा के लिए पिछड़े वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से ऐसी सहायता दी गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस अनुदान का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग उच्चतर अध्ययन के लिए पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान प्रदान नहीं करता है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए पात्र विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पेयजल परियोजनाएं

1457. श्री एच.जी. रामुलू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में नीदरलैंड की सहायता से पेयजल परियोजनाएं प्रारंभ की गयी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में उक्त योजनाओं को पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, 88.71 करोड़ रुपए की लागत से धारवाड़, गडग, हावेरी, बीजापुर तथा भागलकोट जिलों सहित कर्नाटक के 5 जिलों में 201 समस्याग्रस्त गांवों को कवर करके नीदरलैंड सरकार की सहायता से समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना शुरू की गई है। नीदरलैंड सरकार से 52.62 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त की है। परियोजना 1993 में शुरू हुई थी।

(ग) और (घ) परियोजना पूरी हो चुकी है किन्तु कुछ गांवों में स्रोतों के छीजने की वजह से योजनाओं को पूर्ण करके सौंपने का कार्य पूरी तरह से नहीं किया गया है, जिसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की गई है, बोरवैल खोद लिए गए हैं तथा इसको लगाने और ग्राम समितियों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ओमान सरकार द्वारा निवेश

1458. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमान सरकार का विचार भारत में उर्वरक परियोजनाओं में निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर इन परियोजनाओं को स्थापित किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) ओमान सरकार से भारत में उर्वरक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सी.सी.एल. में घाटा

1459. श्री रामजी मांझी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उत्पादन में वृद्धि के बावजूद सी.सी.एल. अब भी घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सी.सी.एल. को कितना घाटा हुआ;

(घ) सरकारी कोयला कंपनियों में से कितनी घाटे में चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इनके घाटों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) को 1994-95 से घाटा होता रहता है। गत तीन वर्षों के दौरान सीसीएल के वार्षिक घाटे का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

वर्ष	सीसीएल का घाटा (रु. करोड़ में)
1997-98	85.67
1998-99	149.35
1999-2000	121.24

सीसीएल के घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

(1) उच्च श्रेणी के कोयला भंडार के मुकाबले निम्न श्रेणी के कोयला भंडार से उत्पादन का शेयर बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप खराब मिश्रित उत्पाद हुआ है।

(2) गत तीन वर्षों के दौरान पुराने विविध देनदारों के नाम लगभग रु. 215 करोड़ की राशि बट्टे खाते डाली गई/समायोजित की गई जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को घाटा उठाना पड़ा।

(3) भूमि अर्जन, वनभूमि के लिए अनुमति मिलने तथा गांवों के पुनर्वास में हुए विलम्ब के कारण व्यावहारिक कोयला भंडार कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप अधिक कोयले का उत्पादन नहीं किया जा सका।

(4) व्यावहारिक कोयला भंडार की कमी हो जाने के कारण मध्यम श्रेणी का कोककर कोयले का उत्पादन कम हो गया जिसके फलस्वरूप वाशरीज (धुलाई घरों) का अल्प प्रयोग किया गया।

(5) सीसीएल में सात क्षेत्र ऐसे हैं जो पुराने हैं और जिनमें कोयले का कम उत्पादन करने वाली खानें हैं तथा कामगारों की संख्या बहुत अधिक है। ''उत्पादित जनशक्ति'' के इस प्रतिकूल अनुपात का प्रभाव कंपनी की लाभप्रदता पर पड़ रहा है।

(6) अत्यधिक संख्या में पुराने उपस्करों के कारण सीसीएल में हैवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम) बहुत पुरानी हो गई है जिसके परिणामस्वरूप उसकी उपलब्धता और उपयोग बहुत कम हो गया है।

(7) सीसीएल की गैर-किफायती भूमिगत खानों में कामगारों की संख्या बहुत अधिक है।

(घ) सीसीएल के अतिरिक्त कोल इंडिया लि. को अन्य दो और सहायक कंपनियां अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) घाटे में चल रही हैं। इन दो कंपनियों में घाटे के मुख्य कारण ये हैं (1) अधिक संख्या में छोटी-छोटी भूमिगत खानों (भू.ग.) का होना जिनमें से अधिसंख्य खानों को राष्ट्रीयकरण के दौरान अधिकार में लिया गया था। ऐसी खानें उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के योग्य नहीं रह गई हैं, (2) कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि की तुलना में भूमिगत खानों से कोयले का कम उत्पादन, (3) फालतू जनशक्ति तथा (4) भू-खनन की प्रतिकूल स्थितियां तथा भूमि अर्जन की समस्या और भूमि-विस्थापितों का पुनर्वास जिसके परिणामस्वरूप कुछ बड़ी कोयला खानों से कोयला उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

(ङ) फरवरी, 1996 से सरकार ने सीआईएल के पूंजीगत पुन: संरचना का कार्यक्रम अनुमोदित किया जिसके अनुसार सीआईएल की रु. 2228.57 करोड़ की पुरानी देयताओं पर बकाया ब्याज की छूट दी गई है। इसके लिए उनको अंशत: अधिमान ईक्विटी में परिवर्तित किया गया और अंशत: वापसी तथा उपचित ब्याज को अधिस्थगित किया गया। ये लाभ घाटे में चल रही अन्य सहायक कंपनियों यथा-ईसीएल और बीसीसीएल को भी दिया गया। इसके अतिरिक्त ईसीएल और बीसीसीएल की घाटे में चल रही कंपनियों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सीआईएल ने अपनी सहायक कंपनियों में ईक्विटी की आंतरिक पुन:संरचना तथा ऋण संरचना लागू की थी जिनके आधार पर ईसीएल के 994 करोड़ रु. बीसीसीएल के 1180.70 करोड़ रु. के ऋणों को ईक्विटी में बदला गया। घाटे में चल रही कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के अनेक उपाय किए जाने के बावजूद इन कंपनियों को घाटा होता रहा। अतएव, अधिकृत कंपनी कोल इंडिया लि. ने ईसीएल के पुनरुद्धार के उपाय सुझाने के वास्ते भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई) को नियुक्त किया। ईसीएल के पुनरुद्धार से संबंधित आईसीआईसीआई की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जहां तक बीसीसीएल और सीसीएल का संबंध है, सीआईएल के बड़े बीसीसीएल तथा सीसीएल के लिए पुनरुद्धार योजनाओं का सुझाव देने के वास्ते क्रमश: आईसीआईसीआई तथा आईडीबीआई को नियुक्त किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता

1460. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार को राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) इन प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और इनके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी;

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) देश में इस समय कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण स्वच्छता योजना की क्या स्थिति है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1999-2000 के दौरान केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त राज्यवार प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान अनुमोदित राज्यवार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों में से अब तक 53 प्रस्ताव अनुमोदित किये जा चुके हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत परियोजना प्रस्तावों पर राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा नियमित रूप से विचार किया जाता है तथा इसके निर्णय के अनुसार परियोजनायें मंजूर की जाती हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांवों के लिए प्राप्त कुछ परियोजना प्रस्तावों पर निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण विचार नहीं किया जा सका। संपूर्ण स्वच्छता अभियान वाली कुछ परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वे चयनित प्रायोगिक जिलों के लिए नहीं हैं।

(घ) केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

1999-2000 तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त और अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000			2000-2001		
	परियोजनाओं की संख्या		अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रुपए में)	परियोजनाओं की संख्या		अनुमोदित परियोजना लागत (लाख (रुपये में)
	प्राप्त	अनुमोदित		प्राप्त	अनुमोदित	
आंध्र प्रदेश	7	5	6705.38	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	2	2	494.81	-	-	-
असम	3	3	660.18	-	-	-
बिहार	2	2	3684.45	-	-	-
गुजरात	3	3	1819.64	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	3	2	1531.31
हिमाचल प्रदेश	1	1	133.13	1	-	-
कर्नाटक	3	3	2753.59	-	-	-
केरल	6	3	279.76	2	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	5	5	3901.10
महाराष्ट्र	8	4	5657.14	4	-	-
मणिपुर	-	-	-	1	-	-
नागालैण्ड	-	-	-	3	1	228.04
उड़ीसा	3	3	6144.41	-	-	-
राजस्थान	4	4	7553.44	1	-	-
सिक्किम	2	2	98.60	-	-	-
तमिलनाडु	5	4	5102.50	3	-	-
त्रिपुरा	-	-	-	1	-	-
उत्तर प्रदेश	4	4	3390.13	6	1	343.06
पश्चिम बंगाल	1	-	-	2	1	2769.08
कुल	54	43	44457.16	32	10	8772.59

एस.ई.सी.एल. द्वारा समुदाय विकास योजना

1461. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान समुदाय विकास योजना के अंतर्गत साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा कितने धन का उपयोग किया गया;

(ख) क्या मंजूर की गयी धनराशि का उचित उपयोग न किया जा सका और यह धनराशि व्यपगत हो गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) द्वारा उपयोग किये गए धन का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)

1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 सितम्बर, 2000 तक (अनंतिम)
0.61	1.59	2.36	0.61

(ख) से (घ) जी, नहीं। यदि किसी वर्ष विशेष के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन कोई कार्य पूरा नहीं होता है तो उसे कार्यान्वयन के लिए सदैव उत्तरवर्ती वर्ष में अग्रेनीति किया जाता है। अत: सामुदायिक विकास के लिए संस्वीकृत धन का न उपयोग करने और किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली

1462. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परियोजनाओं में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

(ङ) क्या शिक्षकों को अंक पर आधारित प्रणाली के स्थान पर ग्रेड पर आधारित प्रणाली का अभ्यस्त बनाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) इस समय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) परीक्षा परिणामों को अंकों और ग्रेडों, दोनों ही दृष्टिकोणों से घोषित करने की प्रणाली अपना रहा है। सी.बी.एस.ई. ने कक्षा 10 की परीक्षा में अंकों का उल्लेख किये बिना विषयवार ग्रेडों को जारी करने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया है। ग्रेडिंग की प्रस्तावित प्रणाली में परीक्षार्थियों की उत्तीर्णता/असफलता को निर्धारित अंकों के आधार पर घोषित करने के बजाए विषय-वार ग्रेडों के दृष्टिकोण से परिणामों की घोषणा करने की व्यवस्था है। निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कूलों, शिक्षक समुदाय, माता-पिता के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालयों और अन्य बोर्डों के साथ सी.बी.एस.ई. और एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मानचित्र तैयार करना

1463. **श्री पी.आर. खूंटे :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से शहरी क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करने के कार्य को पूरा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य के लिए क्या मानदंड निर्धारित करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) राज्य सरकारों को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा 8वीं योजना अवधि में 25 शहर प्रति चरण के हिसाब से 50 शहरों

के लिये प्रायोगिक आधार पर दो चरणों में शहरी मानचित्रण स्कीम हाथ में ली गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोगों हेतु तथा केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर नगर नियोजन संगठनों की तकनीकी क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने के मानचित्र तैयार करना था। पहले चरण में 6 राज्यों के 25 कस्बे चुने गए। हवाई फोटोग्राफी और मानचित्रण राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) को सौंपा गया।

दूसरे चरण में, राज्य सरकारों के परामर्श से 9वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 28 कस्बों का निर्धारण किया गया है। इनमें से 13 कस्बों का काम एन.आर.एस.ए. को सौंपा गया है। फेज-1 व 2 में शामिल कस्बों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

स्कीम के तहत पहले चरण में निर्मित नक्शे (मानचित्र) संबंधित राज्य के नगर नियोजन विभागों को भेज दिये गये हैं ताकि न केवल मास्टर प्लान को अद्यतन करने में उनका इस्तेमाल किया जा सके अपितु विभिन्न उपयोगिता एजेंसी द्वारा भी इनका उपयोग किया जा सके।

विवरण

चरण-1 शहर

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	शहर	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	1.	तिंदीवनम	पूर्ण हुए
		2.	नागपट्टीनम	पूर्ण हुए
		3.	करईकुडी	पूर्ण हुए
		4.	तिरूचेन्दुर	पूर्ण हुए
		5.	राजापलयम	पूर्ण हुए
2.	उत्तर प्रदेश	1.	आगरा	पूर्ण हुए
		2.	फैजाबाद	पूर्ण हुए
		3.	नैनीताल	पूर्ण हुए
3.	उड़ीसा	1.	भुवनेश्वर	पूर्ण हुए
		2.	पूरी	पूर्ण हुए
4.	गुजरात	1.	वलसाद	पूर्ण हुए
		2.	भरूच	पूर्ण हुए
		3.	सुरेन्द्र नगर	पूर्ण हुए
		4.	पोरबन्दर	पूर्ण हुए
		5.	भेरावाल	पूर्ण हुए
5.	महाराष्ट्र	1.	कल्याण एवं उल्हास नगर	पूर्ण हुए
		2.	शोलापुर	पूर्ण हुए
		3.	नान्देद	पूर्ण हुए

1	2	3	4	5
		4.	नागुपर	पूर्ण हुए
		5.	रत्नागिरी	पूर्ण हुए
		6.	अकोला	पूर्ण हुए
6.	आन्ध्र प्रदेश	1.	नन्दयाल	पूर्ण हुए
		2.	खम्माम	पूर्ण हुए
		3.	गुडीवाड़ा	पूर्ण हुए
		4.	भीमावरम	पूर्ण हुए

फेज-2 शहर

1.	कर्नाटक	1.	मंगलौर	हवाई फोटोग्राफी प्राप्त
		2.	मैसूर	हवाई फोटोग्राफी प्राप्त
2.	प. बंगाल	3.	आसनसोल	सुरक्षा अनुमति नहीं
		4.	सिलीगुड़ी	सुरक्षा अनुमति नहीं
3.	मध्य प्रदेश	5.	भोपाल	हवाई फोटोग्राफी प्राप्त
		6.	इंदौर	हवाई फोटोग्राफी प्राप्त
4.	राजस्थान	7.	अजमेर	उड़ान पूर्ण
		8.	बीकानेर	हवाई फोटोग्राफी प्राप्त
5.	हरियाणा	9.	अम्बाला	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
		10.	गुडगांव	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
6.	पंजाब	11.	मुक्तसार	हवाई फोटोग्राफी प्राप्त
		12.	मोगा	हवाई फोटोग्राफी प्राप्त
7.	मेघालय	13.	शिलोंग	उड़ान पूर्ण
8.	सिक्किम	14.	गंगटोक	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
9.	चण्डीगढ़	15.	चण्डीगढ़	टेडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
10.	असम	16.	गुवाहाटी	सुरक्षा अनुमति नहीं
11.	केरल	17.	कोच्ची	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
		18.	तिरूवनंतपुरम	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
12.	बिहार	19.	गया	टेंडर क्वालीफिकेशन के बाद
		20.	छपरा	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद

1	2	3	4	5
13.	पांडिचेरी	21.	पांडिचेरी	उड़ान पूर्ण
14.	गोवा	22.	पणजी	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
15.	हिमाचल प्रदेश	23.	हमीरपुर	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
		24.	मण्डी	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
16.	अरुणाचल प्रदेश	25.	इटानगर-नाहरलगुन	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
17.	मिजोरम	26.	आइजोल	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
18.	नागालैंड	27.	कोहिमा	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद
19.	त्रिपुरा	28.	अगरतला	टेंडर प्री-क्वालीफिकेशन के बाद

नोट: मोटे अक्षरों में लिखे कस्बों के नाम एन.आर.एस.ए. को भेज दिए गए हैं।

[अनुवाद]

आई.आई.आई.टी., हैदराबाद को विश्वविद्यालय का दर्जा

1464. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार बल की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में, 1998 में राजपत्र-अधिसूचना जारी कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आई.आई.आई.टी., हैदराबाद को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है। या की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय कार्यबल और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के संबंध में साफ्टवेयर विकास पर सिफरिशों को स्वीकार कर लिया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

सूखा-प्रवण क्षेत्रों को सहायता

1465. श्री एस.पी. लेपचा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1950, 1960 1980 और 1990 के दशकों के दौरान देश में सूखा-प्रवण क्षेत्र का कुल-क्षेत्रफल कितना था;

(ख) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में सूखे की स्थिति को रोकने के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों को सर्वप्रथम वर्ष 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आरंभ करने पर अभिज्ञात किया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए अपनाए गए मानदंड में परिवर्तन किए जाने के कारण वर्ष 1995-96 में इस कार्यक्रम की कवरेज में भी परिवर्तन हो गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी पुराने मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत मानदंड के द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए केवल 55.3 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई थी। तत्पश्चात् एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति (हनुमंत राव समिति, 1994) ने इस कार्यक्रम की कवरेज में से हटाए जाने के लिए कुछेक मौजूदा कार्यक्रम क्षेत्रों को

अभिज्ञात करने के साथ-साथ इस कार्यक्रम में शामिल करने हेतु कुछेक नए क्षेत्रों को भी अभिज्ञात किया था। तथापि, सरकार द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए अभिज्ञात नए क्षेत्रों को शामिल करने और कार्यक्रम के तहत पहले शामिल किए जा चुके किसी भी क्षेत्र को न हटाने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया था क्योंकि सूखे से बचने के लिए इन क्षेत्रों को पूर्णतया विकसित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 1.4.95 से वाटरशेड विकास के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाएं जाने से कार्यक्रम के तहत कुल कवरेज क्षेत्र बढ़कर 76.4 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) को आरंभ किए जाने से लेकर 1994-95 तक क्षेत्र आधार पर कार्यान्वित किया गया था। इस अवधि के दौरान विकास के मुख्य क्षेत्रों नामत: भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास और वनीकरण/चरागाह विकास के तहत 57.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित किए जाने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1995-96 से इस कार्यक्रम को गांव स्तर पर लोगों को अपने संगठनों के जरिए पूर्णतया वाटरशेड परियोजना आधार पर वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 से लेकर 1999-2000 तक की अवधि के दौरान 41.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के कार्यक्रम के तहत 8335 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) वर्ष 1973-74 से लेकर वर्ष 1999-2000 तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 2715.65 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 1368.69 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 1346.96 करोड़ रुपये का राज्यों का भाग शामिल है।

[हिन्दी]

दूरवर्ती शिक्षा

1466. श्री सुरेश चन्देल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दूरवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार अब तक कितने मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या उनकी संख्या पर्याप्त है और वे अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में प्रस्तावित नए उपाय क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। दूरस्थ शिक्षा परिषद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसे दूरस्थ तथा मुक्त शिक्षा प्रणाली के संवर्धन समन्वयन तथा मानकों को बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। दूरस्थ शिक्षा परिषद राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों तथा परंपरागत विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थाओं को विकासात्मक अनुदान भी प्रदान करती है।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के अलावा, इस समय आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक-एक करके नौ राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं।

(ग) और (घ) दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मांग बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक बड़े राज्य में एक मुक्त विश्वविद्यालय होना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा परिषद राज्य सरकारों से पहले ही आग्रह कर चुकी है कि वे नए राज्य मुक्त विश्वविद्यालय खोलें।

[अनुवाद]

दमन और दीव में तदर्थ आधार पर कार्यरत कार्मिक

1467. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न विभागों में तदर्थ आधार पर की जा रही नियुक्तियों के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन विभागों में ऐसे कार्मिकों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने संबंधित विभाग में तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक सेवा कर ली है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) दमण और दीव प्रशासन को प्रशासनिक समीचीनता के आधार पर कतिपय मामलों में, समय-समय पर, तदर्थ आधार पर नियुक्तियां/प्रोन्नतियां करनी पड़ी थी।

(ग) तदर्थ आधार पर नियुक्त/प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों को नियमित करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसे मौजूदा अनुदेशों/नियमों के अनुसार किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/ कार्मिकों द्वारा भ्रष्टाचार

1468. श्री राममोहन गाड्डे :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री शिवाजी माने :
श्री नवल किशोर राय :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री रामदास आठवले :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री रामजी मांझी :
श्री रघुनाथ झा :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 2000 के "दैनिक जागरण" समाचार पत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और कार्मिकों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के विषय में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट किये गये तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सी.बी.आई. इस संबंध में जांच कर रही है और उसने दि.वि.प्रा. परिसरों में छापे मारे हैं;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति तक, तत्संबंधी मामले का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दि.वि.प्रा. के कार्मिकों ने उस भूमि को किन्हीं व्यक्ति विशेष को बेच दिया है, जिसे पूर्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग को आवंटित किया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए दि.वि.प्रा. कर्मचारियों/कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण को सुधारने और वहां से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सरकार प्रश्नगत समाचार से अवगत है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, फ्लैटों की बहाली/आबंटन में हुई अनियमितताओं की खबरों/शिकायतों पर प्रारंभिक जांच-पड़ताल की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टि में यह पाया गया कि कुछ एस.एफ.एस. फ्लैटों की बहाली/आबंटन में तथा धन वापसी के भी कुछ मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हुई थीं। प्रारंभिक जांच के आधार पर 8 डी.डी.ए. कार्मिकों को 28.9.2000 को निलम्बित कर दिया गया तथा इन सभी मामलों को आगे जांच पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है।

इसी तरह की शिकायतों के संबंध में सी.बी.आई. ने भी 9 डी.डी.ए. अधिकारियों तथा 4 प्रापर्टी डीलरों के घरों तथा कार्यालयों पर 10.11.2000 को छापे मारे और सभी 9 डी.डी.ए. अधिकारियों के निलम्बन की सिफारिश की। इसमें पहले से निलम्बित 3 अधिकारी शामिल हैं। शेष 6 अधिकारी भी निलम्बित कर दिए गए हैं। सी.बी.आई. मामले की जांच कर रही है।

(ङ) से (छ) डी.डी.ए. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को 24.9.1976 को 2 एकड़ का एक प्लाट आबंटित और सुपुर्द किया गया था। के.वी.आई.सी. ने 1983 में सूचित किया कि उस भूमि पर झुग्गियों का अतिक्रमण है। के.वी.आई.सी. के लोक संगठन होने के नाते डी.डी.ए., पुनर्स्थापना खर्च के भुगतान पर भूमि से अतिक्रमण हटाने में मदद के लिए सहमत हुआ। किन्तु झुग्गी निवासी मामले को न्यायालय में ले गए और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ स्थगन आदेश ले लिया। डी.डी.ए. ने प्लाट कभी भी किसी भी निजी व्यक्ति को नहीं बेचा।

(ज) सरकार, भ्रष्टाचार के दायरे को कम करने की दृष्टि से निवारक और परिपालन उपायों के जरिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की जरूरत पर लगातार जोर देती आ रही है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का दायरा कम करना, ज्यादा पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना; सम्पत्ति से जुड़े मामलों, अवैध और अनधिकृत निर्माणों आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना और कदाचार के दोषी पाये गये कार्मिकों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करना। इस संबंध में डी.डी.ए. ने प्रबंध सूचना प्रणाली को मजबूत करने, आबंटन/कब्जा पत्र जारी करने, फ्लैटों की बहाली/आबंटन प्रक्रिया को दुरुस्त करने, कम्प्यूटरीकरण तथा लॉट के ड्रॉ में कम्प्यूटर का उपयोग करने, निदेशक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा पाक्षिक (बाई-वीकली) सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने आदि उपाय किए हैं।

आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए नीति

1469. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी दलों/अपहरणकर्ताओं, जो अब तक सरकार के साथ ब्लेकमेल करते और आतंक फैलाते हैं, से बातचीत करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नीति संसद के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी पेयजल मिशन

1470. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत निर्माण-कार्य के पूरा होने के लिए कितनी समयावधि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस निर्माण-कार्य में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकारों द्वारा देश की ग्रामीण बसावटों के लिए राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। अलग-अलग ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, मंजूर तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित अलग-अलग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संदर्भ में कार्य निर्माण के पूरा होने के समय जैसे ब्यौरे केवल राज्य सरकार द्वारा ही रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं के विकास पर कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन

1471. श्री अनन्त नायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगछनों द्वारा उनसे संबंधित क्षेत्रों में क्या-क्या कदम उठाए गये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याणार्थ विभाग के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के निष्पादन का विभिन्न स्तरों पर साथ-साथ मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उनके कार्य का निरीक्षण किया जाता है तथा वास्तविक और वित्तीय कार्यक्रमों को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है। कार्यक्रमों के प्रभावों का स्वतंत्र अनुसंधान तथा अन्य संगठनों के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए योजनाएं

1472. श्री साहिब सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वयं-सेवा समूहों के माध्यम से महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के घटक क्या-क्या हैं और इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। इन्दिरा महिला योजना स्व-सहायता दलों के माध्यम से महिलाओं को शक्ति-सम्पन्न बनाने की स्कीम है।

(ख) इस स्कीम के घटक हैं (1) अन्तर-क्षेत्रीय सेवाओं का संकेन्द्रण; (2) आयोत्पादन गतिविधियां तथा (3) जागरूकता विकास/शिक्षा की सतत् प्रक्रिया।

आशा है कि इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत दल गतिविधियों से महिलाओं को पंचायतों, ग्राम समितियों जैसे ग्राम-स्तरीय निकायों की गतिविधियों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा। इस कार्यनीति के के अन्तर्गत, बुनियादी स्तर पर स्व-सहायता दलों में महिलाओं की विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों तक भी पहुंच होगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक-संयंत्र

1473. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सरकारी क्षेत्र के राज्य-वार कुल कितने उर्वरक-संयंत्र हैं;

(ख) तत्संबंधी कुल उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(ग) इनमें से कितने संयंत्र पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) अक्टूबर, 2000 तक उन्होंने कुल कितना घाटा उठाया और साथ ही इस अवधि तक इनमें कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के उर्वरक एककों की राज्यवार संख्या एवं उनकी उत्पादन क्षमता नीचे दी गयी है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	संयंत्रों की संख्या	वार्षिक स्थापित क्षमता ('000 मी. टन में)	
			नाइट्रोजन	फॉस्फेट
1.	आसाम	2	198.1	0.0
2.	बिहार	1	151.8	0.0
3.	हरियाणा	1	235.3	0.0
4.	केरल	3	3254	131.9
5.	मध्य प्रदेश	2	785.2	0.0
6.	महाराष्ट्र	4	955.0	120.1
7.	उड़ीसा	2	249.6	331.2
8.	पंजाब	3	467.1	0.0
9.	तमिलनाडू	2	347.5	142.8
	कुल	20	3715.0	726.0

(ग) और (घ) एच.एफ.सी., एफ.सी.आई., पी.पी.सी.एल., एवं पी.पी.एल., चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जो विगत तीन वर्षों से लगातार हानि उठा रहे हैं। अक्टूबर 2000 तक उनके द्वारा उठायी गयी हानियां एवं उनमें सरकार द्वारा साम्य के रूप में किये गये पूंजी निवेश नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	संचित हानियां 31.3.2000 को	31.10.2000 को अन्तरिम	31.10.2000 तक सरकारी साम्य
1.	एच.एफ.सी.	4192.07	4565.41	776.11
2.	एफ.सी.आई.	5904.11	6473.80	746.74
3.	पी.पी.सी.एल.	245.50	260.26	95.40
4.	पी.पी.एल.	424.43*	469.81	341.65

*वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने वाले लेखें।

[अनुवाद]

राजीव गांधी पेयजल मिशन

1474. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार द्वारा प्रेषित पेयजल व सफाई संबंधी परियोजनाओं तथा राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है अत: देश की ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेय जल आपूर्ति करने वाली योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। अपनी-अपनी ग्रामीण जल आपूर्ति योजना तैयार करने, स्वीकृत करने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। इसीलिए, राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का ब्यौरा और उनके तहत प्राप्त उपलब्धियों को केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

तथापि, उड़ीसा राज्य के पहचान किए गए निम्नलिखित जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र सुधार परियोजनाओं और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान संबंधी परियोजनाओं से संबंधित उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं:

क्र.सं.	प्रायोगिक जिले के नाम	स्वीकृत परियोजना की लागत (लाख रु. में)
	ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (क्षेत्र सुधार परियोजना)	
1.	सुन्दरगढ़	4000.00
2.	बालासोर	4000.00
	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)	
1.	सुन्दरगढ़	2019.38
2.	गंजम	2062.51
3.	बालासोर	2062.52

बालासोर ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र सुधार परियोजना को छोड़कर उपर्युक्त ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र सुधार परियोजना से संबंधित निधियां वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत में और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार/जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी कर दी गयी थी। बालासोर ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र सुधार परियोजना की पहली किस्त अभी जारी होनी है। चूंकि इन परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन अभी शुरू हुआ है अथवा शुरू होना है इसलिए इस स्तर पर उपलब्धियों का आकलन कराना जल्दबाजी होगी। गंजम जिले के संबंध में प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र सुधार परियोजना अनुमोदित नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

पॉलीटेक्नीक-महाविद्यालयों के लिए विश्व-बैंक सहायता

1475. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक, पॉलीटेक्नीक महाविद्यालयों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता राशि का प्रत्येक राज्य में किस प्रकार उपयोग किया जाता है और इस संबंध में श्रेणी-वार प्राथमिकता क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के संबंध में सरकार का पिछड़े, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित योजना को किस वर्ष तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) तकनीशियन शिक्षा पद्धति की क्षमता में विस्तार, गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा दक्षता बेहतर बनाने के लिये विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1990-99 के दौरान यह सहायता प्राप्त हुई जिससे 532 पॉलीटेक्नीक लाभान्वित हुए हैं। इस वित्तीय सहायता से अन्य छात्रों के साथ-साथ छात्राएं तथा वंचित वर्गों के छात्र लाभान्वित हुए। पूर्ववर्ती तकनीशियन शिक्षा परियोजनाओं में जिन राज्यों को शामिल नहीं किया जा सका उन्हें शामिल करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2000 में विश्व बैंक के साथ एक करार सम्पन्न किया गया है जिसमें और 8 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों यथा अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अंडमान तथा निकोबार के लिए ऐसी ही सहायता की व्यवस्था है। इससे मुख्यत: देश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र लाभान्वित होंगे जिनमें मुख्य रूप से जनजातीय लोग और वंचित वर्गों के छात्र रहते हैं।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों द्वारा उपाधियां प्रदान करना

1476. श्री रामशेठ ठाकुर :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों में से केवल 138 को ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के तहत अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में अधिसूचित की गई उन उपाधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई विश्वविद्यालय उन विषयों की भी उपाधियां प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नामनिर्दिष्ट नहीं किया है;

(घ) यदि हां, ऐसे विषयों और विश्वविद्यालयों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. में खानों को बन्द करना

1477. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) ने अपनी 13 कोयला खानों, को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) ई.सी.एल. की खानों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या बिहार के मुगना क्षेत्र में उच्च मूल्य की मशीनरी को नुकसान पहुंचाने दिया गया;

(च) क्या इस संबंध में जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) ईसीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 22.10.98 को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया था कि कंपनी के छह क्षेत्रों यथा-पंडवेश्वर (कोठाडीह भूमिगत तथा ओपन कास्ट को छोड़कर), सतग्राम, श्रीपुर, सोदेपुर, सालनपुर और मुग्मा में स्थित 64 खानों को बंद कर दिया जाए। ईसीएल बोर्ड ने यह निर्णय लम्बे समय

से चली आ रही कंपनी की वित्तीय समस्याओं के संदर्भ में तथा उन खानों के संबंध में, जिनका आगे किफायती उपयोग नहीं किया जा सकता था, विस्तृत मूल्यांकन पर विचार करने के बाद लिया था। 22-10-98 को ईसीएल बोर्ड द्वारा पारित संकल्प पर विभिन्न मंचों में जिनमें केन्द्रीय मजदूर संघ, पश्चिम बंगाल सरकार तथा केन्द्र सरकार शामिल हैं, चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। इन चर्चाओं के आधार पर यह महसूस किया गया कि एक ऐसे पुनरुद्धार कार्यक्रम को स्वीकृत करना बेहतर होगा जिसके आधार पर खानों को बंद न किया जाए और कामगारों की छंटनी न की जाए। तदनुसार, आईसीआईसीआई द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने तक 25.11.98 को कलकत्ता में आयोजित की गई पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री की एक बैठक में एक अंतरिम योजना तैयार की गई थी। इस योजना पर ईसीएल के सभी मजदूर संघों की संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीसी) के साथ चर्चा की गई। लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। मजदूर संघों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस विषय पर कोयला मंत्रालय, सीआईएल तथा ईसीएल द्वारा आगे और चर्चा की गई तथा एक आशोधित पैकेज तैयार किया गया। यद्यपि इस आशोधित पैकेज के संबंध में सीआईएल और ईसीएल तथा मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार की अध्यक्षता में संयुक्त परिवीक्षण समिति के स्तर पर अनेक चर्चाएं आयोजित की गई परन्तु मजदूर संघों ने उक्त योजना को स्वीकार नहीं किया।

(घ) सीआईएल ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) की सभी खानों के कार्यक्रम का अध्ययन करने तथा कंपनी के पुनरुद्धार हेतु योजना तैयार करने के लिए मैसर्स आईसीआईसीआई को नियुक्त किया जो देश की एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्था है। आईसीआईसीआई की अंतिम रिपोर्ट की जांच कोयला मंत्रालय में कर दी गई है। भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईसीएल के पुनरुद्धार कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) सितम्बर, 2000 में भारी वर्षा के कारण शावेल एक पुराना पानी में डूब गया। आशा की जाती है कि यह शावेल जनवरी, 2001 तक ठीक हो जाएगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न के भाग (च) के लिए दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कोयला क्षेत्र के लिए ए.पी.एम.

1478. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार से कोयला क्षेत्र के लिए निर्धारित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) को समाप्त करने तथा औद्योगिक विकास में गिरावट को रोकने के लिए लघु उद्योगों के कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र से बाहर लाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कोयला क्षेत्र के लिए ए.पी.एम. समाप्त करने से देश में कोयले के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, नहीं। कोयला मंत्रालय को भारतीय उद्योग परिसंघ से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कोयला क्षेत्र के लिए निर्धारित मूल्यतंत्र (ए.पी.एम.) को समाप्त करने या औद्योगिक विकास में गिरावट को रोकने के लिए लघु उद्योगों के कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र से बाहर लाने का अभ्यावेदन किया गया हो।

(ग) और (घ) कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 का अधिक्रमण करते हुए 1 जनवरी, 2000 से कोयला खान नियंत्रण आदेश, 2000 की अधिसूचना जारी करने के बाद सभी श्रेणी कोयले की कीमतों को पूर्णतः विनियंत्रित कर दिया गया है। कोयला खान नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत केन्द्रीय सरकार को कोयले की कीमत निर्धारित करने का अधिकार नहीं है।

कोयले की कीमतों का विनियंत्रण मार्च, 1996 से चरणबद्ध ढंग से शुरू किया गया था और तभी से देश में कोयले के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है जो इस प्रकार है:-

देश में कोयले का उत्पादन - मिलियन टन में

1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
286.08	297.17	292.27	300.03

नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना

1479. श्री के. येरननायडू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली समूची नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये किसी विदेशी एजेंसी की सेवायें लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 1996 में रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित अधिकारियों के एक ग्रुप ने जम्मू एवं कश्मीर सीमा के माध्यम से आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों, गोला बारूद तथा विस्फोटकों की तस्करी को नियंत्रित करने के उपायों की जांच की थी। यह ग्रुप इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि क्षेत्र के उबड़-खाबड़ स्वरूप, नदियों के कारण अंतराल, नालों और दरियाओं की वजह से, नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों के तस्करों और अलगाववादियों के बीच गठजोड़

1480. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के तस्करों और अलगाववादियों के बीच कोई गठजोड़ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान आतंकवादियों और नशीले पदार्थों के तस्करों को सहायता दे रहा है; और

(घ) यदि हां तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के तस्करों और अलगाववादियों के बीच गठजोड़ की रिपोर्ट है। अलगाववादी ग्रुपों के कई सदस्यों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास नशीले पदार्थ पाए गए।

(ग) सरकार के पास रिपोर्टें हैं कि पाकिस्तानी आई.एस.आई., विदेश से हथियारों की खरीद करने और उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में ले जाने में पूर्वोत्तर के उग्रवादियों/आतंकवादियों की सहायता करती रही हैं। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि पाकिस्तानी आई.एस.आई. धन देकर पूर्वोत्तर के उग्रवादियों की सहायता कर रही है।

(घ) सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को सावधान कर दिया गया है और उन्हें शस्त्रों एवं नशीलें पदार्थों की तस्करी की किन्हीं रिपोर्टों के बारे में अवगत रखा जाता है। स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के साथ निकट समन्वय रखते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के अलावा, हथियारों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए उचित कदम उठाने हेतु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी राज्य सरकारों के साथ बांटी जाती है। उठाए गये अन्य कदम हैं - सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना, प्रेक्षण चौकी टावर खड़े करना, नाकों की संख्या में वृद्धि करना, नाईट विजन डिवाइस सहित अत्याधुनिक यंत्रों, जीपों, ट्रैक्टरों, मोटर साईकिलों और मोटर बौटों की आपूर्ति के साथ-साथ सुभेद्य क्षेत्रों में सीमा जांच चौकियों के बीच की दूरी कम करना।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाना

1481. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिये संविधान में संशोधन के मुद्दे पर चर्चा करने और अगले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश को सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% तक बढ़ाने हेतु राज्य के सचिवों का दो दिवसीय सम्मेलन नवंबर, 1999 में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में लिये गये मुख्य फैसले क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्मेलन प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने, अगले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक करने, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की योजना शुरू करने, शिक्षा में गैर-सरकारी क्षेत्रों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने, शिक्षा के व्यापारीकरण की रोकथाम करने, स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की समीक्षा और उसमें संशोधन करने, स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने, व्यावसायोन्मुख शिक्षा की योजना का संशोधन इत्यादि जैसे कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों के सम्बन्ध में सम्मेलन मोटे तौर पर एकमत था।

शैक्षिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है और राज्यों के साथ परामर्श करके और उनके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु केन्द्रीय कानून

1482. श्री के.पी. सिंह देव :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु केन्द्रीय कानून के अधिनियम का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ केन्द्रीय कानूनों तथा आतंकवाद, विमान अपहरण, जासूसी, साइबर क्राईम, जाली मुद्रा आदि जैसे अनेक प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए एक केन्द्रीय प्रवर्तन एजेन्सी की आवश्यकता, 5 अगस्त, 2000 को नई दिल्ली में आन्तरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कार्यसूची की चर्चा की गई मदों में से एक थी। इस विषय पर अधिकांश राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार करने के पश्चात् इस प्रस्ताव को आगे न बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

विश्वविद्यालयों का कार्यनिष्पादन

1483. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु एक वृहत अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्यांकन करने वाले निकाय ने किस तरह की सिफारिश की है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत उच्च शिक्षा की सभी संस्थाओं तथा उनकी इकाइयों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत तकनीकी संस्थाओं तथा कार्यक्रमों का प्रत्यायन करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालयों और कालेजों से कहा गया था कि वे क्रमशः दिसम्बर, 2000 तथा दिसम्बर, 2003 के अन्त तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर लें। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने अब तक लगभग 150 संस्थाओं का मूल्यांकन कर लिया है जिनमें 18 विश्वविद्यालय तथा शेष कालेज हैं। अब तक 50 तकनीकी संस्थाओं में 300 पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन किया गया है।

जनजातियों के लिए स्वरोजगार योजनाएं

1484. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** 22.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4530 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभा-पटल पर यह सूचना कब तक रखे जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) सूचना अभी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा स्तर में सुधार

1485. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये सरकार के पास कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक शिक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा के विकास पर हुये कुल व्यय के नवीनतम सांख्यिकीय ब्यौरे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में संस्थाओं और शिक्षा प्रणाली में व्याप्त असमानता को मिटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए एक निश्चित लक्ष्य का प्रावधान है। इसके अनुसरण में अनेक योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं जिनमें मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक जरूरतों पर ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं में शामिल हैं - आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, नवोदय विद्यालय, सामुदायिक पालिटेकनिक, लोक जुंबिश, शिक्षा कर्मी परियोजना, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन परियोजना, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना, आदि। ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की भी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी अध्ययन की दूरस्थ विधि से ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा सुलभ कराने में प्रभुख भूमिका निभा रहे हैं।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र द्वारा 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने तथा अब तक जो शिक्षा के क्षेत्र में समानता से वंचित रहे हैं उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करके शैक्षिक अवसरों में समानता लाने पर विशेष बल देती है। शिक्षा में गुणवत्ता और समता से जुड़े मुद्दों पर निरंतर ध्यान दिया जाता है तथा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल है - छात्राओं के लिए अलग स्कूल और छात्रावास, शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों से छूट, प्रोत्साहन यथा निर्धन तथा मेधावी छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, यूनिफार्म, छात्रवृत्ति, फ्री स्टूडेंटशिप, दाखिला में आरक्षण, आदि।

विवरण

सभी विभागों द्वारा शिक्षा के लिए योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय

राजस्व लेखा 1996-97

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षा विभाग			अन्य विभाग			कुल		
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	126.98	1807.49	1934.47	147.37	431.69	579.06	274.35	2239.18	2513.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.44	43.23	86.67	5.01	4.53	9.54	48.45	47.76	96.21
3.	असम	323.62	685.79	1009.41	40.81	36.88	77.69	364.43	722.67	1087.10
4.	बिहार	63.68	2158.90	2222.58	9.06	154.79	163.85	72.74	2313.69	2386.43
5.	गोवा	23.35	108.04	131.39	5.89	11.77	17.66	29.24	119.81	149.05
6.	गुजरात	91.03	1932.26	2023.29	149.17	224.24	373.41	240.20	2156.50	2396.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हरियाणा	124.36	610.87	735.23	60.85	79.87	140.72	185.21	690.74	875.95
8.	हिमाचल प्रदेश	132.40	271.08	403.48	23.93	20.57	44.50	156.33	291.65	447.98
9.	जम्मू और कश्मीर	68.98	347.31	416.29	8.73	59.24	67.97	77.71	406.55	484.26
10.	कर्नाटक	372.87	1479.49	1852.36	129.87	107.92	237.79	502.74	1587.41	2090.15
11.	केरल	86.66	1497.15	1583.81	66.20	165.53	231.73	152.86	1662.68	1815.54
12.	मध्य प्रदेश	330.96	1522.81	1853.77	63.67	501.28	564.95	394.63	2024.09	2418.72
13.	महाराष्ट्र	457.72	3744.80	4202.52	200.95	449.07	650.02	658.67	4193.87	4852.54
14.	मणिपुर	44.25	72.18	116.43	13.32	5.53	18.85	57.57	77.71	135.28
15.	मेघालय	22.77	143.65	166.42	5.54	7.62	13.16	28.31	151.27	179.58
16.	मिजोरम	23.66	77.73	101.39	10.99	15.04	26.03	34.65	92.77	127.42
17.	नागालैंड	15.57	88.67	104.24	10.52	13.01	23.53	26.09	101.68	127.77
18.	उड़ीसा	335.95	717.48	1053.43	45.85	101.01	146.86	381.80	818.49	1200.29
19.	पंजाब	112.02	908.39	1020.41	19.00	84.94	103.94	131.02	993.33	1124.35
20.	राजस्थान	418.97	1543.79	1962.76	49.44	115.04	164.48	468.41	1658.83	2127.24
21.	सिक्किम	23.91	31.06	54.97	4.00	1.66	5.66	27.91	32.72	60.63
22.	तमिलनाडु	143.61	2326.93	2470.54	101.78	199.05	300.83	245.39	2525.98	2771.37
23.	त्रिपुरा	60.38	157.40	217.78	22.02	6.03	28.05	82.40	163.43	245.83
24.	उत्तर प्रदेश	414.81	3408.43	3823.24	305.37	297.39	602.76	720.18	3705.82	4426.00
25.	पश्चिम बंगाल	79.04	2303.70	2382.74	75.57	106.21	181.78	154.61	2409.91	2564.52
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	8.12	31.90	40.02	1.54	1.88	3.42	9.66	33.78	43.44
27.	चंडीगढ़	8.99	73.35	82.34	21.79	4.08	25.87	30.78	77.43	108.21
28.	दादरा और नगर हवेली	2.23	5.52	7.75	0.40	0.19	0.59	2.63	5.71	8.34
29.	दमन और दीव	1.81	6.48	8.29	0.41	0.51	0.92	2.22	6.99	9.21
30.	दिल्ली	114.43	435.55	549.98	14.18	40.56	54.74	128.61	476.11	604.72
31.	लक्षदीप	0.99	8.98	9.97	0.86	0.36	1.22	1.85	9.34	11.19
32.	पांडिचेरी	19.90	51.64	71.54	14.60	6.43	21.03	34.50	58.07	92.57
	कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4097.46	28602.05	32699.51	1628.69	3253.92	4882.61	5726.15	31855.97	37582.12
	केन्द्र	2496.75	1175.36	3672.11	2082.45	559.78	2642.23	4579.20	1735.14	6314.34
	कुल योग	6594.21	29777.41	36371.62	3711.14	3813.70	7524.84	10305.35	33591.11	43896.46

सभी विभागों द्वारा शिक्षा के लिए योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय
राजस्व लेखा 1997-98

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षा विभाग			अन्य विभाग			कुल		
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	185.58	1891.05	2076.63	222.15	544.17	766.92	407.73	2435.82	2843.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.12	45.97	103.09	6.24	5.24	11.48	63.36	51.21	114.57
3.	असम	365.11	876.26	1241.37	87.88	42.44	130.32	452.99	918.70	1371.69
4.	बिहार	131.59	2784.24	2915.83	45.67	187.51	233.18	177.26	2971.75	3149.01
5.	गोवा	17.48	153.89	171.37	7.08	13.93	21.01	24.56	167.82	192.38
6.	गुजरात	136.95	2076.08	2213.03	180.85	260.20	441.05	317.80	2336.28	2654.08
7.	हरियाणा	120.99	670.50	810.49	50.84	111.03	161.87	171.83	791.53	963.36
8.	हिमाचल प्रदेश	121.80	262.14	383.94	23.12	21.83	44.95	144.92	283.97	428.89
9.	जम्मू और कश्मीर	111.55	486.34	597.89	9.64	96.15	105.79	121.19	582.49	703.68
10.	कर्नाटक	302.52	1830.34	2133.26	163.01	147.66	310.67	465.53	1978.40	2443.93
11.	केरल	90.58	1896.56	1987.14	83.10	238.17	321.27	173.68	2134.73	2308.41
12.	मध्य प्रदेश	341.65	1624.74	1966.39	217.76	608.33	826.09	559.41	2233.07	2792.48
13.	महाराष्ट्र	146.17	3861.28	4007.45	174.40	502.46	676.86	320.57	4363.74	4684.31
14.	मणिपुर	68.02	125.13	193.15	31.45	6.04	37.49	99.47	131.17	230.64
15.	मेघालय	25.34	163.44	188.78	12.97	7.57	20.54	38.31	171.01	209.32
16.	मिजोरम	25.40	80.75	106.15	10.39	15.57	25.96	35.79	96.32	132.11
17.	नागालैंड	13.35	100.67	114.02	9.91	12.37	22.28	23.26	113.04	136.30
18.	उड़ीसा	413.58	801.13	1214.71	66.82	118.24	185.06	480.40	919.37	1399.77
19.	पंजाब	154.45	1071.12	1225.57	78.62	126.09	204.71	233.07	1197.21	1430.28
20.	राजस्थान	267.75	1929.25	2197.00	41.40	125.98	167.38	309.15	2055.23	2364.38
21.	सिक्किम	23.47	38.48	61.95	5.03	1.99	7.02	28.50	40.47	68.97
22.	तमिलनाडु	157.74	2832.76	2990.50	86.91	353.96	440.87	244.65	3186.72	3431.37
23.	त्रिपुरा	96.05	175.83	271.88	24.71	7.22	31.93	120.76	183.05	303.81
24.	उत्तर प्रदेश	503.92	4020.64	4524.56	362.20	493.71	855.91	866.12	4514.35	5380.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	पश्चिम बंगाल	209.31	2702.58	2911.89	64.73	157.90	222.63	274.04	2860.48	3134.52
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	13.04	44.31	57.35	2.11	2.79	4.90	15.15	47.10	62.25
27.	चंडीगढ़	10.91	84.15	95.06	35.32	5.03	40.35	46.23	89.18	135.41
28.	दादरा और नगर हवेली	2.72	7.22	9.94	0.42	0.31	0.73	3.14	7.53	10.67
29.	दमन और दीव	2.09	8.75	10.84	0.58	0.69	1.27	2.67	9.44	12.11
30.	दिल्ली	122.35	669.59	791.94	18.99	60.70	79.69	141.34	730.29	871.63
31.	लक्षदीप	1.76	10.76	12.52	0.70	0.53	1.23	2.46	11.29	13.75
32.	पांडिचेरी	23.86	49.79	73.65	13.39	6.10	19.49	37.25	55.89	93.14
	कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4264.20	33386.14	37650.34	2138.39	4282.51	6420.90	6402.59	37668.65	44071.24
	केन्द्र	3350.44	1365.40	4715.84	2067.96	1075.55	3143.51	5418.40	2440.95	7859.35
	कुल योग	7614.64	34751.54	42366.18	4206.35	5358.06	9564.41	11820.99	40109.60	51930.59

सभी विभागों द्वारा शिक्षा के लिए योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय

राजस्व लेखा 1998-1999 बजट अनुमान

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षा विभाग			अन्य विभाग			कुल		
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	241.45	2098.45	2339.90	285.03	628.80	913.83	526.48	2727.25	3253.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.03	45.75	99.78	7.21	5.08	12.29	61.24	50.83	112.07
3.	असम	390.52	1205.92	1596.44	72.50	51.82	124.32	463.02	1257.74	1720.76
4.	बिहार	159.01	3571.38	3730.39	55.53	259.38	314.91	214.54	3830.76	4045.30
5.	गोवा	11.97	152.46	164.43	4.12	14.84	18.96	16.09	167.30	183.39
6.	गुजरात	187.32	2210.91	2398.23	234.30	321.08	555.38	421.62	2531.99	2953.61
7.	हरियाणा	180.23	1166.78	1347.01	63.31	174.95	238.26	243.54	1341.73	1585.27
8.	हिमाचल प्रदेश	175.26	350.65	525.91	29.99	26.82	56.81	205.25	377.47	582.72
9.	जम्मू और कश्मीर	129.64	546.15	675.79	13.37	105.53	118.90	143.01	651.68	794.69
10.	कर्नाटक	407.22	2158.95	2566.17	108.55	176.90	285.45	515.77	2335.85	2851.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	केरल	93.16	2096.82	2189.98	84.87	497.47	582.34	178.03	2594.29	2772.32
12.	मध्य प्रदेश	319.05	1697.08	2016.13	234.50	632.18	866.68	553.55	2329.26	2882.81
13.	महाराष्ट्र	224.41	4260.10	4484.51	177.72	329.34	507.06	402.13	4589.44	4991.57
14.	मणिपुर	69.85	177.06	186.91	16.18	7.85	24.03	86.03	124.91	210.94
15.	मेघालय	24.39	193.02	217.41	14.92	7.34	22.26	39.31	200.36	239.67
16.	मिजोरम	22.72	83.64	106.36	10.40	15.93	26.33	33.12	99.57	132.69
17.	नागालैंड	13.56	108.71	122.27	16.55	12.72	29.27	30.11	121.43	151.54
18.	उड़ीसा	375.63	870.10	1245.73	106.51	127.37	233.88	482.14	997.47	1479.61
19.	पंजाब	177.35	1154.62	1331.97	83.90	169.39	253.29	261.25	1324.01	1585.26
20.	राजस्थान	262.99	2612.20	2875.19	42.21	148.73	190.94	305.20	2760.93	3066.13
21.	सिक्किम	22.04	70.15	92.19	4.41	2.50	6.91	26.45	72.65	99.10
22.	तमिलनाडु	182.06	3318.72	3500.78	105.43	416.79	522.22	287.49	3735.51	4023.00
23.	त्रिपुरा	68.88	173.14	242.02	22.60	8.28	30.88	91.48	181.42	272.90
24.	उत्तर प्रदेश	513.72	4572.59	5086.31	293.07	418.89	711.96	806.79	4991.48	5798.27
25.	पश्चिम बंगाल	210.97	2700.54	2911.51	70.05	259.99	330.04	281.02	2960.53	3241.55
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	16.47	49.93	66.40	2.28	3.06	5.34	18.75	52.99	71.74
27.	चंडीगढ़	4.13	91.52	95.54	35.05	11.68	46.73	39.18	103.20	142.38
28.	दादरा और नगर हवेली	3.67	7.23	10.90	0.45	0.32	0.77	4.12	7.55	11.67
29.	दमन और दीव	2.48	8.90	11.38	0.60	0.55	1.15	3.08	9.45	12.53
30.	दिल्ली	211.94	641.86	853.80	24.29	73.41	97.70	236.23	715.27	951.50
31.	लक्षदीप	1.99	10.70	12.69	0.96	0.52	1.48	2.95	11.22	14.17
32.	पांडिचेरी	23.83	66.42	90.25	19.49	8.85	28.34	43.32	75.27	118.59
	कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4781.94	38412.45	43194.39	2240.35	4918.36	7158.71	7022.29	43330.81	50353.10
	केन्द्र	4244.17	2802.64	7046.81	2622.08	834.55	3456.63	6866.25	3637.19	10503.44
	कुल योग	9026.11	41215.09	50241.20	4862.43	5752.91	10615.34	13888.54	46968.00	60856.54

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

1486. श्री रामदास आठवले :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उर्वरकों पर कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) देश में वर्तमान उर्वरकों की मांग और आवश्यकता क्या है और बढ़ी मांग किस तरीके से पूरी की जाती है;

(ग) वर्तमान में उर्वरक क्षेत्र को कितने प्रतिशत वित्तीय राजसहायता दी जाती है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और 31.7.2000 तक उर्वरकों पर कितनी राजसहायता दी गई/बढ़ाई गई और अगले दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी राजसहायता देने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में कमी करने या वापस लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सांविधिक मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण है और प्रतिधारण मूल-सह-सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी के भुगतान के लिए पात्र है। गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया दी गई सब्सिडी के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

अवधि	यूरिया पर सब्सिडी की राशि (रुपये करोड़ में)
1997-98	7321.96
1998-99	7597.22
1999-2000	8744.07

(ख) यद्यपि नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों की मांग को स्वदेशी उत्पादन और आयातों से पूरा किया जाता है, किन्तु म्यूरियेट आफ पोटाश (एमओपी) की सम्पूर्ण मांग को आयातों से पूरा किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से दोहन-योग्य कोई ज्ञात भण्डार नहीं हैं।

(ग) बजट अनुमान 2000-2001 में खाद्य, चीनी, यूरिया, नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री, निर्यात संवर्धन और बाजार विकास, ब्याज सब्सिडी और अन्य सब्सिडियों सहित प्रमुख सब्सिडियों के लिए 22800.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत सहित उर्वरक पर सब्सिडी के लिए 12651.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रकार उर्वरकों पर सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सब्सिडियों का 55.49% बैठती है।

(घ) यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान यूरिया निर्माताओं को किया जाता है न कि राज्य सरकारों को। गत तीन वर्षों के दौरान 31.7.2000 तक यूरिया पर दी गई/बढ़ाई सब्सिडी के ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं:-

क्र.सं.	अवधि	यूरिया पर दी गई सब्सिडी की राशि (रु. करोड़ में)	पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में सब्सिडी की राशि में वृद्धि (रु. करोड़ में)	टिप्पणियां
1.	1997-98	7321-96	1415-88	
2.	1998-99	7597.22	275.26	
3.	1999-2000	8744.07	1146.85	
4.	2000-2001 (31.7.2000 तक)	2325.64		2000-2001 के लिए 8558 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने निकट भविष्य में उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने या समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, तथापि सरकार एक ओर तो अपनी वित्तीय क्षमता तथा दूसरी ओर कृषकों को उर्वरक सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखते हुए उर्वरक क्षेत्र में एक चरणबद्ध रूप में नियंत्रणुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ने का इरादा रखती है।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र को बंद करना

1487. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अग्रणी भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र को बंद करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं। सीएसआईआर की एक घटक इकाई भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र को फिलहाल बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात निर्यात की राष्ट्रीय योजना

1488. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस्पात निर्यात संबंधी कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस्पात के विदेशों में निर्यात हेतु पता लगाये गये/लगाये जा रहे नये बाजारों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार, लोहे और इस्पात का निर्यात मुक्त रूप से करने की अनुमति है। लोहे और इस्पात का निर्यात और उनका गंतव्य घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मांग, घरेलू मूल्यों, आयात करने वाले देशों में उनका मूल्य आदि जैसे विभिन्न घटकों पर आधारित होता है। ये घटक सामान्यतया परिवर्तनशील होते हैं और निरन्तर बदलते रहते हैं। बाजार की मौजूदा स्थिति के आधार पर उद्यमी स्वयं बाजार का पता लगाते हैं और निर्यात बाजार में प्रवेश करते हैं। तथापि सरकार ने निर्यात के संवर्धन और बाजार के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए निर्धारित करने का निर्णय लिया है। लोहे और इस्पात के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में इस्पात निर्यातक मंच का गठन किया है, जिसमें प्रमुख इस्पात उत्पादक/एसोसिएशनें इसके सदस्य हैं। निर्यात को सुसाध्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य उपायों में निर्यात से होने वाली आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तनीयता, डी.ई.पी.वी. दरों को युक्तिसंगत बनाना, एडवांस लाइसैंसिंग स्कीम के तहत् शुल्क मुक्त कच्ची सामग्रियों की आवश्यकताओं का आयात करने के लिए निर्यातकों को सुविधाएं देना शामिल है।

[हिन्दी]

कपार्ट के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

1489. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 8 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) कपार्ट को अभी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कपार्ट के क्षेत्रीय समिति कार्यालय को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने में देरी हुई।

(घ) 31 दिसम्बर, 2000 तक पूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना हैं।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों पर श्वेत पत्र

1490. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उर्वरक बनाने वाले कारखानों पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या श्वेत पत्र में लाभ कमाने वाली इकाईयों को शामिल करने में कोई कठिनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण उर्वरक एककों के सम्बन्ध में एक विस्तृत श्वेत पत्र तैयार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक उपयोग का आकलन, देश में औद्योगिक रुग्णता, सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में रुग्णता एवं उसके कारण और अन्य सम्बन्धित मामले सम्मिलित हैं। उपरोक्त को देखते हुये इस पत्र में लाभ अर्जित कर रहे उर्वरक एकक सम्मिलित नहीं हैं।

कोयले का विवेकाधीन कोटा

1491. श्री राम टहल चौधरी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने विवेकाधीन कोटे के तहत कोल इंडिया लि. की विभिन्न खानों से बड़ी मात्रा में कोयला जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक उन कंपनियों/फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कोयले की आपूर्ति की गयी तथा उसकी मात्रा क्या थी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोयला कंपनियां संयोजन और प्रायोजकता के आधार पर तथा खुली बिक्री स्कीमों के तहत कोयला जारी करती है। कोयला जारी करने के लिए कोयला मंत्रालय में कोई विवेकाधीन कोटा नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पंचायती राज के अंतर्गत योजना परिव्यय

1492. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान और आज की तिथि तक पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित राज्यवार योजना परिव्यय कितना था और कितना खर्च किया गया;

(ख) उक्त तीनों योजना अवधियों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा विभिन्न स्तरों पर खातों की अनिवार्य लेखा-परीक्षा कराने के लिए प्रावधान बनाने हेतु संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) जो 1.4.1989 से संचलन में थी, पंचायती राज प्रणाली के जरिए कार्यान्वित ग्रामीण विकास का एक प्रमुख कार्यक्रम था। जे.आर.वाई. के अंतर्गत क्रमश: 15:15:70 के अनुपात में जिला, मध्यस्तरीय तथा ग्राम अर्थात् पंचायत के सभी तीनों स्तरों द्वारा निधियां जारी तथा उपयोग की जाती थी। 1.4.1999 से जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित किया गया था तथा जवाहर ग्राम समृद्धि (जे.जी.एस.वाई.) योजना का नाम दिया गया था। आरंभ से लेकर 2000-2001 तक (जो सातवीं, आठवीं तथा नौवीं योजनावधि को कवर करता है) जे.आर.वाई./जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वर्ष-वार तथा राज्यवार कुल आबंटन, कुल रिलीजों तथा निधियों के उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण I, II और III के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण I

आरंभ होने से लेकर अब तक जवाहर रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत कुल आवंटन (केन्द्र + राज्य)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*	1994-95*	1995-96*	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000**	2000-01**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	19319.51	19166.20	19166.20	23132.80	30863.84	33343.71	37232.40	17372.39	19410.49	14629.93	12426.03	11636.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	307.15	330.68	330.68	322.51	322.51	329.58	322.51	178.30	199.21	321.65	273.20	609.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	5278.90	5114.59	5114.59	6420.76	8104.85	8921.21	10820.18	5718.18	6389.03	8357.73	7098.69	15828.99
4.	बिहार	38711.91	38466./78	38466.78	47934.30	65522.65	70386.81	78598.18	34075.58	38073.25	47925.96	40706.24	38119.67
5.	गोवा	378.75	357.28	357.28	421.93	348.46	348.46	356.09	192.65	215.25	215.25	182.82	171.21
6.	गुजरात	7954.79	8090.71	8090.71	9611.93	12925.05	13835.36	14754.11	6376.25	7124.30	5506.98	4677.39	4380.17
7.	हरियाणा	2068.19	1926.83	1926.83	2291.06	2170.94	2389.61	3398.28	1531.81	1711.53	3239.85	2751.79	2576.93
8.	हिमाचल प्रदेश	1153.50	1135.28	1135.28	1254.69	1107.26	1107.26	1149.09	612.16	683.98	1364.43	1158.88	1085.24
9.	जम्मू और कश्मीर	1682.74	2000.00	1611.51	1818.63	2425.49	3103.75	3381.00	1243.93	1389.86	1688.66	1434.28	1343.14
10.	कर्नाटक	12093.58	12059.70	12059.70	14377.71	21246.33	22911.44	24422.41	11665.34	13033.90	11047.66	9383.41	8787.17
11.	केरल	6569.99	6396.19	6396.19	7659.26	6238.34	6620.11	8029.34	4244.16	4742.08	4957.05	4210.30	3942.77
12.	मध्य प्रदेश	25618.79	26402.84	26402.84	31473.50	46440.99	49583.34	51119.46	22014.51	24597.23	24292.41	20632.92	19321.86
13.	महाराष्ट्र	20993.90	20424.84	20424.85	25815.64	37056.78	39760.18	41658.79	18937.55	21159.28	21838.53	18548.70	17370.07
14.	मणिपुर	441.73	423.83	423.83	623.25	413.36	413.36	425.45	228.53	255.34	560.30	475.89	1061.17
15.	मेघालय	458.13	495.91	495.91	703.58	483.68	483.68	496.31	267.40	298.78	627.74	533.17	1188.89
16.	मिजोरम	187.41	208.90	208.90	244.43	203.75	203.75	208.04	112.65	125.86	146.26	123.38	275.10
17.	नागालैंड	504.99	610.00	531.58	627.76	518.46	518.46	526.28	288.64	320.26	430.80	365.73	815.53
18.	उड़ीसा	12655.81	13094.93	13094.93	16036.90	27116.41	29128.18	30642.94	14093.11	15746.50	16733.63	14212.82	13309.70
19.	पंजाब	1608.66	1675.65	1675.65	1982.54	1634.30	1699.26	1969.93	1089.39	1217.19	1574.54	1337.34	1252.37
20.	राजस्थान	12594.24	12805.28	12805.28	15172.01	17530.08	18835.61	20825.10	9146.40	10219.44	8388.86	7125.14	6672.39
21.	सिक्किम	197.83	193.54	193.54	231.98	188.76	188.76	341.93	104.36	116.60	160.83	136.60	304.60
22.	तमिलनाडु	17659.64	17223.66	17223.66	20550.48	25511.18	27752.94	32634.06	15704.96	17547.45	12936.06	10987.33	10289.17
23.	त्रिपुरा	541.43	550.49	550.49	653.83	536.90	536.90	558.65	296.83	331.65	1011.64	859.24	1915.97
24.	उत्तर प्रदेश	51706.13	51093.28	51093.28	61016.78	68333.40	74376.76	87188.55	42334.91	47301.56	52742.94	44797.57	41951.03
25.	पश्चिम बंगाल	21610.16	21786.94	21786.94	25823.84	28188.20	30410.53	33287.71	15569.34	17395.93	18596.09	15794.71	14791.07
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	164.80	156.56	156.56	152.70	152.70	152.70	154.18	84.41	94.31	117.89	93.87	84.64
27.	चंडीगढ़	40.77	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	83.80	84.99	84.99	91.02	82.89	82.89	83.92	45.81	51.18	77.81	61.96	55.87
29.	दमन और दीव	52.40	50.07	50.07	48.83	48.83	48.83	49.28	26.99	30.16	37.70	30.02	27.07
30.	दिल्ली	187.42	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षदीप	81.75	78.49	78.49	78.58	76.55	76.55	76.70	42.32	47.28	59.10	47.06	42.43
32.	पांडिचेरी	157.80	153.25	153.25	232.38	149.47	149.478	151.86	82.64	92.34	115.42	91.91	86.00
	कुल	263066.57	262780.29	262090.40	316805.09	405942.41	437692.38	484869.77	223679.48	249921.18	259702.50	220558.39	219295.86

*आई.जे.आर.वाई. सहित

**जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 से शुरू की गई।

नोट : आवंटन में राज्य/अंश भी शामिल है।

विवरण II

आरंभ होने से लेकर अब तक जवाहर रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत निधियों का उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*	1994-95*	1995-96*	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000**	2000-01**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	18415.55	19317.09	19065.78	19866.06	32815.59	36264.38	34556.00	17488.47	18745.52	14710.40	9954.72	771.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.40	223.75	221.17	234.80	191.60	222.22	357.12	198.33	241.82	326.12	461.48	21.36
3.	असम	4801.66	5648.57	5000.44	4039.49	7911.51	10386.94	9583.33	4543.21	5546.71	10967.57	7800.48	685.39
4.	बिहार	31690.69	42582.90	37580.16	41257.59	68523.99	50731.49	62281.95	30563.53	36250.75	41851.12	35324.14	12769.70
5.	गोवा	292.35	277.12	364.56	340.36	353.83	372.24	363.47	236.26	155.77	166.80	114.34	144.77
6.	गुजरात	8076.28	7513.03	10039.31	8327.77	11715.95	14166.06	12824.42	6280.49	6999.43	5958.62	4774.39	3297.12
7.	हरियाणा	1970.95	2085.43	2353.04	2012.13	2164.35	2583.42	3304.78	1371.79	1995.94	2908.76	2666.87	1374.90
8.	हिमाचल प्रदेश	987.48	1270.68	1186.15	1049.73	1303.09	1150.10	1001.19	745.94	693.88	1083.72	1163.94	386.84
9.	जम्मू और कश्मीर	1767.50	1636.31	2379.98	2118.67	1406.91	3813.23	2534.38	994.37	1475.73	1489.06	805.55	163.37
10.	कर्नाटक	10942.81	10892.31	11082.63	12533.91	19257.68	23746.02	24908.76	12015.31	12578.33	11288.71	10191.73	2253.15
11.	केरल	6587.35	6819.92	7252.79	6843.94	7788.38	7234.60	8888.24	4458.15	3655.38	4089.65	3652.85	540.04
12.	मध्य प्रदेश	20562.93	24234.17	31681.83	29328.16	40178.27	50503.16	42377.25	19724.06	24574.06	22760.65	20841.39	9285.07
13.	महाराष्ट्र	21059.06	19254.92	18124.121	18648.24	27015.01	36760.33	39801.56	18664.14	21438.52	20780.48	18748.46	4878.83
14.	मणिपुर	440.01	490.06	206.77	292.23	301.82	370.54	506.22	186.36	114.80	430.78	93.87	
15.	मेघालय	172.29	339.35	481.47	413.10	359.46	407.31	200.28	365.90	247.74	348.96	180.98	
16.	मिजोरम	188.07	833.41	260.51	213.27	350.70	336.38	284.56	138.25	124.18	318.37	187.19	117.18
17.	नागालैंड	504.99	617.46	733.84	637.21	668.66	410.70	264.07	485.57	383.06	956.77	291.76	
18.	उड़ीसा	10445.27	12845.26	14033.59	13067.13	21493.65	25542.96	28671.46	14426.64	15073.72	15218.63	13751.03	5777.64
19.	पंजाब	1720.68	1222.55	1053.97	2590.84	1922.31	1673.48	408.38	705.63	1310.34	1381.15	1014.24	609.43
20.	राजस्थान	10648.94	17087.49	13206.07	12246.06	15875.91	19909.03	18204.39	8766.70	10330.83	9780.60	8149.69	5120.55
21.	सिक्किम	155.85	197.78	328.62	303.56	273.07	189.21	618.83	167.26	185.97	411.41	206.97	46.30
22.	तमिलनाडु	20162.77	19661.60	21134.07	20094.35	27324.02	33982.35	39415.70	18040.03	20699.98	14974.42	13391.37	5220.78
23.	त्रिपुरा	542.26	525.40	602.99	485.40	838.66	1131.61	788.23	566.91	351.51	2296.83	812.95	53.87
24.	उत्तर प्रदेश	52950.57	45773.98	48146.83	52257.00	71511.16	74606.88	83562.16	42123.49	48122.11	55507.20	35804.80	1033.36
25.	पश्चिम बंगाल	19975.36	17019.09	19342.16	21412.74	25915.32	29856.99	30492.80	12837.59	12404.99	12372.19	13074.47	2078.93
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	95.59	102.02	86.73	67.50	107.20	161.26	161.26	54.95	14.36	37.07	14.29	0.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	चंडीगढ़	27.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	89.01	66.53	103.31	76.31	80.68	91.41	33.18	49.75	46.94	36.75	0.85	0.00
29.	दमन और दीव	32.28	15.46	27.23	5.33	25.94	27.36	55.02	27.61	30.28	6.04	0.00	0.00
30.	दिल्ली	90.39	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	52.12	64.72	49.15	61.66	73.58	80.27	40.86	49.22	78.98	29.29	10.43	7.93
32.	पांडिचेरी	194.20	164.48	193.27	139.39	122.53	121.21	199.85	121.96	66.55	72.83	41.90	20.53
	कुल	245807.66	258851.97	266322.87	270958.93	387870.82	426833.14	446690.62	216397.87	243938.18	252560.95	203527.13	56659.85

*आई.जे.आर.वाई. सहित

– खाली कालम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़ों की सूचना न देना इंगित करता है।

**जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 में आरम्भ हुई थी।

विवरण-III

आरंभ से लेकर अब तक जवाहर रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत कुल रिलीजें (केन्द्र+राज्य)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*	1994-95*	1995-96*	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000**	2000-01**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	19319.51	19535.69	19124.26	21418.39	32114.03	33842.26	35933.21	18243.70	20857.30	14628.11	12822.77	10726.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	314.33	319.31	93.03	251.50	188.84	178.93	304.48	129.85	127.58	594.08	190.28	272.89
3.	असम	5598.51	5099.69	4334.33	6194.14	8971.90	9281.94	9649.70	3983.66	6905.19	18890.35	5049.22	0.00
4.	बिहार	37703.61	36325.34	35825.21	46904.44	64141.45	69672.79	68022.66	28568.09	36653.45	37167.28	37977.80	17678.39
5.	गोवा	378.75	214.36	353.49	406.13	426.81	348.46	356.09	146.10	130.48	129.15	165.48	85.61
6.	गुजरात	8753.00	7416.84	8188.77	10244.79	12424.23	13587.69	13857.04	5524.16	7184.65	5561.79	4677.26	3525.60
7.	हरियाणा	2068.66	2040.29	2352.21	2366.87	2098.40	2733.79	3735.78	1494.23	2030.93	3239.85	2407.81	1288.51
8.	हिमाचल प्रदेश	1153.50	1085.66	1035.25	1182.10	1235.76	1486.20	1221.28	483.15	504.33	1277.69	2336.49	523.80
9.	जम्मू और कश्मीर	1772.87	1982.13	2537.49	2211.82	2718.01	2817.18	2554.36	1499.69	1218.28	1368.28	1196.96	657.13
10.	कर्नाटक	12655.90	10934.61	10100.38	14252.56	20296.14	23737.01	23860.96	11091.40	12942.49	13547.66	9383.18	4393.69
11.	केरल	6569.99	6076.38	6594.09	7899.60	6327.35	7172.66	9731.61	4108.25	4667.65	4957.06	4210.19	527.01
12.	मध्य प्रदेश	25618.78	23164.06	23885.31	33629.94	42668.44	49748.43	44104.58	19316.44	23721.44	21229.23	22567.94	14847.16
13.	महाराष्ट्र	20993.90	19924.41	17060.46	25049.79	30328.31	34844.74	40676.70	17923.14	21020.06	21476.01	18548.16	8685.20
14.	मणिपुर	439.81	463.98	141.28	645.13	355.49	363.80	344.79	162.40	310.65	627.05	154.05	352.31
15.	मेघालय	715.92	245.23	612.24	461.10	241.20	457.60	415.25	135.69	199.48	1189.69	176.24	536.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मिज़ोरम	187.41	833.66	263.66	249.82	459.30	203.38	229.00	105.26	128.59	371.11	123.16	236.32
17.	नागालैंड	504.99	617.46	723.55	746.51	672.01	518.45	749.36	263.33	303.91	969.99	298.53	407.77
18.	उड़ीसा	12767.26	12739.07	10438.69	16389.03	25861.23	26103.33	27522.29	13387.43	16776.65	16804.14	21298.32	7585.63
19.	पंजाब	1675.59	1602.37	1785.37	1702.19	1614.09	3421.11	984.96	1011.58	1115.99	1949.54	1300.07	708.75
20.	राजस्थान	12788.50	13150.40	9475.52	17064.22	16791.90	18350.98	18825.93	9039.76	10439.83	7510.63	7124.96	6455.51
21.	सिक्किम	197.76	155.96	344.68	394.60	240.03	188.78	553.15	101.71	120.98	360.00	136.60	152.31
22.	तमिलनाडु	19844.74	20428.37	21336.44	23241.95	24452.77	28462.98	36774.35	15110.64	18205.48	12936.06	12217.21	10342.29
23.	त्रिपुरा	575.94	509.76	563.99	669.91	679.71	1124.80	839.60	296.81	595.44	2280.48	650.58	958.01
24.	उत्तर प्रदेश	53452.72	48538.62	44549.52	58887.46	67363.58	78891.23	86920.98	40553.36	44867.69	52794.88	44789.73	20829.23
25.	पश्चिम बंगाल	21610.16	19821.15	12690.52	25220.33	25279.31	29032.40	31870.59	11965.08	11333.74	12576.51	14399.99	10232.17
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	163.14	78.29	52.16	62.58	81.93	152.70	151.14	42.21	50.95	39.70	13.00	15.63
27.	चंडीगढ़	41.07	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	86.52	81.54	80.67	91.02	73.75	81.47	93.92	44.57	50.22	48.94	30.98	37.25
29.	दमन और दीव	52.18	25.04	4.38	20.28	20.28	36.60	59.28	28.99	16.21	10.06	0.00	0.00
30.	दिल्ली	187.42	92.09	0.00	0.00	0.00	* 0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
31.	लक्षदीप	82.47	92.67	28.18	60.08	56.48	76.06	86.70	21.16	25.41	35.46	23.53	0.00
32.	पांडिचेरी	181.58	241.40	120.36	315.82	126.23	149.45	77.12	64.68	74.37	82.14	45.96	88.75
	कुल	268456.49	253863.97	234695.27	318233.80	388308.96	437067.20	46706.84	204837.51	242579.36	254652.92	224316.45	121949.89

नोट : रिलीजों में राज्य का मैचिंग अंश शामिल है।

* - आई.जे.आर.वाई सहित।

** - जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 से आरंभ हुई।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. तथा सहायक कंपनियों द्वारा कोयले का आयात/निर्यात

1493. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री पुन्नू लाल मोहले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा राज्यवार कितनी मात्रा में विभिन्न किस्मों के कोयले का निर्यात किया गया;

(ख) इस निर्यात से विदेशी मुद्रा में कितना लाभ या घाटा हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य के कोयले का आयात किया गया और किन-किन देशों से इसका आयात किया गया;

(घ) क्या आयातित कोयले में गंधक की मात्रा है और उससे राख कम निकलती है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(च) क्या सरकार ने इससे पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(छ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) कोयले के आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा निर्यात किए गए कोयले की मात्रा का राज्य-वार विवरण नीचे दिया जा रहे:

('000 टन में)

वर्ष	पश्चिम बंगाल	बिहार	जोड़
1997-98	54.83	0.97	55.80
1998-99	36.34	7.72	44.06
1999-2000	64.54	0.92	65.46
अप्रैल-अक्तूबर, 2000	42.72	शून्य	42.72

(ख) नेपाल और भूटान को उनके साथ किए गए द्विपक्षीय करारों के अनुसार भारतीय मुद्रा में कोयले का निर्यात किया जा रहा है जबकि बांग्लादेश को अमरीकी डालर में कोयले का निर्यात किया जाता है:-

वर्ष	लाभ	
	नेपाल और भूटान	बांग्लादेश
1997-98	1.5 करोड़ रु.	0.59 लाख अमरीकी डालर
1998-99	0.32 करोड़ रु.	-
1999-2000	0.65 करोड़ रु.	-

गत तीन वर्षों के दौरान बांग्ला देश को केवल वर्ष 1997-98 के दौरान ही कोयले का निर्यात किया गया।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए कोयले की मात्रा एवं मूल्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

वर्ष	कुल आयात (मिलियन टन में)	मूल्य करोड़ रु. (लगभग)
1997-98	17.21	4422.30
1998-99	15.64	3640.20
1999-2000	17.50 (अनंतिम)	उपलब्ध नहीं

कोयले का आयात आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, चीन आदि से किया जाता है।

(घ) से (ज) कोयला मंत्रालय कोयले के आयात का परिवीक्षण नहीं करता है। न तो कोल इंडिया लि. और न ही कोयला मंत्रालय में कोयला आयातों यथा -- उद्गम स्थान, मात्रा, राख की मात्रा, लक्षण, कीमत, अदायगी की शर्त आदि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, यह सूचित किया गया है कि आयातित कोयला बढ़िया किस्म का होता है और उसमें राख की मात्रा कम होती है।

(झ) कोयला खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत आता है। कोयले का आयात स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है क्योंकि सीमा शुल्क के वर्तमान स्तर तथा रेल भाड़ा संरचना के कारण ये आयात कुछ विशेष स्थानों पर प्रति यूनिट उष्मीय मूल्य के अनुसार लागत प्रतियोगी बन गए हैं। बहरहाल, सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अकोककर कोयला पर बुनियादी आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा

1494. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला प्रशासन और साक्षरता कार्यक्रमों में लगे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा साक्षरता दर के संबंध में फर्जी और बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में राज्यवार ऐसे कितने मामले आये हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। साक्षरता दर संबंधी आंकड़े जनगणना रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पेश किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का नेटवर्क

1495. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु दूरवर्ती शिक्षा के अनुपूरक कार्यक्रम के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों, अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालयों के नेटवर्क का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दी के लिए द्विभाषीय उपकरण

1496. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी आधुनिक उपकरणों को देवनागरी मशीनों के प्रयोग विनिर्दिष्टीकरण किये बिना उन्हें द्विभाषीय बनाने के आदेश दिए हैं क्योंकि सभी सरकारी फाइलों का टिप्पण कार्य योजना अंग्रेजी में होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों को द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) खरीदे जाने तथा उन पर अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के आदेश दिये गये हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मंत्रालयों/विभागों को जिस्ट कार्ड/जिस्ट टर्मिनल तथा अन्य द्विभाषी साफ्टवेअर उपलब्ध करवाए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा राजभाषा विभाग कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित करता रहता है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर शिक्षा

1497. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों और महाविद्यालयों में कम्प्यू'र शिक्षा शुरू करने के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उच्च स्तर की शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है। स्कूल माध्यमिक स्तर तक एक वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर इसे ऐच्छिक विषय के रूप में प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।

उच्चतर स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कम्प्यूटर शिक्षा और विकास के संबंध में एक योजना शुरू की है जिसके तहत कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना, कम्प्यूटर शिक्षा के स्तरोन्नयन, एम.सी.ए. पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा तथा कम्प्यूटर के बारे में कालेज शिक्षकों व प्रशासनिक स्टाफ को जागरूक बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है।

वर्षा जल का संचयन/कृत्रिम वर्षा

1498. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किये गये वर्षा जल संचयन/कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी कार्यकलापों का समर्थन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु आवर्ती खर्च के लिए अनुदान प्रदान करने पर विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) जी नहीं। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए वर्षा जल संचयन/कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी कार्यकलापों का समर्थन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सहित कई देशों ने इस क्षेत्र में परीक्षण किए हैं परन्तु ये केवल अनुसंधान की अवस्था में हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशियों के लिए हिन्दी

1499. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय देश के बाहर हिन्दी के शिक्षण के लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का मूल प्रयास विश्वविद्यालयों, केन्द्रों और विदेशी संस्थानों में हिन्दी के प्रमुख पाठ्यक्रमों का स्तरोनयन, नवीनीकरण और परिमार्जन करने की दिशा में उन्मुख है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस संबंध में नए पाठ्यक्रम की सामग्री और नई शिक्षण पद्धति विकसित की जाए। इस प्रयास के अन्तर्गत पाठ्यचर्या को समुन्नत करना, भारत में नए भाषायी तथा बौद्धिक विकासक्रम को शामिल करना और साहित्य, भाषा, संस्कृति और अनुवाद में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिन छात्रों की भिन्न-भिन्न विदेशी मातृभाषाएं हैं, उन्हें हिन्दी सीखने में भिन्न-भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका समाधान विशेष ढंग से करने को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह विश्वविद्यालय इन सभी दिशाओं में प्रयासरत है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में उत्पादन

1500. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ''सेल'' ने आने वाले वर्षों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''सेल'' द्वारा कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता वाली मदों का उत्पादन करने के लिए कोई जोर दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ''सेल'' द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) आगामी चार वर्षों के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) द्वारा विक्रेय इस्पात के लिए बनाई गई उत्पादन योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
विक्रेय इस्पात (एम.टी.)	10.21	10.26	10.60	10.75

(ग) और (घ) सेल के अपने संयंत्रों में लागत में कमी करने पर नियमित रूप से निगरानी रखने सहित सेल के तीन संयंत्रों का आधुनिकीकरण इसलिए किया गया है ताकि सेल अपने उत्पादों की गुणवत्ता और अपने प्रचालनों की लाभप्रदता में सुधार कर सके।

अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:-

- सतत् ढलाई के जरिए उत्पादन को अधिकतम करना।
- गौण परिशोधन सुविधाओं का उपयोग करना।
- कच्चे माल की विशिष्ट खपत में कमी करना।
- विद्युत और ईंधन व्यय में कमी करना।
- भण्डार की खपत और अतिरिक्त पूर्जों की खपत में कमी करना।
- उत्पादन और विभिन्न प्रक्रियाओं की क्षमता में सुधार करना।

नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पंजिका

1501. **श्री अनंत गंगाराम गीते :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी मूल नागरिकों के ब्यौरे वाली एक राष्ट्रीय पंजिका रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी स्कीम के व्यवहार्यता अध्ययन ने, अन्य बातों के साथ-साथ, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की सिफारिश की है। तथापि, अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बंगलौर में यूजीसी का दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय

1502. श्री आर.एस. पाटिल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भवन निर्माण कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि की स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक और केरल में स्थित कालेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अप्रैल, 1999 के दौरान बंगलौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई थी। उपयुक्त कार्यालय के लिए कर्नाटक सरकार ने स्थान की व्यवस्था की थी।

एम.सी.डी. द्वारा अनधिकृत निर्माण का गिराया जाना

1503. श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** एम.सी.डी. द्वारा अनधिकृत निर्माण को गिराए जाने के बारे में 16.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7676 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान एम.सी.डी. (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा गिराए गए अवैध और अनधिकृत निर्माणों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां, दिनांक 16.5.2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 7676 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा कर लिया गया है। कार्यान्वयन रिपोर्ट 22.11.2000 को सभा पटल पर रख दी गई है। उसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दि.न.नि. के बिल्डिंग विभाग (दक्षिण जोन) द्वारा 1.4.1999 से 31.10.2000 की अवधि के दौरान 452 मामलों में गिराने/सील करने की कार्रवाई की गई है।

विवरण

13वीं लोक सभा का तीसरा सत्र, 2000

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय पूर्ति की तारीख..........2000

प्रश्न सं. तारीख व सांसद का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
श्री रामजी मांझी का दिनांक 16.5.2000 का अतारांकित प्रश्न संख्या 7676	दिल्ली नगर निगम द्वारा दुकानों को गिराया जाना। पूछा गया कि: (क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3.5.2000 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एमसीडी डीमॉलिशेज शॉप्स डेस्पाइट एंग्री प्रोटेस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; (ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; (ग) क्या एमसीडी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर दुकानों को सील/गिरा रही है; (घ) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के तहत राजस्व सहायक, वसंत विहार, दिल्ली के न्यायालय में ऐसे कितने मामले दायले किए गये हैं; और (ङ) इन पर क्या कार्रवाई की गई है?	सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।	(क) जी हां। (ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में ई-3, एच-2 और टी-16 न. की तीन संपत्तियों को 2.5.2000 को सील किया गया था। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों तथा कानून के अनुसार सील करने/गिराने की कार्रवाई की जा रही है। (घ) और (ङ) डिवीजनल कमिशनर, दिल्ली (दिल्ली सरकार) ने सूचित किया है कि समाचार में उल्लिखित ग्रीन पार्क व ग्रेटर कैलाश क्षेत्र वसंत विहार सब-डिवीजन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।	मामले पर दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली सरकार से पत्राचार चल रहा था।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण

1504. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले लेने वाले अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशों की नागरिकता रखने वाले भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिले के लिए इस समय स्वत: वित्त पोषित कालेजों में भुगतान सीटें में से 5% सीटें अप्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए आरक्षित हैं। विदेशों की नागरिकता वाले भारतीयों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिले के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अभी तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

बिहार में कोयला खानें

1505. श्री ब्रजमोहन राम :
श्री राजो सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिहार में कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) इन खानों में कोयला भंडार कितनी मात्रा में हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राज्य में कोयला खनन आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो अगले वर्ष के दौरान राज्य की कोयला खानों में कितनी मात्रा में कोयले का खनन किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन खानों से कोयले के अवैध खनन बेचने और तस्करी के कुछ मामले दर्ज किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) झारखंड राज्य के बन जाने के बाद बिहार के वर्तमान राज्य में कोयला का कोई भंडार नहीं है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

यूरिया के मूल्यों में संशोधन

1506. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के मूल्यों में संशोधन किए जाने के निर्णयाधीन कुछ राज्यों को अपेक्षित मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की मांग एवं आपूर्ति की मात्रा का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है; और

(घ) राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक जारी करने में हो रहे विलंब का क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क), (ख) और (घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य वितरण एवं संचलन के नियंत्रण में है और जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अन्तर्गत आबंटन किया जाता है। सभी अन्य उर्वरक विनियंत्रित है एवं उनकी उपलब्धता मांग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा शासित होती है। यूरिया के मूल्य में संशोधन पिछली दफा फरवरी 2000 में किया गया था और वर्तमान में यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 4600/- रुपये प्रतिटन है। डाइअमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) एवं मिश्रित उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य चालू वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था।

भारत सरकार, प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी एवं एमओपी की उपलब्धता को मॉनिटर करती है। रबी 2000-2001 के लिए इन उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता एवं उपलब्धता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य सरकारों को यूरिया के आवंटन में कोई विलम्ब नहीं हुआ था एवं प्रत्येक राज्य की मांग को पूर्णत: पूरा किया गया था।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए पोषक के रूप में देश में उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य नीचे दिया गया है:-

(लाख टन में)

पोषक	लक्ष्य
नाइट्रोजन (एन)	112.14
फॉस्फेट (पी)	39.93

वर्ष 2000-2001 के लिए यूरिया का उत्पादन लक्ष्य 200.80 लाख मी. टन निर्धारित किया गया था।

विवरण

रबी 2000-01 के दौरान यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) म्यूरेट आफ पोटाश की राज्य-वार आवश्यकता एवं उपलब्धता/आपूर्ति

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	यूरिया		डी.ए.पी.		एम.ओ.पी.	
		2000-01 में रबी आवश्यकता	31.10.2000 तक उप पल. आपूर्ति	2000-01 में रबी आवश्यकता	दिनांक 31.10.2000 तक उपल./आपूर्ति	2000-01 में रबी आवश्यकता	31.10.2000 तक उपलब्धता/आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1102.00	378.73	325.00	86.36	120.00	46.46
2.	कर्नाटक	390.00	161.96	140.00	41.92	100.00	29.44
3.	केरल	60.00	22.02	5.00	2.82	65.00	21.79
4.	तमिलनाडु	515.00	130.92	140.00	61.95	215.00	46.58
5.	गुजरात	625.00	74.65	260.00	57.88	65.00	30.48
6.	मध्य प्रदेश	700.00	312.25	360.00	154.63	30.00	13.32
7.	महाराष्ट्र	760.00	224.16	230.00	93.14	125.00	32.23
8.	राजस्थान	650.00	173.47	210.00	106.72	5.00	2.78
9.	गोवा	1.70	2.02	0.20	0.03	0.40	0.02
10.	हरियाणा	800.00	274.79	280.00	209.64	7.50	6.23
11.	पंजाब	1110.00	341.53	430.00	248.02	10.00	21.11
12.	उत्तर प्रदेश	2315.00	730.46	900.00	423.97	90.00	80.02
13.	हिमाचल प्रदेश	22.00	5.65	0.50	0.00	4.00	2.33
14.	जम्मू और कश्मीर	47.81	11.91	29.23	7.13	7.10	1.02
15.	दिल्ली	20.00	1.37	8.00	0.03	0.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	बिहार	700.00	235.16	200.00	87.94	80.00	55.15
17.	उड़ीसा	140.00	100.22	50.00	19.54	40.00	12.22
18.	प. बंगाल	690.00	169.20	320.00	89.21	225.00	50.14
19.	आसाम	82.00	45.23	34.97	15.05	34.34	16.00
20.	मणिपुर	8.50	2.14	1.50	0.00	1.00	0.00
21.	मेघालय	2.75	0.43	0.80	0.00	0.25	0.02
22.	नागालैण्ड	0.32	0.00	0.37	0.00	0.03	0.00
23.	सिक्किम	0.55	0.20	0.45	0.00	0.10	0.00
24.	त्रिपुरा	9.35	6.94	1.00	0.00	2.57	0.02
25.	अरुणाचल प्रदेश	0.38	0.17	0.15	0.00	0.10	0.00
26.	मिजोरम	0.50	0.06	0.85	0.00	0.70	0.02
27.	अन्य	11.70	3.93	5.17	1.25	4.45	1.18
	योग	10764.56	3409.55	3933.19	1707.21	1233.04	468.53

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कच्चा/पक्का आवास

1507. **श्री एस.पी. लेपचा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण भारत में पक्के/कच्चे आवासों का अनुपात क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन आवासों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(घ) इन आवासों को उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस हेतु केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्यवार कितना अंशदान दिया गया; और

(च) प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से कच्चे/फूस के आवासों को होने वाली क्षति का अनुमान क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) वर्तमान में देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई नवीनतम सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है। तथापि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 738.78 लाख पक्के/अर्द्ध पक्के मकान थे।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के/अर्द्ध पक्के और कच्चे (गारा) मकानों का अनुपात 2:1 है (अर्थात् 738.78 लाख पक्के/अर्द्ध पक्के और 337.60 लाख कच्चे मकान)।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियां केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन की जाती

हैं। स्वच्छ शौचालय और ईंधन किफायती, धुआंरहित चूल्हा इंदिरा आवास योजना के मकान का अभिन्न अंग है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पर्यावास संबंधी ढांचा विकास की सुविधा का भी प्रावधान है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय, धुआंरहित चूल्हा और अन्य सामान्य ढांचा सुविधाओं सहित निर्माण की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में क्रमशः 20,000 रु. और 22,000 रु. है।

(च) प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाने के कारण/फूस के मकानों के नष्ट होने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कोई भी आकलन नहीं किया गया है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आवंटन		
		1997-98 केन्द्र + राज्य	1998-99 केन्द्र + राज्य	1999-2000 केन्द्र + राज्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11212.93	10044.49	13795.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.89	220.84	942.50
3.	असम	3691.04	5738.18	19572.50
4.	बिहार	21996.36	32904.62	48247.50
5.	गोवा	109.54	23.04	85.00
6.	गुजरात	4116.21	3780.94	4053.75
7.	हरियाणा	988.70	2224.39	1463.75
8.	हिमाचल प्रदेश	345.90	936.77	643.75
9.	जम्मू व कश्मीर	703.33	1159.39	772.50
10.	कर्नाटक	7530.54	7585.02	7372.50
11.	केरल	2739.81	3403.44	4440.00
12.	मध्य प्रदेश	14210.73	16678.49	11478.25
13.	महाराष्ट्र	12224.69	14993.72	13231.25
14.	मणिपुर	129.71	384.68	866.25
15.	मेघालय	151.34	430.99	1321.25
16.	मिजोरम	63.41	99.73	325.00
17.	नागालैंड	161.43	295.63	816.25
18.	उड़ीसा	9097.18	11488.84	11442.50
19.	पंजाब	703.31	1081.03	931.25

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	5904.80	5759.56	4041.25
21.	सिक्किम	59.09	110.42	152.50
22.	तमिलनाडु	10137.75	8881.56	7307.50
23.	त्रिपुरा	168.63	694.56	1791.25
24.	उत्तर प्रदेश	27328.99	36211.82	29456.25
25.	पश्चिम बंगाल	10049.84	12767.54	15080.00
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	47.27	44.40	129.00
27.	दा. व न. हवेली	25.37	43.80	69.00
28.	दमन व दीव	14.99	1.82	27.00
29.	लक्षद्वीप	24.21	3.65	3.00
30.	पांडिचेरी	47.27	56.57	67.00
	कुल	144085.22	178049.95	199926.00

कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

1508. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दमन और दीव में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) वर्तमान में इस परियोजना की स्थिति क्या है; और

(घ) इससे प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित समग्र देश में लागू है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-स्वामियों को उनके स्वामित्व और उनके अधिकारों के रिकार्ड के प्लाटवार ब्यौरों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां एक युक्तिसंगत कीमत पर उपलब्ध हों ताकि किसान वित्तीय संस्थाओं से धन उधार ले सकें। इस योजना का मूल उद्देश्य देश में भूमि रिकार्डों का "आन-लाइन" प्रबंधन करना है।

दमन और दीव प्रशासन ने सूचित किया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में भूमि रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठाए गए हैं और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा आवश्यक साफ्टवेयर पहले ही विकसित कर लिया गया है।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

1509. श्री अनन्त नायक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल.) का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) विनिवेश आयोग अपनी बारहवीं रिपोर्ट में हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल.) के कार्यकलापों को "नॉन कोर" के रूप में वर्गीकृत किया था और भारत सरकार की होल्डिंग नीतिपरक क्रेता को आंशिक रूप में

विनिवेश की सिफारिश की थी जिसमें 26% सरकार के पास होगा। विनिवेश से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने 19 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में एच.ओ.सी.एल. में सरकार की 58.61% कुल इक्विटी में से 32.61% का विनिवेश करने के लिए अनुमोदित किया था, इसके साथ ''नीतिगत क्रेता'' को प्रबंध नियंत्रण का अंतरण भी शामिल है। विनिवेश प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली पुलिस द्वारा गश्त लगाना

1510. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के विशेषकर रात्रि में लगाए जाने वाली सामान्य गश्त और पुलिस स्टेशनों में उनके कार्यकरण में बड़ी कामियां पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस की पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहनों, मोटर साईकलों पर मोबाइल गश्त और बीट गश्त द्वारा गश्त लगाने की एक सुविचारित प्रणाली है। इन प्रबंधों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा नेमी और आकस्मिक गश्त द्वारा आगे और सुदृढ़ किया गया है और इसमें गुणात्मक सुधार लाने हेतु वर्तमान प्रणाली की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

भिलाई इस्पात संयंत्र में खिलाड़ियों का चयन

1511. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र को खिलाड़ियों का चयन करने का गौरव प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संयंत्र के कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी संयंत्र द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। भिलाई इस्पात संयंत्र उन खिलाड़ियों का चयन करता है जिन्हें वृत्ति के आधार पर तीन वर्षों के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों के रूप में भर्ती किया जाता है। उनके कार्य निष्पादन के आधार पर उन्हें रोजगार देने पर विचार किया जाता है।

(ग) भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों तथा अन्य स्थानीय लोगों के अतिरिक्त कर्मचारियों के आश्रित और स्कूलों में अध्ययन कर रहे बच्चे संयंत्र द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं।

(घ) प्रतियोगिताओं में भाग लेने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय

1512. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो खोले जाने वाले ऐसे कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) देश के किसी भी भाग में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नए क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को मध्य प्रदेश सरकार से वहां पर कोई नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने संबंधी कोई

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, राज्य में दो क्षेत्रीय कार्यालय, एक भोपाल में तथा दूसरा जबलपुर में, पहले से ही कार्यरत हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में भ्रष्टाचार

1513. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य आसूचना अभिकरणों द्वारा इस मामले की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) मंत्रालय में कतिपय संसद सदस्यों तथा अन्य संगठनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें सी.सी.एल. के बढ़ते हुए घाटे, अतिरिक्त पुर्जों की खरीद में की गई हेरा-फेरी, आर.एन. मिश्रा समिति रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई में हुई अनियमितताओं, भूतपूर्व सैनिक परिवहन कंपनियों द्वारा कोयला परिवहन में की गई अनियमितताओं, आदि के बारे में आरोप लगाया गया था।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त शिकायतों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से जांच की गई। चूंकि आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका था। अतएव मामलों को बंद कर दिया गया। बहरहाल, जैसाकि सी.बी.आई. ने सूचना दी थी, उन्होंने 17.11.2000 को सीसीएल/सीआईएल के भूतपूर्व कोयला नियंत्रक, सी.एम.डी.-सी.सी.एल. तथा चार अन्य अधिकारियों के परिसरों की तलाशी ली थी। सी.बी.आई., रांची शाखा ने 15.11.2000 को एक आर.सी. 13(ए)/2000 (आर) दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में कोल इंडिया लि. द्वारा वृक्षारोपण

1514. श्री के.पी. सिंह देव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) का विचार उड़ीसा में जैव-मंडल सम्पदा के संरक्षण, बचाव, रख-रखाव एवं वहां वृक्षारोपण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर खर्च होने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल. के कमांड क्षेत्र से बाहर जैव-मंडल सम्पदा के संरक्षण, बचाव, रख-रखाव तथा वहां वृक्षारोपण करने के संबंध में महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) का कोई प्रस्ताव नहीं है। महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) अपने कमांड क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के लिए दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना

1515. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य विशेषकर उत्तर प्रदेश में तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में इन योजनाओं के तहत योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित/उपयोग की गई है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत राज्यवार कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन, उपयोग और वास्तविक उपलब्धि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण II और III में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक लक्ष्य रा.प. लाभ योजना	लाभार्थियों की संख्या रा. मातृत्व लाभ योजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	466000	29188
2.	अरुणाचल प्रदेश	19365	556
3.	असम	280378	14931
4.	बिहार	549664	11869
5.	छत्तीसगढ़	162400	15970
6.	गोवा	2985	118
7.	गुजरात	60000	1527
8.	हरियाणा	57244	521
9.	हिमाचल प्रदेश	25272	295
10.	जम्मू व कश्मीर	33895	552
11.	झारखण्ड	185084	4477
12.	कर्नाटक	316200	6242
13.	केरल	149178	3674
14.	मध्य प्रदेश	357077	27924
15.	महाराष्ट्र	444285	9872
16.	मणिपुर	27449	497
17.	मेघालय	37678	694
18.	मिजोरम	10525	208
19.	नागालैण्ड	27364	347
20.	उड़ीसा	343400	12949
21.	पंजाब	41324	1290
22.	राजस्थान	157536	4502
23.	सिक्किम	10104	208
24.	तमिलनाडु	350000	18315
25.	त्रिपुरा	60412	1181
26.	उत्तर प्रदेश	839931	26687
27.	उत्तरांचल	43063	2370
28.	पश्चिम बंगाल	353900	9382
29.	अंडमान निकोबार	1857	27
30.	चण्डीगढ़	1459	27
31.	दादरा व नगर हवेली	1260	27
32.	दमन व द्वीव	265	27
33.	दिल्ली	26665	303
34.	लक्षद्वीप	199	27
35.	पांडिचेरी	5240	27
	कुल	5448660	206810

*नए राज्य

विवरण II

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन				रिलीज			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4361.76	4361.76	4361.76	4361.76	4327.75	4439.38	4361.76	3217.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	45.86	57.12	181.26	15.26	1.94	7.07	7.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	656.14	656.14	826.98	2624.34	333.25	724.49	745.87	1268.28
4.	बिहार	7248.38	6552.00	6877.24	5144.85	4766.66	6685.08	5761.09	2892.57
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	1243.22	—	—	—	789.06
6.	गोवा	10.30	20.59	27.94	27.94	7.73	23.17	27.94	13.98
7.	गुजरात	825.77	514.60	561.60	561.60	369.99	357.14	320 92	280.83
8.	हरियाणा	352.87	352.87	535.80	535.80	274.96	295.46	498.94	253.98
9.	हिमाचल प्रदेश	108.58	108.58	236.55	236.55	97.79	125.53	233.29	143.84
10.	जम्मू व कश्मीर	248.98	248.98	317.26	317.26	138.24	201.91	299.55	188.93
11.	झारखण्ड	—	—	—	1732.39	—	—	—	930.50
12.	कर्नाटक	2959.63	2959.63	2959.63	2959.63	1771.37	3649.63	2959.63	1479.89
13.	केरल	1352.52	1252.37	1396.31	1396.31	815.67	1377.55	1274.72	685.19
14.	मध्य प्रदेश	4584.53	4585.46	4585.46	3342.24	4870.56	4660.82	4610.76	2221.95
15.	महाराष्ट्र	2347.96	3996.72	4158.51	4158.51	2423.45	3252.35	3047.39	2306.47
16.	मणिपुर	97.34	97.34	103.06	327.06	33.96	18.82	87.71	147.46
17.	मेघालय	94.54	94.54	111.13	352.67	34.07	81.33	94.79	158.59
18.	मिजोरम	37.44	37.44	37.44	98.51	21.72	47.55	29.20	50.24
19.	नागालैण्ड	66.46	66.46	80.71	256.13	37.18	9.41	41.02	97.81
20.	उड़ीसा	2652.62	3120.62	3120.62	3682.21	2550.36	2289.62	3573.63	2006.04
21.	पंजाब	341.64	280.80	386.79	386.79	170.82	159.72	317.91	235.82
22.	राजस्थान	1030.50	1404.00	1474.54	1474.54	495.33	941.57	1420.79	907.80
23.	सिक्किम	22.47	22.47	29.80	94.57	6.72	38.21	14.90	47.30
24.	तमिलनाडु	3668.18	3276.00	3276.00	3276.00	3629.66	2384.62	3158.57	2167.98
25.	त्रिपुरा	146.02	146.02	178.19	565.46	124.32	137.68	178.18	282.73
26.	उत्तर प्रदेश	9617.40	7956.00	8264.83	7861.76	8676.49	7155.07	7315.09	4557.57
27.	उत्तरांचल	—	—	—	403.07	—	—	—	233.89
28.	पश्चिम बंगाल	3312.50	3312.50	3312.50	3312.50	2431.37	2909.68	4216.81	1656.25
29.	अंडमान निकोबार	2.81	5.62	17.38	17.38	0.00	0.00	8.69	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चण्डीगढ़	6.08	12.17	13.66	13.66	2.92	0.00	13.66	6.83
31.	दादरा व नगर हवेली	2.81	2.81	11.80	11.80	1.41	1.41	0.00	5.90
32.	दमन व द्वीव	1.88	1.87	2.48	2.48	0.94	1.87	2.48	1.24
33.	दिल्ली	177.84	177.84	249.58	249.58	177.84	88.92	124.79	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.94	0.94	1.86	1.86	0.47	0.00	0.93	0.00
35.	पांडिचेरी	14.04	14.04	49.05	49.05	21.06	21.06	49.05	24.53
	कुल	46396.79	45685.24	47623.58	51260.75	38629.05	42080.99	44797.13	29268.66

*नए राज्य
एन.आर. - सूचित नहीं
**24.11.2000 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	सूचित व्यय				वास्तविक उपलब्धि (संख्या)			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	2643.80	4347.59	4772.39	2325.65	42773	466001	466000	466004
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.04	5.71	4.00	एन.आर.	277	445	2347	एन.आर.
3.	असम	290.84	691.70	760.11	256.13	45853	100136	85052	50347
4.	बिहार	4492.48	6556.47	6904.00	1579.22	705445	705471	741195	379408
5.	छत्तीसगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	505.89	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	131395
6.	गोआ	8.46	24.93	20.24	12.74	1758	2195	2195	2195
7.	गुजरात	437.63	490.67	337.22	76.04	54071	66830	63862	6035
8.	हरियाणा	264.53	343.84	368.80	60.63	34112	37700	33201	8846
9.	हिमाचल प्रदेश	95.96	97.91	190.98	120.37	11343	10688	15176	24050
10.	जम्मू व कश्मीर	170.77	226.41	295.14	0.31	28580	35194	26932	2634
11.	झारखण्ड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	209.36	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	114538
12.	कर्नाटक	2697.06	2924.41	2518.49	668.28	765015	186825	195235	162342
13.	केरल	1029.61	1243.74	1191.70	340.77	96255	118974	119507	54250
14.	मध्य प्रदेश	5565.32	6278.26	4933.75	1572.51	96255	731149	586400	406115
15.	महाराष्ट्र	1584.71	2989.27	3075.50	1378.85	279660	304696	70714	256486

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	मणिपुर	38.15	35.17	73.55	92.13	7456	2720	5836	1022
17.	मेघालय	54.59	97.78	77.40	58.85	10068	8897	9102	7146
18.	मिजोरम	17.78	46.77	35.80	41.33	359616	3360	4094	8581
19.	नागालैण्ड	17.63	17.98	30.59	23.98	3215	2251	4617	4100
20.	उड़ीसा	2434.33	2843.69	2970.34	1152.53	279473	332290	330272	343597
21.	पंजाब	211.87	328.50	280.99	20.37	27571	36500	32659	0
22.	राजस्थान	688.36	1201.42	96.35	420.16	124194	240253	451325	41192
23.	सिक्किम	21.60	21.60	21.60	47.28	2400	2400	608	4904
24.	तमिलनाडु	2916.92	3173.44	3789.20	1835.31	2628207	316125	398791	2090833
25.	त्रिपुरा	121.24	165.63	164.70	1.08	15600	15503	15507	8004
26.	उत्तर प्रदेश	8029.60	8830.51	8447.25	1650.63	975527	981692	940539	214845
27.	उत्तरांचल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	206.77	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	32426
28.	पश्चिम बंगाल	2538.63	3616.09	3627.51	1512.59	329365	346565	350810	329434
29.	अंडमान निकोबार	0.06	0.49	0.00	एन.आर.	303	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
30.	चण्डीगढ़	9.71	3.84	6.80	एन.आर.	1368	NR	1763	एन.आर.
31.	दादरा व नगर हवेली	1.42	1.65	0.57	एन.आर.	271	एन.आर.	252	एन.आर.
32.	दमन व द्वीव	0.79	1.50	2.36	0.76	95	203	262	259
33.	दिल्ली	166.77	101.65	109.00	एन.आर.	19814	24156	24156	एन.आर.
34.	लक्षद्वीप	0.55	0.01	0.00	0.05	112	2	एन.आर.	23
35.	पांडिचेरी	21.06	6.87	29.17	एन.आर.	1500	1500	1500	एन.आर.
	कुल	36572.87	46715.50	45136.50	16087.90	7324137	5080721	4980109	51509765

*नए राज्य

एन.आर.-सूचित नहीं।

**24.11.2000 की स्थिति

विवरण II

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन				रिलीज			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2247.96	3823.04	3035.50	3035.50	2211.43	3861.30	3035.52	2276.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.88	22.88	22.88	57.78	5.52	3.04	1.90	2.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	646.36	646.36	646.36	1552.78	309.62	339.74	464.33	802.59
4.	बिहार	1934.04	1768.00	1700.02	1234.38	1114.26	1024.96	1632.27	649.36
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	1053.35	—	—	—	742.00
6.	गोवा	11.44	13.00	12.22	12.22	5.72	6.50	18.72	6.12
7.	गुजरात	377.52	156.00	158.76	158.76	0.00	75.54	122.56	90.32
8.	हरियाणा	77.22	31.20	54.21	54.21	53.92	27.69	44.43	24.31
9.	हिमाचल प्रदेश	21.39	40.04	30.72	30.72	20.67	24.81	29.37	16.29
10.	जम्मू व कश्मीर	52.36	62.40	57.38	57.38	26.74	38.11	52.19	35.72
11.	झारखण्ड	—	—	—	465.63	—	—	—	233.89
12.	कर्नाटक	649.22	143.52	649.22	649.22	18.91	108.90	637.66	307.51
13.	केरल	233.80	530.40	382.10	382.10	198.89	347.14	406.72	209.81
14.	मध्य प्रदेश	2808.52	5106.40	3957.46	2904.11	2595.08	3901.15	4358.63	1829.01
15.	महाराष्ट्र	1026.74	1026.74	1014.01	1026.74	653.57	789.29	877.61	609.54
16.	मणिपुर	28.60	28.60	28.60	65.00	9.85	6.15	23.40	29.21
17.	मेघालय	34.32	34.32	34.32	72.22	9.78	19.68	21.23	41.36
18.	मिजोरम	11.44	11.44	11.44	21.67	6.64	9.73	5.73	9.33
19.	नागालैण्ड	17.16	17.16	17.16	36.11	5.01	2.58	6.30	18.08
20.	उड़ीसा	948.78	1744.60	1346.69	1346.69	699.34	1124.14	1346.11	787.88
21.	पंजाब	125.84	142.48	134.16	134.16	62.92	74.51	117.03	65.14
22.	राजस्थान	468.16	468.16	468.16	468.16	252.66	399.19	464.23	274.22
23.	सिक्किम	5.72	5.72	5.72	21.67	2.28	2.28	2.86	0.00
24.	तमिलनाडु	1904.76	1904.76	1904.76	1904.76	1758.69	1463.87	1776.25	1476.01
25.	त्रिपुरा	51.48	93.60	72.54	122.78	39.63	63.64	55.84	51.35
26.	उत्तर प्रदेश	2923.81	3120.00	3021.90	2775.42	1452.17	1996.23	2871.76	1563.89
27.	उत्तरांचल	—	—	—	246.48	—	—	—	157.09
28.	पश्चिम बंगाल	903.76	1047.70	975.73	975.73	206.88	332.37	849.43	469.06
29.	अंडमान निकोबार	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	1.43	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चण्डीगढ़	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	2.86	1.43
31.	दादरा व नगर हवेली	2.86	2.86	2.86	2.86	4.29	1.43	0.00	1.43
32.	दमन व द्वीव	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	1.44	0.29	0.28
33.	दिल्ली	31.46	31.46	31.46	31.46	31.46	15.73	15.73	0.00
34.	लक्षद्वीप	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	1.43	0.00
35.	पांडिचेरी	2.86	2.86	2.86	2.86	1.42	2.86	1.43	0.00
	कुल	17581.88	22037.14	19790.64	20914.35	11760.21	16064.00	19245.30	12780.99

*नए राज्य

एन.आर. - सूचित नहीं

**24.11.2000 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	सूचित व्यय				वास्तविक उपलब्धि (संख्या)			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	2764.42	4042.25	3132.97	1567.69	36760	38661	30418	19069
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.03	2.49	3.23	एन.आर.	21	41	35	0
3.	असम	233.51	387.28	464.67	324.88	3916	5545	4863	3214
4.	बिहार	1159.51	1510.79	1718.08	600.01	20654	23184	21538	5848
5.	छत्तीसगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	622.16	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	4726
6.	गोवा	8.20	7.05	22.67	6.64	123	123	260	81
7.	गुजरात	35.69	158.78	220.59	33.36	780	2552	2540	83
8.	हरियाणा	65.17	50.98	29.33	12.65	661	867	461	284
9.	हिमाचल प्रदेश	13.67	19.97	40.47	13.42	351	289	451	128
10.	जम्मू व कश्मीर	38.65	39.49	53.83	1.95	586	478	515	22
11.	झारखण्ड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	103.69	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	1053
12.	कर्नाटक	102.54	232.89	542.04	187.00	1412	2105	4012	2542
13.	केरल	254.19	384.72	329.55	123.93	5100	6501	4701	1544
14.	मध्य प्रदेश	2828.77	4319.98	4001.60	1214.51	47912	54353	37766	10814
15.	महाराष्ट्र	567.35	1064.55	1026.51	444.69	7172	20944	16884	6116

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	मणिपुर	11.67	0.00	17.59	2.84	39	66	103	27
17.	मेघालय	7.43	15.37	24.74	12.30	109	211	202	58
18.	मिजोरम	0.97	8.83	2.75	9.33	14	91	73	90
19.	नागालैण्ड	4.24	1.70	7.70	1.59	50	0	58	एन.आर.
20.	उड़ीसा	685.82	1019.63	1291.95	499.00	16605	16328	16858	6125
21.	पंजाब	72.10	54.26	87.06	8.20	1364	949	407	एन.आर.
22.	राजस्थान	424.90	629.57	461.66	77.60	8001	9498	4747	376
23.	सिक्किम	2.28	2.28	2.76	एन.आर.	20	13	एन.आर.	एन.आर.
24.	तमिलनाडु	1414.76	1742.29	2039.74	1314.44	26455	36184	18591	13371
25.	त्रिपुरा	33.81	51.14	65.31	1.39	900	788	631	9
26.	उत्तर प्रदेश	1777.97	2350.47	2838.32	691.57	31223	35624	38768	6293
27.	उत्तरांचल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	130.35	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	1437
28.	पश्चिम बंगाल	452.28	679.12	952.81	358.76	7422	10730	9886	एन.आर.
29.	अंडमान निकोबार	0.55	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
30.	चण्डीगढ़	1.30	एन.आर.	2.86	एन.आर.	22	एन.आर.	20	एन.आर.
31.	दादरा व नगर हवेली	0.08	5.47	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	53	एन.आर.	एन.आर.
32.	दमन व द्वीव	2.05	0.55	0.60	0.30	30	9	3	2
33.	दिल्ली	53.10	10.70	13.65	एन.आर.	658	197	156	एन.आर.
34.	लक्षद्वीप	2.55	0.15	0.20	एन.आर.	54	3	2	एन.आर.
35.	पांडिचेरी	1.42	2.57	1.46	एन.आर.	25	24	27	एन.आर.
	कुल	13043.98	18795.32	19396.70	8364.25	218439	266411	214976	83312

*नए राज्य

एन.आर. - सूचित नहीं

**24.11.2000 की स्थिति

[अनुवाद]

कोयला कंपनियों की कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट

1516. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न कोयला कंपनियों से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की विभिन्न कोयला कंपनियों के कार्यकरण तथा वास्तविक परिणामों में व्याप्त असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला एककों के विकास पर किए गए कुल व्यय का अद्यतन सांख्यिकीय ब्यौरा उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को कोयला कंपनियों से कार्य-निष्पादन रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। कार्य-निष्पादन रिपोर्टों में मानकों यथा-उत्पादन, ऊपरी मलबा को हटाना, तंत्र क्षमता उपयोग, प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन, कुल उठान, प्रेषण, योजनागत व्यय, लाभ उत्पादन तथा राज्य विद्युत बोर्ड देय राशि आदि की उपलब्धियां शामिल होती हैं।

(ग) कोयला कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रणोद क्षेत्रों (थ्रस्ट एरिया) में कार्रवाई करने के लिए कंपनियों को सलाह दी है:-

(1) नई खानें खोलना और आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए तथा निविष्टियों और आधार संरचनात्मक सुविधाओं की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान खानों में कार्यकुशलता तथा उत्पादकता को बढ़ाना;

(2) कोयला परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भूमि अर्जन तथा वन भूमि की अनुमति प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाना;

(3) चूककर्ता एस.ई.बी. के विरुद्ध कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) कोयला-बिक्री की बकाया राशि को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई करना;

(4) वर्धित उत्पादन की संभाव्यता वाले कोलफील्ड्स क्षेत्रों में परिवहन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे से मिलकर कदम उठाना;

(5) उपर्युक्त के अलावा कोयला कंपनियों को कोयले की उत्पादन लागत को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए जिसके लिए उन्हें निम्नलिखित विभिन्न उपाय करने चाहिए यथा-जनशक्ति का यौक्तिकीकरण, क्षमता उपयोग में सुधार, कोयला परियोजनाओं को समय से पूरा करने में सामने आने वाली दिक्कतों को दूर करना, न्यायोचित योजना तैयार करना, व्यय में किफायत तथा अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखना;

(6) चुनिंदा खनन तथा परिष्करण के माध्यम से कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाना;

(7) नई परियोजनाओं में निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों की अनुपूर्ति करना और ग्रीनफील्ड परियोजना के विकास के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध पद्धति तथा व्यवस्था शुरू करना; और

(8) खान विकास योजनाओं के साथ पर्यावरण एवं सामाजिक अल्पीकरण उपायों का एकीकरण करना।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार कोयला कंपनियों के मासिक तथा त्रैमासिक व्यय का परिवीक्षण करती है। गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला कंपनियों का कुल व्यय इस प्रकार है:-

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	कोल इंडिया लि.		सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	
	लक्ष्य (सं.अ.)	वास्तविक (अनं.)	लक्ष्य (सं.अ.)	अनंतिम (अनं.)
1998-99	1700.00	1831.97	280.00	206.09
1999-2000	2676.19	2804.28	217.20	141.07
2000-2001	1767.00	692.88*	235.00	51.98*

*सितम्बर, 2000 तक

साइबरस्पेस साझेदारी

1517. श्री सुलतान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायनों, पेट्रोरसायनों तथा औषधियों के क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए फिक्की और अमेरिका-भारत व्यापार परिषद ने साइबरस्पेस साझेदारी की जोरदार ढंग से पैरवी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अमेरिका द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को उठाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फिक्की और अमेरिका-भारत व्यापार परिषद द्वारा इस संबंध में की गई पहल के अनुसमर्थन में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। यू.एस.-इंडिया बिजनेस काउंसिल और एफ.आई.सी.सी.आई. ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि वे रसायनों, पेट्रो रसायनों और भेषजों के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका और भारतीय लघु तथा मझोले उद्यमियों के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस साझेदारी की जोरदार ढंग से पहल करने के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य के प्राधिकारियों को बताया है कि लगाए गए प्रतिबंध अनुचित हैं और ये पूरी तरह से उठा लिए जाने चाहिएं। हालांकि अनेक एक पक्षीय प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने शेष प्रतिबन्धों को उठाने के लिए कोई समय सीमा इंगित नहीं की है।

(ङ) यू.एस. इंडिया बिजनेस काउंसिल और एफ.आई.सी.सी.आई. एक अवलोकन-मूलक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार भारतीय उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए पहल को अपने नीतिगत मानदण्डों की सीमा में समर्थन देगी।

[हिन्दी]

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष संसद सदस्यों का होना

1518. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थानीय संसद सदस्यों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष नामित किए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने संसद सदस्यों को ऐसी समितियों का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है;

(घ) बाकी संसद सदस्यों को ऐसी समितियों का अध्यक्ष कब तक मनोनीत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) हालांकि माननीय संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) के शासी निकायों के तथा ब्लाक स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के सदस्य हैं, लेकिन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कार्यों में उनकी भूमिका को और अधिक बढ़ाने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड

1519. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले 18 महीनों से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दे रहे हैं उन्हें भी जी.पी.एफ., उपदान तथा अन्य पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने 6 जुलाई, 1999 को एक वित्तीय पुनर्गठन एवं वित्तीय सहायता पैकेज को अनुमोदित किया था। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार 97.10 करोड़ रुपए के योजना ऋण को साम्या में परिवर्तित करना।

(2) भारत सरकार के 31.3.1999 तक के सभी ऋणों की अदायगी पर 10 वर्ष के लिए ऋण स्थगन तथा ब्याज से मुक्ति प्रदान करना।

(3) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार 957.81 करोड़ रुपए के भारत सरकार के सभी बकाया ऋणों और उस पर प्रोद्भूत ब्याज को माफ करना।

(4) वर्ष 1999-2000 के दौरान एच.एस.सी.एल. को केवल उसकी सांविधिक देयताओं को पूरा करने के

लिए गैर-योजना ऋण के रूप में 79.33 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। यह ऋणों की अदायगी पर ऋण स्थगन सहित 5 वर्ष के लिए ब्याज से मुक्त होगा बशर्ते कि 5 वर्ष की समाप्ति पर इसकी समीक्षा की जाए।

(5) ऋण पर ब्याज माफ करने के कारण हुए अप्रत्याशित लाभ के चलते, वर्ष 1999-2000 में निगमित करके भुगतान से छूट।

(6) 1% गारंटी कमीशन को माफ करने सहित 12 करोड़ रुपए के नकद ऋण तथा 80 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी सुविधाओं के लिए सरकारी गारंटी को जारी रखना।

(7) 1999-2000 से 2001-02 तक, तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष 2000 कर्मचारियों को पृथक करने हेतु एच.एस.सी.एल. द्वारा बैंकों से 318.36 करोड़ रुपए का ऋण जुटाने के लिए सरकार गारंटी देगी तथा पूरी ब्याज सहायता प्रदान करेगी।

(ग) और (घ) इस्पात उद्योग में मंदी, एच.एस.सी.एल. में अधिक जनशक्ति, सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से अपर्याप्त कार्य-आर्डरों के कारण एच.एस.सी.एल. अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर सकी। एच.एस.सी.एल. की कुछ इकाइयों में कंपनी के कर्मचारियों को पिछले 18 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के संबंध में 31 अक्तूबर, 2000 तक 5661 कर्मचारियों को पृथक किया गया है और कार्यमुक्त कर दिया गया है। अब तक इनमें से 4234 कर्मचारियों को उनके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लाभों का भुगतान किया जा चुका है। 108.54 करोड़ रुपए के शेष ऋण के लिए सरकारी गारंटी दे दी गई है और बैंकों के द्वारा एच.एस.सी.एल. को ऋण संवितरित किए जाने पर शेष कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों का निपटान कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय हिन्दी समिति

1520. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी के समुचित प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति ने तीन समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्रीय हिन्दी समिति की कब तक दोबारा बैठक होने और इन प्रतिवेदनों के अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) दिनांक 22 सितम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के लिए दो उप-समितियां गठित की जायेंगी। तदनुसार दिनांक 7 नवम्बर, 2000 को दो उप-समितियां गृह मंत्री जी तथा मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित हो चुकी हैं। ये उप-समितियां छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय हिन्दी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगी। केन्द्रीय हिन्दी समिति की आगामी बैठक की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासदों को प्रशिक्षण

1521. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नगर पालिका के अध्यक्षों और सभासदों को उनकी भूमिका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी सहायता प्रदान की गयी/प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं/संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने इस संबंध में इस प्रकार की सहायता का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो नगर पालिका के निर्वाचित अधिकारियों में व्यावसायिकता की भावना लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) नगरपालिकाओं के विभिन्न कार्यनिर्वाहकों को प्रशिक्षण देने हेतु शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई स्थित शहरी और पर्यावरणीय अध्ययन के क्षेत्रीय केन्द्रों, शहरी अध्ययन केन्द्र, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली, तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली को भी मंत्रालय सहायता अनुदान दे रहा है। ये संस्थान नगरपालिका अध्यक्षों और सभासदों के लिए शहरी प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रबंधन विषयों पर अल्पकालिक पुनश्चर्या तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान नगरपालिका निकायों के विभिन्न कार्यनिर्वाहकों के लाभ के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इन संस्थानों हेतु 3.29 करोड़ रु. की सहायता-अनुदान राशि रखी गई है।

(घ) और (ङ) ये प्रशिक्षण संस्थान राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध/मांग करने पर नगरपालिका कार्मिकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्वाचित नगरपालिका कर्मियों में व्यावसायिकता तथा प्रबन्धन क्षमताओं का सृजन करना है। चूंकि यह एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, अत: इन संस्थानों द्वारा आधुनिक/नूतन प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाकर इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं।

प्रतिबन्धित क्षेत्र अनुज्ञा-पत्र

1522. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम, त्रिपुरा तथा मेघालय जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों से प्रतिबन्धित क्षेत्र अनुज्ञा-पत्र वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंधित क्षेत्र अनुज्ञा-पत्र प्रणाली किन-किन राज्यों में है; और

(ग) इन प्रतिबन्धों के कब तक पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विदेशियों विषयक (निर्बन्धित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अन्तर्गत पूर्वोत्तर के सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध विद्यमान हैं।

(ग) प्रतिबंधित/निर्बन्धित क्षेत्र शासन प्रणाली से संबंधित नीति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा उस क्षेत्र की संवेदनशीलता, सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति और विद्रोह की समस्या को ध्यान में रखने हुए समुचित निर्णय लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

समुद्री सम्पदा

1523. श्री ब्रजमोहन राम :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महासागरों में खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के अपार भण्डार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन संसाधनों के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) 1.4.1999 को अपतट क्षेत्रों में पूर्वानुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधन 18,725 मिलियन मीट्रिक टन है।

सरकार द्वारा पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से नये हाइड्रोकार्बन भण्डारों का पता लगाने तथा तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, गहरे जल एवं सीमाग्र क्षेत्रों में अन्वेषण बढ़ाकर, अन्वेषण ब्लाकों हेतु विभिन्न बोली चक्रों के माध्यम से अन्वेषण कार्यकलापों में निजी भागीदारी को बढ़ाकर, एवं नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति, इत्यादि विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम

1524. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और भारतीय पुनर्वास परिषद ने विकलांगों के लिए एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और भारतीय पुनर्वास परिषद के बीच इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां तो इस कार्यक्रम के तहत विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम से ये लोग किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस विश्वविद्यालय और भारतीय पुनर्वास परिषद ने समाज के विकलांग तबके के विशेष लक्षित वर्गों को अधिकार संपन्न बनाने संबंधी प्रसार, प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के संवर्धन तथा कार्यान्वयन के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास करने के लिए 21 सितम्बर 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मल्टी मीडिया दूरस्थ पद्धति के जरिए कार्यक्रम बनाने तथा विशेष शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रम विकसित करने के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद को सहयोग देगा और ऐसे प्रमाणपत्र तथा डिग्री कार्यक्रमों की प्रदायगी तथा प्रमाणन की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाएगा।

[हिन्दी]

अनुच्छेद 356 पर श्वेत पत्र

1525. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद में अनुच्छेद 356 पर आम चर्चा कराने तथा इस पर एक श्वेत-पत्र जारी करने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले से संबंधित नवीनतम स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) अन्तर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठकों में अनुच्छेद 356 चर्चा का विषय वस्तु रही है। स्थायी समिति की छठी बैठक में इस विषय को उप-समिति को सौंपा गया था जिसमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हैं तथा जिसका संयोजन केन्द्रीय रक्षा मंत्री करते हैं। मामले पर 22 जनवरी, 1999 को हुई अन्तर-राज्यीय परिषद की बैठक में भी चर्चा की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री के संयोजन में इस उप-समिति को सर्व-सम्मति प्राप्त करने हेतु विचार-विमर्श जारी रखना चाहिए।

अप्रैल, 2000 में केन्द्रीय रक्षा मंत्री के संयोजन में एक उप-समिति का पुनर्गठन किया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री सदस्य हैं।

[अनुवाद]

सबके लिए आवास

1526. श्री अनन्त नायक : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ''सबके लिए आवास'' प्रदान करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(घ) इस योजना में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ वर्गों को इस योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को विशेषकर कृषि और भूमिहीन श्रमिकों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार नौवीं योजना अवधि के अंत तक सम्पूर्ण आश्रय की कमी को समाप्त करने के लिए दसवीं योजना अवधि के अंत तक सभी बेकार कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के सभी उपाय कर रही है।

(ग) इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण विकास के लिए ऋण-सह-सब्सिडी योजना जोकि दो आबंटन आधारित केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण विकास के लिए ऋण-सह-सब्सिडी योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन की जाती हैं। जहां तक समग्र आवास योजना, ग्रामीण आवास के लिए अभिनव चरण और ग्रामीण निर्मिति केन्द्र कार्यक्रमों का संबंध है, जैसा कि ये परियोजना आधारित हैं, केन्द्र सरकार सारी निधियां मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना: ग्रामीण आवास के अंतर्गत निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ङ) से (छ) पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) के अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। ये दोनों योजनाएं प्राथमिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूर श्रेणी के परिवारों के लिए लक्षित हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे की कृषि और भूमिहीन श्रमिक श्रेणी भी शामिल हैं। समग्र आवास योजना 24 राज्यों के 25 चयनित खंडों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण आवास के लिए ऋण-सह-सब्सिडी योजना

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98* केन्द्रीय रिलीज	1998-99* केन्द्रीय रिलीज	1999-2000*** केन्द्रीय रिलीज	2000-2001*** केन्द्रीय रिलीज (अद्यतन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9603.38	9515.81	11811.54	9660.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.21	118.47	841.47	271.75
3.	असम	2931.07	5004.32	14332.95	8177.40
4.	बिहार	15130.72	23478.11	30780.78	16791.56
5.	गोवा	51.46	29.21	64.47	27.20
6.	गुजरात	3424.02	3503.67	3332.10	3243.00
7.	हरियाणा	758.55	2035.25	1485.04	585.50
8.	हिमाचल प्रदेश	467.78	712.84	465.82	257.50
9.	जम्मू व कश्मीर	607.12	1079.80	143.62	0.00
10.	कर्नाटक	5820.36	5657.27	4531.78	2957.91
11.	केरल	2148.56	3210.84	3199.89	1776.01
12.	मध्य प्रदेश	11695.62	14391.74	9568.53	4763.52
13.	महाराष्ट्र	9968.74	13644.95	10773.02	5248.45

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	56.69	163.08	177.45	122.75
15.	मेघालय	46.73	159.16	651.49	398.65
16.	मिजोरम	54.47	85.75	297.05	224.94
17.	नागालैण्ड	435.83	454.13	773.28	371.66
18.	उड़ीसा	7443.57	10225.13	13822.56	14427.11
19.	पंजाब	478.32	950.27	702.97	364.38
20.	राजस्थान	3888.40	5221.40	2808.49	1767.35
21.	सिक्किम	41.21	104.13	123.90	99.64
22.	तमिलनाडु	8708.09	8375.09	6609.32	3202.31
23.	त्रिपुरा	144.84	654.95	1501.52	840.62
24.	उत्तर प्रदेश	22995.15	32561.68	22438.90	10807.93
25.	पश्चिम बंगाल	4547.01	6363.00	8599.70	6887.18
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	47.27	0.00	0.00	38.37
27.	दादरा व नगर हवेली	11.63	30.66	34.50	0.00
28.	दमन व दीव	7.49	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	1.50	0.00
30.	पांडिचेरी	93.85	64.01	33.50	33.50
	कुल	111711.14	147794.72	149907.14	93346.73

*केवल इंदिरा आवास योजना

**इंदिरा आवास योजना और ऋण-सह-सब्सिडी योजना

***1999-2000 और 2000-01 से केन्द्रीय रिलीजों में इंदिरा आवास योजना और ऋण-सह-सब्सिडी योजना को शामिल कर लिया गया है। ग्रामीण आवास के लिए ऋण-सह-सब्सिडी योजना 20 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

कोयले का दोहन

1527. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुले मुहाने वाली और भूमिगत खानों से ग्रेडवार कोयले का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का पता लगाने में सक्षम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे कोयले का पता लगने के परिणामस्वरूप आयात में कितनी कमी आने की संभावना है; और

(ङ) देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के दोहन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.)

की भूमिगत (भू.ग.) और ओपनकास्ट (ओ.का.) खानों में कोयले का श्रेणी-वार उत्पादन इस प्रकार है:-

(लाख टन में)

ग्रेड	भू.ग.	ओ.का.	जोड़
कोककर कोयला	111.14	161.26	272.40
अ-कोककर कोयला			
ग्रेड ए	30.31	5.48	35.79
ग्रेड बी	152.03	51.53	203.56
ग्रेड सी	131.98	255.69	387.67
ग्रेड डी	82.83	244.16	326.99
ग्रेड ई	10.29	439.62	449.91
ग्रेड एफ	4.66	924.85	929.51
कुल अ-कोककर	412.10	1921.33	2333.43
कुल जोड़	523.24	2082.59	2605.83

(ख) और (ग) जी, हां। कोल इंडिया के कमान क्षेत्रों में दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंकलित उच्च ग्रेड (ग्रेड ए, बी, सी और डी-प्रमाणित वर्ग) के कोयला भंडारों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

गहराई मीटर	ग्रेड-ए	ग्रेड-बी	ग्रेड-सी	ग्रेड डी	जोड़
0-600	1158	3966	8481	10338	23943

प्रमाणित कोयला भंडार विस्तृत ड्रिलिंग के माध्यम से सिद्ध किए जाने हैं। ड्रिलिंग मुख्यत: केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (सी.एम.पी.डी.आई.) और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) द्वारा किए जाते हैं।

(घ) कोयले के प्रमाणित उच्च ग्रेडों का मात्र पता लगाने/खोज से उच्च श्रेणी कोयले के उत्पादन में तुरंत वृद्धि नहीं होगी क्योंकि विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तैयार करना, आधार-संरचना की योजना तैयार करना और विकास, उपभोक्ताओं को सम्बद्ध करना, पर्यावरणीय अनुमति, निधियन स्रोत और आर्थिक व्यवहार्यता जैसे कुछ ऐसे अतिरिक्त कार्य हैं जो किसी परियोजना को अनुमोदित तथा शुरू किए जाने से पहले किए जाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा दिखाई नहीं देता है कि इसकी वजह से कोयले के आयात पर तत्काल कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) भूमिगत खानों में कोयले का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादित कोयला में पत्थरों/शेल का मिश्रण होने से बचा जा सके।

(2) हाथ से या मशीन द्वारा विस्फोट करने से पहले कोयला बैंच को साफ करना ताकि खनन करते समय विस्फोटित कोयले में धूल/ऊपरी मलबे का मिश्रण होने से बचा जा सके।

(3) उत्पादित कोयले के साथ किसी भी तरह ऊपरी मलबे का मिश्रण को कम करने के लिए मलबे वाले फेसों को काफी आगे रखना ताकि उत्पादित कोयले में मलबा मिश्रित न हो।

(4) कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रेलवे साइडिंग पर कोयला डिपों में तथा वैगनों में कोयला लोड करते समय हाथ में पत्थरों/शैल को निकालना।

(5) उचित गुणवत्ता वाले कोयले को मशीन द्वारा लोड करने और बाहरी पदार्थ को अलग करने के लिए मिनी सी.एच.पी./सी.एच.पी. लगाना।

(6) कोककर और अ-कोककर दोनों प्रकार के कोयले के लिए वाशरियां संस्थापित करना।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं

1528. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रदत्त धनराशि में वृद्धि करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई समाधियों का विकास

1529. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई समाधियों के विकास के संबंध में हाल ही में कोई निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये निर्णय लिए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि अब आगे से दिवंगत नेताओं के लिये कोई समाधि सरकार नहीं बनायेगी। लेकिन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय नेताओं की पूर्व निर्मित समाधियों की देख-भाल करता रहेगा। दिल्ली में तथा श्रीपेरम्बूदुर में विभिन्न समाधियों के निर्माण और विकास पर करीब 42 करोड़ रु. का पूंजीगत खर्च हुआ है।

(ग) दिल्ली में यमुना किनारे लगातार एक के बाद एक समाधि बनने से यमुना तट पर उपलब्ध सरकारी जमीन लगातार कम होती जा रही है। एक बार किसी समाधि के लिये जमीन आबंटित होने के बाद उसका कोई हिस्सा वापस लेने के लिये किये गये प्रयास से उस दिवंगत नेता के परिवारजनों और अनुयायियों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया जाता है। इस बाबत जब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई जाती, तब तक दिवंगत नेताओं के परिवारजनों और अनुयायियों द्वारा भूमि की मांग की जाती रहेगी। इन समाधियों को बनाने हेतु दिल्ली में पहले से दुर्लभ भूमि का न केवल बहुत बड़ा हिस्सा आबंटित करना पड़ता है, अपितु उन समाधियों के विकास और अनुरक्षण के लिये बड़ी मात्रा में धन की भी आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

समुद्री जल का अन्वेषण

1530. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में किए गए महासागर संबंधी कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी परिणाम क्या रहा;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान पानी भीतर अन्वेषण संबंधी कार्यकलापों में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महासागर में जल संबंधी कार्यकलापों के अन्वेषण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क), (ख) और (ङ) अनुसंधान एवं विकास प्रयासों सहित इस देश में किए जा रहे समुद्र कार्यकलाप एक चल रही प्रक्रिया है। महासागर विकास विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में समुद्र कार्यकलापों का समन्वय कर रहा है।

(1) अंटार्कटिक विज्ञान

(2) समुद्री सजीव संसाधन

(3) समुद्री निर्जीव संसाधन

(4) समुद्र प्रेक्षण एवं सूचना सेवाएं

(5) समुद्री एवं तटीय क्षेत्र प्रबंधन

(6) समुद्री अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण

पिछले तीन वर्षों में इन कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां/परिणाम हैं:

1. वार्षिक अभियान भेजने के माध्यम से वार्षिक अंटार्कटिक अभियान एवं संबंधित ध्रुवीय अनुसंधान कार्यकलापों को जारी रखना एवं स्थायी वैज्ञानिक केन्द्र 'मैत्री' का रखरखाव करना।

2. समुद्र ऊर्जा, गहरा समुद्र खनन प्रौद्योगिकी, तटीय एवं पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, समुद्री यंत्रीकरण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के मिशन मोड कार्यक्रमों को जारी रखना।

3. भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत 70 मीटर गहराई से आगे समुद्री सजीव संसाधनों के मूल्यांकन हेतु एक बहुविधात्मक एवं बहुसंस्थागत कार्यक्रम।

4. यथार्थ समय आधार पर समुद्र वैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक आंकड़ा के संग्रह एवं प्रकीर्णन हेतु 12 आंकड़ा प्लवों को लगाकर राष्ट्रीय आंकड़ा प्लव कार्यक्रम को प्रचालित करके समुद्र प्रेक्षण प्रणाली में सामर्थ्य एवं क्षमता वृद्धि।

5. समुद्र सूचना सेवा हेतु एक समर्पित भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना फरवरी 1999 में हैदराबाद में की गई। यह केन्द्र प्रचालनात्मक आधार पर उपयोक्ता एजेन्सियों को समुद्र आंकड़ा उत्पादों का उत्पादन व प्रकीर्णन करेगा।

6. समुद्र से औषधियां अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, विशेष रूप से मधुमेह रोधी, वाइरल रोधी, अमीबा रोधी, चिन्ता रोधी।

7. संसाधन आवर्धन एवं विदोहन हेतु अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे समुद्र में भारत के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए महाद्वीपीय शेल्फ की बाह्य सीमाओं का रेखांकन प्रारंभ करना।

8. तटीय समुद्र प्रबोधन एवं पूर्वानुमान प्रणाली कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं व्यवस्थित तरीके से समुद्री प्रदूषण के प्रबोधन के लिए तटीय अनुसंधान जलयान का प्रचालन एवं रखरखाव।

9. एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण एवं चुनिन्दा क्षेत्रों के लिए एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं तैयार करना।

10. तूतीकोरिन तट से दूर प्रवहमान 1 मेगावाट के समुद्र ताप ऊर्जा रुपान्तरण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की स्थापना के लिए विभिन्न प्रणालियों एवं उपप्रणालियों के निर्माण/प्राप्ति हेतु इंजीनियरिंग प्राचलों की अभिकल्पना एवं अन्तिम रूप देना।

11. पहली बार, तूतीकोरीन से दूर 410 मीटर जल की गहराई में संयुक्त भागीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित गहरा समुद्र खनन प्रणाली का प्रदर्शन।

12. 250 मीटर तक की गहराई में प्रचालन क्षमता वाला उन्नत अनुसंधान समुद्र वैज्ञानिक जलयान की अभिकल्पना, संरचना एवं चेन्नई तट से दूर इसका परीक्षण किया गया।

13. देशजरुप से अभिकल्पित व संरचित एक ध्वानिक ज्वार प्रमापी को चैन्नई बंदरगाह एवं पोर्टब्लेयर में लगाया गया।

14. एक वाइड बैंड ध्वानिक उप-तली प्रोफाइलर ट्रांसड्यूसर की सफलतापूर्वक अभिकल्पना, संरचना एवं परीक्षण किया गया।

15. ध्वानिक पिंजर का एक आदिरुप 700 मीटर की गहराई में विकास एवं परीक्षण किया गया।

(ग) नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैरजों का आबंटन

1531. श्री अनन्त नायक : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किदवई नगर में गैरजों के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ईस्ट किदवई नगर में डी-II फ्लैटों के आबंटियों को कितने गैरजों का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या वहां गैरजों के आबंटन में प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) डी-II फ्लैट के कितने आबंटी गैरजों के लिए प्रतीक्षा सूची में है;

(च) इन अधिकारियों के नाम, फ्लैट संख्या और पदनाम क्या हैं; और

(छ) इन गैरजों का आबंटन इन्हें कब तक किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) गैराज (दिल्ली में सामान्य पूल) आबंटन नियमावली, 1964 के अनुसार, गैराजों का आबंटन ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से गणना करके इलाका-वार उनकी वरीयता के आधार पर किया जाता है।

(ख) से (घ) 1-1-1998 से आरंभ विगत 3 वर्षों के दौरान, किदवई नगर ईस्ट में नियमानुसार 25 गैराज आबंटित किये गये हैं।

(ङ) से (छ) किदवई नगर ईस्ट में गैराज आबंटन हेतु प्रतीक्षारत आबंटियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि आबंटन रिक्तियां होने पर ही किये जाते हैं, अतः किसी निश्चित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

विवरण

किदवई नगर ईस्ट में गैराजों के आबंटन हेतु प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	नाम-पदनाम सर्व श्री/श्रीमती	फ्लैट नं.
1	2	3
1.	ए.के. सिंह, निदेशक, लोक सभा सचिवालय	65
2.	के.के. गुप्ता, कमांडेंट, डी.जी.बी.एस.एफ.	85
3.	डा. डी.के. शर्मा, सी.एम.ओ. सफदरजंग अस्पताल	17
4.	एन.एस. राठोर, कमांडेंट, डी.जी.बी.एस.एफ.	106
5.	के.एस. नाम्बोदरीपाल, कमांडेंट, आई.टी.बी.पी.	4
6.	के. राममूर्ति, चीफ इंजीनियर, सी.एस.आई.आर.	76
7.	डा. यू.सी. बिसवाल, सीनियर सर्जन, डा. आर.एम.एल. अस्पताल	5
8.	पूरणमल, चीफ इंजीनियर, रक्षा मंत्रालय	9
9.	टी.के. आर्यवीर, डी.डी.(जी.) डाक विभाग	110
10.	डा. एन.एन. शर्मा, सी.एम.ओ., डी.जी., बी.एस.एफ.	12
11.	एन.के. गुप्ता, जी.एम., पी. एंड टी. (एम.टी.एन.एल.)	32
12.	डा. चिन्तामणि, सर्जन स्पेशल ग्रेड-II सफदरजंग अस्पताल	50
13.	डा. पी.के. वर्मा, स्पेशल ग्रेड-II सफदरजंग अस्पताल	102
14.	धीरेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा विभाग	83
15.	ए.के. दुबे, निदेशक, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	90
16.	एस.के. माथुर, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय	36

गांवों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या

1532. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने गांव हैं; और

(ख) ऐसे गांवों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है जिनकी जनसंख्या पांच हजार से अधिक, एक हजार से पांच हजार के बीच, 500 से 1000 के बीच और 500 से कम है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 580779 गांव हैं।

(ख) केन्द्र सरकार के पास गांवों के नाम उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विभिन्न श्रेणियों के गांवों की जनसंख्यावार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में गांवों की जनसंख्या-वार तथा राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	500 से कम	500-999	1000-4999	5000 से अधिक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7092	4764	12943	1787
2.	अरुणाचल प्रदेश	3316	222	107	4

1	2	3	4	5	6
3.	असम	11323	6461	6781	120
4.	बिहार	28820	16344	20415	1934
5.	गोवा	92	64	172	32
6.	गुजरात	3894	4634	8850	650
7.	हरियाणा	1083	1544	3724	408
8.	हिमाचल प्रदेश	14695	1666	631	5
9.	कर्नाटक	9686	7427	9283	670
10.	केरल	4	3	118	1259
11.	मध्य प्रदेश	34895	21673	14690	268
12.	महाराष्ट्र	11703	12408	15347	954
13.	मणिपुर	1523	311	327	19
14.	मेघालय	4832	484	167	1
15.	मिजोरम	461	155	80	2
16.	नागालैंड	649	280	278	9
17.	उड़ीसा	28583	10726	7573	107
18.	पंजाब	3838	3609	4758	223
19.	राजस्थान	16998	10125	10315	451
20.	सिक्किम	176	160	108	3
21.	तमिलनाडु	2064	2851	9389	1518
22.	त्रिपुरा	88	107	551	109
23.	उत्तर प्रदेश	45289	29577	36472	1465
24.	पश्चिम बंगाल	13474	9227	13884	1325
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान निकोबार	380	65	5०	0
2.	चण्डीगढ़	5	2	14	4
3.	दादर व नगर हवेली	12	15	42	2
4.	दमन व द्वीव	3	6	12	3
5.	दिल्ली	16	13	130	40
6.	लक्षद्वीप	2	—	4	1
7.	पांडिचेरी	99	75	86	3
	अखिल भारत	245095	144998	177310	13376

*जम्मू व कश्मीर को छोड़कर क्योंकि वहां 1991 में जनगणना नहीं कराई गई थी।

कोयला परियोजनाएं

1533. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए एक पुनर्वास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को किसी विदेशी एजेंसी से धन दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो पुनर्वास परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल की गई है;

(च) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोयला का उत्पादन, विशेषकर सिंगरेनी कोयला खानों में, किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है;

(छ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कोयला खानों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक तथा जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे.बी.आई.सी.) की सहायता से कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) को वाणिज्यिक रूप से सक्षम, आत्म-निर्भर बनाना था और देश की भावी जरूरत को पूरा करने के लिए कोयला के उत्पादन में वृद्धि करना था।

इस परियोजना में निवेश घटक, तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण घटक शामिल हैं। निवेश घटक का उद्देश्य 24 लाभकारी खनन उप-परियोजनाओं में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच.ई.एम.एम.) की अधिप्राप्ति तथा उक्त परियोजनाओं में से चार में कोयला चढ़ाई-उतराई संयंत्रों (सी.एच.पी.) के निर्माण के लिए निधि व्यवस्था करना था। तकनीकी सहायता का उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन, खनन प्रचालन तथा प्रबंध में कोल इंडिया की संस्थागत क्षमता विकास के लिए धन की व्यवस्था करना था।

(ग) और (घ) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना केलिए 50 : 50 के अनुपात में विश्व बैंक (आई.बी.आर.डी.) तथा जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे.बी.आई.सी.) द्वारा सह-निधि व्यवस्था की जानी थी। कुल ऋण अमरीकी डालर 1030 मिलियन था। इसमें से अमरीकी डालर 522.60 मिलियन का उपयोग किया जा रहा है और शेष अमरीकी डालर 507.40 मिलियन अप्रयुक्त पड़े हैं।

कोल इंडिया लि. ने विभिन्न प्रचालनात्मक कारणों के आधार पर ऋण के अप्रयुक्त शेष भाग को रद्द करने के लिए विश्व बैंक तथा जे.बी.आई.सी. से स्वयं अनुरोध किया था। नरम घरेलू ब्याज दरों तथा तुलन-पत्र के आधार पर घरेलू क्रेडिट का सहारा लेकर उपलब्ध अधिक लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लि. का यह विचार था कि ऋण के अप्रयुक्त भाग के लिए विश्व बैंक/जे.बी.आई.सी. परियोजना वित्त को जारी रखना सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं था।

चूंकि सुविधा-शेष, विश्व बैंक तथा जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे.बी.आई.सी.) ऋण की अप्रयुक्त शेष-सुविधा को सम्मत रूप से रद्द करने में शामिल था। अत: कोल इंडिया लि. ने कोयला मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से ऋण के अप्रयुक्त भाग को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की। कोल इंडिया लि. को विश्वास है कि जिन परियोजनाओं के लिए ऋण दिया गया है उन परियोजनाओं को वह अपने संसाधनों से पूरा कर देगी।

(ङ) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) को पांच सहायक कंपनियों अर्थात् कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) तथा नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.) के तहत 24 लाभकारी खनन उप-परियोजनाओं में लागू करने का विचार किया गया है।

(च) सी.एस.आर.पी. के अंतर्गत सिंगरेनी कोलयरीज़ कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) की कोई परियोजना नहीं आती है।

(छ) और (ज) जी, हां। कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) के तहत सभी कोयला खानें सी.एस.आर.पी. के अधीन शुरू किए गए कार्यक्रम की सहायता करेंगी।

[हिन्दी]

समुद्र जल का पेयजल में परिवर्तन

1534. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए समुद्र जल को पेयजल में परिवर्तित करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, नहीं। इस मंत्रालय ने पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए समुद्री जल को पेयजल में बदलने के लिये कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि केरल सरकार ने सूचित किया है कि उसने पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए समुद्री जल को पेयजल में बदलने के लिए एक अध्ययन कराया था और यह पाया गया था कि ऐसा करना किफायती नहीं है। एक केस अध्ययन से पता चला है कि समुद्री जल के शोधन की लागत नदी-जल के सामान्य शोधन की लागत से लगभग दस गुनी अधिक बैठती है। दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के नरिप्पायुर में 296 ग्रामीण बस्तियों के लिए 55.00 करोड़ रु. की लागत से 3.6 मिलियन लीटर दैनिक (एम.एल.डी.) क्षमता का समुद्री पानी का खारापन हटाने का संयंत्र (डीसेलिनेशन प्लांट) लगाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। यह संयंत्र चल रहा है।

केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन शोध संस्थान (सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट) ने अध्ययन के बाद, पोर्ट ब्लेयर में 5 क्यूबिक मीटर (सीयूएम) क्षमता का जलीय खारापन निवारण हेतु विद्युत विलेयन संयंत्र (इलेक्ट्रोडाइलाइसिस डीसेलिनेशन प्लांट) प्रदर्शन हेतु लगाया है, जिसका उपयोग बिजली विभाग कर रहा है। बाद में 20 एम.टी. क्षमता का डीसेलिनेशन संयंत्र चौरा, जहां कोई भूतलीय/भूगर्भीय जल स्रोत नहीं है, में लगाया गया। यह संयंत्र अच्छी क्वालिटी का जल सुलभ करा रहा है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/अन्य संस्थानों को भूमि का आबंटन

1535. श्री सुकदेव पासवान :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और अन्य ऐसे ही संस्थानों को बड़ी संख्या में ऐसे भू-स्थल आबंटित किए गए थे जिनका कि लम्बे समय तक उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए इन्हें आबंटित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन आबंटित भू-स्थलों पर झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से मिली सूचना के अनुसार, संस्थान को गत वर्षों में निम्नलिखित भूमियों का आबंटन किया गया था:-

(1) वर्ष 1953 में अंसारी नगर में 254.40 एकड़;

(2) वर्ष 1966 में एन्ड्रयूज गंज में 55 एकड़;

(3) वर्ष 1974 में मस्जिद मोठ में 32.08 एकड़;

(4) सफदरजंग अस्पताल के समीप अंसारी नगर में 4.00 एकड़।

संस्थान ने एन्ड्रयूज गंज की भूमि पर 1132 रिहायशी मकानों का पहले ही निर्माण कर लिया है तथा 700 और मकानों के निर्माण कार्यक्रम को नगर प्राधिकरणों से मंजूरी मिल गई है। मस्जिद मोठ में रेजिडेंट डाक्टरों और नर्सों के लिए 80 मकान और 2 होस्टल बनाये गए हैं। उस क्षेत्र में अभी 678 मकान तथा 2 और होस्टल बनाने की योजना है। अंसारी रोड पर 4 एकड़ का क्षेत्र खेलकूद मैदान के लिए है और तदनुसार उसका उपयोग किया जा रहा है।

यह सूचित किया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पीछे मस्जिद मोठ (गौतम नगर) में करीब 4000 झुग्गियां बस गई थी, जिन्हें हटाने के लिए संस्थान ने दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग को झुग्गियों के पुनर्वास हेतु भूस्वामित्व एजेंसी द्वारा देय अंशदान की राशि जमा कर दी है। झुग्गी वासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2750 झुग्गी वासियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

अपराह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा-शर्तें) संशोधन नियम, 2000 जो 25 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 837(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2440/2000]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह अ और ब पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 जो 22 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 671(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर, (समूह ब और ग पद) भर्ती नियम, 2000 जो 22 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह ब (राजपत्रित) और (समूह ब अराजपत्रित) लेखा काडर भर्ती नियम, 2000 जो 24 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 833(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 जो 7 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 849(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2441/2000]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत उपसचिव हिन्दी के पद के लिए भर्ती विनियमों, जो 6 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2442/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नाम के समक्ष उल्लिखित पत्रों को आपकी अनुमति से सभापटल पर रखती हूं-

(1) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2443/2000]

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2444/2000]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2445/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): अध्यक्ष महोदय, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन के नाम के समक्ष उल्लिखित पत्रों को मैं आपकी अनुमति से सभापटल पर रखती हूँ:-

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2446/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 2 और 21 अगस्त, 2000 को हुई तीसरी और चौथी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03$^1/_2$ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) के ''आयुध निर्माणियां'' विषयक छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन बारहवीं लोक सभा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): मैं, रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04$^1/_2$ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) के ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 विषयक नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.05 बजे

किसानों की समस्याओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा शून्य काल के अधीन चर्चा करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले हम किसानों के मामले पर विचार करेंगे और उसके बाद बाढ़ संबंधी मामले पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। उनकी धान और मक्का को कोई आधे दाम पर भी नहीं पूछ रहा है। सरकार ने इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। मैं स्पेसीफिक उदाहरण देता हूं कि बिहार में सन् 1997-98 में एफ.सी.आई. ने 123 क्रय केन्द्र खोले थे लेकिन इस साल अभी तक एक भी क्रय केन्द्र नहीं खुला है। एक छटांक अनाज भी किसानों से नहीं खरीदा गया है इसलिए किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। वहां रास्ता जाम हो रहा है। अनाज को लोग जला रहे हैं। किसानों का बड़ा भारी आंदोलन होने जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब के किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वैसा व्यवहार देश भर के किसानों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए किसानों का भविष्य खतरे में है। उनकी अगली खेती मारी जायेगी। इस पर सरकार को एक स्पेसीफिक वक्तव्य देना चाहिए। देश के तमाम किसान केरल से लेकर जम्मू तक के किसान जैसे बथुआ, कोकोनेट, तिलहन, दलहन, गेहूं, आलू, फूलगोभी, फल और सब्जी पैदा करने वाले सभी तरह के किसान तबाह हैं। उसके लिए सदन की एक समिति बनाई जाये जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि इन दो सवालों पर सरकार स्पष्ट रूप से बताये क्योंकि बिहार में धान और मक्का का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। वहां आंदोलन शुरू हो गया है, रास्ता जाम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. इस साल कितने क्रय केन्द्र खोलने वाली है? वहां कागज-पर्चा आदि टांग देते हैं लेकिन बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता। राज्य सरकारों के पास पूंजी नहीं है कि वे किसानों का अनाज खरीद सके इसलिए एफ.सी.आई. का जो काम है, वह उनको ही करना पड़ेगा। चारों तरफ अनाज रखा हुआ है। इन्होंने पी.डी.एस. को समाप्त कर दिया है. *...(व्यवधान)* लाखों टन अनाज एफ.सी.आई. के गोदाम में रखा हुआ है। *...(व्यवधान)* मेरा कहना है कि उसे आप तुरंत खाली करायें। यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, आप मंत्री महोदय से पहले बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश रंजन।

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): अध्यक्ष महोदय, परसों जब मोशन आया था तब इन्होंने वोट नहीं दिया था। *...(व्यवधान)* फिर आज क्यों यह बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमने यहां जो प्रस्ताव पेश किया है, उन्होंने उसके विरुद्ध मतदान किया है। जब हाल ही में हमने प्रस्ताव पेश किया था, तो उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल एक बैठक थी।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): हमारे सदस्य भी वहां थे *...(व्यवधान)* आपको मुख्य विरोधी दल को अवश्य अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कल उन्होंने नोटिस दिया था। कल हमारी बैठक हुई थी। हमने यह निर्णय किया कि इस पर कुछ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया: श्री प्रियरंजन दासमुंशी को इसके बारे में सूचना दी जानी चाहिए थी। हमारा दल मुख्य विरोधी दल है। हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपको पहला अवसर हमें देना चाहिये। आप दूसरे दल के सदस्यों को बुला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह समस्या नहीं है। कल नेताओं के साथ हमारी बैठक हुई थी। श्री प्रियरंजन दासमुंशी भी वहां उपस्थित थे।

श्री माधवराव सिंधिया: आप हमें बोलने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। मैं आपको अवसर दे रहा हूं।

श्री माधवराव सिंधिया: हमारी सबसे अधिक संख्या है; हमारे 120 सांसद हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनका नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, कल हमारी नेताओं और अन्य सदस्यों के साथ बैठक हुई थी। यह निर्णय किया गया

कि किसी को किसानों का मुद्दा उठाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने आज भी नोटिस दिये हैं। मैं उनके बाद आपको बुलाऊंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आपकी कृपा होगी।

आप मेरे सहित अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। फिर माननीय मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मेरे विचार से, श्री राजेश रंजन निश्चित रूप से बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री माधवराव सिंधिया और श्री राजेश रंजन को बोलने को अनुमति दे रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: परन्तु, आप मुख्य विरोधी दल को पहले अवसर प्रदान करें ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)* आपने कहा था कि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को पहले बोलना है। उसके पश्चात् हमारी बारी आयेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह शून्य काल है। जिन सदस्यों ने नोटिस दिये हैं, मैं उनके नाम पुकार रहा हूं। मैं आपका नाम भी पुकार रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: कल हमने जो निर्णय किया था। कृपया उस पर विचार कीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, हमें दल के अनुसार बुलाया जाना चाहिए। विपक्ष में हमारे 150 सदस्य बैठे हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छी परंपरा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: उसका सम्मान किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* संख्या का आदर किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश रंजन के उपरांत मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस सभा की यह सुस्थापित परंपरा रही है कि मुख्य विपक्षी दल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है ...*(व्यवधान)* महोदय, आप उसकी उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: कृपया परंपरा के अनुसार चलें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने किसी अन्य सदस्य का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था सदन है और यहां देश के किसानों के सवाल को लेकर बहस हो रही है। स देश का किसान देश की रीढ़ है और उसके बावजूद वह आत्महत्या करने पर उतारू है। आंध्र प्रदेश हो या केरल, कई प्रदेशों में किसानों ने अपने सवाल को लेकर आत्महत्या की है। पंजाब में भी किसानों ने अपने सवाल को लेकर आत्महत्या की है। उसी में बिहार एक ऐसी जगह पर खड़ा है, एक तरफ बिहार का बंटवारा किया गया और दूसरी तरफ 37 जिले जो बिहार में बचे हैं, बिहार में 27 जिले बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में बर्बाद हो गए हैं। किसानों के पास सही रूप से अनाज उपजाने की कोई क्षमता नहीं रह गई है, किसान सम्पूर्ण रूप से अनाज उपजाने की ताकत नहीं रखता। जो किसान अनाज उपजाता है, उसे लेने वाली बिहार में आज कोई मंडी नहीं है। गुलाब बाग एक मंडी है जहां दो किसानों ने आत्महत्या कर ली। वे अपना अनाज लेकर गुलाब बाग मंडी गए थे। जब उनका अनाज नहीं बिका तो उन्होंने वहां आत्महत्या कर ली। सुबह उनकी लाश पाई गई। एफ.सी.आई. और नैफेड कहते हैं कि जब तक हमें 67 प्रतिशत नहीं मिलेगा तब तक वहां का अनाज नहीं लेंगे, हमारे पास अनाज रखने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि बिहार में किसान मात्र 64 प्रतिशत देने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ 13 रुपये 20 पैसे में खरीदारी के लिए तैयार है। मिल 30 रुपये से 35 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है। एफ.सी.आई. और नैफेड कहते हैं कि जब तक सरकार 30 रुपये से 35 रुपये नहीं करेगी, तब तक हम किसानों का अनाज नहीं खरीदेंगे। शांता कुमार जी और नीतीश कुमार जी का बयान आया है कि बिहार में कई क्रय केन्द्र खुलेंगे। लेकिन आज तक न तो वहां एफ.सी.आई. अनाज लेने को तैयार है और न ही क्रय केन्द्र खुले हैं। मंत्रियों का इस तरह का बयान बार-बार आने के बावजूद कुछ नहीं हुआ।

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यायव]

अभी हमारे मित्र पंजाब के बारे में कह रहे थे। किसानों के साथ आज से नहीं हमेशा से ज्यादती की गई है। एक तरफ कुछ लोगों को अपनी पूंजी जमा करने की पूरी ताकत दी गई है और दूसरी तरफ किसानों को एक दायरे में रखा गया है। आज किसान सबसे ज्यादा उपेक्षित है। बिहार का किसान मौत के कगार पर खड़ा है। यहां मंत्री महोदय बैठे हैं। वहां कब तक क्रय केन्द्र खोले जायेंगे, यह तय हो और पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर सरकार हमें कोई कर्ज दे रही है या नहीं, यह भी तय हो। बिहार का किसान टैक्स देकर बर्बाद हो रहा है। बिहार और सुखाड़ से बिहार का किसान बर्बाद हो गया है इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि सरकार बिहार के किसानों का ऋण माफ करें। मैं और ऋण की बात नहीं करता लेकिन कृषि ऋण सरकार माफ करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी आ गए हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः शांता कुमार जी यहां बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हमने मिनिस्टर साहब को भी बुलाया है, आप बैठिये। आप एक-एक करके बोलिये। हम आपको भी बुलाएंगे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः बिहार के किसानों के ऋण माफ होंगे कि नहीं?

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह शून्य काल है। कृपया समझने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः मेरा आग्रह है कि सदन की एक समिति देश के स्तर पर जाये, जिसमें कुछ किसान भी हों। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः सदन की कमेटी एक सप्ताह के लिए देश भर में किसानों की समस्या के लिए जाये। इसके लिए एक आयोग बनाया जाये, ताकि किसानों के सवाल को लेकर लड़ाई लड़ी जा सके। हमें मंत्री जी का बयान चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक बात नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं। हम दूसरे मैम्बर्स को भी बुला रहे हैं, आप बैठिए। मंत्री जी भी बयान देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यह शून्य-काल के दौरान मामले उठाने का तरीका नहीं है। कृपया समझने का प्रयास कीजिए कि अन्य सदस्य भी है, जो अपने मामले उठाना चाहते हैं और मुझे उन्हें भी अवसर प्रदान करना है। आप हमेशा अध्यक्षपीठ से लड़ते रहते हैं। इससे कौन सा उद्देश्य हल होता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झाः हम कहां फाइट कर रहे हैं। बिहार जल रहा है। किसानों का सवाल है, हम उसके प्रतिनिधि बनकर यहां बैठने के लिए आये हैं, हम उनके सवाल को भी यहां नहीं रख सकते क्या? आज देश के सारे किसान परेशान हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हाउस में एक प्रोसीजर है। यहां प्रोसीजर के बारे में समझना चाहिए। प्रोसीजर के अनुसार उठने से पहले चेयर की परमीशन भी लेनी चाहिए। किसी समस्या के समाधान के लिए पहले चेयर की परमीशन लेनी चाहिए। आप बैठ जाइये, प्लीज।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री माधवराव सिंधिया के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, आज देश भर के किसानों की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है और किसान इतना पीड़ित हैं कि जगह-जगह से, प्रदेशों से आत्महत्याओं की रिपोर्टें आ रही हैं। वे इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि इस सरकार की जो कृषि नीति है, किसानों के प्रति जो इनका रवैया है, वह पूरी तरह से गलत है। ...*(व्यवधान)* इस मामले में हमें पूरी तरह से परिवर्तन लाना होगा, चूंकि कृषि इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगर हम सुधारना चाहेंगे तो पहले यह आवश्यक है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, हमारे किसान समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ें, अडिग हों, यह अत्यन्त आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर हमारे किसान की यह हालत रही तो निश्चित ही देश का भविष्य भी अंधकार में पड़ेगा। एक तरफ तो फर्टिलाइजर, डीजल आदि, इन सब के भाव, इन सबकी लागत बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ किसान को अपने उत्पादन का जो भाव मिल रहा है, वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बिहार से जो अभी रिपोर्टें आ रही हैं, उससे बहुत भयंकर चिन्ता होती है। उससे एक बहुत गम्भीर स्थिति वहां उत्पन्न होती जा रही है और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि वहां आगे कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। साथ ही साथ हमारे किसान की जो हालत है, उसमें उसको आत्महत्या के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा और इसकी रिपोर्ट वहां से भी आनी शुरू हो जाएंगी। अभी पंजाब और हरियाणा में भी इस बात की जानकारी मिली है कि प्रोक्यूरमेंट बन्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है।

मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं दिया गया है और बहाना क्या इस्तेमाल किया गया है कि धान की जो क्वालिटी है, वह पंजाब और हरियाणा में पर्याप्त नहीं है तथा जो चाहते हैं, उसके मुताबिक नहीं है जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बात का बारीकी से निरीक्षण किया और इस बात को पूर्ण तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि स्तर और क्वालिटी पंजाब और हरियाणा में बहुत उम्दा है और इसका प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। यही हालत अब बिहार में हो रही है। यही स्थिति वहां उत्पन्न होने वाली है। हम इस सरकार को सावधान कर देना चाहते हैं क्योंकि आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलने के कारण किसान मजबूर होता जा रहा है तथा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे धान बेच रहा है। प्रोक्योरमेंट केन्द्र के बारे में रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो कहा है कि प्रोक्योरमेंट केन्द्र झारखंड और बिहार में जल्दी से जल्दी खोले जायें ताकि प्रोक्योरमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रारम्भ किया जा सके और किसान को भी इस दिशा में कुछ राहत मिले अन्यथा धान पूरी तरह से सड़ना शुरू हो जाएगा और किसान सड़क पर आता जाएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* इस बारे में हमने एडजर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव भी मूव किया था और अभी भी सरकार इस बारे में वक्तव्य नहीं दे रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझें कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप सभा में मामलों पर इस प्रकार चर्चा करेंगे, तो प्रतिदिन शून्य-काल रखना बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: मुझे अपने बात समाप्त कर लेने दीजिए। ...*(व्यवधान)* जो जवाब माननीय कृषि मंत्री जी ने दिया, वह संतोषजनक नहीं था। आज आपके अनाज के भंडार भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो मूल्य थे, वह इस सरकार ने 60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिये चाहे वह गेहूं हो या चावल हो। जो उपभोक्ता हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वे इस गेहूं तथा चावल को नहीं खरीद पा रहे हैं। इसीलिए आपके गोडाउन भरे हुए हैं और गरीब जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। दूसरी तरफ जो जानकारी मिली है कि आप इसी गेहूं और चावल के निर्यात की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके पीछे भी कई अफवाहें हैं कि कोई बड़ी डील होने वाली है। मैं इसके ऊपर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूं लेकिन यह अफवाह बाजार में है कि गेहूं और चावल जो एफसीआई के गोडाउन में भरे हुए हैं, उनकी बिक्री विदेशों में होने वाली है। उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा षडयंत्र है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने शुरू हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, हम सभी ने नोटिस दिए है। कृपया हमें भी महत्वपूर्ण मामले उठाने का अवसर दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: अब वस्तुस्थिति क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे प्रदेशों में भी जो धान की खेती होती है, हम चाहते हैं कि वहां प्रोक्योरमेंट के केन्द्र जल्दी से जल्दी खोले जायें और यहां जो कमेटी की बात की गई है कि पार्लियामेंट में एक इंस्टीट्यूशनेलाइज्ड कमेटी बने ताकि समय-समय पर जब किसान को परेशानी होती है तो वह पार्लियामेंट की कमेटी तत्काल माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर, उनकी सलाह लेकर उस मामले को देखे और सही निर्णय

पर पहुंचे। इस बारे में हम रघुवंश प्रसाद सिंह जी के साथ हैं। किसान के पक्ष में जो काम रोको प्रस्ताव हमने मूव किया था, उसी का क्रम आगे चल रहा है और हम चाहते हैं कि जब तक हमें संतुष्ट न किया जाये, तब तक इस बात को हम पार्लियामेंट के अंदर भी उठाते रहेंगे और कांग्रेस पार्लियामेंट के बाहर भी इस बात को उठाएगी। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें और यह कमेटी पार्लियामेंट में स्थापित हो।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, आज जो ज्वलंत सवाल इस सदन में रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने उठाया है, वह किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है। वह समूचे राष्ट्र का और विशेषकर बिहार के किसानों से संबंधित सवाल है। बिहार के किसान आज जल रहे हैं। आज उनके सामने एक भुखमरी की स्थिति है। उनको दवा नहीं मिल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई बंद हो रही है, उनको खाद और बीज खरीदने में परेशानी हो रही है। भारत सरकार ने धान और मक्के की कीमत का जो सपोर्ट प्राइस तय किया है, वह किसानों को नहीं मिल रहा है। आज किसान को 300 रुपये में विवश होकर अपना अनाज बेचना पड़ रहा है, उसको कोई खरीदना वाला नहीं है। बार-बार सरकार की तरफ से घोषणा की गई है लेकिन फिर भी सरकार एक भी एफसीआई का केन्द्र नहीं खोल सकी है।

महोदय, हम आज स्पष्ट रूप से सदन में मांग करना चाहते हैं, कहा जाता है कि राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वे भी अपना क्रय केन्द्र खोल सकते हैं। बिहार की वित्तीय स्थिति के बारे में किसी को पता नहीं है। बिहार की सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हम गृह मंत्री जी और फूड मिनिस्टर से कहना चाहते हैं कि अगर आप बिहार के किसानों को बचाना चाहते हैं तो उनके जन-जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम होंगे। ...*(व्यवधान)* हम इसका विद्रोह करने के लिए विवश होंगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमारा आपसे पुन: आग्रह है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, किसानों की समस्या पर विस्तृत चर्चा हुई है। आज प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में जो पीडा हमारे बिहार के सांसदगण जता रहे थे, इसमें मैं एक छोटे से विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब रघुवंश जी केन्द्र सरकार में मंत्री थे, ...*(व्यवधान)* बिहार में 64,000 टन धान का उत्पादन होता था। ...*(व्यवधान)* 24,000 टन धान का क्रय किया और आज वह धान बिहार की मंडियों में सड़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, धान के प्रोक्योरमेंट के बारे में जब विषय उठता है तो यह स्पष्ट है कि उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* राज्य सरकारों को क्रय के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, मंडी बनानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* बिहार में कोई भी क्रय करने की व्यवस्था नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, राज्य सरकार को दायित्व से वंचित नहीं रखा जा सकता है। राज्य सरकार इस बीमारी से अपने आपको वंचित रखना चाहती है। राज्य सरकार का भी एक दायित्व है। ...*(व्यवधान)* आज पंजाब क्रय केन्द्रों से अपना धान उठा रहा है और बिहार में एक भी क्रय केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मंडी में धान रखने की जगह होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दें।

इस अवसर के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान देश के किसानों, विशेष तौर पर केरल के नारियल उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, इस प्रकार की दुविधाजनक स्थिति में मैं किस प्रकार बोल सकती हूं? ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैं इस महान सभा का ध्यान किसानों की दयनीय स्थिति, विशेष तौर पर केरल के किसानों की ओर दिलाना चाहती ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)* कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगर राज्य सरकार को क्रय करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उसमें केन्द्र सरकार मदद करेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: आज बिहार में धान सड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.29 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राजो सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। मैं आपके माध्यम से, देश के किसानों, विशेष तौर पर केरल राज्य के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। केरल के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नारियल की फसल पर निर्भर करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री राजो सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्यों ने भी सूचनाएं दी हैं। श्री रूडी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने बोलने के लिए प्रो. ए.के. प्रेमाजम का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए। ...*(व्यवधान)* बिहार में तो राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, वहां राजनेता लोगों ने सब कुछ किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जवाब दिलवा देंगे, लेकिन आप तो बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूडी, आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: नारियल की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। सरकार द्वारा अपनाई जा रही गरीबी-विरोधी और जनता-विरोधी नीतियों के कारण, सारे वस्तुओं की कीमतें नीचे आ गई हैं, और किसानों को अपना माल बेचना मुश्किल हो गया है। सारे देश में, किसान आत्महत्या कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: प्रेस के माध्यम से एक विश्वसनीय बात पता चली है कि लागत और मूल्य आयोग ने सरकार को नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को संशोधित न करने का सुझाव दिया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

था। सच तो यह है, कि वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले लोगों को आम लोगों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों के तथ्यों और सच्चाई का पता नहीं है। उन्हें नहीं पता कि केरल के किसानों और साथ ही देश के बाकी भागों के किसानों पर क्या गुजर रही है। केरल में किसान भूखों मर रहे हैं, वे आत्महत्या के कगार पर पहुंच गये हैं। केरल की सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य बढ़ाने का निवेदन किया था। अब, वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण को बंद करने वाले हैं। चूंकि यह सरकार जनता विरोधी और किसान-विरोधी है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे अपनी नीतियाँ बदलें। वे किसानों से केवल झूठे वादे कर रहे हैं और उनको किसानों से सच्ची मोहब्बत नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से, विशेष रूप से इस विभाग के माननीय मंत्री से निवेदन करती हूँ कि, जैसा कि केरल के सरकार की मांग है, वे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया समझिए कि अन्य सदस्यों ने भी सूचनाएं दी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह समझिए कि उन्होंने किसानों की समस्याओं पर सूचनाएं दी हैं। कृपया स्थिति को समझने की चेष्ठा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, आपने आश्वासन दिया था कि इसे 'शून्य काल' में सुना जाएगा। उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, किसानों को अपनी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के पास गोदामों की कमी है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 510 रुपये रखा था लेकिन किसान को अपना धान 250 रुपये और 300 रुपये में बेचना पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजी लाल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: पंजाब के किसानों के सामने जो समस्या थी उसमें 350 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता पंजाब सरकार को दी गयी, जबकि पंजाब के किसानों की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति आज अच्छी नहीं है और आज वहां का किसान परेशान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सभी राज्यों के किसानों के साथ समान व्यवहार किया जाए। इस बारे में संसद की एक कमेटी बने, जो इस कार्य को देखे, जिससे सभी राज्यों के किसानों की हालत सुधर सके।

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के माननीय सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिले, उनको परेशानी हो-सरकार ऐसा नहीं चाहती है और वह इस समस्या के प्रति सजग है। आपने जो कुछ कहा है और किसानों का दु:ख-दर्द व्यक्त किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण के अलावा, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार: उसमें हमारी सरकार बिल्कुल आपके साथ है। आप यह बात बिल्कुल मन में न सोचिए कि किसान के बारे में सरकार सोचना नहीं चाहती है या हम इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। ...*(व्यवधान)* आप सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश रंजन, क्या आप मंत्री महोदय के उत्तर सुनने के इच्छुक नहीं हैं?

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार: अध्यक्ष जी, प्रदेश में प्रोक्योरमैंट करने की जो प्रक्रिया है, उसमें राज्य सरकार कहां कितनी उपज हो रही है, उस सीजन से पहले कुछ स्थान तय करके हमें बताती है कि यहां-यहां आप अपने प्रोक्योरमैंट केन्द्र खोल दीजिए। जहां तक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बिहार का संबंध है, बिहार में प्रोक्योरमैंट जहां भी होता है, सारा एफ.सी.आई. स्वयं नहीं करता, राज्य की विभिन्न एजेंसियां हमारे बिहाफ पर करती हैं। आपने पंजाब की चर्चा की। पंजाब में 70 परसैंट से अधिक प्रोक्योरमैंट अन्य एजेंसियां करती हैं। उसे केवल एफ.सी.आई. नहीं करता। जहां तक बिहार का संबंध है, बिहार में रूरल एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसायटी के 150 केन्द्र हैं। उन 150 केन्द्रों को हमने ऑथोराइज कर दिया कि आप हमारे बिहाफ पर वहां प्रोक्योरमैंट करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः उनके पास पैसा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री शान्ता कुमारः बिहार सरकार ने हमें 19 केन्द्र खोलने के लिए कहा था। वह खोल दिए थे। कल हम से कहा कि 30 केन्द्र खोलिए। हमने 30 केन्द्र खोलने का फैसला कर लिया है। मैं इस सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि बिहार की सरकार जितने केन्द्र खोलने के लिए कहेगी, हम केन्द्र खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तुरन्त तैयार हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः वे कितने दिन तक खोल दिए जाएंगे। उन्होंने जितने कहे हैं, उतने खोल दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शान्ता कुमारः वह हम से कहें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, माननीय मंत्री आंध्र प्रदेश के बारे में अवश्य कुछ कहें?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय, क्या आप आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ कहेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमारः मैंने बैठे-बैठे इस बारे में सोचा और मैंने विभाग से पता किया है कि बिहार में हमारे कितने गोदाम हैं? ...*(व्यवधान)* रघुवंश जी, एक मिनट सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डीः माननीय मंत्री महोदय, कृपया आंध्र प्रदेश पर भी कुछ बोलिए।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमारः बिहार में एफ.सी.आई. के जितने गोदाम हैं, लगभग 120-125 से ज्यादा हमारे गोदाम हैं। वहां कोई रेगुलर मंडी नहीं है जहां लोग लेकर जाएं। यह व्यवस्था एकदम सरकार नहीं कर पाएगी लेकिन बिहार के गरीब किसानों की मदद करने के लिए मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैडम, यह ठीक नहीं है। हमें आपकी रनिंग कमैंट्री नहीं चाहिए।

श्री शान्ता कुमारः हम यहां तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारे वहां 120-125 गोदाम हैं। हम कोई इंतजार किए बिना यदि सरकार डिमांड करे, हम अपने सभी गोदामों को प्रोक्योरमैंट सैंटर घोषित करने के लिए तैयार हैं। आप लाइए तो सही, आप दीजिए तो सही। ...*(व्यवधान)* जितने सरकार कहेगी, ...*(व्यवधान)* 19 पहले खोल दिए थे, राज्य सरकार ने 30 कहे, 30 खोलने का आदेश दे दिया है। राज्य सरकार जितने कहेगी, खोलने के लिए तैयार है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः वे कितने दिन में खुल जाएंगे?

श्री शान्ता कुमारः वे तुरन्त खोल देंगे। हम यही कर सकते हैं। राज्य सरकार हमें खोलने के लिए कहती है तो हम खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एफ.सी.आई. ने 19 पहले खोले। राज्य सरकार ने कहा 30 खोलिए। 30 खोलने के आदेश दे दिए। राज्य सरकार सौ खोलने के लिए कहे, हम सौ खोलने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार कहे तो सही। इसका सारा का सारा इंतजाम राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार जितने केन्द्र खोलने के लिए कहेगी, हम उतने केन्द्र खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

श्री रामजीलाल सुमनः उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे?

श्री शान्ता कुमारः मैं वे दो बातें और कहना चाहता हूं जो माधवराव सिंधिया साहब ने कही हैं। उन्होंने एक पंजाब के बारे में कहा। पंजाब सरकार ने, पंजाब के कृषि विभाग ने हमें कहा कि हमारा धान खराब हो गया है।

उनके कहने के बाद टैस्ट किया और साबित होने के बाद कि डैमेज्ड है, तब हमने 8 परसेंट तक प्रोक्योर करने की बात

कही लेकिन चावल की क्वालिटी खराब न हो, इसलिए हमने इस बार यह व्यवस्था की है कि यदि 8 परसेंट तक डैमेज्ड लेना है तो चावल की क्वालिटी खराब न हो। इसके अलावा चावल का आउट टर्न रेशो 67 परसेंट से घटाकर 64 परसेंट किया ताकि हम चावल बिल्कुल ठीक लेंगे और हमने कहा कि हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिन्धिया जी, आप आरोप लगा रहे हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप अफवाहों के आधार पर ऐसा कहेंगे। क्या आप इन अफवाहों के आधार पर इस सदन में चर्चा करना चाहते हैं? इस प्रकार यह चर्चा नहीं हो सकती ...*(व्यवधान)* आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी. अध्यक्ष जी, सरकार तो साहसिक कदम उठा रही है। हमारे पास गंदम के भंडार भरे पड़े हैं जिसे इस देश को आवश्यकता नहीं। हम तो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। होना तो यह चाहिये था कि सिन्धिया जी हमारी सरकार की सराहना करते कि हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अभी शुरू नहीं हुआ कि आपने अफवाहों के आधार पर कहना शुरू कर दिया ...*(व्यवधान)* कांग्रेस सरकार जिस तरह से करती रही है, वैसा हम नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार ठीक ढंग से काम करेगी। यदि एक्सपोर्ट करेंगे तो सही ढंग से करेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया: मैंने यह कहा कि यदि इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं ...*(व्यवधान)* मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, जरा एक मिनट रुकिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचनाएं दी थी। और आपने उस पर अपना विनिर्णय देने का आश्वासन दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहले हम स्थगन प्रस्ताव के मुद्दे को लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, हमने भी नियम 193 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में गंभीर सूखे और बाढ़ की स्थिति के बारे में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: आज हम कार्य मंत्रणा समिति में इस पर निर्णय करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश के किसानों के बारे में भी कुछ कहें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जो बिहार की समस्या है, वही उत्तर प्रदेश की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में कुछ नहीं बताया। इस बारे में जो बिहार की स्थिति है, वहीं उत्तर प्रदेश की भी है। ...*(व्यवधान)* किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, माननीय मंत्री महोदय चुप है। आंध्र प्रदेश के किसानों का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के किसानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, उन्हें आंध्र प्रदेश के बारे में भी अवश्य कुछ कहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया संपूर्ण देश पर होनी चाहिए और न कि अलग-अलग भागों पर।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री कुछ मंत्रियों के साथ यहां आये, उनके साथ बैठकर बातचीत हो गई है। उन्होंने जो-जो समस्याएं रखी थीं, लगभग उन सभी समस्याओं का समाधान सरकार ने कर दिया है। ऑफिसर लैवल पर बैठकर बातचीत हो रही है और वे हमसे पूरी तरह से संतुष्ट होकर गये हैं। चावल प्रोक्योरमैंट के बारे में उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। हमने पिछली बार भी 55 लाख टन चावल आंध्र प्रदेश को दिया है, इस बार उन्हें लगता है अधिक है, उसके लिए एफ.सी.आई. पूरी तरह से तैयार है, हम उसे पूरी तरह से लेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां कही जा रही है जिसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पिछले साल देश के अंदर हमने 86.71 लाख टन पैडी प्रोक्योर की थी। 86 लाख टन पिछली बार प्रोक्योर की थी और इस बार अभी प्रोक्योरमैंट चल रही है। हम 102 लाख टन प्रोक्योर कर चुके हैं। हम पिछले सालों से अधिक प्रोक्योरमैंट कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, अधिक प्रोक्योरमैंट चल रही है ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहिए। उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि हम धान नहीं खरीद पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शान्ता कुमार: उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और सबों से हमारी बात हो गई है उनके यहां समस्या थी, चूंकि धान डैमेज था, उसे भी लैबोरेटरी में टैस्ट करवाकर और जितनी आवश्यकता थी, वहां भी रिलैक्सेशन देकर सरकार कर रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका एडजर्नमैंट मोशन है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.47 बजे

पश्चिम बंगाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के मुद्दे पर अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी थी ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय आपने मेरा नाम पुकारा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह स्थगन प्रस्ताव पर दी गई सूचना के संबंध में है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपना समर्थन दिया है। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि पश्चिम बंगाल को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। हालाँकि यह मामला पहले भी उठाया गया और पश्चिम बंगाल में आई अभूतपूर्व बाढ़ से हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति करने हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने की हमारी मांग और साथ ही साथ वहाँ की जनता की मांग का सम्पूर्ण विपक्ष ने समर्थन किया था। ...*(व्यवधान)* यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, केरल के नारियल उत्पादकों और खोपरा उद्योग की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: उन्होंने केरल का उल्लेख नहीं किया है। यह कैसे हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, कृपया बैठ जाइए। यदि आप कोई मामला उठाना चाहते हैं तो आप श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण की समाप्ति पर उठा सकते हैं परन्तु अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में विद्यमान गम्भीर स्थिति अभी तक बनी रहने के कारण हम स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि भारत सरकार की यह सोची समझी नीति है कि पश्चिम बंगाल के प्रभावित लोगों को राहत सामग्री से वंचित रखा जाए ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि बाढ़ से बड़े पैमाने पर भारी क्षति हुई है। यह एक राष्ट्रीय आपदा है। कृषि मंत्री जी ने भी ऐसा कहा है कि ...*(व्यवधान)*

मैंने आंकड़े पहले ही दे दिए है। सम्पूर्ण विपक्ष ने मेरा समर्थन किया था परन्तु ऐसा लगता है कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल के लोगो और पश्चिम बंगाल सरकार की बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए लगने वाले खर्च में थोड़ा सा भी योगदान देने की उचित मांग को जानबूझ कर अनसुना कर रही है ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, आप दूसरे मामले को उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह स्थगन प्रस्ताव पर दी गई सूचना से संबंधित है।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: हम उन्हें दूसरे मामले में समर्थन देंगे परंतु माननीय मंत्री ने केरल के नारयिल उत्पादकों से संबंधित प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया और उसका उत्तर भी नहीं दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए कि यह स्थगन प्रस्ताव के संबंध में है।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, यह मामला भिन्न है, जिस पर हम समर्थन देंगे। इसमें कोई शक नही है। परन्तु हमारी केरल से संबंधित माँगों का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम 'शून्य काल' को जारी रख रहे हैं। आप बाद में बोल सकते हैं परन्तु अभी नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: हमारे साथ न्याय होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं श्री बनातवाला और अन्य मित्रों की मांगों का समर्थन करता हूँ। ये मांगें उचित हैं।

यह गंभीर मामला हैं। और आपने मुझे बोलने का अवसर देकर कृपा की। ऐसा लगता है कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों की माँगों को जानबूझ कर ठुकरा रही है। मुझे नहीं पता कि क्यों श्री येरननायडू जी भी चुप्पी साधे बैठे हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): मैं भी इस मामले में आपका समर्थन करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ऐसा लगता है कि सरकार में सम्मिलित एक दल इसमें बाधा उपस्थित कर रहा है क्योंकि एक मंत्री का कहना है कि यह मानव-निर्मित बाढ़ है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, ये क्या कह रहे हैं? ...*(व्यवधान)* वे इसमें राजनीति ला रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: राजनीति पहले ही प्रवेश कर चुकी है।

महोदय, पश्चिम बंगाल के लोगों की माँगों को जानबूझ कर नहीं माना जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, दो करोड़ लोगों से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 1300 से अधिक लोग बरबाद हो गए हैं अथवा मारे गए हैं। करोड़ों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: अवैज्ञानिक रूप से उन्होंने बांध से पानी छोड़ दिया। वह मानव-निर्मित बाढ़ थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मृत लोगों के परिवारों के लिए केवल 2.45 करोड़ रुपये दिए गए। *...(व्यवधान)* यह काफी गंभीर बात है। जो भी पैसा दिया गया वह सरकार पर बकाया रकम थी और एक भी अतिरिक्त नया पैसा नहीं दिया गया। जो कुछ भी दिया गया, वह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दी गई बकाया राशि थी। 200 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई, वह भी अगले देय में समायोजित की गई। हम कैसे अपना काम चलाएँ? संपूर्ण देनदारी या संपूर्ण नुकसान 5660 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय आपदा निधि (एन.सी.एफ.) से 101 करोड़ रुपये दिये गये। परंतु उसके बाद, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद, नए निधि की स्थापना नहीं की गई। हमें बताया गया कि इस पर कोई अध्यादेश पारित नहीं हो सकता। हर दूसरे मामले में हम अध्यादेश पारित करते हैं। परंतु जब इस देश के प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों का सवाल उठता है तो, यह सरकार अध्यादेश लाने के संबंध में विचार नहीं करती। यह प्रयत्न जानबूझ कर पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके लिए न्यायोचित राशि से वंचित रखने के लिए किया गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी है। हम इसे जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे *...(व्यवधान)* हम भारत सरकार से इस पर निश्चित उत्तर चाहते हैं *...(व्यवधान)* यह सरकार केवल अपने समर्थकों के उद्देश्यों की पूर्ति कर नहीं चल सकती। इसलिए, मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि पश्चिम बंगाल के बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों के लिए शीघ्र ही उचित राहत की घोषणा करे *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, मैं स्वयं को श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा व्यक्त भावनाओं और दृष्टिकोण से सम्बद्ध करता हूँ। मैंने भी नियम 193 के अंतर्गत पाँच राज्यों की सूखे से प्रभावित स्थिति और तीन राज्यों की बाढ़ से प्रभावित स्थिति पर चर्चा के लिए सूचना प्रस्तुत की है। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर भी विचार करें। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के विचारों के प्रति सहमति व्यक्त करता हूँ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ टिप्पणी करनी है, कृपया बैठ जाइए।

माननीय सदस्यों, मुझे सर्वश्री मोइनुल हसन, निखिलानन्द सर, सुबोध राय, लक्ष्मण सेठ, महबूब जहेदी, बसुदेव आचार्य, सुनील खाँ, सोमनाथ चटर्जी, रूपचन्द पाल, हन्नान मोल्लाह, अनिल बसु, अजय चक्रवर्ती से पश्चिम बंगाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भयानक किस्म की प्राकृतिक विपदा पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। स्थगन प्रस्ताव असाधारण व्यवस्था है इसे यदि स्वीकार कर लिया गया तो, इसके लिए सभा की सामान्य कार्यवाही को स्थगित करके सार्वजनिक हित के अत्यावश्यक निश्चित मामले को सभा में चर्चा के लिए लिया जाता है। हालाँकि यह विषय एक महत्वपूर्ण विषय है, परंतु इसे सभा में चर्चा के लिए वरीयता देने के लिए, मैं उचित नहीं समझता कि इसके लिए संपूर्ण सभा के कार्य को स्थगित रखा जाए। इसलिए, मैंने सूचनाओं पर अनुमति नहीं दी।

परंतु मैं, सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि मैंने, इसी विषय पर, नियम 193 के अंतर्गत कई सदस्यों से सूचनायें प्राप्त की हैं।

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक इसी दोपहर को होना तय है। कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय करेगी कि इस विषय को किस व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाए और इसके लिए कितना समय आवंटित किया जाए।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, पश्चिम बंगाल में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों की प्रतिदिन अंधाधुंध हत्याएं की जा रही है। वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। *...(व्यवधान)* वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। यदि स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो अगले विधान सभा चुनावों में खून खराबा होगा *...(व्यवधान)* सी.पी.आई. (एम) ने पिछले दो सालों में तृणमूल कांग्रेस के 250 कार्यकर्त्ता और बी.जे.पी. के 20 कार्यकर्त्ताओं की हत्या की है।

अपराह्न 12.56 बजे

(इस समय श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर वापस चले जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज दोपहर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। उस बैठक मे हम इस पर निर्णय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: वहाँ, एक मंत्री संवैधानिक अधिकारों से आगे जाकर कार्य कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन्हें संवैधानिक प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। ...*(व्यवधान)* वे हमारी और प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि गृह मंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे। ...*(व्यवधान)* जब तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्त्ताओं की मृत देह मिदनापुर से कलकत्ता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाई गई तो, पुलिस ने जबरदस्ती और चोरी छुपे मृत देहों को मिदनापुर ले गई। ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और कमजोर वर्गों के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए गृह मंत्री हस्तक्षेप करें। इस स्थिति में केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए ...*(व्यवधान)* उसे इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ...*(व्यवधान)* उनकी संसदीय लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है ...*(व्यवधान)*

मार्क्सवादी संसदीय प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए चल पड़े हैं। ...*(व्यवधान)* हमने गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। मैं श्री आडवाणी जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। ...*(व्यवधान)* वे जानते हैं कि विधान सभा चुनावों में वे पराजित होंगे। ...*(व्यवधान)* अत: वे हिंसक हो गए हैं। ...*(व्यवधान)* हर जगह वे हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश सरकार को राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में मलेरिया महामारी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों मण्डला, सिवनी, बालघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर एवं डिण्डोरी मलेरिया (फेल्सीफेरम) की गंभीर चपेट में है, अल्प वर्षा से मध्य प्रदेश के 80 प्रतिशत जिले प्रभावित हैं जिससे पेयजल का अभाव प्रारंभ हो गया है। गिरते जल स्तर से प्रदूषित जल पीने के लिए गरीब आदिवासी मजबूर हैं जिससे टाइफाइड एवं अतिसार जैसी गंभीर बीमारी भी महामारी का रूप लेते जा रही है। अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मलेरिया से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने का निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को दिया जाए। मलेरिया महामारी का रूप ले चुका है। अत: मध्य प्रदेश सरकार को गरीबों की जीवन रक्षा के लिए केन्द्र सरकार समुचित धन उपलब्ध कराए तथा दूषित पेयजल से उत्पन्न संकट एवं बीमारी के खतरों से निपटने के लिए केन्द्रीय टीम भेजे।

(दो) हरियाणा राज्य के लिए पृथक राजधानी और उच्च न्यायालय की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): 1 नवम्बर, 2000 को हरियाणा राज्य ने अपने 35वें वर्ष में प्रवेश किया है। इतनी अधिक अवधि के बीत जाने के बाद भी, मूल आवश्यकताएं जैसे कि अपनी राजधानी, उच्च न्यायालय आदि नहीं बन पाए हैं तथा अभी भी उनकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जबकि शीघ्र ही गठित किये गये राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखण्ड की अपनी राजधानियां हो गई हैं तथा अब वे अलग उच्च न्यायालय की भी मांग करेंगे। चंडीगढ़ में स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को भी विधिक सेवाएं प्रदान करता है। लम्बित मामलों की संख्या बढ़ने से, न्यायालय मामलों का शीघ्रता

से निपटान करने में असमर्थ है। राज्य के कानूनी निकायों तथा न्याय चाहने वालों में गंभीर असंतोष पनप रहा है। इसलिए उन स्थानों/क्षेत्रों को चिह्नित करने की तत्काल आवश्यकता है। जहां कि राजधानी और उच्च न्यायालय स्थापित किये जाने हैं तथा इस पर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता है।

(तीन) मुम्बई में चेम्बूर में पेट्रोलियम टैंकरों के लिए पार्किंग टर्मिनल की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान चेम्बूर, मुम्बई में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., आई.ओ.सी. द्वारा पैदा की जा रही यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या की तरफ आकर्षित किया जाता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सभी ठेकेदारों द्वारा टैंकर खड़ा किए जाने के कारण यातायात का जाम होना प्रतिदिन की समस्या हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम राज्य सरकारों द्वारा आरक्षित टैंकर पार्किंग प्लाटों पर अधिकार कर रहे हैं। यातायात जाम तथा प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है कि उन प्लाटों को शीघ्र ही अधिकार में लिया जाए तथा पार्किंग टर्मिनल बनाया जाए।

मैं सरकार से इस मामले में ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(चार) गुजरात सरकार को राज्य में पर्यटन के विकास के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, गुजराती धरती पावन तीर्थ स्थल होने के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल की जन्म भूमि भी है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक मंदिर निर्माण का रिकार्ड भी गिनीज बुक में गुजरात राज्य का नाम अंकित है। भगवान श्री स्वामी नारायण का मंदिर भावनगर जिले की गढ्डा तहसील में स्थित है। वल्लभीपुर में त्रयंबक नाथ महादेव व विरमगांव में राम महल मंदिर बना हुआ है। भोपणी में जगप्रसिद्ध जैन तीर्थस्थान, सोमनाथ में सोमनाथ विराजे हैं व द्वारिका भगवान श्रीकृष्ण की पौराणिक नगरी है। अम्बाजी में महाशक्ति का पवित्र धाम, पावागढ़ में महाकाली, चौटिला में मां चामुंडा और भावनगर में खोडियार का तीर्थ स्थान है। पांडवों का ऐतिहासिक रसोईघर एवं माधवनाथ भगवान का मंदिर धोलका में तथा विरमगांव का मीनल देवी तालाब दर्शनीय स्थल है। कांकरिया तालाब और भरूच में जगप्रसिद्ध सरदार सरोवर डैम है। लेकिन ये सारे दर्शनीय स्थल पर्यटक विकास धारा से वंचित हैं।

अतः मेरा केन्द्र से निवेदन है कि पर्यटन विकास हेतु गुजरात को विशेष राशि उपलब्ध कराएं। साथ-साथ पर्यटकों व दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु रीसोर्ट, विश्रामगृह व हाई वे पर रात्रि निवास स्थानों का निर्माण कराएं।

(पांच) राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं पूरे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों तथा जोधपुर जिले के कुछ हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान में सूखे की स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य के अधिकांश जिले गत दो से तीन वर्षों के बीच भयंकर सूखा और अकाल से ग्रस्त रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि गत वर्ष राजस्थान के 32 जिलों में से 26 जिले प्रभावित हुए थे। इस वर्ष 31 जिलों के 30583 गांवों में रहने वाले 410 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए जबकि पिछले वर्ष 2600 गांव प्रभावित हुए थे। ये आंकड़े राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आधारित हैं। इस वर्ष पीने के पानी, जानवरों के चारा तथा रोजगार के अवसरों की भारी कमी है।

बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में 3,000 गांव हैं जिनमें से 2,900 गांव सूखा और अकाल से बुरी तरह प्रभावित हैं। बहुत अधिक संख्या में लोगों ने अपने जानवरों के साथ दूसरे राज्यों में प्रवास करना शुरू कर दिया है। शेष लोग घबराए हुए हैं तथा परेशानी में हैं। यदि तुरन्त राहत के उपाय नहीं किए गए तो अकाल से मृत्यु और आत्महत्या की वारदातें होंगी। इसका कारण विशेषकर, गरीबी, जलस्रोतों का सूखना तथा चारे की अनुपलब्धता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर निम्न कार्रवाई करे:

(क) सूखा/अकाल प्रभावित लोगों के कष्ट को कम करने के लिए त्वरित राहत पैकेज।

(ख) मानव जाति और पशुधन के लिए दूसरे राज्यों से अनाज और चारा मंगाया जाए।

(ग) सूखे और अकाल की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उस स्थान पर एक संसदीय समिति भेजी जाए।

(छह) देश में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए ठोस उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): द्वितीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99 जो कि मूल सुविधाओं से संबंधित है, से यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग राज्यों में स्पष्ट अन्तर है। राज्यों के एक छोटे से वर्ग ने बहुत अच्छा सुधार किया है जबकि कुल मिलाकर स्थिति निराशाजनक ही है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 72 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा 28 प्रतिशत परिवार शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जबकि 40 प्रतिशत परिवारों के पास विद्युत नहीं है, 61 प्रतिशत को पाइप से जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है तथा 64 प्रतिशत के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। यह सच है कि 1992-93 के प्रथम सर्वेक्षण के मुकाबले इन सुविधाओं के प्रसार में सुधार हुआ है क्योंकि विद्युत संबंधी आंकड़े में 9 प्रतिशत तथा पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यदि राज्यवार देखा जाए तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 95 प्रतिशत से अधिक परिवारों के पास बिजली है जबकि बिहार और असम के 35 प्रतिशत से कम परिवारों के पास यह सुविधा उपलब्ध है। 10 परिवारों में से 9 के पास अपना घर है। कुल के एक तिहाई लोग निम्न श्रेणी के घरों में रहते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस असमानता को दूर करने के लिए इस सहस्राब्दी के अवसर पर संकल्प ले तथा योजना आयोग और अन्य एजेन्सियों को क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दें।

(सात) केरल में कॉयर उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): केरल में कॉयर उद्योग में कार्यरत श्रमिक संकट का सामना कर रहे हैं। न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया गया है। हजारों श्रमिक बेरोजगार होने वाले हैं।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह कॉयर उत्पादन के मामले में न्यूनतम निर्यात मूल्य की प्रणाली जारी करें।

(आठ) देश में एड्स उन्मूलन हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ए. ब्रम्हनैया (मछलीपटनम): महोदय, समाचार-पत्रों में अनेक खबरें छप रही हैं कि आगामी वर्षों में एड्स से मरने वालों में सबसे अधिक संख्या भारत की होगी। अनेकों साल पहले भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान की शुरुवात की है। इस रा.ए.नि.सं. का देश में एड्स नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। संवाददाताओं ने एड्स के उद्गम स्थानों की पहचान भी कर ली है। राजमार्ग एवं चिकित्सालय इस प्रकार के सर्वाधिक नाजुक स्थान हैं जहां से एड्स का प्रभाव शुरू होता है। गैर सरकारी संस्थानों यथा लायन्स क्लब, रोटरी क्लब तथा अन्य संस्थानों द्वारा शिक्षा तथा सूचना के माध्यम से एड्स नियंत्रण की दिशा में काम करने हेतु उन्हें भी सम्मिलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

इसलिए एड्स के प्रसार पर नियंत्रण रखने तथा लोगों को इससे होने वाले नुकसान को बताने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि एड्स के मरीजों को व्यापक पैमाने पर चिकित्सा तथा चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एड्स को उच्च प्राथमिकता के आधार पर ले तथा वर्तमान असफलताओं का पुनरीक्षण करे। इसी के साथ-साथ वह एड्स के नियंत्रण तथा उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध योजना बनाएं।

(नौ) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भालचन्द्र यादव (खलीलाबाद): अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद का व्यापारिक रूप से अत्यधिक महत्व है।

खलीलाबाद को अब जिले का दर्जा भी प्राप्त हो गया है और यहां की आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है किंतु खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां जिसमें वैशाली एक्सप्रैस प्रमुख है, का ठहराव न होने के कारण जन प्रतिनिधियों एवं अन्य व्यवसायी लोगों को 50-60 कि.मी. दूर जाकर बस्ती से गाड़ी को पकड़ना होता है जिससे अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रैस सहित महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव दिया जाये तथा गोरखपुर-गोण्डा लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाये।

(दस) हरियाणा सरकार को राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, देश में धान की फसल ने प्राय: सभी राज्यों के किसानों को तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया है किंतु विशेष हानि उन प्रदेशों के किसानों को उठानी पड़ी है जहां इसकी पैदावार में अधिकतम किसान लगे हैं और अधिकतम उत्पादन करते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इस समस्या के विशेष रूप से शिकार हुए हैं। केन्द्र सरकार ने इस समस्या को पहचाना, परखा और हलके रूप में जहां धान-वसूली की और प्रक्रिया में ढील घोषित की वहीं नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की किंतु हरियाणा राज्य के किसानों को लाभ नहीं मिला है। पंजाब में 350 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा हुई। अब उत्तर प्रदेश के लिए वहां के नये मुख्य मंत्री के आग्रह पर 313 करोड़ रुपये स्वीकार होने जा रहे हैं परंतु हरियाणा के लिए सरकार के पास अभी भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। इससे हरियाणा के किसानों में रोष पैदा हो रहा है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि समय रहते राहत के लिए प्रथम चरण में कम से कम 500 करोड़ रुपये की घोषणा करे क्योंकि हरियाणा के किसान को अधिक हानि उठानी पड़ी है।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में हल्दिया-रायमंगल पट्टी को सुन्दर वन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, सुंदरबन अपने अद्भुत वनस्पति जीव-जन्तुओं और चीता की प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। यह 220 कि.मी. की पट्टी वाला सदानीरा क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर भी यह अपने देश में सबसे अधिक औद्योगिक रूप से पिछड़ा और गरीबी वाला क्षेत्र है। मैंने उस सम्माननीय सभा में इस मुद्दे को अनेक बार उठाया है। फिर भी, केन्द्र सरकार ने इस पर उचित ध्यान नहीं दिया है।

केन्द्र ने गोदावरी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया है जबकि सूखे मौसम में इस नदी का केवल नब्बे कि.मी. क्षेत्र जहाज या नौका के चलाए जाने लायक रहता है। सुंदरवन की नदियों में पानी हमेशा रहता है तथा ये जहाज या नौका चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं।

केन्द्र सरकार के पास हल्दिया से रायमंगल तक की 191 कि.मी. की पट्टी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हल्दिया रायमंगल पट्टी को शीघ्र ही सुंदरवन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करे। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी बल्कि केन्द्र को भी बढ़ी हुई पर्यटक गतिविधियों से लाभ होगा।

(बारह) कर्नाटक में विशेष रूप से गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): मैं सरकार का ध्यान कर्नाटक राज्य में कई फसलों की गिरती कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिनमें तुअर दाल, मक्का, चावल, तिलहन इत्यादि सम्मिलित हैं। राज्य के किसान भारी वर्षा, बाढ़ और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों से अत्यंत प्रभावित हुए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, गुलबर्गा में, किसान तुअर-दाल की फसल उगाते हैं। इस फसल को उगाने के लिए किसानों को काफी धन निवेश करना पड़ता है। कीटनाशकों की कीमतों और अन्य श्रमिक प्रभारों में वृद्धि के कारण, अधिकतर किसानों को बैंकों से, सहकारी संस्थाओं से और व्यक्तियों से ऋण लेना पड़ता है। गिरती कीमतों से किसान सर्वाधिक प्रभावित होंगे। नई फसल पहले ही बाजार में आ चुकी है और कीमतें बहुत कम है और ये अब तक सर्वाधिक निम्नस्तर पर पहुँच चुकी हैं। इसलिए आवश्यक है कि निम्नलिखित उपाय किए जाए:

1. सभी प्रकार की तुअर-दाल का आयात बंद किया जाए।
2. न्यूनतम मूल्य 2,000 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए; और
3. भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्य सरकारी संगठनों को बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए और किसानों से इसकी खरीद करें।

अपराह्न 2.23 बजे

सरकारी विधेयक

(एक) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद संख्या 13 पर चर्चा करेगी। डा. सत्यनारायण जटिया विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हमने दो घंटे का समय आवंटित किया है।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता* हूं:

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत काम के दौरान चोट लगने तथा जिन कतिपय व्यावसायिक बीमारियों के कारण अपंगता अथवा मृत्यु हो जाती है उनके मामले में कर्मकारों और उनके परिवारों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गयी है। इस समय यह नियम रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के अधिनियम की अनुसूची (2) में उल्लिखित जोखिमपूर्ण रोजगारों में लगे व्यक्तियों पर लागू होता है। अनुसूची (2) में कारखानों, खानों, बागानों, निर्माण-कार्यों आदि में लगे व्यक्ति शामिल किये गये हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्र में क्रमिक विस्तार से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की अनुपयोगिता का क्षेत्र कुछ हद तक कम हुआ है। तथापि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का क्षेत्र कारखानों और अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित कुछ अन्य प्रतिष्ठानों तक ही सीमित है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम बाकी के क्षेत्रों में लागू है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में पिछली बार सन 1995 में संशोधन किया गया था। विगत समय श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मुआवजों, लाभों को और उदार बनाने के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासकों के परामर्श से जांच कर ली गयी है। समिति की सिफारिशों और संबंधित प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं।

अधिनियम की धारा 2(1)(घ) में संशोधन किया जा रहा है ताकि बिना किसी अपवाद के सभी नियमित कर्मकारों को इसमें शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे की दरें पिछली बार 1995 में संशोधित की गई थीं। तब से मजदूरी और वस्तुओं की कीमतों में आमतौर पर वृद्धि हुई है। इसलिए मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे की न्यूनतम राशि 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये तथा स्थायी पूर्ण विक्लांगता के मामले में 60 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये किये जाने का प्रस्ताव है। मुआवजे की अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए धारा 4(1)ख में दिये गये स्पष्टीकरण-2 में निर्दिष्ट मासिक मजदूरी की सीमा को 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया जाता है। 4 हजार रुपये की मजदूरी के मुआवजे की अधिकतम राशि मृत्यु के मामले में 4 लाख 56 हजार और स्थायी रूप से विकलांगता के मामले में 5 लाख 48 हजार रुपये होगी।

कर्मकार के मामले में धारा 4 के अंतर्गत अंत्येष्ठि क्रिया के लिए भुगतान किये जाने वाली राशि को एक हजार से बढ़ाकर ढाई हजार किया जा रहा है। मुआवजे के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के मामले में अधिनियम की धारा 4(3)क के अंतर्गत नियोजक ब्याज के भुगतान और मुआवजे के राशि का 50 प्रतिशत तक का दंड के रूप में देने के लिए उत्तरदायी है। इस समय ब्याज भुगतान कर्मकार अथवा उसके आश्रित को दिया जाता है। दंड की राशि राज्य सरकार के खाते में डाल दी जाती है। मुआवजे के भुगतान में विलम्ब होने के कारण प्रभावी परिवार को सब कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता है। अत: दंड की राशि को भी कर्मकार अथवा उसके आश्रित को दिये जाने का प्रस्ताव है। संक्षेप में, इस विधेयक के माध्यम से किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन महत्वपूर्ण हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव एवं संशोधनों को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। परंतु मेरे कुछ सुझाव हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय विचार करें।

महोदय, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में पारित हुआ था। इस अधिनियम में पिछली बार 1995 में संशोधन किया गया था। जब इस अधिनियम को 1995 में संशोधित किया गया तो, हमने कुछ सुझाव दिए थे क्योंकि हम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के संशोधन के समय प्रतिकर की बढ़ाई गई राशि से सहमत नहीं थे। इस अधिनियम को संशोधित करते समय इस राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रु. किया गया, जो अत्यल्प थी। हम उस समय यह चाहते थे कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अपराह्न 2.28 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* **हुए)**

अब, महोदय इस वर्तमान संशोधन विधेयक में, मंत्री महोदय यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि मृत्यु की स्थिति में प्रतिकर की राशि बढ़ाकर 80,000 रु. कर दी जाए। मृत्यु हो जाने पर 80,000 रुपये की राशि प्रतिकर की राशि को कम से कम दो लाख रुपये बढ़ाए जाने के लिए संशोधन सभा पटल पर रखा है क्योंकि यदि एक कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो, उस कर्मकार के आश्रितों को प्रतिकर के रूप में कम से कम दो लाख रुपये मिलने चाहिए। क्योंकि उस कर्मकार की मृत्यु से, उसके परिवार के लिए आय के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं।

इसलिए, इस राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। संसद की श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव की जांच की है और उन्होंने भी यह सिफारिश की है कि मृत्यु और स्थायी रूप से विकलांग होने पर इस राशि में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। परंतु मंत्री महोदय ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को न तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया न ही पूर्ण रूप से लागू किया है। मुझे नहीं पता कि क्या इस मामले पर राज्यों के श्रम मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था और क्या उन्होंने इस मामले से जुड़े केन्द्रीय श्रमिक संघों से, इस मामले पर, उनकी राय जानने के लिए विचार-विमर्श किया था। उन्होंने इसका उल्लेख उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से मंत्रणा की थी।

महोदय, पिछली बार भी, हमने कर्मकारों के आश्रितों को कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर या उसके विकलांग हो जाने पर मुआवजा प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई का उल्लेख किया था। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। जिसमें कर्मकार की मृत्यु के पश्चात भी मुआवजा नहीं दिया गया है। भारतीय रेलवे में इन दिनों ठेके पर कई श्रमिक कार्य कर रहे हैं और भारतीय रेलवे के अधिकतर कार्य जैसे रेल लाइन का रख रखाव, कोचों का रखरखाव, रेलवे स्टेशनों का रख-रखाव और सौन्दर्यीकरण, टिकट निरीक्षण इत्यादि कार्य अब ठेके के श्रमिकों को दिये जा रहे हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें सिविल कार्य करने वाले उसकी ठेका श्रमिकों को उसकी मृत्यु के बाद भी विद्यमान कानून के अनुसार 50,000 के आसपास भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

जब लोग ऐसे मामलों में श्रम न्यायालय में जाते हैं, तो मामलों के निपटान में कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ जजों के कई पद खाली पड़े हैं और उन्हें नहीं भरा जा रहा है। आसनसोल और धनबाद के श्रम न्यायालय में कई रिक्त पद हैं परंतु उन्हें भरा नहीं जा रहा है। लगभग एक वर्ष पहले, मेरे एक मित्र, जो धनबाद के श्रम न्यायालय में रिक्त पद हैं परंतु उन्हें भरा नहीं जा रहा है। लगभग, एक वर्ष पहले, मेरे एक मित्र, जो धनबाद के श्रम न्यायालय में जज के पद पर थे, की हत्या कर दी गई, परंतु उस पद को अभी तक भी नहीं भरा गया है। इस प्रकार, जो वर्तमान कानून है उसका भी कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। नियोजक अधिनियमों के प्रावधानों का खुलकर उल्लंघन करते हैं, परंतु भारत सरकार का श्रम मंत्रालय इस मामले में चुप्पी साधे हुए है।

मैंने श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में कई पत्र लिखे हैं। हमारे देश में कई श्रम कानून है जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और वेतन भुगतान अधिनियम। मैंने इस मुद्दे को सभा में कई बार उठाया है कि कर्मकारों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। अभी, मैंने जल संसाधन मंत्रालय से बात की है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम उनके मंत्रालय के अधीन है। उस संगठन के श्रमिकों को 17 से 20 महीनों का वेतन नहीं मिला है। यदि किसी श्रमिक को 20 महीनों तक वेतन न मिले तो, आप कल्पना कर सकते हैं, वे कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे? वहाँ भूखमरी की नौबत होगी।

मैं श्रम मंत्री से कई बार मिला हूँ। मैंने इस समस्या से संबंधित उनसे कई बार चर्चा भी की है। वे भी असहाय है। वे अन्य विभाग और अन्य मंत्रालय को निर्देश नहीं दे सकते। भारत सरकार के अधिनियम का स्वयं सरकार ही उल्लंघन करती है। सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम सरकार के अधीन हैं। यदि कर्मकारों को वेतन नहीं मिलता है तो, मजदूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन कौन कर रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने जब यह मामला उठाया तो मुझे मंत्री महोदय से इसका कोई उत्तर नहीं मिला। यदि कानूनी तौर पर देय राशि ही नहीं दी जाएगी तो वह किसे जिम्मेदार ठहरायेंगे? कितनी राशि देय है? श्री जटिया, आपने मुझे दो महीने पहले बताया था यह राशि 2,000 करोड़ रुपये है। अब, यह इससे अधिक है। ये कानूनन देय राशि है। कर्मकार को भविष्य निधि में जमा उसकी अपनी पूँजी ही नहीं मिल रही है। श्रम मंत्री असहाय है। वे इस बाबत वित्त मंत्री को लिखते हैं और वित्त मंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।

अभी, मैंने भारत सीमेंट निगम के कर्मचारियों की रैली में भाग लिया था। यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हैं। उन्हें पिछले छः महीनों से वेतन नहीं मिला है। श्री मुनिलाल आप उस वक्त उपायुक्त थे और अब आप श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री है। क्या आप कर्मकारों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं? यदि उन्हें छः महीनों से वेतन नहीं मिलता है तो, इस अधिनियम का क्या उपयोग है? यदि केन्द्रीय अधिनियमों का खुला उल्लंघन हो

[श्री बसुदेव आचार्य]

रहा है और श्रम मंत्रालय असहाय है, तो श्रम मंत्रालय का क्या उपयोग है? अब, कर्मचारियों को परिवचन देना पड़ेगा। एक स्वतंत्र देश में-53 सालों की स्वतंत्रता के बाद-कर्मचारियों को मारूति उद्योग लिमिटेड में प्रवेश करने से पहले परिवचन देना होगा। श्रम मंत्री महोदय असहाय हैं। ये सब किसके कहने से हो रहा है। यह सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आदेश पर हो रहा है।

अब, उन्होंने दूसरे श्रम आयोग की स्थापना औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1948 में संशोधन के लिए की है। इसकी स्थापना किसके हितों की रक्षा के लिए की जा रही है? ऐसा कर्मकारों के हितों की लिए नहीं वरन् बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के लिए किया जा रहा है जिससे वे खुली लूट मचा सकें। जिससे वे बिना किसी बाधा के, लूट सके और लाभ कमाकर अपने देश भेज सकें।

जहाँ तक बोनस के भुगतान का संबंध है, इस मामले में सदन के दोनों पक्षों द्वारा बोनस के भुगतान की अधिकतम सीमा को समाप्त करने की मांग के फलस्वरूप हमें आश्वासन दिया गया है। उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। सरकार ने अभी तक बोनस भुगतान अधिनियम को न तो संशोधित किया है, न ही इसे स्वीकार किया है और न ही इस संबंध में कोई घोषणा की है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने राशि में वृद्धि के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है। परंतु क्या यह पर्याप्त है?

यह निर्णय करने से पूर्व की इसके लिए कितनी राशि होनी चाहिए? स्थायी विकलांगता के लिए कितनी राशि तय की जानी चाहिए? उन्होंने इसके लिए क्या मानदंड अपनाए हैं? मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे सभा को बताएं कि इस संबंध में क्या मानदंड अपनाया जा रहा है। 1995 में, जब राशि बढ़ायी गई थी तो कौन सा मानदंड अपनाया गया था और अब क्या मानदंड अपनाया जा रहा है? केवल विचार-विमर्श किया जा रहा है। स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया गया है?

माननीय सभापति महोदय, मासिक वेतन की अधिकतम सीमा तय करने के मामले में भी, यह पर्याप्त नहीं है। इसे कम से कम, 5000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसे 4000 रुपये ही क्यों रखा गया है। उन्होंने किस मानदण्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि वह 4000 रुपये होना चाहिए? इसलिए इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए।

अब, मैं अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च के संबंध में चर्चा करूंगा। इन पांच सालों में, क्योंकि इस अधिनियम को पिछली बार 1995 में संशोधित किया गया था, इस बीच सभी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च में भी पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त नैमित्तिक कर्मकारों से संबंधित उपधारा 1 में यह अच्छी बात है जिसका वह लोप कर रहे हैं कि 'उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसका रोजगार अस्थायी है और जो नियोजक के व्यापार और व्यवसाय के उद्देश्य के अलावा नियोजित है।' मेरा सुझाव है कि जो मजदूर ठेके पर दूकानों और अन्य ऐसे ही संस्थानों में कार्यरत हैं-चाहे वे चार या पांच कर्मकार हों-को भी सम्मिलित किया जाए। भारतीय खाद्य निगम के भी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका मीटिंग में जाने का समय हो गया है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पौने तीन बजे जाऊंगा। मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी कुर्सी से आने के बाद इस विषय पर बोलेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, भारतीय खाद्य निगम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परम्पराओं का उल्लंघन कर रहा है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परम्परा के अनुसार मजदूरों को 50 किलो से अधिक वजन के बोरे नहीं उठाने चाहिए। परन्तु, मैंने देखा है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अब तक मजदूर 90 किलो के बोरे उठाते हैं। भारतीय खाद्य अ.श्र.स. की परम्परा का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए एफ.सी.आई. द्वारा नियोजित मजदूरों तथा खतरनाक उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय कठिनाइयों के कारण अंगहानि हो सकती हैं। इसलिए उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में एक व्यापक अधिनियम बनाया जाना चाहिए।

इस विधेयक को 1923 में अधिनियमित किया गया था तथा इतने वर्षों के बाद 1995 में हमने इस विधेयक में संशोधन किया था और आज फिर हम इसका संशोधन कर रहे हैं। इन सभी पहलुओं की जाँच क्यों नहीं की जा रही है तथा इन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत उस समय शामिल क्यों नहीं किया गया था जब हमने इसे पिछली बार संशोधित किया था? अभी भी इस अधिनियम में सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें त्रुटियां होंगी तथा इस अधिनियम के उल्लंघन की भी संभावना होगी। हम भुगतान न करने वाले कर्मचारियों का पता नहीं लगा सकेंगे। इसमें कई वर्ष लग जायेंगे तथा उन्हें पकड़ने में भी कई वर्ष लग जाएंगे। मजदूर संघ के हमारे आंदोलन में हमारा यही अनुभव है। ऐसा मैंने कई मामलों में देखा है।

[हिन्दी]

डा. जटिया के कमरे में लिखा हुआ है, श्रम बिना न किमपि साध्य, मतलब श्रम कि बिना कुछ काम नहीं बनेगा। ऐसा लिखा हुआ है, आपने भी देखा होगा। हम तो अक्सर इनके पास जाते हैं, हमें तो जाना ही पड़ता है। हमारा इनका आज का नहीं, सन् 1980 का साथ है। हम लोग लगातार लोक सभा में है, इनका कमरा भी बहुत पुराना है। पहले ये इधर बैठते थे, अब उधर चले गये। ये एक बार 1984 में जीतकर नहीं आ सके, उस बार इन लोगों के दो ही सदस्य थे, लेकिन हम यहां थे। श्रम बिना न किमपि साध्य, यह लिखा हुआ है, इसीलिए उनकी मजदूरों के प्रति हमदर्दी है। यह हमदर्दी खाली दिखाने के लिए नहीं, करने उनके लिए होनी चाहिए। केवल लिखा होने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल को और मजबूत बनायें, काम्प्रीहेंसिव बनायें। दूसरे हमारे देश में खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कानून नहीं बन सका, जबकि 2-3 करोड़ खेतिहर मजदूर देश में हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है। क्या उनके लिए कानून नहीं बन सकता। इन्होंने हमें बताया था कि हम बहुत सारे कानून लाने वाले हैं, लेकिन एक ही कानून आया। थोड़ी सी शुरुआत हुई है, आप इसको जरा ठीक से कीजिए और इसके एमाउंट को बढ़ाइये, मजबूत बनाइये ताकि एम्पलायर कानून को वायलेट न कर सकें। इसको ठीक ढंग से लागू होना चाहिए और एमाउंट को बढ़ाना चाहिए।

यही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, 2000 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। मैं कर्मकार प्रतिकार विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय में हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर और छोटे लोगों को राहत देने के लिए विधेयक पेश किया है। उन्होंने जहां 50 हजार रुपये के स्थान पर 80 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है, यह बहुत कम दिखाई देता है, इसको दो लाख रुपये करने के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। जहां पर 60 हजार रुपये के स्थान पर 90 हजार रुपये किया है, उसको मैं 2.5 लाख रुपये करने के लिए आग्रह करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी 2000 रुपये के स्थान पर जहां आपने 4000 करने का प्रस्ताव किया है, वहां 5000 रुपये किया जाना चाहिए। जहां अन्त्येष्टि के लिए एक हजार के स्थान पर 2.5 हजार किया है, वह आज के महंगाई के युग को देखते हुए बहुत कम है, इसे कम से कम 10 हजार रुपये होना चाहिए।

आज आपने लेबर के साथ-साथ जो कैजुअल लेबर के बारे में विचार किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। आजकल पूरे देश और उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टा, शुगर मिल और केन क्रैशर, ये तीनों उद्योग ऐसे हैं, जहां पर कागज में केवल नाममात्र लेबर ही दिखाई जाती है। कागज पर ईंट भट्टे पर 2-3 आदमी ही दिखाये जाते हैं और सारा काम ठकेदार के थ्रू होता है। केन क्रेशर में 5-6 आदमियों की सूची होती है, जबकि वहां 3-4 सौ आदमी ठेकेदार की लेबर के रूप में काम करते हैं। उन ठेकेदारों की लेबर को कहीं अंकित नहीं किया जाता, न स्थायी लेबर के रूप में, न कैजुअल लेबर के रूप में। इसी प्रकार से फार्मिंग सोसायटी में है और औद्योगिक सहकारी समितियों का भी यही हाल है। फार्मिंग सोसायटी के रूप में लाखों सोसायटियां हैं, वहां पर सारा का सारा लेबर का काम ठेकेदार द्वारा कराया जाता है।

परन्तु कहीं भी उसका रिकार्ड नहीं लिखा जाता। जब कभी लेबर के ऊपर कोई बात आती है, लेबर की कोई समस्या होती है तो लेबर उस लाभ से वंचित रह जाती है। यह जो विधेयक पेश किया गया है, लेबर इस विधेयक के घेरे से वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में जो क्रैशर चल रहे हैं, शुगर मिलें चल रही हैं, उमें ट्रैक्टर, ट्राली चलने लगे हैं। उनमें बहुत सारा गन्ना ढोया जाता है और उस पर जो लेबर काम करती है, उसकी कहीं भी चर्चा नहीं है जबकि ये जो उद्योग हैं, लेबर क्रैशर में गन्ना नहीं भरे, ट्रैक्टर को ड्राईवर लेकर नहीं पहुंचे तो मिलें नहीं चलेंगी फिर भी लेबर की कहीं चर्चा नहीं है। लेबर की लिखित में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह और बताना चाहता हूं कि यह जो अस्थायी और कैजुल लेबर हैं, इनके बारे में यह महसूस किया गया है कि जब कभी पैसा लेने की मजबूरी आती है तो उसके परिवार के लोगों को कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर राज तक भागना पड़ता है। मान लीजिए 20000 रुपये या 40000 रुपये लेने की बात थी तो उसके परिवार के लोगों का बहुत सारा धन भागदौड़ में ही या अधिकारियों के चक्कर काटने में खर्च हो जाता है। कभी-कभी तो यहां तक नौबत हो जाती है कि परिवार में इस तरह का व्यवधान आ जाता है कि यदि किसी परिवार के मुखिया की डैथ हो गई तो उसके भाई ने पैसा ले लिया और उसकी पत्नी, बच्चे या बेटों को पैसा नहीं मिला। इसके बारे में यह भी जरूर तय किया जाना चाहिए कि ऐसी हालत में उस विधवा को एवजी के रूप में नौकरी जरूर मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन-यापन हो सके।

[श्री शीशराम सिंह रवि]

एक और भी विषय है कि सरकार 5000 रुपये के स्थान पर 80000 रुपये देगी। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति को 5000-6000 रुपये महीना मिलते हैं और यदि उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 80000 रुपये से क्या लाभ होगा। इतने धन से तो दस महीने का ही काम चल सकेगा। उसके बाद उसके बच्चों का लालन-पालन कैसे होगा, उसका जीवन-यापन कैसे चलेगा? इतना प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए कि उसके परिवार में जब तक उसके बच्चों का पालन न हो, जब तक उसका बच्चा पढ़-लिखकर बड़ा न हो, उसकी पत्नी को रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ उद्योगों में सहयोगी लेबर के बारे में मेरे से पूर्व मेरे सीनियर बोल रहे थे और मैं कहूंगा कि सही बात है कि आज भी एफसीआई की जितनी मिलों से चीनी ढुलती है, उसमें कहीं भी लेबर की चर्चा नहीं होती। उस लेबर का कहीं भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। यह जो आपने लेबर को लाभ पहुंचाने की बात कही है, वे भी इस योजना के अंदर नहीं आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये और जितने भी ठेकेदार हैं, पूरे देश में पंखकार वसूली पर जो लोग लगे हुये हैं, उससे संबंधित जो लेबर लगी रहती है, उसको 500 या 800 रुपये महीने का काम दिया जाता है और कोई अचानक ट्रक जा रहा है और उस पर से बल्ली गिर गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई तो वह लेबर इस योजना के अंदर कवर नहीं हो रहा है। चूंकि माननीय मंत्री जी के मन में दलितों और पिछड़ों के प्रति असीम प्यार है, वे चाहते हैं कि उनके द्वारा लेबर का भला हो तो इसमें वे सारे उद्योग ईट-भट्टा आदि में जो लेबर लगी हुई है, जो इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित है, उसको भी इसका लाभ मिले।

उन सभी को जोड़ते हुए ऐसी सूची तैयार कराई जाये। साथ ही साथ इसमें यह भी संशोधन किया जाये कि जिस परिवार को इसका लाभ मिलने वाला है उसके लिए एक पैमाना तय करके एक अधिकारी नियुक्त किया जाये जो यह लाभ उस परिवार को दिलाए। किसी की हड्डी टूटने पर 90 हजार रुपया उसे दे दिया जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वह 90 हजार रुपया तो उसके आपरेशन में ही खर्च हो गया। इस राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिए। सभी उद्योगों को और फार्मिंग सोसायटी को और जो ठेकेदारों के मातहत काम करने वाले श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, उन सभी को जोड़कर कर्मकारों को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): मैं कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम का अधिनियमन इस संसद द्वारा 1923 में किया गया था। अब तक इस अधिनियम का 25 बार संशोधन किया गया है और अब यह 26वां संशोधन है। यही दर्शाता है कि इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। यह तथ्य कि हम इस अधिनियम का 26वीं बार संशोधन कर रहे हैं यह स्पष्ट करता है कि इस संबंध में एक व्यापक अधिनियम बनाए जाने की आवश्यकता है जो श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित हो। यह संशोधन हमारे माननीय साथी और माननीय मंत्री डा. सत्यनारायण जटिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह निश्चय ही एक अच्छा कदम है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

इस विधेयक में तीन पहलू हैं। पहला, सभी नैमित्तिक श्रमिकों को इस विधेयक के अंतर्गत लाया जाए।

दूसरा, वर्तमान क्षतिपूर्ति को बढ़ाया गया है।

तीसरा, अगर क्षतिपूर्ति के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है तो ब्याज और 50 प्रतिशत तक दण्ड की राशि आश्रितों को देय होगी।

इस प्रकार, इस विधेयक में यह तीन महत्वपूर्ण बातें हैं।

अपराह्न 2.57 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए)

कर्मकारों की सुरक्षा और कल्याण सरकार तथा समाज का अनिवार्य कर्त्तव्य है। हमें कर्मकारों की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र के निर्माता हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करें।

नैमित्तिक श्रमिकों सहित इन कर्मकारों के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में हम समुचित बीमा कवरेज भी बढ़ा सकते हैं। सरकार को उन सभी कर्मकारों और नैमित्तिक श्रमिकों के लिए बीमा कवरेज के बारे सोचना चाहिए जो विभिन्न फर्मों में काम करते हैं तथा विभिन्न ठेकेदारों के साथ कार्यरत है। बीमा की कमी के कारण काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है जैसा कि हमारे माननीय साथी ने कहा था।

अब हम बदली हुई स्थिति और समाज में रह रहे हैं। हम परिवर्तित औद्योगिक पर्यावरण में रह रहे हैं। आज वैश्वीकरण और उदारीकरण की स्थिति है। अत: उद्योगों के कार्य करने का ढंग भी दिन प्रति दिन बदल रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

नई तकनीकी जानकारियां आ रही है। नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और हमारे औद्योगिक क्षेत्र में नइ मशीनें आ रही हैं। अत: कुल मिलाकर अब हम तक बदली हुई स्थिति में हैं। व्यावसायिकता से संबंधित रोग भी बदल रहे हैं। जहाँ तक व्यावसायिकता से संबंधित रोगों का प्रश्न है, मैं आपको इसके असंख्य उदाहरण दे सकता हूं। व्यावसायिक रोग अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है। सरकार को उस पहलू की ओर ध्यान देना चाहिए। उद्योगों की प्राचीन प्रणाली निश्चित तौर पर बदल गई है। अत: परिवर्तित स्थिति के आधार पर हमें कामगारों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें व्यावसायिक रोगों का वर्गीकरण करना चाहिए और हमें आवश्यकतानुसार उनकी मदद करनी चाहिए।

महोदय, मारूति उद्योग लिमिटेड, भारतीय सीमेंट निगम और देश के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में श्री बसुदेव आचार्य ने ठीक ही बताया है। इनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बन्द होने के कगार पर हैं। दुर्भाग्यवश, मारूति उद्योग लिमिटेड के श्रमिक परेशान हैं। इस सदन में भी अनेक बार, माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारियों के प्रति व्यवहार के मुद्दे को उठाया। यह सभी तथ्य हैं। मैं समझता हूं कि श्रम मंत्रालय को और अधिक रुचि लेनी चाहिए और इन मामलों पर ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मुआवजे के मामलों के निबटान में अत्यधिक विलम्ब मुख्य मुद्दा है। सहायक श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त के न्यायालयों में बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं और पीड़ितों को समय पर क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। अत: इन मामलों के निबटान का क्या तरीका है? मंत्रालय को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

यहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्थायी विकलांगता के लिए क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है। यह अपर्याप्त है। मेरा सुझाव है कि स्थायी विकलांगता के मामले में हमें 90,000 रुपये की बजाय कम से कम 1.5 लाख रुपये देने चाहिए। इन लोगों को मृत्यु होने तक पैंशन भी दी जानी चाहिए।

मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा कि इन लोगों के निकट संबंधी को, जहाँ वे काम करते थे, वहाँ रोजगार के अवसर देने चाहिए। अन्त्येष्टि के लिए खर्च बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देना चाहिए। ये कुछ सुझाव है, जो मैं देना चाहता हूँ।

महोदय, अंतत: एक बार फिर मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए एक व्यापक विधेयक इस सदन के समक्ष लाना चाहिए। यह ही वक्त का तकाजा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और अगले सत्र में सरकार को व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय की कामगारों के लाभार्थ इस सदन को, इस संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करने के लिए प्रशंसा करता हूँ। किन्तु ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि पांच वर्ष के अन्तराल के पश्चात क्षतिपूर्ति को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया। पिछली बार यह 1995 में बढ़ाया गया था। अब वर्ष 2000 है। यदि 50,000 रुपये 15 प्रतिशत त्रिमासिक व्यापक पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निवेश किये जाएं तो यह 2 लाख रुपये हो जाते हैं।

अत: जीवन यापन स्तर को ध्यान में रखते हुए और मृतक अथवा विकलांग व्यक्ति के लगे-संबंधियों को दी जाने वाली ब्याज की राशि को ध्यान में रखते हुए 50,000 रुपये की राशि अत्यन्त अपर्याप्त है। इस पर मिलने वाले ब्याज की राशि से, वे लोग भी, जो कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जीवन यापन नहीं कर सकते और वे मुआवजे में मिली राशि को भी खर्च नहीं कर सकते। अत: यह तर्कसंगत और कम से कम सामान्य कामगारों के जीवन स्तर लाए रखने के अनुरूप होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पहलू पर पुन: विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मूर्ति जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, अत: मैं 50,000 रुपये की बजाय 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा हूँ क्योंकि 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति अत्यन्त अल्प राशि है। यदि सगे संबंधियों में सदस्यों में कोई योग्य पात्र हों तो मानवता के आधार पर उन्हें रोजगार के अवसर देने चाहिए। यह एक अन्य सुझाव है।

एक अन्य स्वागत योग्य सुझाव यह है कि नैमित्तिक कामगार और स्थायी कामगार के बीच के अन्तर को दूर करना। इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह सीधे भर्ती किए गए

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

कामगारों पर लागू होगा अथवा उन कामगारों पर भी लागू होगा जो किसी एजेन्ट के माध्यम से लगे हैं। सभी को, चाहे वह एजेन्ट अथवा ठेकेदार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काम पर लगे हों, मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह तो आवश्यक भी है क्योंकि मृत्यु तो मृत्यु है और उस परिवार को मुआवजे पर गुजर बसर करना पड़ेगा। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बिल्कुल स्पष्ट करे कि किसे मुआवजा दिया जाएगा।

दूसरी बात अत्यन्त साधारण है। जैसाकि कई सदस्यों द्वारा पूछा गया है कि अन्त्येष्टि खर्च को 2,500 रु. से बढ़ाकर 5000 रु. किया जाए क्योंकि आजकल किसी की भी अन्त्येष्टि पर कम से कम इतना खर्च तो होता ही है। अत: इस पर भी विचार किया जाए।

यह इस अधिनियम का 26वां संशोधन है। मैं सुझाव दूंगा कि व्यापक विधेयक लाने से पहले विस्तृत अध्ययन किया जाए। मुझे विश्वास है कि माननीय श्रम मंत्री भविष्य में भी कुछ अन्य विधेयक लेकर आएंगे। अत: मालिक को दिये गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि काम का अधिकार कर्मकार की निष्ठा और उसकी कार्य पर उपस्थिति पर निर्भर करेगा, माननीय मंत्री जी मालिक और कर्मचारी दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए व्यापक विधेयक लाएं क्योंकि अन्तत: यह कर्मचारी का ही खून पसीना है जो परिसम्पत्ति का सृजन करता है। अत: उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें इस बहुराष्ट्रिक राज में उनका देय हिस्सा दिया जाना चाहिए। आज वे काफी धन कमा रहे हैं और इसीलिए मुआवजे के प्रश्न पर उन्हें वास्तविक आधार पर भुगतान करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

जैसाकि कई अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि बोनस की सीमा बढ़ाने का प्रश्न कहां है? यदि ज्यादा लाभ होता है तो बोनस भी अधिक होना चाहिए। अत: जब आवश्यक हों इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अन्य मुद्दा यह है कि अधिकतर फैक्टरियों अपने कर्मकारों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती है। जैसाकि मेरे मित्रों ने पहले भी कहा है कि कई महीनों दो अथवा तीन अथवा यहां तक चार महीनों का वेतन नहीं दिया जाता है। यदि समय पर मुआवजा नहीं दिया जाता तो वहां 50% अर्थदण्ड का प्रावधान है। यह स्वागतयोग्य कदम है। इसी प्रकार यदि समय पर वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता तो कर्मकार को उचित ब्याज भी मिलना चाहिए। वेतन को ब्याज के साथ अदा किया जाए। यदि वे इसे भी अनिवार्य बना देते हैं तो मालिक भी अत्यन्त सतर्क हो जाएगा और समय पर वेतन का भुगतान किया करेगा। यदि यह समय पर नहीं दिया जाता तो उन्हें वेतन देते हुए 24% की दर से ब्याज भी देना होगा जैसाकि आयकर विभाग एकत्र कर रहा है। यदि समय पर करों का भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकार 24% की दर से ब्याज लेती है अत: ब्याज की वही दर यहां भी अदा की जानी चाहिए। वेतन का भुगतान ब्याज की उसी दर के साथ अदा किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): सभापति महोदय, मुझे इस पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे साथियों ने इसका समर्थन किया है बल्कि इसलिए कि इसमें कुछ मोटे-मोटे संशोधन किये गये हैं। जब आप इस विधेयक का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि मुख्य अधिनियम की धारा 2 से ब्रेकिट हटा दी गई है और अब यह इस प्रकार है:

> "उस व्यक्ति से भिन्न, जिसका नियोजन आकस्मिक प्रकार का है और जो नियोजक के व्यवसाय या कारबार के प्रयोजनों के लिए नियोजित होने से अन्यथा नियोजित है..."

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का आशय मुआवजे का भुगतान विस्तृत आधार पर करने से हैं ताकि वह किसी भी नैमित्तिक प्रकार के कार्य के लिए दिया जा सके। लेकिन मुझे शंका है। आपका नैमित्तिक प्रकार के कार्य से क्या अभिप्राय है? वह मुख्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। यह अन्य अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। नैमित्तिक कर्मकार अथवा नैमित्तिक प्रकार के कार्य करने वाला कर्मकार जैसे शब्द प्रवर्तन अधिकारियों के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। कार्य नैमित्तिक प्रकार का हो सकता है और उसके बाद स्थायी कर्मकार से कहा जा सकता है कि वह नैमित्तिक कार्य करे।

यहां एक बात और है जो अत्यन्त गम्भीर है। दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मकारों के बारे में क्या किया गया है? मैं माननीय श्रम मंत्री के सद्भाव की प्रशंसा करता हूं। अपने इस देश में श्रम संबंधी पूरी संविधि को लिया है। यह रेल श्रमिकों, फैक्टरियों के श्रमिकों, सरकारी कार्यालयों आदि के कर्मकारों जैसे सभी संगठित क्षेत्रों के लिए है। सभी संगठित कर्मकार हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के कल्याण के लिए कितने अधिनियम है अथवा कितने विधेयक पुर:स्थापित किये जा रहे हैं? इस देश का 80% कार्यबल निर्माण कर्मकारों, खेतीहर कर्मकारों, लदान कर्मकारों आदि जैसे असंगठित क्षेत्र में है। उनके लिए कोई अधिनियम नहीं है।

यहां भी यदि कोई व्यक्ति दिहाड़ी पर काम में लगा है मैंने अपनी बात यहां से शुरू की थी-और नैमित्तिक प्रकार का कार्य करता है तो माननीय मंत्री जी इस बारे में क्या करेंगे? मुझे यह समझ में नहीं आता है यह स्पष्ट भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए कार्य पर रखा गया है और वह किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो क्या इस अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होंगे। यह स्पष्ट नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम की अस्पष्ट बातें दूर की जायें। मैं माननीय मंत्री महोदय की निष्ठा की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इससे अंततः यह विवाद खड़ा होगा कि कौन दैनिक श्रमिक है और कौन नैमित्तिक श्रमिक है। यदि माननीय मंत्री महोदय इस अधिनियम को सभी श्रमिकों हेतु लागू करना चाहते हैं तो उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। आप कृपया धारा 2 में दी गई परिभाषा पर ध्यान दें। इससे अंततः एक ही निष्कर्ष निकलता है। मैं इस संबंध में कुछ अधिक समझ लेने हेतु माफी चाहता हूं क्योंकि इससे पूर्व किसी सदस्य ने इसका उल्लेख नहीं किया है।

कामगारों की परिभाषा धारा 2(1) में दी गई है। इस धारा के अनुसार कामगार से अभिप्रेत है उस व्यक्ति से भिन्न, जिसका नियोजन आकस्मिक प्रकार का है और जो नियोजक के व्यवसाय या कारबार के प्रयोजनों के लिए नियोजित होने से अन्यथा नियोजित है। यदि कोष्ठक को हटा लिया जाए तो इसका अर्थ होगा-कामगार से आशय किसी व्यक्ति से है। अब मैं रेलवे में कार्यरत कर्मचारी और अनुसूची-II में यथा निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का सीधा ही उल्लेख करता हूँ।

महोदय, अनुसूची II में 50 अथवा 60 से अधिक कार्यों का वर्णन दिया गया है। अतः दैनिक श्रमिकों की दशा अत्यधिक दयनीय है। यदि कार्य नैमित्तिक प्रकृति का है तो एक दिवस का भी नियोजन नैमित्तिक प्रकृति का हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने दिवस के नियोजन को नैमित्तिक प्रकृति का कहा जायेगा। एक दिन के लिए नियोजन प्राप्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। मैं इस अधिनियम में यह कमी पाता हूं।

दूसरे जैसाकि सभी ने सुझाव दिया है, यह संशोधन अत्यधिक अस्पष्ट बल्कि आधा-अधूरा है। यह 26वाँ संशोधन है जिसे यहां लाया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अनुसूची-II की मद संख्या 8 की ओर आकृष्ट करता हूँ इसमें कहा गया है:

> "किसी ऐसे भवन के, जो भूमि के ऊपर ऊंचाई में एक मंजिल से अधिक या भूमि तल से लेकर छत के शिखाग्र तक 12 फुट या उससे अधिक होने के लिए परिकल्पित है या रहा है, के सन्निर्माण, अनुरक्षण या तोड़ने में नियोजित हैं।"

महोदय, मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। यदि कोई श्रमिक निर्माण कार्य कर रहा हो और वह भूतल स्तर अथवा नींव स्तर पर दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। यदि वह एक तल का निर्माण करता है और इस क्रम में दुर्घटना का शिकार होता है, वह मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यदि वह एक तल से अधिक निर्माण करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है तभी उसे मुआवजा पाने का हक है। मैं पूरी अनुसूची का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। यह संशोधन करने का अप्रचलित तरीका है। 1923 में तैयार दिए गए इस विधेयक में कई बार संशोधन किया गया है। अब एक व्यापक अधिनियम की आवश्यकता है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय को सुझाव है-मैं माननीय मंत्री महोदय को मुआवजे की धनराशि के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है-कि अत्यधिक विकास की ओर अग्रसर इस विश्व में हमारी सांविधिक पुस्तिका में इस प्रकार के अधिनियम का होना शर्मनाक है। अतः मैं उनसे इस संबंध में बिना किसी विलंब के एक व्यापक अधिनियम लाने करने का अनुरोध करता हूँ।

श्रम मंत्री के रूप में उन्हें अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री बसुदेव आचार्य ने बोनस अधिनियम का उल्लेख किया है। यह अधिनियम 1964 में बनाया गया था। इसकी क्या स्थिति है इस संबंध में किसी को जानकारी नहीं है। एक व्यापक अधिनियम लाने में क्या कठिनाई है। वेतन ढांचे और कार्य पद्धति में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। प्रतिवर्ष आपको अधिसूचना जारी करनी पड़ती है और इसके विरुद्ध श्रमिक अथवा प्रबंधन आवाज उठाते हैं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हमारे पास एक व्यापक बोनस अधिनियम होना चाहिए। भविष्य निधि अधिनियम की भी यही स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भविष्य निधि कोष की स्थिति से हमें अवगत कराने का अनुरोध करता हूँ। वे बताते हैं कि भविष्य निधि कोष में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की धनराशि है। भविष्य निधि आयुक्त के पास वास्तविक रूप से जमा धनराशि की मुझे या किसी को भी जानकारी नहीं है। यदि इसके ब्याज को निकालकर इसका उचित उपयोग किया जाए तो देश के पूरे कार्य बल को पेंशन दी जा सकती है।

[श्री ए.सी. जोस]

परिवार पेंशन कुछ लोगों को ही नहीं दी जा रही है। श्रमिक, जो वास्तव में, भविष्य निधि में अभिदान करते हैं, की पेंशन में सरकारी कर्मचारियों की तरह वृद्धि नहीं की जाती है। माननीय मंत्री जी को यह अच्छी तरह ज्ञात है कि समय-समय पर सरकार अपने कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करती है जबकि भविष्य निधि में अभिदान करने वालों को यह लाभ नहीं मिलता है। उनको हमेशा समान धनराशि मिलती रहती है तथा उसमें कोई भी वृद्धि नहीं कर रहा है। यदि वे कार्य करते रहते तो उन्हें वेतन वृद्धि प्राप्त होती लेकिन उनकी पेंशन की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। आपने पेंशन की धनराशि 500 रुपये निर्धारित कर दी और बहुत दिनों से उन्हें यही धनराशि मिल रही है जबकि तथ्य यह है कि जीवन स्तर तथा मूल्यों में वृद्धि हुई है। सरकारी कर्मचारियों तथा बैंक के कर्मचारियों को उन्हें देय लाभ मिल रहे हैं जबकि श्रमिकों को, जिन्होंने भविष्य निधि में अभिदान किया है तथा जिनके लिए एक निश्चित धनराशि निर्धारित कर दी गई है, यह लाभ नहीं मिल रहा है।

अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य निधि को म्युचुअल फंड की तरह माना जाए। यह एक स्वागत योग्य कदम हैं क्योंकि इससे अधिक ब्याज मिलता है। इस संदर्भ में, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जो अपने आप में पूर्ण हो। भविष्य निधि कार्यालय अत्यन्त अकुशल तरीके से कार्य कर रहे हैं तथा लालफीताशाही के कारण श्रमिकों को उनका देय नहीं मिल रहा है।

यह कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट करें कि इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो कि सामयिक श्रमिक हैं और जो श्रमिक दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं? भारत में श्रमिकों की तीन या चार श्रेणियां हैं। एक तो हर महीने वेतन पाने वाले या वेतन भोगी श्रमिकों की है। दूसरी श्रेणी में ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिक हैं। तीसरी श्रेणी में सामयिक श्रमिक हैं जिन्हें 120 दिन या 180 दिन के लिए नियुक्त किया जाता है तथा किसी अन्य को कार्य पर लगाए बिना उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाता है। चौथी श्रेणी में वे श्रमिक हैं जिन्हें दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाता है। 80 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्रों जैसे कि कृषि या निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।

महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्रालय को इन श्रमिकों से संबंधित दो या तीन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, प्रतिकर अधिनियम, दूसरा बोनस अधिनियम तथा तीसरा भविष्य निधि अधिनियम है। मंत्री महोदय, कृपया, इस पर एक व्यापक विधेयक लाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, केवल इतना कहते हुए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

डॉ. संजय पासवान (नवादा): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले श्रम मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इनके प्रयास से द्वितीय श्रम आयोग बना। इनके प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारतीय श्रमिक के प्रति दृष्टिकोण आई.एल.ओ. के माध्यम से परिलक्षित हुआ। इसके अलावा जो विभिन्न विश्वस्तरीय मंच हैं, उनमें इनके काल में ही लेबर के पक्ष में बातें हुई हैं, इसका हम सब लोग सदन की तरफ से तथा अपनी ओर से भी स्वागत करते हैं।

इन्होंने वर्कमैन कम्पेंसेशन बिल में जो एमेंडमेंट लाने का यह प्रयास किया है, तथापि यह कम है, फिर भी इनका यह जो प्रयास है, बहुत पायस है। बहुत पवित्र ढंग से इन्होंने यह प्रयास किया है। परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए, जो स्थाई विकलांगता हो जाती है, इन्होंने राशि बढ़ाई है।

जो आंशिक रूप से मजदूर विकलांग होते हैं और फिर भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का एक हाथ या एक पैर खराब हो गया या औक्यूपैशनल डिसीजेज में, किसी-किसी खास फैक्टरी में किसी खास कैमिकल के कारण किसी खास एमीशन के कारण, कोई टॉक्सी गैस के कारण जो खास बीमारियां होती हैं, उनसे निपटने का क्या उपाय होना चाहिए तथा क्या प्रयास किये जा रहे हैं, यह बात स्पष्ट नहीं है, यह भी हम जानना चाहते हैं। परमानेंट विकलागंता के साथ-साथ आंशिक विकलांगता से निपटने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, वह भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं तो बाद में जो बिल या अमेंडमेंट आता है तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के दौर में लेबर किसी भी दल के आर्थिक एजेंडा में नहीं है। विश्व के स्तर पर ऐसा हो रहा है। लेबर उपेक्षित रहे हैं। लेबर मंत्रालय भी उपेक्षित रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि लेबर वैलफेयर को पुन: प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार, कोर्ट तथा ब्यूरोक्रेसी का जो पहले लेबर की तरफ रुख हुआ करता था, वह रुख अब कौरपोरेट गवर्नेंस की तरफ हो गया है। मैं सदन में इस बात के प्रति अपना रोष व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी अपने छोटे से काल में प्रयास कर रहे हैं, उससे उनकी नेक मंशा स्पष्ट होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो छोटा सा प्रयास है क्योंकि इससे ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। जो ईएसआई एक्ट है, फैक्टरी

एक्ट है, पी.एस. के बारे में अलग एक्ट है, इतने सारे एक्ट है। इसमें बहुत सारा कवरेज है। कुछ कंपनीज कुछ एक्ट में कवर होती हैं तथा कछ कंपनीज कुछ दूसरे एक्ट में कवर होती हैं। इससे जो कवरेज होगा, वह स्मॉल शेयर है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे कितने प्रतिशत मजदूर को लाभ मिलने वाला है, यह बात मैं नहीं जानता लेकिन मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उनका फल लेबर को अवश्य मिलना चाहिए। रमेश चेन्नितला जी ने कहा कि कंपेंसेशन होना चाहिए। कल कंपनी एक्ट में बदलाव के लिए लगभग एक-दो घंटे बहस चली और दो घंटे पास करवाने में लगे, इतना ज्यादा अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। आज हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, फैक्टरी एक्ट, ईएसआई एक्ट, वर्कर्स कम्पेंसेशन एक्ट इत्यादि में अविलम्ब संशोधन किया जाना चाहिए। मंत्री जी की अगर सही मायने में लेबर के प्रति धारणा स्पष्ट है और भारतीय संविधान भी लेबर के प्रति उदार रहा है, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है तथा कौरपोरेट गवर्नैंस की जब बात होती है तो उसमें लेबर की कैसे भागीदारी हो सके, इस बारे में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डैमोक्रेसी लाई जाये जो अभी तक नहीं लाई जा सकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से वर्कर्स की भागीदारी बढ़े, इस ख्याल से काम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाये क्योंकि असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में लेबर का एक बड़ा हिस्सा है।

माननीय मंत्री जी ने श्रमिकों के प्रति जो चिंता जताई है वह जायज है और उससे उनका हित हो, कल्याण हो, उत्थान हो। क्योंकि जब तक श्रमिकों का उत्थान नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रमिकों के उत्थान के लिए चाहे माननीय वित्त मंत्री हों, चाहे माननीय प्रधान मंत्री हों, उनको इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना श्रमिकों का कल्याण हुए देश का कल्याण होने वाला नहीं है। मंत्री महोदय ने इस ओर जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है और हमें विश्वास है कि अब मंत्री महोदय की नजर लोगों की ओर खुली है, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट केवल पीएफ का ही काम न करे बल्कि इस ओर भी श्रमिकों के हित के लिए काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): सभापति महोदय, आपने मुझे ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की तरफ से बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। यह पार्टी एक तरफ अपने औद्योगिक विकास की धारणा तथा सिद्धांत के लिए तथा दूसरी तरफ दलित, शोषित और वंचित लोगों के कल्याण के लिए जानी जाती है।

जब ए.आई.ए.डी.एम.के. सत्ता में थी तो मजदूरों तथा श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उनकी सहायता के लिए आगे रहती थी। इसका ज्वलंत उदाहरण तमिलनाडु में कामगारों को स्थायी दर्जा देना था। यह एक अद्वितीय प्रयास था। यह देश में ऐसा पहली बार हुआ था। कोई अन्य राज्य इस तरह का कानून बनाने में समर्थ नहीं था। लोग असंगठित क्षेत्र में किए गए कार्य के संबंध में बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। जब वह सत्ता में थी तब ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार ने शारीरिक श्रमिक अधिनियम लाई तथा शारीरिक श्रम भी अन्य रोजगारों की तरह से इस अनुसूची में शामिल किया। निर्माण में लगे हुए श्रमिकों के लिए वे एक विशेष रोजगार बोर्ड की शुरुवात किए। ये सब प्रयास यह दर्शाते हैं कि ए.आई.ए.डी.एम.के. की सरकार असंगठित क्षेत्र के बारे में भी कितना ध्यान देती थी। इसी कारण से उस समय औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति और समरसता पूरी तरह विद्यमान थी।

दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकार की गई नीतियों से, अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। अनेक उद्योग बंद हो गए हैं तथा अनेकों में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई है।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): वे यह कैसे कह सकते हैं? यह पूर्णत: गलत है।

श्री के. मलयसामी: मैं इसकी व्याख्या तथ्यों और आंकड़ों से करूंगा। मैं अपने पास उपलब्ध प्रतिवेदन के आधार पर यह कह सकता हूं कि श्रम दिवसों की सबसे अधिक हानि तमिलनाडु में हुई है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वेत्रिसेलवन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: जब कोई सदस्य इस सभा को गुमराह कर रहे हैं तो मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

सभापति महोदय: उन्हें अपना भाषण जारी रखने दीजिए।

श्री के. मलयसामी: महोदय, यदि वह बोलना चाहते हैं तो, वह अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं। मैं कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर अपनी बात प्रारंभ करने से पहले, समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़े देना चाहता हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष पांच हजार से अधिक व्यक्ति व्यवसायगत बीमारियों से मर रहे हैं। दुर्घटना से होने वाली मौतों के मामले में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी यही कहना है कि प्रत्येक तीन मिनट में एक श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। श्रमिकों की दुर्घटना में होने वाली मौतें से भी समस्या पैदा हो रही है। यही कारण है कि दुर्घटनाएं औद्योगिक विकास, औद्योगिक लाभ तथा किसी उद्योग के अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं। कामगार प्रतिकर अधिनियम को इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

[श्री के. मलयसामी]

जहां तक संशोधन की उपयुक्तता का संबंध है, मेरी भावना दोनों प्रकार की है। इससे प्रसन्न भी हूं तथा मुझे इससे कष्ट भी है। मुझे यह टिप्पणी करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इसमें अनेक अच्छी और स्वागत योग्य बातें हैं। मैं कामगार की परिभाषा के विस्तार करने की अवधारणा का स्वागत करता हूं। उन्होंने यह ठीक किया है कि इसमें सामयिक श्रमिक और ठेके पर रखे गए श्रमिक को भी शामिल किया है। श्री जोस ने सामयिक श्रमिक तथा आकस्मिक प्रकृति के कार्य के बारे में कहा है। इस परिभाषा के बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि कार्य आकस्मिक प्रकृति का है या स्थाई प्रकृति का। मेरे विचार से यह अपने आप स्पष्ट है। आपने कामगार की परिभाषा का विस्तार करके अच्छा किया है तथा यह ठीक है कि इसमें अन्यों को भी शामिल कर लिया गया है।

लेकिन इसी के साथ मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि अनेक व्यक्तियों का कार्य लिपकीय प्रकृति का है और वे उतने ही अच्छे हैं जितने की श्रमिक। वे कार्य के स्थान पर जाते हैं तथा खतरों का सामना करते हैं। वे वह सब करते हैं जो कि श्रमिक करते हैं। लेकिन आपने इस श्रेणी के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया है। यद्यपि संसदीय समिति भी इसकी संस्तुति कर दी है लेकिन जो भी हो आपने उनको शामिल नहीं किया है। आपकी परिभाषा तभी पूर्ण कही जा सकती है जब आप लिपकीय श्रेणी में आने वालों को भी कामगार की श्रेणी में शामिल करें।

प्रतिकर की दरों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अच्छा किया है कि इसे बढ़ा दिया है। जहां तक राशि का संबंध है, इस संबंध में मैं उन सदस्यों की बात से सहमत हूं जो कि उसमें वृद्धि किये जाने की बात कर रहे हैं। आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में प्रतिकर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है जबकि स्थायी विकलांगता की स्थिति में इसे बढ़ाकर 90,000 रुपए किया गया है। इसका तर्क मेरी समझ में नहीं आता। मैं सोचता हूं कि मृत्यु अस्थायी विकलांगता से अधिक गंभीर है। जब स्थायी विकलांगता की स्थिति में 90,000 रुपये दिये जाते हैं तो मृत्यु की स्थिति में यह राशि केवल 80,000 रुपये क्यों है? यदि आप सभी प्रकार के प्रतिकर की राशि बढ़ाना चाहते हैं तो मृत्यु होने की स्थिति में यह अधिक होना चाहिए। इसके विपरीत, एक अपंग व्यक्ति थोड़ा कम भी ले सकता है। मुख्य अधिनियम में भी, यह विसंगति विद्यमान है। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि): स्थायी विकलांगता की स्थिति में व्यक्ति को अनेक वर्षों तक कष्ट झेलना पड़ता है। इसके लिए उसे अधिक दिया जाना चाहिए।

श्री के. मलयसामी: स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति कुछ काम का हो सकता है।

श्री एम. मास्टर मथान: हमें इस बात को समझना है कि इसे कितना कष्ट सहना पड़ता है।

श्री के. मलयसामी: लेकिन मेरी धारणा है कि मृत्यु स्थायी विकलांगता से अधिक गम्भीर है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया इस पर सोचें।

अब मैं प्रव्रजन करने वाले श्रमिकों के बारे में उल्लेख करना चाहता है। कोई भी श्रमिक जब दूसरे शहर या देश में चला जाता है तो उसे उस स्थान पर अपना दावा करने का अधिकार मिलना चाहिए जहां उसके उत्तराधिकारी या आश्रित निवास कर रहे हैं। जब मंत्री महोदय उत्तर दे तो इस प्रश्न को भी स्पष्ट करें।

नियोक्ता या प्रबंधन श्रमिकों के भुगतान से इस आधार पर बचना चाहता है, आनाकानी करता है कि वे गरीब हैं तथा उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तथा वे न्यायालयों द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। इस समस्या से बचने के लिए प्रत्येक नियोक्ता को बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अनिवार्य रूप से बीमा करायें। यदि यह हो जाता है तो कानूनी आधार पर अदायगी न करने या उसे टालने को निश्चित रूप से रोका जा सकता है।

अब मैं चोट लगने की स्थिति पर आता हूं कि अमुक व्यक्ति की चोट को निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत माना जाए या गैर-निर्धारित। निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत लगी चोटों के बारे में कानून स्पष्ट है लेकिन जहां तक गैर-निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत लगी चोटों का सवाल है इस संबंध में कहना चाहूंगा कि उन्हें डाक्टर के प्रमाणपत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्यादातर समय डॉक्टर आते नहीं हैं और अगर वे आते भी हैं तो प्रबंध मण्डल बड़ी सावधानी से कई स्थगन प्राप्त कर लेता है और अंततः उनसे चिकित्सा बोर्ड का गठन करने के लिए कहा जाता है। इससे काफी विलम्ब हो जाता है। कृपया देखिये कि क्या चिकित्सा बोर्ड के गठन की शक्ति श्रम आयुक्त को दी जा सकती है जो कि क्षतिपूर्ति आयुक्त भी होते हैं।

जहां तक मुआवजे की पात्रता का प्रश्न है, तो केवल आश्रित ही इसके पात्र होते हैं। आश्रित से तात्पर्य है वे जिनकी उम्र 18 वर्ष की है। यदि बेटा 18 साल से कम उम्र का है तो उसे मुआवजा मिलेगा और यदि वह 18 वर्ष से अधिक है तो नहीं।

मुझे यह पता चला है कि ऐसे असंख्य मामले पड़े हुए थे जिनमें पंचाट तो दिया गया पर उसे लेने वाला कोई नहीं था। क्योंकि आश्रितों की आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई थी। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। 'आश्रित' शब्द के स्थान पर हमें 'कानूनी वारिस' शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा।

अब मैं एक और मुद्दे पर आता हूँ जिसे किसी भी सदस्य ने नहीं उठाया। मुझे बताया गया कि 15 सालों से राजस्व वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित है। राजस्व प्राधिकारियों के पास असंख्य प्राथमिकताएं हैं जिनमें से यह सबसे छोटी है। जब तक राजस्व प्राधिकारी रुपये की वसूली, एकत्र कर उसे अवार्डों को नहीं दे देते तब तक यह रुपया सब को मिलेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को वसूली अधिनियम लागू करने का प्राधिकार दिया जा सकता है? इस कार्य के लिए अपने साथ वह कुछ व्यक्तियों को अर्थात डिप्टी-कलक्टर तहसीलदार प्रतिनियुक्ति पर ले सकता है जो कार्यस्थल पर जाकर वसूली की कार्यवाही शुरू करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): माननीय सभापति महोदय, कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस विधेयक के उपबंध में अन्तर्निहित भावना का स्वागत करते हुए मैं माननीय मंत्री जी के विचारार्थ इससे संबंधित और कुछ बातें रखना चाहूंगा।

इस अधिनियम में जब पिछली बार संशोधन किया गया था तब से मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। वेतन में कटौती भी हुई है। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं। चिकित्सा संबंधी व्यय में भी वृद्धि हुई है। इसलिए मैं, माननीय मंत्री जी के विचारार्थ यह सुझाव देना चाहूंगा कि मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे की राशि 3 लाख रुपये और स्थायी अपंगता के लिए 4 लाख तक कर दी जाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अंतिम संस्कार पर दी जाने वाली राशि भी बढ़ाकर 5000 रु. कर दी जानी चाहिए।

हालांकि मैं और राज्यों के बारे में नहीं जानता, किंतु जहां तक तमिलनाडू का संबंध है यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु काम करते हुए हो जाती है तो उसकी संतान को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दे दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसमें ऐसा समर्थकारी खण्ड भी इसमें सम्मिलित किया जाए जिससे प्रबंधक, दुर्घटना में मरे कर्मकार की संतान को रोजगार देने के लिए बाध्य हो। मूल अधिनियम में अमानी श्रमिकों, उद्योग, व्यवसाय और व्यापार को सम्मिलित करने के लिए किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों का मैं स्वागत करता हूँ। यह कदम बहुत अच्छा है। इस बारे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक में ऐसा अच्छा उपबंध सम्मिलित करने पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बारहमासी चलने वाले कार्य में लगे अनुबंधित श्रमिक यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर ही मुआवजा मिलना चाहिए। होता क्या है कि कई मामलों में यह मुआवजा या राहत उन्हें समय पर मिलती ही नहीं है। मुआवजा देने में विलम्ब होता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर भी विचार करें और ऐसे विलंब को दूर करने के लिए कोई विधान बनाएं।

महोदय, धारा 4(क)/3(क) के अधीन कर्मकारों या उनके आश्रितों को मिलने वाली दण्ड राशि के उपबंध के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इससे मुआवजे की अदायगी में विलंब होने पर परिवार को राहत मिलेगी।

तथापि, मैं धारा 41(ख) से संतुष्ट नहीं हूँ जो अधिकतम मासिक वेतन के आधार पर मुआवजा निर्धारण करने से संबंधित है। महोदय, जैसा कि आप जानते ही है कि साधारण कामगार और कुशल कामगार के वेतन में आवधिक वृद्धि होने के कारण उन्हें करीब 6000 या 7000 रु. मिलते हैं। इसलिए वेतन के आधार पर मुआवजे का आकलन करते समय इस पर सीमा नहीं लगायी जानी चाहिए।

महोदय, मेरे विचार से माननीय मंत्री मेरे सुझावों से सहमत होंगे। महोदय, मैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम से संबंधित हूँ जिसका नेतृत्व डॉ. कलिंघर करते हैं। महोदय, तमिलनाडू में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तमिलनाडू में मुख्यमंत्री डॉ. कलिंघर ने कल्याण बोर्डों की स्थापना की है। यह एक अद्वितीय स्थिति है। महोदय, इसे मजाक में मत लीजिए। यह सराहनीय प्रयास है। डॉ. सत्यनारायण जटिया जानते हैं। इस बारे में हमने एक नोट भी दिया है। महोदय, ऐसे राज्य से होने का मुझे गर्व है। ऐसे संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉ. सत्यनारायण जटिया को मुबारकबाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि ये इन सभी बिंदुओं को लिख लेंगे और इसके लिए एक व्यापक एवं उपयुक्त विधान लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह जो कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर चर्चा चल रही है, उसमें मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जटिया साहब की नीयत तो साफ है लेकिन वह जो कुछ कर रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर व्यावहारिक नहीं है। मृत्यु का पैसा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये करना और संपूर्ण विकलांग होने पर 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये करना ...*(व्यवधान)*

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): यह राशि कम से कम है।

श्री रामजीलाल सुमन : मेरा कहना है कि 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये करना ठीक नहीं है क्योंकि जटिया साहब, इतना पैसा तो एक मंत्री एक दिन में खर्च कर देता है। आज कितनी महंगाई है और परिवार में कितनी समस्याएं होती हैं, उस लिहाज से मेहरबानी करके मृत्यु और विकलांग के लिए आपने जो पैसा बढ़ाया है, उसे पांच-पांच लाख रुपये करिये।

श्री सत्यनारायण जटिया: उसमें अधिकतम पैसा 5 लाख 48 हजार रुपये है।

श्री रामजीलाल सुमन : इसी तरह आपने अंत्येष्ठि के लिए एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये किया है। मेरा कहना है कि उसको 10 हजार रुपये किया जाये। इन पैसों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। श्री मुनि लाल जी आपके पास बैठे हैं। ये बड़े अधिकारी रहे हैं। इस पैसे की व्यवस्था ऐसी हो कि वह तत्काल लोगों को मिल जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोगों ने संशोधन थोड़े ही दिये हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जटिया साहब चाहें तो इसको कुछ व्यावहारिक भी बनायें। अगर कोई 25 साल का कर्मचारी मरता है और कोई 55 साल का मरता है तो उसकी उम्र और उसके परिवार की क्या जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से उसको देखें। अगर इस तरह से कुछ सोच सकें तो मैं समझता हूं कि इनकी बड़ी कृपा होगी।

मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में कांच की इंडस्ट्री है। पहले यह काम कोयले से होता था लेकिन ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके तहत ताज ट्रिपेजियम जोन बनाया गया कि इतनी दूरी तक कोयले से कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। फिरोजाबाद में कोयले से संचालित जो इंडस्ट्री थी, उसको अब गैस की आपूर्ति होने लगी है। मैं जानता हूं कि जब कोयले से इंडस्ट्री चलती थी तब कितने लोग सांस की बीमारी के शिकार थे, कितने लोगों ट्यूबरक्लोसिस था और कितने लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां थीं। मेरा यह भी निवेदन होगा कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत है।

आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कारखानों में, इंडस्ट्रीज में श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोग परेशान हैं। अमूमन यह शिकायत आती है कि काम का समय आठ घंटे तय है लेकिन कोई कारखाने वाले ग्यारह घंटे काम चलाता है, कोई बारह घंटे काम चलाता है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में राज्य सरकार को सख्ती से लिखें कि जहां श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, जहां मजदूरों से बारह-बारह घंटे काम करवाया जा रहा है और स्थानीय श्रम विभाग का तंत्र उसमें शामिल है, लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, कारखाने वाले लोग मिल कर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, मैं आपके संशोधन का स्वागत करता हूं कि नीयत ठीक है लेकिन कामगारों को अधिक से अधिक पैसा देने का कष्ट करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, हम श्रम मंत्री को बधाई देते हैं कि वे बहुत अच्छा बिल लाए हैं। मरणोपरांत, उम्र के हिसाब से कम उम्र वाले लोगों को अधिकतम 5,48,000 रुपये देने का प्रावधान उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। हम सिर्फ एक-दो बातें मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे कि देश में जो खुशहाली आई है, वह उन्हीं कामगारों की बदौलत है, हम उनके योगदान को नकार नहीं सकते। आज भी शहरों में जो बड़े-बड़े उद्योग धन्धे उन्हीं कामगारों की बदौलत चलते हैं। जो सरकार आई, वे उनके पक्ष में कानून बनाती हैं, समय-समय पर उसमें संशोधन होते हैं, उनको सुविधा देने की बात होती है लेकिन पब्लिक सैक्टर्स और प्राइवेट सैक्टर में उन कानूनों का अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली महानगर में, जो गरीब प्रान्त हैं, जहां उद्योग धन्धे नहीं हैं, वहां के लोग रोजी-रोटी के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और आए भी हैं जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश का इलाका है। लेकिन यहां मजदूरों के साथ अन्याय होता है। मुन्नीलाल जी तो बिहार से आते हैं और हमको लगता है कि वे हकीकत से अवगत होंगे। कितने कदम उठाते हैं, सफलता मिलती है या नहीं मिलती, इनको यह व्यक्तिगत अनुभव होगा। मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरों को 1200 रुपये वेतन पर रखा जाता है। इतना ही नहीं, दो-तीन साल काम करवाने के बाद

उनको निकाल दिया जाता है और तीन साल की नौकरी में कभी छः महीने का भुगतान नहीं किया जाता तो वह व्यक्ति हमारे जैसे लोगों के पास दौड़ कर आता है। आपने कानून बना दिया और हमको नहीं लगता कि आपने 1200 रुपये तय किए होंगे। लेकिन अपने परिवार का परवरिश करने के लिए पढ़ा-लिखा व्यक्ति 1200 रुपये में मजदूरी करता है। पता नहीं दिल्ली जैसे शहर में वह 1200 रुपये में किस तरह अपनी जिन्दगी गुजारता होगा। यह महसूस करने की बात है, कहने की बात नहीं है। लेकिन उसका वह वेतन भी रोक लिया जाता है। वह दरवाजे-दरवाजे भटकता है और फिर दूसरी जगह नौकरी ढूंढ़ता है। इसलिए कागज में कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। अधिकारीगण, हम नहीं कहते कि सब गड़बड़ है, अच्छे लोग भी हैं। अगर लेबर एक्ट के तहत कोई व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा करने जाता है तो कई मामलों में देखा गया है कि मजदूरों के पक्ष में जजमैंट नहीं होता, मालिकों के प्रभाव से मजदूरों के विपरीज जजमैंट चला जाता है। अगर किसी मामले में मजदूरों के पक्ष में निर्णय हो भी गया तो मालिक उसे नहीं मानता और दफ्तर में जिस तरह झाड़ू मार कर कागज फेंका जाता है, उस तरह फेंक दिया जाता है।

यदि ये कानून बनाते हैं तो उसका सख्ती से अनुपालन कैसे हो, इस पर इनको गम्भीरता से सोचना चाहिए और इसे इतना मजबूत करना चाहिए कि इनके बनाये हुए कानून की अनुपालना हो। प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और बहुत सी सरकारी संस्थाओं में भी जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें कांट्रैक्ट बैसिस पर रखा जाता है। रेल में भी है, ओ.एन.जी.सी. में है, इंडियन ऑयल में है, कृभको में है हम मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आपको मजदूरों की जरूरत है, उनसे काम लेते हैं तो बीच में क्यों वाया मीडिया, दलाल और कांट्रैक्टर रखकर काम कराते हैं। अगर आपके पास मजदूरों की जगह है तो आप उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करते। आप मजदूरों को जो पैसा देते हैं, उसे बिचौलिया खाता है तो आप सीधे मजदूरों की नियुक्ति कीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो वह अलग बात है, लेकिन जब आप कांट्रैक्टर के माध्यम से काम कराते हैं तो काम तो आपके यहां है। हम यह चाहते हैं कि कांट्रैक्ट बेसिस की प्रथा आप समाप्त करिये। कांट्रैक्ट बेसिस के मजदूर यदि कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वे विकलांग हो जाते हैं तो तरसते रहते हैं। अगर वे मर भी गये तो उन्हें कोई पूछता नहीं है। आपका जो कांट्रैक्ट बेसिस का धंधा चलता है, इसको आप बन्द कर दीजिए और उनको रैगुलर काम पर रखिये ताकि वे अपने परिवार का प्रबन्ध सही ढंग से कर सकें।

इसके अलावा हम एक और सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करेंगे। हम यह चाहेंगे कि इनके जो बड़े-बड़े हाकिम लोग होते हैं, अफसर होते हैं, उनको थोड़ा सा चुस्त-दुरुस्त करें। उसमें बड़ी गड़बड़ होती है, वे सब लोग बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिले रहते हैं। मंत्री जी को भी मालूम होगा, आप भी तो एम.पी. हैं, सब माल टांगकर मजदूरों का गला दबाते हैं। आप इनको थोड़ा सा यह कहिये कि थोड़ी सी चुस्ती मजदूरों के हित में बरतें। आप जो भी पदाधिकारी रखते हैं, वह आप मजदूरों के हित के लिए रखते हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी पदाधिकारी गलत हैं, लेकिन आप अपने पदाधिकारियों को चुस्त-दुरस्त कीजिए।

जो कानून आप लाये हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी सरकार ही बढ़ा रही है। सरकार आपकी है और हम भी आपके सहयोगी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आप महंगाई को आसमान छुआते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। जिस रफ्तार से आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से आप उनका पैसा भी बढ़ाइये, तब हम आपको एक बार ज्यादा बधाई देंगे। इस पर कम ही बधाई देकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, उसमें मौत के लिए 50 हजार रुपये से 80 हजार रुपया और डिसेबल्ड हो जाये तो उसके लिए 60 हजार से 90 हजार रुपये कम्पेंसेशन देने का कानून लाये। इन्होंने दावा किया है कि समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है। हम नहीं जानते हैं कि माननीय मंत्री जी को मालूम नहीं कि भारत में प्रतिवर्ष 5000 लोग अपने कार्यस्थल पर अस्वच्छ वातावरण के कारण पैदा हुई बीमारियों से मर जाते हैं। उद्योगों में स्वास्थ्यकर वातावरण के बारे में जागरुकता कम है और इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत कम विशेषज्ञ ही मिलते हैं। यह स्थिति है। 5000 कामगार इसलिए मर जाते हैं कि काम करने की हाइजीनिक स्थिति नहीं है, उनको सहूलियत नहीं है, इस वजह से मर जाते हैं, ये तो बहाल लोग हैं। यह विधेयक 2-3 बार आया है, उसके बारे में सदन में सभी पक्ष के लोगों ने कहा कि मजदूर वर्ग के लिए काम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए, उसका क्या हुआ? उसको क्यों डिले किया जा रहा है, वर्किंग क्लास के बिल को, इसलिए कि यह सरकारी एंटी वर्किंग क्लास है। आप उसे क्यों नहीं ला रहे हैं?

अपराह्न 4.00 बजे

इन पर चार्ज है कि यह एंटी-वर्किंग क्लास है इसलिए वर्कर्स के फेवर में काम्प्रीहेंसिव बिल नहीं ला रहे हैं। *...(व्यवधान)* जो मर जाये, उसके लिए 50000 रुपये से 80000 रुपया मुआवजा कर दिया है और जो घायल हैं, उनके लिए 60000 रुपये से 90000 रुपया मुआवजा कर दिया है। इसमें मजदूरों के लिए वही आपकी नीति है। कुछ न मिलने से थोड़ा मिलना बेहतर है। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए तो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह एंटी-वर्किंग क्लास की सरकार है।

प्रो. रासा सिंह रावत : यह निराधार आरोप है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : निराधार आरोप कहां है? ठेकेदारों के द्वारा जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जाते हैं, खासकर हमारे बिहार से नॉर्थ ईस्ट में ले जाये जाते हैं। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में गया था। वहां मुझे जानकारी मिली कि बिहार से लेबर लाई जाती है और कोई बीमार हो जाता है तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसकी कोई देखभाल नहीं की जाती। उनके स्वास्थ्य, उनकी देखभाल के लिए कोई कानून हो, इसलिए काम्प्रीहेंसिव बिल लाये जाने का औचित्य है। बिहार के मजदूर पंजाब, हरियाणा में खेती करते हैं, उनके देखभाल की क्या व्यवस्था है? वे 700 करोड़ रुपया कमाकर भेजते हैं और कहते हैं कि बिहार भूखा है। सब जगह मजदूर जा रहा है। इस बार पंजाब का किसान धान काटने के लिए बिहार गया है और उसकी मशीनरी भी बिहार में जा रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने राज्य में काम कर रहे हैं या दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, अनऑरगेनाइज्ड एग्रीकल्चरल लेबर जो खेती में काम करते हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? अभी प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि मेहनत करने वाले किसान के लिए बिल आना चाहिए। जो मजदूर काम करता है, जो अनाज पैदा करता है, दूध, तरकारी और धान उगाता है, सड़कें बनाता है, रेलवे लाइन बनती है, सब में मेहनतकश मजदूर लगता है। पुराने जमाने में कह दिया गया कि शरीर से पसीना बहाने का काम करने वाला तो छोटा होगा और जो मेहनत नहीं करेगा, वह बड़ा होगा। यह बीमारी पहले से हो गई। इस बीमारी को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की? केवल 50000 रुपये से 80000 रुपया कर दिया और दावा करते हैं कि हम क्रांतिकारी विधेयक लाये हैं और यह विधेयक मजदूर के पक्ष में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतने से काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से चाहूंगा कि जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं, जिनका शोषण केवल ठेकेदार द्वारा ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा भी मजदूर का शोषण किया जाता है, उनके लिए एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाये। मैं मारूति उद्योग में गया था। वहां के मजदूर लोग तीन महीने से आंदोलन कर रहे हैं। 3000 करोड़ रुपये का घाटा हो गया। 83 एम्पलाईज को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि प्रबंधन दमनकारी नीति अख्तियार कर रहा है। प्रोडक्शन नगण्य हो गया है। मारूति उद्योग मशहूर उद्योग है जिसमें सरकार और पूंजीपति दोनों की भागीदारी है। वहां बड़ी भारी साजिश चल रही है किस प्रकार से घाटा दिखाकर उसको बेचने का काम किया जाये।

आप बेचने के लिए यह सब इंतजाम कर रहे हैं। आज बैंक के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। उसमें भी ये कहते हैं कि सरकार का हिस्सा 51 प्रतिशत से 33 प्रतिशत कर दिया जाए। सीमेंट कोरपोरेशन वालों का भी जुलूस आया है। आज सारे श्रमिक तबाह हैं, काम करने वाले मजदूरों में आतंक फैला हुआ है। इसलिए जहां कहीं भी दमन और शोषण हो रहा है वह बंद होना चाहिए और जिन श्रमिकों की काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है उन श्रमिकों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए।

भोपाल गैस कांड में क्या हुआ? इसी तरह से अन्य जगहों पर भी आपदाओं के चलते श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। उनको तो मुआवजा मिले लेकिन उनके स्थान पर रोजगार में उनके बच्चों की भी बहाली होनी चाहिए। आज उनके स्थान पर उनके आश्रितों की बहाली में बहुत परेशानी होती है। इन सब बातों को श्रम विभाग को देखना चाहिए कि किस तरह से श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिल सकें। यह कहते हैं कि यह सन 1923 का बिल है लेकिन इस पर यह बहुत छोटा सा संशोधन लाए हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर एक कम्प्रिहैंसिव बिल सरकार को लाना चाहिए। जो श्रमिक और मजदूर धरती का सीना चीरकर, अपना खून-पसीना बहाकर सारे देश के लिए खाद्यान्न और दूसरी चीजें पैदा करता है, उनके हित के लिए एक कम्प्रिहैंसिव बिल सरकार लाए। सरकार यह बहुत छोटा बिल लाई है।

महावीर जयंती के अवसर पर मंत्री जी से भेंट हुई थी। मंत्री जी गरीबों की बात बहुत करते हैं लेकिन जिस तंत्र में यह शामिल हैं उसमें रहकर यह कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मंत्री जी साहस दिखाएं और सभी मजदूरों-श्रमिकों के हित में कानून लाएं और उन कानूनों को लागू करवाएं। साथ ही यह भी देखें कि जहां कानून लागू हो रहा है वहां लागू भी करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति जी, यह संशोधन नाकाफी है और इससे श्रमिकों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आज देश में मजदूरों की स्थिति काफी खराब है। कानून तो बना हुआ है। आप 60 हजार रुपये या 50 हजार रुपये पहले से जो मजदूरों को दे रहे हैं वे भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। श्रमिकों के मालिक वह पैसा भी मजदूरों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके कारण मजदूर कोर्ट में जाता है लेकिन वकील को देने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होता है। सरकार ने जो अमेंडमेंट करके 50 हजार रुपये को बढ़ाकर 80 बढ़ाकर और 60 हजार रुपये को बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया है।

[अनुवाद]

जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुण्य करके प्राप्त रकम के पचास प्रतिशत के बराबर या पचास हजार की रकम इनमें से जो भी अधिक हो।

[हिन्दी]

तो मरने वाले को आप 50 हजार के स्थान पर 80 हजार रुपये और जो अपंग हो जायेंगे उनको 60 हजार रुपये के स्थान पर आप 90 हजार रुपये देने की बात कर रहे हैं। एक जिंदा इंसान की कीमत 90 हजार रुपये और मरने वाले की 80 हजार रुपये आप आंकने वाले हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जो लोग सड़कों पर मारे जाते हैं उन्हें 10 लाख से 50 लाख रुपया तक कम्पनसेशन मिल जाता है लेकिन आप मजदूरों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप यह बिल न लाते तो बेहतर होता। मैं इसलिये आपसे माफी चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कानून में कौन सा अमेंडमेंट करके कमेटी बनाई थी और किस कमेटी की रिकमेंडेशन्स पर यहां अमेंडमेंट हो रहा है। लेकिन उस कमेटी का जो भी फैसला था, वह गलत था। इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों मजदूरों की जिन्दगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी जिन्दगी को 70-80 हजार रुपये के तराजू में तोला जा रहा है। मरने के बाद उनको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि बिल में दिये हुये ये अलफाज़ पढ़िये जो डैमेजिंग हैं:-

[अनुवाद]

> ''यदि कर्मकार को हुई क्षति के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नियोजक, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, आयुक्त के पास ऐसे कर्मकार की अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मकार के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहां कर्मकार का कोई आश्रित नहीं है या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आश्रितों के साथ नहीं रहा था वहां उस व्यक्ति की, जिसने वास्तव में ऐसा व्यय उपगत किया है, संदाय के लिए एक हजार रुपए की राशि जमा करेगा।''

कमिश्नर के पास एक हजार रुपया जमा रहेगा, यदि आदमी मर जाये तो उसके कफन के लिये उसके लड़के को दे दिया जायेगा। लेकिन लड़के को कमिश्नर के आफिस में फटकने तक नहीं दिया जायेगा और वह कमिश्नर के पास चक्कर लगाता फिरता है और आप कह रहे हैं कि एक हजार रुपया फ्युनरल के लिये देंगे। यह रुपया एम्पलायर देगा। इसलिये बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट बगैर सोचे-समझे लाया गया है और मजदूरों की परेशानी को कतई दूर नहीं करेगा।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जैसा हमारे एक मित्र ने कहा कि यह काम्प्रेहैंसिव बिल लाना चाहिये था क्योंकि इस देश में मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है।

अपराह्न 4.12 बजे

(**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*)

हमारे एक मित्र ने मारूति उद्योग लिमिटेड के बारे में कहा। बिलकुल ठीक कहा गया कि इसके अंदर हमारे मजदूर भाई परेशान हैं। वहां के कुछ लोग मेरे पास आये थे। उनसे जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है, जो गैर-कानूनी है। जब सरकार जो उद्योग अपने चला रही है, उनके अंदर मजदूरों के साथ डिसक्रिमिनेशन किया जा रहा है तब प्राइवेट एम्पलायरों के साथ कैसे तवक्को कर सकते हैं। मेरी कांस्टीटुवंसी के अंदर गजरौला इंडस्ट्रियल ऐरिया है। वहां मजदूरों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। वे हड़ताल और धरने पर बैठे हुये हैं। उनके पास खाने के लिये कुछ नहीं है। मैं लेबर मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन सब बातों को देखते हुये इस कानून में अमेंडमेंट करने की तरफ तवज्ह देनी चाहिये थी और इसके बाद ही एक काम्प्रेहैंसिव बिल लाना चाहिये था। इस बिल को लाने से कोई परपज़ साल्व नहीं होगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापति महोदय, मैं कर्मकार प्रतिकर विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया कि विश्वभर में आई.एल.ओ. की रिपोर्ट है कि हर तीन एक्सीडेंट में एक आदमी मर जाता है। उनकी जानकारी के मुताबिक 5000 लोग जबकि मेरी जानकारी में 8000 लोग मर जाते हैं और इनमें विक्लांग ज्यादा हो जाते हैं। सरकार इसके लिये हिम्मत दे रही है। मैं थोड़ा विस्तृत रूप से आपसे विनती करना चाहता हूं। आज टैक्सटाइल लूम्स में 45 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं जो अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर है। उनके लिये कोई लेबर लॉ नहीं, कोई एप्लीकेबल नहीं होता। यह पता ही नहीं चलता कि वे क्या करते हैं, और यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा। कांट्रेक्ट लेबर है। मैं चाहता हूं कि इस बिल में इनक्लूड करें। वे अन आर्गनाइज्ड सैक्टर से हैं। उनका आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। मेरी विनती है कि उनको इसके अंदर इनक्लूड करें।

जैसे इंश्योरेन्स की स्कीम में मेडीक्लेम आदि हैं, उनका कम्पलशन कीजिए, यह लेबर के लिए अच्छा होगा। मेरे क्षेत्र में एक कंसर्न रिचर्ड्स एंड क्रूडास है, मैं वहां एक बार उसमें विजिट करने के लिए गया था। वहां किसी लेबर को जख्म था। उसके पांव पर ऊपर से कुछ सामान गिर गया था। लेकिन वे लोग उसे

[श्री मोहन रावले]

कम्पेनसेशन नहीं दे रहे हैं। जबकि सरकार का उस पर कंट्रोल है। जहां-जहां ये लोग रूल्स को एप्लाई नहीं करते हैं, जहां लोगों को पैसा नहीं मिलता है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं, इस बारे में भी आप अपने जवाब में बतायें। यही मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में विचार करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री जी.एम. बनातवाला।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं दूसरे विधेयक पर बोलूंगा, यदि आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी बोलूंगा।

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, मेरा नाम भी है।

सभापति महोदय : आपके दल की ओर से दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : उसमें मेरा नाम भी है।

सभापति महोदय : नाम तो है, किंतु आपके दल की ओर से कुछ सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं भी बोलूंगा।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय ये मुख्य वक्ता हैं।

सभापति महोदय : हमारे पास अधिक समय नहीं हैं। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं आपके दल की ओर से एक सदस्य बोल चुका है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : तो उन्हें चाहिए कि वे अन्य सदस्यों से कहें कि वे आपसे सहयोग करें।

श्री अनिल बसु : वे मुख्य रूप से प्रतिकर पर ही बोलेंगे।

सभापति महोदय : अभी नहीं, हम इन्हें कोई और समय देंगे।

श्री तरित बरण तोपदार : मंत्री जी मुझे सुनने के लिए तैयार हैं, आप कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : समय नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं।

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं क्या करूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपसे कह चुका हूं कि आपके दल की ओर से एक सदस्य पहले ही बोल चुका है। कृपया समय की बाध्यता को समझें।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : माननीय चेयरमैन साहब जो बिल लाया गया है यह अपंगों और मरने वालों के लिए लाया गया है, जो जिंदा मजदूर हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप कुछ चाहते हैं तो आप बाद में स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए। मैंने आपको कहा था कि आपके दल का सदस्य बोल चुका है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुख्य वक्ता के रूप में श्री बसुदेव आचार्य पहले ही बोल चुके हैं। अब आप अगले विधेयक पर बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं।

श्री अनिल बसु : वे मेरी बात से सहमत हैं।

सभापति महोदय : समय की परेशानी है कृपया सहयोग दीजिए।

श्री अनिल बसु : श्री बसुदेव आचार्य ने बंधुआ मंजदूरों पर बोला था *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे भी सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री तोपदार संगठित श्रमिकों की बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* श्री बसुदेव आचार्य बंधुआ मजदूरों पर बोले थे। इसमें फर्क है।

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, यह प्रतिकर का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सर, यह बहुत बड़ा इश्यू है, यह लेबर के लोगों के मरने और जीने का सवाल है। यह सरकार लेबर के बारे में क्या करना चाहती है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई अवसर मिला ही नहीं है। कृपया इन्हें एक अवसर दीजिए।

सभापति महोदय : अगले विधेयक पर। आप इनके लिए बहस मत कीजिए। उन्होंने आपको यह काम नहीं सौंपा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह श्रमिक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय : वह आपका समय ले लेंगे और अगले विधेयक के बारे में बोलेंगे। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, इस विषय के बारे में जो विधेयक में संशोधन करने की बात कही गई है। उस पर माननीय सदस्यों की जो चिंता है और अभी भी जो माननीय सदस्य अभी अपनी बात कहना चाहते हैं, निश्चित रूप से श्रमिक क्षेत्र, श्रमिकों के बारे में, मेहनतकशों के बारे में उनके दिल में जो दर्द है, उसे वे इस बहस में शामिल करना चाहते हैं।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि कांट्रेक्ट पर जो मजदूर रखे जाते हैं, वह सिस्टम बन्द होना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सीमित विधेयक पर माननीय सदस्यों ने श्रमिकों के बारे में बहुत चर्चा की है और अधिकतर मित्रों ने कहा है कि एक समग्र विधेयक लाकर एक ऐसा कानून या विधान लाया जाना चाहिए जिसमें कि सारी की सारी बातें आ जाएं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमने सैकिंड लेबर कमीशन की स्थापना करके इस कार्य का शुभारंभ कर दिया है। दो वर्षों में यह कमीशन रिपोर्ट देने वाला है और उसके बाद जो भी कानूनों में परिवर्तन या संशोधन किए जाने वाले होंगे, वे किए जाएंगे। हम जानते हैं कि श्रमिक यूनियनों की यह बहुत पुरानी मांग है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : क्या इसमें कृषि मजदूर भी शामिल हैं? मेरे विचार से उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी के साथ सीधे बातचीत न करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, मैं माननीय सदन की चिन्ता के बारे में सरकार के जो प्रयास हैं उनसे सदन को अवगत कराना अपना दायित्व और कर्तव्य समझता हूं। जो बहस हो चुकी है और उसमें जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उन सभी को मैंने नोट किया है। इस प्रकार से जो बातें माननीय सदस्यों की ओर से आ रही हैं, उनके बारे में विचार किया जाएगा, किन्तु यह तो बहुत सीमित संशोधन का विधान है। इसमें इन सबका समावेश नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय, इस पर 13 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्यों में श्री बसुदेव आचार्य, शीश राम जी रवि, श्री रमेश चेनितला ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मूर्ति जी, जैन साहब, कुप्पूस्वामी जी, मलाईस्वामी जी, संजय पासवान, रामजीलाल सुमन, प्रभु नाथ सिंह, डा. रघुवंश बाबू ने बहुत सी बातें बताईं। राशिद आल्वी जी अभी बोल रहे थे कि इन सारी बातों को एक बार में करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन सारी बातों को एक साथ करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मोहन रावले जी अभी कह रहे थे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो कंपेन्सेशन देने की बात है, इसमें वृद्धि करने की बात कही है वह 50 हजार से 80 हजार कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से उनसे पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह तो न्यूनतम है।

श्री तरित बरण तोपदार : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस 80 हजार रुपए का क्या आधार है। यह किस प्रकार फिक्स किया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको एक लाख रुपए कर दिया जाए। यह किस आधार पर किया गया है, इस बात को आप हमें समझाइए?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस प्रकार माननीय मंत्री से तर्क-वितर्क नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, यह जो बात कही जा रही है मैं बताना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है इसमें जो अधिकतम कंपेन्सेशन दिया जाने वाला है वह 5 लाख 48 हजार तक है। जो मैंने बताया है वह न्यूनतम है।

श्री तरित बरण तोपदार : सभापति महोदय, हम मंत्री जी से न्यूनतम की बात पूछना चाहते हैं और मंत्री जी अधिकतम की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, उन्होंने न्यूनतम श्रम के बारे में विधेयक पेश किया है और वे अधिकतम श्रम की बात कर रहे हैं। ऐसा कहने का कोई लाभ नहीं है।

सभापति महोदय : वह यह जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, मैं हर माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि जो कुछ वे चाहते हैं उसे पूरा करूं। यह आजादी मुझे नहीं मिली है। जितना श्रमिकों के बारे में उनको दर्द है उतना ही मुझे है।

श्री तरित बरण तोपदार : माननीय मंत्री जी ने 80 हजार न्यूनतम किया है। हम उनसे इसको बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी जिस प्रकार से हमने यह विधेयक लाने का काम किया है। उसके हिसाब 1995 में जो संशोधन किए गए उनके बाद अब वर्ष 2000 में यह संशोधन ला रहे हैं और हमने इसमें कहा है कि यह मजदूर चिकित्सा के बारे में पहले कुछ सीमाएं थीं और श्रमिक कानूनों को लागू करने का विषय राज्य सरकारों का भी है। जहां ई.एस.आई. लागू नहीं है वहां हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें इसका दायरा बढ़ाएं। उनका बीमा अपने आप हो जाएगा। इस समय इस देश के 80 लाख से ज्यादा वर्कर उसमें शामिल हुए हैं और साढ़े चार करोड़ लोग उससे फायदा ले रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे हों। एक व्यक्ति के बीमा कराने से उसके पूरे परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप अपने राज्यों में ई.एस.आई. के दायरे को बढ़वाएं, तो उसमें ज्यादा फायदा मजदूरों को शामिल होने का मौका मिलेगा, मजदूरों का ज्यादा कवरेज किया जा सकेगा। यदि इस प्रकार से किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो लोग बच गए हैं उन्हें इसमें शामिल करने की कोशिश सरकार की है।

हम वैसा करेंगे। मैं हर स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। अगर सदन इसके लिए मुझे समय देगा तो निश्चित रूप से हम सारी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। इस सदन में जो बातें आ रही हैं, जो बातें नोट की गई हैं, उसके बारे में कहने का मेरा फर्ज है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे कि उनकी बातों को अलग से सुना जाये तो उनका श्रम मंत्रालय में स्वागत है। आप चाहें तो आपके मन में जो बात आ रही है, वह आप वहां आकर बता दें क्योंकि लगातार विचार-विमर्श की प्रक्रिया से कुछ न कुछ नयी बातों को लाने का काम होता है।

श्री तरित बरण तोपदार : सदन का मुद्दा बनना चाहिए।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं सदन का मुद्दा बनाऊंगा। जिन माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उनके बारे में मैं जरूर

जवाब दूंगा। यदि उसके बाद भी आपके मन में कुछ बात रह जाती है तो मैं जरूर उस बात का समाधान करने की कोशिश करूंगा। ...*(व्यवधान)* जिस तरह से यह बात हो रही है, उसमें माननीय सदस्यों को कहते हुए मुझे संतोष है कि कम से कम जो पैसा बढ़ाया है, वह उम्र के ऊपर है। यदि किसी मजदूर की उम्र कम है तो उसका मुआवजा ज्यादा है। उसके लिए 5 लाख 48 हजार रुपये तक का मुआवजा है। यदि कोई आदमी कम उम्र में डिसऐबल्ड हो जाता है तो निश्चित रूप से ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : इस बिल में 5 लाख 48 हजार रुपये कहां लिखा हुआ है?

श्री सत्य नारायण जटिया : वह हम बाद में बता देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सदस्य से अपने स्थान पर बैठने के लिए कह रहा हूं। कोई सदस्य मंत्री से सवाल-जवाल नहीं कर सकता। यह जांच-पड़ताल माना जायेगा। यह क्या है? यह कोई तरीका नहीं है। आप सभा में किसी मंत्री से सीधे-सीधे सवाल-जवाब नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : आप तो 80 हजार का बिल लाये हैं। महोदय, आप कृपया विधेयक को पढ़िए। 80 हजार रुपये की जगह 5 लाख 48 हजार रुपये कहकर आप हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी अपने तरीके से जवाब देंगे। वह तरीका जानते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : फिर, मेरा यह तरीका है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आपको अनुमति नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : माननीय बसुदेव आचार्य जी ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसको देखकर इन सारी बातों को करने का काम किया गया है। हमारे यहां ट्राईपार्टाइट मैकेन्जिम है जिसमें नियोक्ता, मजदूर और सरकार भी होती है। हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी होती है। इंडियन लेबर कांफ्रेस होती है। इतना ही नहीं इंटरनेशनल कांफ्रेस के माध्यम से जो सुझाव आते होंगे, उन सारी बातों को इनकारपोरेट करके किसी प्रकार से हम इन कानूनों को अद्यतन बनाने की कोशिश करते हैं। पूरे कानूनों को बदलने का काम एक बार में नहीं होगा। इसलिए जहां-जहां कानूनों में बदलाव की जरूरत है, वहां हम सामयिक रूप से उसे बदलने की कोशिश करते हैं।

इसके अलावा बसुदेव आचार्य जी ने कांट्रेक्ट लेबर, पेमेंट ऑफ वेजेस और बोनस के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। निश्चित रूप से यह सरकार के विचाराधीन है तथा इसके लिए श्रम मंत्रालय ने एक प्रपोजल बनाकर सरकार को भी दिया है। अब सरकार इसका जल्दी से जल्दी कैसे निपटारा कर सकती है, यह सरकार को तय करना है। लेकिन हमने तो तैयारी की हुई है। इतना ही नहीं आप सबको अनआर्गनाइज्ड सैक्टर जिसको असंगठित क्षेत्र का मजदूर कहते हैं, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है। देश में इस समय 36 करोड़ से ज्यादा मजदूर हैं और दो करोड़ ऐसे लोग हैं जो आर्गनाइज्ड सैक्टर में हैं। ऐसे खेतीहर मजदूरों के बारे में, कांट्रेक्ट लेबर के बारे में इन सारी बातों को करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। खेतीहर मजदूरों के बारे में पिछली मिनिस्टर्स कांफ्रेस में कुछ बात बन गयी थी, उसी आधार पर सरकार इस बारे में कुछ करने की तैयारी कर रही है ताकि उनके वेल्फेयर के बारे में हम कुछ काम कर सकें। जोस साहब ने कांट्रेक्ट लेबरर्स के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार ने निश्चित रूप से कानून पास करके रखा हुआ है। अब राज्य सरकारों को अपने यहां कानून बनाना है कि किस तरह से वह उनके वेल्फेयर के बारे में काम कर सकते हैं। तमिलनाडु में यह कानून पहले से बना हुआ है। केरल में कानून बनाकर काम किया जा रहा है। कई राज्य सरकारें भी कानून बनाकर अपने मजदूरों की सुरक्षा करने के काम कर सकती हैं। इसी दृष्टि से जो विचार यहां पर माननीय सदस्यों के माध्यम से आये हैं, वह काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इस बात को कहते हुए केन्द्रीय सरकार के जितने उपक्रम हैं, जितने सी.पी.यूस. हैं और उनके बारे में जो देनदारियां होंगी, उन देनदारियों को भी देने की बात की है क्योंकि सर्वांगीण विषय को कवर किया गया है जबकि यह एक सीमित बिल था और इस सीमित बिल में हमने जो प्रयास किये हैं, उसको हमने भूमिका रखते हुए बताया था कि हम इसमें तीन-चार बातों में परिवर्तन करने के लिए यह बिल लाये हैं और इस बिल की लिमिटेशन हैं। परन्तु यह एक शुरूआत है। लेकिन हम इन सारी बातों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उसमें ज्यादा लोगों को शामिल करने का हम प्रयास करना चाहते हैं और इसमें जो हैजारडस नेचर के कारोबार हैं, जो जोखिमपूर्ण काम है, उसकी सूची को भी हम बढ़ाना चाहते हैं।

[श्री सत्यनारायण जटिया]

हमने इस आधार पर काम करते हुए इसे लेने का काम किया है।

अनेक मित्रों ने कहा है कि इसकी सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए। यह एक तरह से निरंतर प्रक्रिया है। 1995 में जो हुआ, उसे बढ़ा कर 2000 में किया गया है। आगे भी इस प्रकार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जहां तक यह सवाल है कि बाकी के मजदूरों को शामिल करने के लिए क्या कानून हो सकते हैं, हम समय-समय पर इसमें परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं।

आपने बताया कि सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, श्री चेन्नितला ने बहुत सी बातों को कहते हुए कैजुअल लेबर्स, कम्पैनसेशन, पैनल्टी के बारे में कहा। आप जानते हैं कि यदि कुछ भी विलंब हो जाता है तो उसके परिवार को बरदाश्त करना पड़ता है। उस दृष्टि से उसमें जो कुछ पैनल्टी हो गई, वह मजदूरों को मिलनी चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान भी इस बारे में कहा हुआ है। ग्लोबलाईजेशन का क्या इफैक्ट होने वाला है, इकोनौमिक लिबरलाईजेशन का क्या मामला होने वाला है, ये सारी परिस्थितियां आज देश में हैं और इन्हीं परिस्थितियों के रहते हुए हमें अपने मजदूरों को सुरक्षा देने का काम करना है। यह बात जरूर है कि जो बदलाव आ रहा है, उसके रहते हुए पुराने रोजगार जा रहे हैं, नए कारोबार को आने के लिए, नई ट्रेनिंग, नए लोगों की जरूरत होगी, पुराने लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत होगी। आज ये सारी संभावनाएं हैं क्योंकि कोई भी सरकार यदि इसे स्वीकारती है तो उसके जो लाभ हो सकते हैं, वे होते हैं। यदि उनमें कुछ कमियां होती हैं तो उन्हें दूर करने का काम भी हमें करना है। कमियों को दूर करने की दृष्टि से जिन लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करना होगा, उनकी स्किल को बढ़ाने का काम करना होगा, वह काम करने की जरूरत है। मैंने तो यह कहा है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में यदि पूंजी का आवागमन देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है तो क्यों नहीं हमारा श्रम कौशल दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहिए। प्रतिबंध रहित श्रम कौशल को जाने की दृष्टि से भी मैंने इंटरनैशनल लेबर कौन्फ्रेंस में इस विषय को रखा है। यह बात अलग है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में पूंजी का आवागमन हो रहा है, उसके लिए अनुकूलता लाने का काम हो रहा है किन्तु उसके साथ-साथ मजदूरों के हितों की रक्षा करने का काम भी हमारा दायित्व है। मेहनतकश के हितों की रक्षा करने के लिए जो दायित्व श्रम मंत्रालय के माध्यम से मुझे मिला है, हमारे साथी श्री मुन्नी लाल जी यहां बैठे हैं, हम मिल कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मेहनतकश लोगों को उनकी मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी को बरदाश्त नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि मेहनतकश की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करें, उसके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता करें, बच्चों के शिक्षण के बारे में प्रबंध करें। इसलिए सरकार ने पिछले वर्ष जो कुछ काम किए हैं, निश्चित रूप से उन कामों के बारे में उल्लेख करने का समय नहीं है किन्तु जैसा हमने कहा कि सैकिंड लेबर कमीशन की स्थापना करने का काम हमने किया है, बीड़ी मजदूरों के लिए सैस पारित करने का काम किया है। सैस जो पहले 50 पैसे प्रति हजार बीड़ी हुआ करता था, उसे बढ़ा कर दो रुपये प्रति हजार बीड़ी करने का काम किया है। उस सैस के माध्यम से मजदूरों के लिए मकान बनाने का काम करेंगे, छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। जिस तरह पैसा मिलता जाएगा उस तरह मजदूरों के कल्याण के लिए हम उपाय करने वाले हैं। ई.एस.आई. की स्कीम, जो हैल्थ के लिए थी, उसे 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किए हैं। इस तरह हमारी अनेक प्रकार की कोशिशें हैं। यह बात है कि एक बार में सारी कोशिशों का प्रकट होना संभव नहीं है। इसलिए यह कोशिश भी उस तरह की कोशिश है जिसमें मजदूरों के बारे में हमारी जो सोच बनी हुई है, उसे राहत देने के बारे में जो सोच बनी हुई है, उसके प्रति हमारी संवेदना और सहानुभूति है, जिस दायित्व का वह निर्वाह कर रहा है, उसके प्रति हमारी कृतघ्नता को प्रकट करने की दृष्टि से भी हमने इस प्रकार के उपाय करने का काम किया है। माननीय सदस्यों ने जिस तरह विचार व्यक्त किए हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से हमारे लिए आगे की नीति बनाने के काम होंगे।

आपने कहा है कि उनका आधार बनाने के लिए क्या हुआ। हमने राज्य सरकारों से भी इस बारे में सलाह मांगी थी और जो सलाह आती है, उसमें से जो संभव था, उसे मानने का काम किया है। हम जिस तरह यह काम कर रहे हैं, यह एक साथ पूरा नहीं होगा किन्तु इसे पूरा करने की ओर जाने का एक उपाय जरूर है। इसलिए आज के इस अवसर पर माननीय सदस्यों ने काफी व्यापक विचार-विमर्श व्यक्त किए हैं। तेरह माननीय सदस्य इस विषय पर बोले हैं और मैंने उनकी बातों को नोट भी किया है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : तब भी 5-6 सदस्य बोलने के लिए खड़े थे।

श्री सत्यनारायण जटिया : पूरा सदन इसे चाहता होगा, क्योंकि यह तो मजदूर हित का मामला है। 36 करोड़ मजदूर जहां हमारे देश में हो और 36 करोड़ मजदूरों को यदि हम श्रम कौशल दिलाकर उनके रोजगार को सुनिश्चित करने का काम कर सकें, तो यह एक अच्छी बात होगी। 36 करोड़ लोगों का परिवार यदि हम देखें तो 60 करोड़ लोग हो जाते हैं और कोई भी सरकार 60 करोड़ लोगों की उपेक्षा करने का काम नहीं कर सकती है। इसलिए इसको इस रूप में उसकी सुरक्षा को दायरे में लाकर ठीक प्रकार से उनकी मदद की जा सके, मेरा और सरकार का मंतव्य

यह है। मुझे विश्वास है कि सीमित संसाधनों के रहते हुए भी हमने इस प्रकार का काम किया है। प्राय: सदस्यों ने बोलते हुए कहा है कि सरकार को पूरे एक समग्र विधान की रचना करने काकाम करना चाहिए। परन्तु यह समग्र विधान की रचना करने के लिए जो कुछ समय लगने वाला है, वह काम सैकिंड लेबर कमीशन के माध्यम से हो रहा है, पर आज जो सम-सामयिक रूप से हमें परिवर्तन परिवर्धन करना होगा, उस काम को लेकर हम आये हैं।

सभी ने प्राय: इसका समर्थन करने की घोषणा की है, इसको अच्छा बताया है। इसको और अच्छा बनाया जाना चाहिए, यह उनकी इच्छा हो सकती है, किन्तु सारी बातों का विचार करते हुए जो कुछ हम जानते हैं कि जहां नियोक्ता हैं, जहां कारखाना है, जहां श्रमिक है, जहां देश है, उस सब का एक तादातम्य स्थापित करने का काम हमें करना होगा। श्रमिक का हित हमारे लिए बहुत जरूरी है, उद्योग का हित भी हमारे लिए जरूरी है और सबसे बढ़कर जो हित है, राष्ट्रहित भी हमारे लिए सबसे जरूरी है। इन सारी बातों का विचार करते हुए एक कोशिश हमने की है। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो प्रयास किया है, वह अच्छा एवं नाकाफी लगता होगा, परन्तु उस दिशा में बढ़ने का हमारा एक क़दम है। आप इस बात को करते हुए आप इसका समर्थन करेंगे और इसको पारित कराने में मदद करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो सकेगा। मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : मंत्री जी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप 80 हजार की जगह एक लाख रुपये कर दीजिए और 90 हजार रुपये की जगह 1.25 लाख रुपये कर दीजिए। अभी कम से कम इतना कर दीजिए। यह बहुत ज्यादा मांग नहीं है, इसमें आप इतना कर दीजिए।

श्री रामदास आठवले : मंत्री महोदय से हमारा इतना ही निवेदन है कि आप तो लेबर की समस्या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप जो भी बिल लाये हैं, यह बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर जो पैसा यहां एनाउंस कर दिया है, 50000 रुपये की जगह 80,000, मेरा निवेदन है कि 50,000 की जगह इसको बढ़ाकर एक लाख 50 हजार होना चाहिए। जहां आप 60 हजार को बढ़ाकर 90 हजार कर रहे हैं, वहां एक लाख 80 हजार होना चाहिए। उसके साथ-साथ मेरा एक दूसरा सुझाव यह है कि आप यहां जो दो हजार रुपये को बढ़ाकर चार हजार रुपये कर रहे हैं, इसको 15 हजार रुपये करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप स्पष्टीकरण मांग सकते है। माननीय मंत्री उनके सुझावों को नोट करें। आपने जो कुछ बोला है, उन्होंने नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : वह तो हम इनको सुझाव दे रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा एक सुझाव मेरा यह है कि जो कांट्रैक्ट लेबर सिस्टम है, इस सिस्टम से सारे मजदूर और सारा सिस्टम बर्बाद हो रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि कांट्रैक्ट लेबर सिस्टम को खत्म करने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेबर मिनिस्ट्री सोच रही है कि नहीं? कांट्रैक्ट लेबर सिस्टम को खत्म करने की आवश्यकता है। इसको खत्म करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? आपकी सरकार और केबिनेट इस प्रस्ताव को लाने वाली है कि नहीं?

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य): मंत्री महोदय ने जो भावना रखी, मैं उसका आदर करता हूं। यह बिल तो आज पारित हो जायेगा, लेकिन अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के 36 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं। उनमें से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जायेगा तो उसके लिए आप योजना बना रहे हैं। यह योजना बनने से उनको लाभ भी मिल जायेगा, लेकिन अगर इस दौरान कोई गुजर गया तो उसको आज से लाभ मिलेगा क्या या दो-तीन महीने के बाद देंगे? इसमें सेफ्टी प्रीकॉशन के लिए आप क्या आदेश देने वाले हैं?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी कवि रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सुनाया नहीं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो बात कहेंगे, कविता में कहेंगे।

मजदूर होता जाता है, हमसे दूर,
उड़ गया इसके मुख से नूर,
उसका स्वप्न हो गया है चूर,
कौन करेगा उसका दुख दूर,
क्या आप बढ़ाएंगे उसका उत्साह भरपूर?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 – धारा 4 का संशोधन

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.42 बजे

समपहरण (निरसन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि समपहरण अधिनियम, 1859 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

एक प्राचीनतम अधिनियम, 1859 का समपहरण अधिनियम को रद्द करने के उद्देश्य से यह विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और 21 अगस्त को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

महोदय, यह विधेयक से ही स्पष्ट है कि ब्रिटिश राज के दौरान जब किसी दण्ड प्रक्रिया संहिता, किसी नियम अथवा प्रक्रिया संहिता इत्यादि का अस्तित्व नहीं था, तब आयोग के रूप में नियुक्त कुछेक अधिकारियों को कुछेक अधिकार दिए गए थे। ये अधिकारीगण अपने प्रक्रिया नियम स्वयं बनाया करते थे और संपत्ति समपहरण/संपत्ति की जब्ती के मामले में उनके द्वारा की गई कार्यवाही को विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, परंतु इन प्रावधानों के बाध्यकारी स्वरूप इनकी असभ्य प्रकृति के कारण, जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं थे, वर्ष 1868 में ही निरसित कर दिया गया।

उस समय पूरे अधिनियम में 20 धाराएं थी और उसमें से 16 धाराएं हटा दी गई और 1868 में ही इनका निरसन कर दिया गया। मुझे पता नहीं कि ये चार धाराएं किस प्रकार रह गई और कुछ समय तक बनी रहीं। इसका एक उद्देश्य था। क्योंकि यदि कुछ अधिकारी उन प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करते तो उन पर अभियोग चलाया जा सकता था और उन प्रावधानों से उन्हें यह सुरक्षा-कवच मिलता था। ये प्रावधान अभी भी, वर्ष 2000 में भी मौजूद है और इस विधेयक का उद्देश्य इस पुरातन अधिनियम के इन स्मृति चिह्नों को समाप्त करना है जो बाध्यकारी प्रकृति के थे। 1859 के इस समपहरण अधिनियम का इतिहास 1857 से देखा जाता है यह दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी पहले का है।

महोदय, इन कुछ शब्दों के साथ मैं इस महान सभा के विचारार्थ इस विधेयक की अनुशंसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह सभा इसे सर्वसम्मति से पारित करेगी। यदि वे चाहें, तो इस पर चर्चा कर सकते हैं। परंतु यह 1859 का एक पुराना अधिनियम है, जिसे अब, ऐसे समय पर समाप्त किया जा रहा, निरसित किया जा रहा है, जबकि वह अप्रभावी हो गया है।

इस अधिनियम के मुख्य उपबंधों को बहुत पहले ही ब्रिटिश राज के दौरान हटा दिया गया था। अब नये संविधान, सभ्य समाज के दौरे में, जबकि हमारे पास अपने कानून हैं, हमारे लिए इनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे सभी अप्रचलित कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। असंगत तथा आधारहीन कानूनों को विधि पुस्तक से हटाया जाना चाहिए। यह इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में से एक है और इस विधेयक द्वारा निरर्थक प्रावधानों को हटाया जा रहा है।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं पुन: इस सभा से इस विधेयक पर विचार करने और इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अनुशंसा करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि समपहरण अधिनियम, 1859, का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : किसी सदस्य को इस विधेयक के निरसन पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मेरे विचार से हम इसे सीधे पारित कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं बल्कि यह खेद का मामला है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा, हालांकि आपने अपना नाम नहीं दिया है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, यह कटा छटा एक छोटा सा अधिनियम है, जिसमें केवल 16 से 20 धाराएं है और अन्य धाराएं 1868 में ही निरसित की जा चुकी है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि धारा 18 आज भी प्रासंगिक है। हालांकि, यह कार्यकारिणी को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला औपनिवेशिक कानून है इस विशेष धारा की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। एक अधिनियम ऐसा होना चाहिए जो इस धारा की मुख्य बातों के अनुकूल हो। मैं अभी वह धारा ही पढ़ लेता हूं जिससे इस बात का जवाब मिल जायेगा:-

मेरा मुख्य मुद्दा यह है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं कि:

> "जब कभी किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति की, या तो दोषसिद्धि के बिना अथवा समपहरण के न्यायनिर्णय के बिना कुर्की की गई हो या उसे जब्त किया गया हो, क्योंकि किसी अपराध के लिए सरकार को समपहृत या समपहरणीय संपत्ति दोष सिद्ध होने पर अपराधी की ऐसी संपत्ति का समपहरण किया जाएगा, तो ऐसी कुर्की और जब्ती तब तक किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी वाद या कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं की जाये जब तक अपराधी या कथित अपराधी ने अपनी संपत्ति की जब्ती के पश्चात् एक वर्ष के भीतर स्वयं को विचारण के लिए अभ्यर्पण नही किया हो और सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण में उसे अपराध से दोषमुक्त नहीं किया गया हो या नहीं किया जायेगा और न्यायालय के समाधान के लिए यह साबित न कर दे कि वह न्याय से बचने के प्रयोजनार्थ नहीं निकल भागा था या उसने सामने आने से बचने के लिए ऐसा नहीं किया।"

यह सिद्धान्त दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा अन्य किसी ऐसे कानून में संशोधन करके लाया जाना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो वारंट से बचकर अथवा गिरफ्तारी से बचकर अथवा जमानत का उल्लंघन इत्यादि करके न्याय से बचना चाहते हों उनके विरुद्ध इस समपहरण धारा के अंतर्गत कार्यवाही हो सके। उदाहरणार्थ शेयर बाजार लुढ़क गया और दोषी को तत्काल पकड़ा नहीं जा सका। इसी प्रकार से अब लिट्टे प्रतिबंधित संगठन है। तमिलनाडु में उनकी बहुत सी चीजें है। परन्तु किसी की सम्पत्ति जब्त नहीं हो सकती। हत्याकांड में प्रभाकरण प्रथम अभियोगी है परन्तु उसे पकड़ा नहीं जा सका और उसकी सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकती। इसी प्रकार, बहुत सी बातें घटित हो रही है। वहां अनेक अलगाववादी हैं, बहुत से उग्रवादी बचकर जा रहे हैं परन्तु उनकी सम्पत्ति जब्त नहीं की जाती। वे न्यायालय में पेश नहीं होते। यहां तक कि जब वे लोग जमानत का उल्लंघन करके भाग जाते हैं, तो देश को भी न्यायालयों पर विश्वास नहीं रह जाता। अब एक प्रसिद्ध व्यक्ति कानून के शिकंजों से बचकर थाईलैंड में रह रहा है। फिर, हम स्थिति का सामना किस प्रकार करेंगे? हम लोगों में यह विश्वास किस प्रकार उत्पन्न करेंगे कि कानून उसका उल्लंघन करने वालों की नहीं अपितु उसका पालन करने वाले नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है यह विशेष धारा, जिसके पीछे यह भावना है, उसे किसी अन्य तरीके से विधि पुस्तक में लाया जाये, यही मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, मुझे इस संबंध में कोई विशेष बात नहीं कहनी है। यह अंग्रेजों के समय का बना कानून है। इसका अब कोई औचित्य बाकी नहीं रह जाता है। यह क्रिमिनल लॉ नहीं था और कोर्ट की भी इस संबंध में अजीब दशा थी। प्रॉपर्टी कैसे छोड़ी जाए, इसके संबंध

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

में भी कोई नियम नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 1859 का जो कानून यह लाए हैं जिसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें और कोई विशेष बात मुझे नहीं कहनी है। इसलिए इस बिल को पारित किया जाए और दूसरे आने वाले बिल को लाया जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इसमें फोरफीचर का हिन्दी अनुवाद समपहरण है। यह समपहरण है या अपहरण। इसका हिन्दी अनुवाद भी कैसे बना दिया जाता है? 1859 का यह बिल अंग्रेज सरकार ने बनाया था। उस समय आई.सी.एस. के लोग हाई कोर्ट में होते थे। वह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट होते थे। वे कानून नहीं जानते थे लेकिन उन्हें इस पोस्ट पर बहाल किया जाता था जबकि वे केस ट्रायल करते थे। बिहार में दारोगा चीफ मिनिस्टर थे। यशवंत बाबू को याद होगा। हमने अपने यहां इस कानून को खत्म कर दिया। केन्द्र सरकार भी इसके पीछे पड़ गई और सन् 2000 में यह कानून खत्म करने के लिए लाई है। ...*(व्यवधान)* वह हमारे यहां आज से 15-20 साल पहले खत्म हो गया। आप इसे देर से लाए हैं। अंग्रेजी राज में उसे कमीशन को दी जाने वाली पावर्स दी गई और मजिस्ट्रेट बना दिया। इसमें ट्रायल होता था। सी.आर.पी.सी. के अनुसार दी गई सजा दी जाती थी। इसे रीपिल करने का जो बिल आया है, वह ठीक है लेकिन आप इसे देर से लाए हैं। अंग्रेजी राज में ऐसा प्रावीजन क्यों था? ऐसा इसलिए था कि केस जल्दी से जल्दी निपटें। इस कारण उन्होंने जहां चाहा पावर दे दिया। अब केस इतने बढ़ गए हैं कि उनका निष्पादन नहीं हो रहा है। इसके ऊपर सरकार को बताना चाहिए। जिन बातों के चलते अंग्रेजी सल्तनत ने इस कानून को बनाया था तकनीकी दृष्टिकोण से यह उचित नहीं समझा गया और व्यवहार में भी उचित नहीं समझा गया लेकिन इसका क्या विकल्प होगा? आज गरीब आदमी न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। इसके बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। मैं रीपिल किए जाने का समर्थन करता हूं। जिन बातों के लिए यह बिल था, उनका अंजाम क्या होगा? प्रशासनिक विधि पुनर्विलोकन आयोग ने जब कहा कि यह नाजायज बिल है। तब इनकी आंख खुली। बहुत से ऐसे विधेयक आ रहे हैं जिन्हें वापस लिए जाने की बात है। 1997 में पुनर्विलोकन आयोग बना था। जो कानून नाजायज हैं, पुराने हैं, व्यवहार में नहीं हैं, उन सबको रिपील किया जाए, ऐसी उसने सिफारिश की। अब इनका पालन किया जा रहा है। आपको इसका विकल्प बताना पड़ेगा। जिन बातों के लिए उन्हें अधिकार दिए गए, उनका क्या अंजाम होगा? क्या आपने इस बारे में सोचा है? आबादी बढ़ रही है और केसों की संख्या बढ़ रही है। उनका निष्पादन समय पर नहीं होता। आप इसे देखें। यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : माननीय सभापति महोदय, दो या तीन माननीय सदस्यों ने कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं। मैं उनका आभारी हूं। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि पुराने कानून की धारा 18 के अभिप्राय को दण्ड प्रक्रिया संहिता में पहले ही समाहित किया जा चुका है और दण्ड प्रक्रिया संहिता में दो बार संशोधन हो चुका है। इसमें इन सभी अभिप्रायों का समावेश किया जा चुका है। अत: इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है।

जहां तक आई.एस.आई. की गतिविधियों और लुटेरों के आने और उनकी गतिविधियों का सवाल है कि इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए सरकार हमेशा चिंतित रही है। केन्द्र सरकार या संघीय सरकार संघीय अपराधों के लिए कुछ संघीय कानूनों का विधान करना चाहती है क्योंकि इन अपराधों से पूरा देश प्रभावित होता है। नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा और आई.एस.आई. की गतिविधियां इत्यादि पूरे देश में चल रही हैं।

इस संबंध में सरकार चाहती है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से मतैक्य तैयार किया जाए क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। संविधान के अनुसार हमें उनके परामर्श से एक मतैव्य तैयार करना ही होगा। मैं, माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि देश में एकमत बनाया जाए ताकि 'टाडा' के हटाए जाने पर हम कुछ ऐसे और कानून बना सकें जो ऐसी स्थितियों में कारगर सिद्ध हों।

एक माननीय सदस्य ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का मुद्दा भी उठाया है। सरकार इस पर भी विचार कर रही है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): 'टाडा' विधि शून्य विधि है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : इसे हटाने की अनुमति दी गई है। आदरणीय, श्री बनातवाला जी मैं केवल यह कह रहा हूं कि एक विधिशून्य विधि के अनुचित उपयोग को देखते हुए इस माननीय सभा ने इसे रद्द करने की अनुमति दी है।

श्री जी.एम. बनातवाला : इन्हें इसी दिशा में नहीं सोचना चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : हम उस दिशा में नहीं सोच रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, आपको अध्यक्षपीठ की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। मेरे यहां बैठने का क्या अभिप्राय है?

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैंने सोचा कि मुझे अनुमति दी गई है।

सभापति महोदय : आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज-उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुये लोग..........

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने नहीं बोला है, कृपया बैठ जाइए।

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : जहां तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का संबंध है इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। अधिकतर संस्तुतियां विधि आयोग की हैं। सरकार उन पर विचार कर रही है। इस बारे में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए, ऐसी चीज़ जब भी सभा के समक्ष आएगी, इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मैं कुछ कहना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : जी नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत आपने वाद विवाद में भाग नहीं लिया है।

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर नहीं देंगे और उन्हें उत्तर देना भी नहीं चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मैं यह सब कार्यवाही-वृत्तांत में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, उनका उत्तर मंत्री महोदय नहीं देंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में इसे सम्मलित करने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : यदि आप बिना पूर्व अनुमति के कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अब हम विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव लेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि समपहरण अधिनियम, 1859 का निरस्त करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.00 बजे

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते ही हैं कि 'भारत में प्रवेश' भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के अनुसार ही हो सकता था जिसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास इस देश में प्रवेश के लिए वैद्य दस्तावेज भी होने चाहिए थे। इस समय, यही अधिनियम व्यक्तियों के देश से जाने के लिए भी लागू होता है। 1967 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसके दो भाग कर दिए गए और निर्गमन करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग कानून बनाया गया। परिणामस्वरूप, अधिनियम, अधिनियमित किया गया और उसी समय भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1920 का नाम बदलकर पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 कर दिया गया, जिसमें अब संशोधन किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत बने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 या ऐसे नियमों के अंतर्गत जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर तीन महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

यह केवल इसी उद्देश्य से है और प्रव्रजन, प्रच्छन्न गतिविधियां, हथियारों, गोला-बारूद, नशीले पदार्थों इत्यादि की तस्करी, आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों की आवाजाही इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के अंतर्गत दण्ड के प्रावधानों में बढ़ोत्तरी की गई है।

जहां तक पासपोर्ट अधिनियम, 1967 का संबंध है इसमें ऐसी व्यवस्था है जिसमें दण्ड अधिकतम है किंतु दुर्भाग्यवश, इन सभी सालों के दौरान दण्ड केवल तीन महीने तक का ही दिया गया और अधिनियम में जुर्माने की राशि भी निश्चित नहीं है। इन्हीं कारणों से यह विधेयक लाया गया है।

इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत दिए जाने वाले दण्डों के अनुरूप ही इस अधिनियम में भी ऐसे ही दण्डों की व्यवस्था की जाए तभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। तद्नुसार, इस सम्मानित सभा के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। अब, पांच साल तक की कैद और 50,000 रु. तक जुर्माना या दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा। दूसरी बार या बार-बार किए जाने वाले अपराधों के लिए भी एक धारा की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर सभी दण्ड दोगुने किए जा सकेंगे। तीसरा उपबंध केवल निष्कर्ष स्वरूप है किंतु यह विधेयक मुख्य रूप से इसीलिए प्रस्तुत किया गया है कि ताकि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम वास्तव में निवारक बन सके। पहले के उपबंधों में तीन माह की जेल दी गई थी और जुर्माने की कोई राशि नहीं दी गई थी और इससे कोई रोकथाम भी नहीं होती थी। अब, वर्तमान स्थिति और देश की सुरक्षा के मद्देनजर मेरे विचार से पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम में ऐसे उपबंधों की सख्त जरूरत है। इसी उद्देश्य के लिए मैं यह विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित इस सम्मानित सभा के समक्ष रखता हूं ताकि इसे एकमत से पारित किया जा सके।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य सीमित है और मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि यह हमारे देश में उग्रवादी/आतंकवादी गतिविधियों रोकने में सहायक होगा। यह उन लोगों पर भी रोक लगाएगा जो गोपनीय गतिविधियों में शामिल होते हैं।

बदले परिवेश और सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए, इस नए खंड को शामिल करना अनिवार्य हो गया है। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक हमारे देश में गुप्त गतिविधियों को रोकने में अत्यन्त सहायक होगा। हम सभी जानते हैं कि आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं और अलगाववादी और उग्रवादी ताकतें हमारे देश में परेशानियां खड़ी करने का प्रयास कर रही हैं। सीमा पर उग्रवाद भी बढ़ रहा है।

महोदय, इन सभी मुद्दों को देखते हुए, मैं महसूस करता हूं कि इस नयी धारा को शामिल करना अत्यन्त सहायक होगा।

महोदय, जब हम पासपोर्ट से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं उस राज्य का हूं जहां बड़ी संख्या में लोग विदेशों, विशेषकर खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। हम उन्हें रोजगार देने की स्थिति में नहीं है अत: हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उन्हें जब वे बाहर रोजगार की तलाश में रहे तो कम से कम पासपोर्ट और अन्य सुविधाएं तो प्रदान करें।

महोदय, हमारे राज्य में तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं। एक त्रिवेन्द्रम में, दूसरा कालीकट में और तीसरा कोचीन में। इन तीनों पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट जारी करने अथवा पासपोर्ट नवीकरण अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए आवेदनों की भरमार है। ये सभी आवेदन इन कार्यालयों में लम्बित पड़े हैं। इन आवेदनों का पासपोर्ट कार्यालयों में तुरन्त निबटान नहीं होता। हमें इस बारे में लोगों से असंख्य शिकायतें मिल रही है। पहले, प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय से जुड़ी एक परामर्शदात्री समिति के गठन का निर्णय लिया गया था, जिसमें उस क्षेत्र के संसद सदस्य शामिल हों। किंतु उस प्रस्तावित परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं हो सका। पहले यह भी व्यवस्था थी कि पासपोर्ट कार्यालय से एक अधिकारी विभिन्न जिलों में जाया करता था और शीघ्र पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत लगाता था किन्तु अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाईयां आ रही हैं और उनके आवेदन लम्बित पड़े हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, केरल के संसद सदस्य यहां बैठे हैं। वे, हमारे समक्ष आने वाली कठिनाईयों से अवगत हैं। जब हम पासपोर्ट कार्यालय से सम्पर्क करते हैं तो वे कहते हैं कि वहां कर्मचारियों की कमी है। पासपोर्ट कार्यालयों में नवीकरण के लिए आवेदनों की छंटाई और पासपोर्ट जारी करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। पासपोर्ट जारी करने में अत्यधिक विलम्ब उन लोगों के हितों के विरुद्ध होता है जो लोग बाहर नौकरी की तलाश में होते है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे पासपोर्ट कार्यालय के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाएं ताकि पासपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जा सकें। एक निश्चित अवधि में कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेनी चाहिए ताकि लोगों को पासपोर्ट मिल सके और वे बाहर नौकरी प्राप्त कर सकें।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा पासपोर्ट के नवीकरण के बारे में है। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् पासपोर्ट नवीकरण आवश्यक है। विदेशों से आने वाले लोगों को अपने पासपोर्ट नवीकरण में कठिनाईयां आती हैं। मेरा मुद्दा यह है कि हम प्रक्रिया को सरल क्यों नहीं बना सकते, ताकि बाहर से आने वाले लोग यथाशीघ्र अपने पासपोर्ट का नवीकरण करवा सकें। मैं ऐसे असंख्य मामले बता सकता हूं जब कि लोगों ने समय पर पासपोर्ट उपलब्ध न हो पाने के कारण नौकरी के अवसर खो दिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे देखें कि लोगों को कठिनाईयां न हों। बेशक हमें यह देखना होता है कि वे लोग जिन्हें पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, आपराधिक मामलों में लिप्त न हो। सुरक्षा का मामला भी अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। दृष्टिकोण समझने की आवश्यकता है। किन्तु आम लोग जो सभी अर्हताएं पूरा करते हैं उन्हें बिना विलम्ब से पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। किन्तु हमारे राज्य में तीनों पासपोर्ट कार्यालयों के बारे में हमारा अनुभव अलग है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इन सभी पहलुओं का ध्यान रखें और इन पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करें ताकि आम लोगों को होने वाली परेशानी को रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, धन्यवाद। पासपोर्ट अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हुए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने देश के अंदर गैर-कानूनी हथियार लाने वालों को रोकने के लिए एवं नारकोटिक्स जैसे धंधों में जो लोग लगे हैं, उनको रोकने के लिए जो कानून में सजा विद्यमान थी, उसको बढ़ाने के लिए और इन चीजों को रोकने के लिए जो अमेंडमेंट लाए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि आज आम जनता में पासपोर्ट एक स्टेटस बन गया है और पासपोर्ट रखने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, लेकिन मेरे पहले के वक्ता ने जो बताया, उसका भी मैं समर्थन करता हूं और उनकी बात को बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज पासपोर्ट बनवाने में बहुत तकलीफ हो रही है। लोगों को आसानी से पासपोर्ट नहीं मिलता है। पुलिस इन्क्वायरी के लिए पांच सप्ताह रखे गए हैं, लेकिन पांच सप्ताह में इन्क्वायरी पूरी नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप जो पासपोर्ट लेने वाले हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

सभापति महोदय, समाचारपत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से हमें पता लगता है कि हमारे देश के लोगों को विदेशों में बहुत बुलाया जा रहा है। उनको विदेशों में बुलाकर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि आई.टी. में जो निष्णान्त हैं, उन्हें विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और दुनिया के तमाम देशों ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन यह तकलीफ का विषय है कि हम अपने नागरिकों को पासपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई परीक्षाएं तो ऐसी हैं जिनमें भारत के बच्चे सिर्फ पासपोर्ट न होने को वजह से बैठ ही नहीं पाते हैं। मैं अपने यहां की एक घटना बताना चाहता हूं। एक विद्यार्थी को परीक्षा देनी थी, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं था। पांच बार फोन करके मैंने बहुत मुश्किल से उसका पासपोर्ट बनवाया तब कहीं जाकर उसे परीक्षा में बैठने दिया गया। मेरा आग्रह है कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उन्हें तत्काल पासपोर्ट मिलने चाहिए। "तत्काल पासपोर्ट स्कीम" लागू तो की गई है, लेकिन उस पर जिस तरह से अमल होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पासपोर्ट निश्चित समयावधि के अंदर लोगों को मिलना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है, तो वे लोग टाउट के पास जाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं और वे ज्यादा पैसे लेकर उन्हें पासपोर्ट उपलब्ध करा देते हैं। मेरा निवेदन है कि टाउट्स के पास, एजेंट्स के पास न जाना पड़े इसलिए मंत्री महोदय, पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करें, ऐसा होना बहुत जरूरी है। यह भी सही है कि पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारी हाथ से पासपोर्ट लिखने का कार्य करते हैं और पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है। एक दिन में एक कर्मचारी 25 से 30 पासपोर्ट हाथ से लिखता है। मेरा निवेदन है कि हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूट्रीकृत पासपोर्ट बनाए जाने की सुविधा सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध करानी चाहिए। इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव और है कि पासपोर्ट कब मिलेगा, पासपोर्ट तैयार है कि नहीं आदि की सूचना के लिए "टेलीइन्क्वायरी" सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। अभी क्या होता है, लोग घंटों लाइनों में खड़े होते हैं और जब उनका नंबर आता है, तो उन्हें बताया जाता है कि उनका पासपोर्ट तैयार नहीं है। इस प्रकार से उन्हें बहुत तकलीफ होती है और दुबारा उन्हें फिर नंबर लगाना पड़ता है और लाइनों में खड़े रहना पड़ता है।

सभापति महोदय, पासपोर्ट की अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जानी चाहिए। ऐसा करने से कचहरी पर जो काम का बोझ है वह भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। पासपोर्ट बनाने के समय पुलिस इन्क्वायरी में बहुत समय लगता है। जब लोग पासपोर्ट अधिकारी के पास जाते हैं, तो वे कहते हैं कि आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए, तो आप पुलिस से खुद जाकर इन्क्वायरी की रिपोर्ट ले आइए। जब आदमी खुद पुलिस वालों के पास जाता है, तो पुलिस वाले ऐसे ही जांच रिपोर्ट नहीं देते हैं, उन्हें भी पैसे खिलाने पड़ते हैं। बहुत से लोगों को तो पुलिस के अधिकारी से मिलने ही नहीं दिया जाता है। बाहर से ही भगा दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं आमतौर हो रही हैं। मेरा आग्रह है कि इन सबको रोकने हेतु तुरन्त कदम उठाएं। इसके साथ मेरा एक सुझाव यह भी है कि किसी के नाते-रिश्तेदार विदेश में रहते हैं और उनके साथ कोई घटना अचानक घट जाती है, तो जो लोग अपने रिश्तेदार के पास तत्काल जाना चाहते हैं, तो उन्हें पासपोर्ट की सुविधा तुरन्त उपलब्ध करानी चाहिए।

मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात में अहमदाबाद के अंदर कचहरी है। वहां गत साल 1.1.99 से 31.10.99 तक 1,32,919 पासपोर्ट इश्यू किये गये थे लेकिन अभी भी 30067 पासपोर्ट की वेटिंग लिस्ट थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पिछले दस साल में सबसे ज्यादा यानी 75,323 पासपोर्ट की वेटिंग लिस्ट थी। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 57,054 पासपोर्ट वेटिंग लिस्ट में थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर जगह पासपोर्ट की पैंडिंग लिस्ट है। इसी तरह दिल्ली में भी 56,648 पासपोर्ट की पैंडिंग लिस्ट है। पासपोर्ट के आफिस में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप विधेयक के उपबन्धों तक ही सीमित रहिए। बाकी चर्चा में मत जाइए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मैं इन्फोर्मेशन दे रहा हूं, डिमांड नहीं कर रहा हूं। इन्फोर्मेशन देने के बाद माननीय मंत्री जी इसमें आवश्यक परिवर्तन करेंगे। लोगों की उत्सुकता का लाभ उठाकर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी पासपोर्ट देते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गत आठ-दस महीने पहले ऐसे फर्जी पासपोर्ट या वीजा देने वालों को हमारी खुफिया पुलिस ने पकड़ा है। उनसे विदश के पासपोर्ट और वीजा मिले थे। ज्यादातर लोग विदेश में रोजगार या पढ़ाई के लिए जाने को उत्सुक होते हैं। इसी वजह से काफी निर्दोष लोग भी इन लोगों के हाथों में आ जाते हैं। इससे उनका बहुत नुकसान होता है।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि जो लोग तत्काल पासपोर्ट मंगाना चाहते हैं, उनसे आप ज्यादा फीस लेकर तत्काल पासपोर्ट देने की व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ पासपोर्ट का फार्म भी सरल होना चाहिए। जब फार्म सरल होगा तो किसी टाउट्स या एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ-

साथ अभी आपराधिक पृष्ठभूमि की भी बात कही गयी है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों के पास एक नहीं बल्कि एक से अधिक पासपोर्ट पाये जाते हैं जबकि जो सही लोग हैं, उनको एक पासपोर्ट भी आसानी से नहीं मिलता।

अंत में मेरा कहना है कि ऐसे लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जो सजा आपने बताई, उससे भी कड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। पासपोर्टधारकों का फोटोग्राफ्स सिर्फ एक ही कचहरी में नहीं होना चाहिए बल्कि हिन्दुस्तान की हर कचहरी में होना चाहिए ताकि वह दूसरा बनावटी पासपोर्ट न बनवा सके क्योंकि वे भिन्न-भिन्न राज्यों में पासपोर्ट बना लेते हैं। कुछ पत्रिकाओं के द्वारा जो जानकारी मिली है, उसके संबंध में भी मैं कहना चाहूंगा कि कार्यवाही को और ज्यादा कड़ी करने की आवश्यकता है। इसी तरह कुछ शहरों में जो टाउट्स या एजेंट बैठे हुए हैं, उनको रोकने के लिए कुछ जिम्मेदार इंसानों की नियुक्ति करनी चाहिए जैसे आर.टी.ओ. के लिए निश्चित व्यक्ति एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसके लिए कुछ रजिस्टर्ड लोग हों जिससे वे फालतू लोगों के पास न जा सकें।

अंत में माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, सामान्यतः मैं इस विधेयक में निहित सिद्धांतों का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही दिया गया दण्ड भी साधारण है। मात्र तीन माह का कारावास ही बढ़ाया गया है। इसके साथ-साथ हम इस अधिक दण्ड का प्रावधान कर इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। दण्ड की घोषणा करके हम सीमा पर गतिविधियों को रोक नहीं सकते। हमें दूसरे तरीके भी अपनाने होंगे। बेशक हम एक व्यक्ति को लम्बी अवधि के लिए जेल में डाल सकते हैं। किन्तु उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। पुलिस को इस प्रकार के अपराधों से निबटने के लिए सतर्क और सजग रहना चाहिए।

विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पासपोर्ट अधिनियम के दूसरे पक्ष की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्री रमेश चेन्नितला के कथन से सहमत होते हुए मैं एक विशेष बिन्दु जो कि अपील प्रावधान के बारे में है, पर बल देना चाहता हूं। पासपोर्ट में एक साधारण से संशोधन के लिए अपीलकर्त्ता को अपील के लिए दिल्ली आना पड़ता है यह अपीलकर्त्ता के लिए बहुत परेशानी की बात है। एक आवेदक जो कि पासपोर्ट नवीकरण के लिए आवेदन करता है उसका आवेदन किसी भी कमी अथवा आवेदन में कमी के कारण निरस्त कर दिया जाता है और परेशान पार्टी को अपनी अपील के लिए दिल्ली आना पड़ता है। अपील के प्रावधान का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। चेन्नई अथवा तिरूअनन्तपुरम अथवा दक्षिण की किसी राजधानी में इस संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि अधिकांश अपीलों का निपटान कर सकें। अन्यथा विदेशों में नौकरी पाने वाले विशेषकर खाड़ी देशों में नौकरी पाने वाले लोगों को पासपोर्ट नवीकरण में कठिनाई आएगी। हस्ताक्षरों में सुधार अथवा नाम में सुधार के लिए उन्हें अपील करने आना पड़ता है। यदि डाक के माध्यम से अपील की जाती है तो भी अपीलकर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में आना पड़ता है। यह गरीब मजदूर पर जो कि विदेश में रोजगार की तलाश में है उस पर काफी भारी बोझ होता है। अतः जब वे विदेश जाते है तो इन परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है।

वीजा का प्रश्न भी है। वीजा अल्प अवधि के लिए जारी किया जाता है। 30 अथवा 45 दिन के लिए ही जारी किया जाता है जिसके बाद यह समाप्त हो जाता है। यदि उस अवधि से पूर्व पासपोर्ट प्राप्त न किया जाए तो गरीब मजदूर का वीजा समाप्त हो जाता है। वह खाड़ी देशों को नहीं जा पाता। यह स्थिति की भयावहता है। अतः माननीय मंत्री महोदय को इन सभी समस्याओं पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि आवेदन में कोई कमी अथवा अनियमितता हो तो गरीब मजदूर को दिल्ली नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह काफी समय से लंबित मांग है और मैं पुनः एक बार इस सदन में इस मुद्दे को उठाता हूं। मैं समझता हूं कि दक्षिण के राज्यों के पासपोर्ट आवेदनकर्त्ताओं को यदि नजदीकी स्थान पर अपील करने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें काफी राहत होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर विचार करेंगे और कानून में उचित प्रावधान करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं सदन में रखे गए संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. बी.बी. रमैया (एलूरु): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन के समक्ष एक अच्छा विधेयक लाए हैं।

पासपोर्ट अधिनियम सर्वप्रथम 1920 में पारित किया गया था। 1967 में नया कानून बनाया गया। 1993 में कुछ अन्य संशोधन किए गए। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघनों को रोकने के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं हैं।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान, बंगलादेश और म्यांमार के लिए प्रावधान हैं। पहले पाकिस्तान और बंगलादेश अलग देश नहीं थे। बाद में वे अलग हो गए। इन देशों में परिवर्तन आए। सीमा से लगे राज्यों में कुछ समस्याएं हैं, जिनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। गैर कानूनी आव्रजन, तस्करी और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों का हम सामना कर रहे हैं।

[डा. बी.बी. रमैया]

भारतीय सीमा के पार से उग्रवादी गतिविधियां जारी हैं। हथियारों की तस्करी, मादक दवाएं और इस प्रकार की अन्य गतिवधियां भी बढ़ रही हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिया जा रहा दण्ड अत्यंत साधारण है और वे इस प्रकार की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कम नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में बनाये जाने वाले कानून के अन्तर्गत 5 वर्ष का कारावास और 50,000/- रुपये की पैनेल्टी का प्रावधान है। यह अच्छी बात है। किन्तु माननीय गृह मंत्री महोदय को इसे दूसरी ओर अधिक प्रभावी बनाना होगा। सीमा सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस प्रकार की चीजें उचित माध्यम से नहीं आ रही हैं और उन लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं होंगे। इसलिए सीमाओं की उचित चौकसी की जाए। यह बात और भी आवश्यक है और इस विधेयक के साथ-साथ उन्हें इस पर भी विचार करना चाहिए।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में प्रयास करेंगे क्योंकि उग्रवाद व इस प्रकार की अन्य बातों पर पर्याप्त धन खर्च किया जा रहा है। ऐसा मुख्यत: इन गतिविधियों के कारण हो रहा है। बाहर से गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है।

दूसरी बात जाली पासपोर्टों और डुप्लीकेट पासपोर्टों के बारे में हैं। अनेक बातें हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए और इसकी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। वर्तमान इलेक्ट्रोनिक प्रणाली और कम्प्यूटर प्रणाली के युग में कोई ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो इनकी पहचान करने और उनको सत्यापित करने में समर्थ हो। वे सभी इन बातों के विरुद्ध अत्यन्त सख्त और निवारक कार्यवाही करने में भी सक्षम होने चाहिए। फिर भी इनसे काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसाकि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया है, विद्यमान प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वे पासपोर्ट के लिए प्रभार में भी वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि प्रणाली को आधुनिकीकृत अथवा कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। इसके साथ वे बेहतर तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं और वे पासपोर्ट के बेहतर तरीके बना सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में इससे पासपोर्ट प्रणाली में पर्याप्त धन लगेगा।

वास्तव में जाली पासपोर्ट से कई लोग देश से बाहर भी गए है और वे वापस भी आए है। इससे पता चलता है कि एयरपोर्ट अथवा शिपिंग क्षेत्रों के पासपोर्ट अनुभाग को देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले लोगों के बारे में और अधिक सतर्क होना पड़ेगा। दोनों चीजे ही इस देश की प्रतिष्ठा और समस्या, जिसका हम सामना कर रहे है, की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

फिर भी यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने से माननीय मंत्री इन बातों को रोक पाने के उद्देश्य से उचित कार्यवाही कर पाएंगे।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय. मैं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विधेयक के इस संशोधन का अत्यन्त सीमित प्रयोजन हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य दण्ड को बढ़ाना है और इसे 1967 के पासपोर्ट विधेयक के समान करना है जो निर्गमन (नीति) की देख रेख करता है। अब मैं एक बात समझने में असमर्थ हूं। जब 1967 में इस विधेयक को संशोधित किया गया था तो (निर्गमन और प्रवेश) को विभाजित क्यों किया गया था? यह किसी न किसी कारण से ही विभाजित किया गया होगा। पासपोर्ट वितरण एक मंत्रालय अर्थात् विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है और दण्ड तथा सत्यापन आदि गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह एक तरह से मिला जुला कार्य है कि जिसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों ही पासपोर्ट जारी करने में अन्तर्ग्रस्त होते है। मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक गृह मंत्री द्वारा रखा जा रहा है न कि विदेश मंत्री द्वारा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में इस विधेयक का प्रयोजन पूरे पासपोर्ट प्रकरण की चर्चा करना नहीं है कि क्या गलत हुआ है और पूरी व्यवस्था को किस प्रकार बदला जा सकता है। लेकिन मैं यहां पासपोर्ट से सम्बन्धित दो तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करना चाहूंगा।

जहां तक कम्प्यूटरीकरण का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हम अत्यन्त धीमी गति से चल रहे हैं। यदि मैं पासपोर्ट के नवीकरण के लिए चैन्नई से दिल्ली जाता हूं अथवा मुम्बई से चैन्नई जाता हूं तो क्या मुझे इसके नवीकरण के लिए चैन्नई जाना पड़ेगा? यदि इसे कम्प्यूटरीकरण किया जाता है तो यह इन महानगरों में से किसी भी शहर में किया जा सकता है। वह कमी है जिसकी छानबीन की जानी चाहिए। संशोधनों के बजाय व्यवस्था को ठीक करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विशेष रूप से जब यह विधेयक माननीय गृह मंत्री जी द्वारा पुर:स्थापित किया गया है, वह है फोटोग्राफरों के बारे में। हमारे देश में फोटोग्राफ जो प्लास्टिक फिल्म पर चिपकाई जाती है, इसे हटाया जा सकता है, इस प्रकार जालसाजी करके नकली पासपोर्ट तैयार होते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां वे छपाई करते हैं। यदि यहां भी अन्य देशों की भांति फोटोग्राफों की छपाई की जाए तो यह समस्या नहीं होगी। इसकी गृह मंत्रालय द्वारा छानबीन की जानी चाहिए। इस संबंध में आपने सजा में वृद्धि करके बिल्कुल ठीक किया है। आपने इसे 1967 के प्रस्थान कानूनों के समान बनाया है। लेकिन

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह इसलिए है क्योंकि नकली पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। जहां तक भारत में प्रवेश करने का संबंध है अनिवासी भारतीयों को ''ग्रीन कार्ड'' की तरह ''औरेंज कार्ड'' बनाए जाने का प्रस्ताव था। वैश्वीकरण के दौर में भारत से लोग व्यापार के लिए अमरीका और इंग्लैड जा रहे हैं जैसे पहले मुम्बई से दिल्ली की यात्रा करते थे। अब अनिवासी भारतीय प्रायः भारत आ रहे हैं। प्रवेश हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमें इसका प्रबन्ध करना चाहिए। 'आरेंज' कार्ड का प्रस्ताव था। मैं नहीं जानता उसका क्या हश्र हुआ। यदि ऐसा किया जाता है तो वीजा प्राप्त करने के लिए होने वाली परेशानियां कम होंगी। अन्त में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय हमारे पास इस विधेयक का समर्थन करने का कोई विकल्प भी नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य सीमित है। जैसाकि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है कि जहां तक पासपोर्ट का संबंध है प्रवेश और प्रस्थान का कार्य अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय के पास प्रवेश और विदेश मंत्रालय के पास प्रस्थान का प्रभार है। हमारे पास इस विषय पर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। इसका कारण यह है कि पासपोर्ट विदेश मंत्रालय के अधिकार में है। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों ने पासपोर्ट जारी करने इसके प्रारूप, विलम्ब आदि के बारे में ही बोला है। मैं नहीं जानता कि इसे पुरःस्थापित करने वाले मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ अथवा उत्तरदायी होंगे। लेकिन हमें विशेषकर केरल, तमिलनाडु, गुजरात के सदस्यों को तो अपनी समस्याएं व्यक्त करनी हैं क्योंकि इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोग अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं और पासपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह पासपोर्ट प्राप्त करे जब तक किसी कारण से वह दोषी न हो। समस्या यह है कि निश्चित अवधि के पश्चात् ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। केरल में यह अवधि 33 दिन है और अन्य राज्यों में यह अवधि 40 दिन है। यह प्रत्येक राज्य की मांग पर निर्भर करता है। सभापति महोदय एक अधिवक्ता होने के नाते आपको मालूम होगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष (शपथपत्र) दाखिल करना पड़ता है कि यह किसी अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

केवल यही बात है जिसकी जांच की जाती है और विलम्ब होता है। चूंकि शपथपत्र किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है पासपोर्ट एक सप्ताह अथवा दो सप्ताह में जारी किया जाना चाहिए। विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले एक अथवा दो सप्ताह की अवधि के अन्दर-अदर वीजा प्राप्त करते है। विदेशो में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को तुरन्त जाना पड़ता है। कई लोगों को पासपोर्ट के विलम्ब के कारण नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पासपोर्ट प्राप्त करने में झेली जा रही कठिनाइयों के बारे में हमारी संवेदनाएं सम्बद्ध मंत्री महोदय तक पहुंचा दे। मैं कम्प्यूटरीकरण आदि के पहलू पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

प्रवेश के संबंध में, मैं समझता हूं कि दण्ड का प्रावधान बहुत अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर रहा है तो हमें उसे दण्ड देना ही चाहिए। कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। हमारी सीमाएं अत्यन्त विस्तृत है और हमने कई समस्याओं का सामना किया है लेकिन कानून को लागू करते हुए हमें पर्यटन पहलू की भी रक्षा करनी है। केरल राज्य बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करता है लेकिन विदेश में वीजा प्राप्त करना एक समस्या है। कुछ मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें भारत आने की अनुमति प्रदान की गई है। महोदय, आपके महोदय से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कई देशों में पर्यटन वीजा हवाई अड्डों पर ही दिया जाता है। हम भी ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते? वास्तविक पर्यटकों को हवाई अड्डे पर ही वीजा दिया जाना चाहिए। यूरोप के विशेषकर लातीनी अमरीका के लोग वीजा प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई के कारण भारत नहीं आते। यह सभी कुछ गृह मंत्रालय और विभिन्न देशों में सम्बद्ध लोगों के बीच सम्पर्क के अभाव के कारण हैं।

हाल ही में, एक व्यक्ति को किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए केरल आना पड़ा। उसे गृह मंत्रालय के विदेश मामलों को देखने वाले डेस्क द्वारा अनुमति दी जानी है। उसे अन्तिम क्षणों में और वह भी कई सिफारिशों के पश्चात् मिली। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह यहां मात्र तीन अथवा चार दिन के लिए ही आ रहा था। मेरा सुझाव है यदि कोई व्यक्ति एक अथवा दो सप्ताह के लिए भारत आ रहा है तो हवाई अड्डे पर ही प्रबन्ध किये जाने चाहिए अथवा अनुमति दी जानी चाहिए अथवा हवाई जहाज की उड़ान उतरने से पहले वीजा दिया जाना चाहिए। खाड़ी के देशों में ऐसा ही हो रहा है।

मैं केवल अपने राज्य के संबंध में ही बोलूंगा। हमारा राज आयुर्वेदिक उपचार के लिए प्रसिद्ध है जो तीन महीनों तक चलता है और कुछ मामलों में तो उससे भी अधिक समय तक चलता है। ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय काफी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। उन लोगों को मंत्रालय पर्यटक पासपोर्ट अथवा वीजा जारी नहीं कर रहे है जो उपचार के लिए यहां आते है। विशेषकर यूरोप अथवा खाड़ी देशों में आयुर्वेदिक उपचार हेतु काफी लोग आ रहे है। इसके कारण हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। काफी मशहूर आयुर्वेदिक क्लीनिक पनप रहे है। वे केरल में अच्छी तरह कार्य कर रहे है। वे काफी विदेशी रोगियों को आकर्षित करते है लेकिन उन्हें समय पर वीजा भी नहीं दिया जाता है।

[श्री ए.सी. जोस]

हमारा देश ऐसा है जिसका भिन्न विदेशों में प्रवास का लम्बा इतिहास हैं। वहां रहने वाले भारतीयों ने उन देशों की नागरिकता ग्रहण की है। अफ्रीका, उत्तरी अमरीका, यूरोप अथवा खाड़ी देश में भारत के भूतपूर्व नागरिकों ने उन देशों की नागरिकता ग्रहण की है। यदि ऐसे लोग भारत आते है तो हमें कुछ ढिलाई बरतनी चाहिए। प्रत्येक तीन महीनों अथवा छ: महीनों में उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती है।

यह एक तरह का उत्पीड़न है। इस उत्पीड़न से बचना होगा। गृह मंत्री को यह करना है। वह प्रवेश स्थिति है। हम नहीं कहते कि पाकिस्तान पराया देश है अथवा शत्रु देश है। कई लोगों, जो बंटवारे के समय पाकिस्तान में ही फंसे रह गए, को पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त हुई है। उनमें से कई मालापुरम, कालीकट, हैदराबाद और अन्य स्थानों से हैं। वे वहां रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन वे उस देश के नागरिक हैं। जब वह वहां आते है और यदि वे यहां वास्तव में ठहरना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती है। यह उत्पीड़न है।

इसी प्रकार कई भारतीय उत्तर अमरीका में रह रहे हैं उन्होंने उस देश की नागरिकता ग्रहण की है। हाल ही में जब प्रधान मंत्री जी वहां गये तो उन्होंने दोहरी नागरिकता की मांग की। वे लोग जिन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है और जब वे भारत आते है तो चाहे वह व्यक्ति महिला हो अथवा पुरुष उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती है। अत: हमें गम्भीरता से दोहरी नागरिकता की मांग पर विचार करना होगा क्योंकि कई लोग भारत से अन्य देशों में जाकर बस गए है। जब मजबूरी में दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोग यहां आते है तो उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए। महोदय मैं इस संशोधन विधेयक से सामान्यत: सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि मंत्री जी की नियत इस बिल को और मजबूत बनाने की है और यह बहुत आवश्यक भी है। जो लोग बाहर से आते हैं उन पर आज कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है वह आई.एस.आई. के माध्यम से हमारे देश में आतंक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपराधी किस्म के लोग, तस्करी करने वाले लोग भी इस देश में आते हैं और पासपोर्ट की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी इस देश में रह जाते हैं जिससे इस देश में आतंकवाद और गलत धंधे का माहौल बना रहता है। इसलिए बाहर से आने वालों पर कड़ी निगरानी रखने की बहुत आवश्यकता है।

रोजगार की तलाश में जो गरीब, विद्वान और पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग, जिनकी कहीं पहुंच होती है वे तो अपनी पहुंच के कारण अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं लेकिन जो गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं वे पासपोर्ट बनवाने के लिए दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। गांव के गरीब लोगों को पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और वे अपना पैसा दलालों के चक्कर में लुटाकर मुम्बई और दिल्ली जैसे शहर से वापस गांव लौट जाते हैं। कई लोग मुझे मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि 50 हजार रुपया या एक लाख रुपया दलाल ने ले लिया लेकिन वह मुझे बाहर नहीं भेज रहा है। इसलिए इसमें दंड प्रक्रिया को बढ़ाने की भी जरूरत है। एक बात और है कि पासपोर्ट कार्यालय में बहुत समय तक आवेदन लम्बित रहता है। इसलिए इसके लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। समय-सीमा निश्चित न होने के कारण कार्यालय के लोग गरीब लोगों से गलत फायदा भी उठाते हैं। कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं और जांच का हौवा खड़ा किया जाता है, और गलत लोगों को गलत ढंग से पैसा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे गरीब लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। पासपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर निगरानी नहीं रखी गई तो देश को आई.एस.आई. के जाल से भविष्य में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस पर अवश्य निगरानी रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, पासपोर्ट संशोधन विधेयक में माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि इस कानून में इससे पहले 1968 में फिर 1993 में संशोधन किया गया। अब सन् दो हजार में इसमें संशोधन कर रहे हैं। इसके द्वारा सजा बढ़ाई जा रही है। इन्होंने दावा किया कि कम सजा वाला कानून उस समय था जब भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश और बर्मा एक साथ थे। अब ये देश अलग-अलग हो गए हैं या बंट गए हैं इसलिए ज्यादा कठिनाई हो रही है। सजा बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया है। 1968 और 1993 में इसमें जो संशोधन हुआ उस समय भी ये देश अलग-अलग थे। मंत्री जी ने दावा किया है कि सजा बढ़ाने से आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकेगा। जो देश में रहकर आतंकवाद फैलाते हैं क्या उनके पासपोर्ट है? क्या आपने इस पर रोक लगाई? पासपोर्ट में सजा बढ़ाने या घटाने से कुछ नहीं होने वाला। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आप पासपोर्ट प्रथा खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसे यहां खत्म करिए और दूसरे देश से भी खत्म करवाइए। डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता हो गया। इसके द्वारा सारा सामान विदेश से यहां आएगा। आप गरीब लोगों को दलाल लोगों के चक्कर में क्यों डालना

चाहते हैं? आप सब कुछ फ्री करिए और पासपोर्ट प्रथा खत्म करिए जिससे अपने आदमी दुनिया भर में फैल जाएं। ऐसे में कोई गरीब आदमी इस धरती पर नहीं रहेगा। गरीबी खत्म हो जाएगी। यह कहते हैं कि विदेशी सामान यहां आ सकता है। फिर आपने अपने आदमी को क्यों रोक कर रखा है? आप लोगों को इस झंझट में क्यों डालते हैं कि पासपोर्ट बनाइए, फोटो खींचवाइए, जांच करवाइए, वीजा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): सामान इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस देना पड़ता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस प्रकार बैठकर बोल नहीं सकते। माननीय सदस्य कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सामान के पैर नहीं होते। वह चल नहीं सकता। मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सजा बढ़ाने से आतंकवाद घट जाएगा। इससे आतंकवाद नहीं जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। आपको नियम का अध्ययन करना चाहिए और फिर यहां आना चाहिए। आप इस प्रकार बैठकर बात नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप हमारी पार्टी की बात सुनिए। आप उधर से हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपको सलाह दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह आम जगह नहीं है। आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए॥

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या मैं आपका सुझाव मानूं? हम यहां बहुत से सुझाव देते हैं। हो सकता है कई सदस्यों को मेरे सुझाव पसंद न आएं।

आज देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, गोला बारूद आ रहा है और ड्रग्स भी आ रही हैं।

धोखा मत दीजिये। जो पासपोर्ट लेने जायेगा, वह धन्धा करता है, क्या वह पासपोर्ट खोजेगा? आतंकवादी, उलफा, पाकिस्तान, बांगलादेश तथा बर्मा में ट्रेनिंग पाते हैं और वे फ्री हैं। वे खुल रूप से आते जाते है। यदि पासपोर्ट कानून का पालन नहीं करेंगे तो पांच साल की सजा होगी, ऐसा नहीं हो सकेगा। अभी जंगल में वीरप्पन को मिलने चले जाते हैं, बात कर लेते हैं और सरकार सरेंडर कर देती है। क्या यह धोखाधड़ी चलती रहेगी? सरकार जो कानून लेकर आई है और दावा कर रही है तो यह लिमिटेड पासपोर्ट कानून है। मेरा तो यह कहना है कि इस पासपोर्ट प्रथा को समाप्त कर दीजिये। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक विश्व का हो जाना चाहिये ताकि एक दूसरे देश में फ्रीली घूम सकें। इससे गैर-बराबरी मिटेगी, गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी। यदि यहां काम नहीं मिल रहा है तो कहीं तो काम मिलेगा। यहां काम करने वाले हैं तो काम नहीं और जहां काम है, वहां काम करने वाला नहीं है। इसलिये यह पासपोर्ट प्रथा समाप्त होनी चाहिये। पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोग दुनिया में घूमें, ऐसा कानून बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, पाकिस्तान, बांगलादेश, बर्मा पहले एक ही देश थे। पासपोर्ट बनाकर करप्शन पैदा कर दिया। इससे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। यदि माननीय सदस्य सुझाव देंगे, उसकी जांच होगी, तब तक देर हो जायेगी। इसलिये इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिये। इन सब बातों पर सरकार विचार करे, दुरस्त काम करे ताकि लोगों को कठिनाई न हो।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापति महोदय, मैं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक पाकिस्तान से कितने लोग भारत आये और कितने वापस नहीं गये हैं। लाहौर बस यात्रा के बाद काफी पाकिस्तानी नागरिक भारत आ रहे हैं लेकिन जाते कम रहे हैं। उनकी संख्या क्या है? इन लोगों की निगरानी कौन करेगा? बांगला देश से अब तक एक करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं और उनके यहां राशन कार्ड तक बन गये हैं। हमारे पूर्व गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि एक करोड़ बांगलादेशी आये हुये हैं लेकिन वापस कितने गये। उन सब के फर्जी राशन कार्ड बने हुये हैं जिसके कारण वे 3 करोड़ हो गये हैं। यही लोग बाद में भारतीय पासपोर्ट लेकर बाहर जाते हैं। मि. जोस अभी कह रहे थे कि सरकार उनके बारे में क्या कर रही है। मुम्बई में मेरे पड़ोस में पासपोर्ट आफिस है जहां लोगों को काफी तकलीफ होती है क्योंकि पासपोर्ट 2-3 महीने में मिलता

[श्री मोहन रावले]

है। यदि किसी को डेलीगेशन में जाना है या किसी को नौकरी मिली है और उसे जाना है तो पासपोर्ट 2-3 महीने में मिलता है। इससे नौकरी से वंचित रह जाता है। मेरी विनती है कि यह पासपोर्ट 15 दिन के अंदर मिल जाना चाहिये। गुजरात में यह संख्या 57 हजार है, मुम्बई में 8800 है। मेरी प्रार्थना है कि इस संख्या में कमी होनी चाहिये। पुलिस वैरीफिकेशन में 2-3 महीने लग जाते हैं। लोगों को एक एजेंट का सहारा क्यों लेना पड़ता है?

अपराह्न 5.55 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

इसके साथ ही आप एन्ट्री और एक्जिट के बारे में बतायें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने राजनीतिक नेता हैं जो बाहर के पासपोर्ट से एन्ट्री करके हिंदुस्तान में आये हैं। मंत्री जी जरा सुन लें। मंत्री जी कितने राजनीतिक नेता हैं जो बाहर से पासपोर्ट लेकर आये हुए हैं और जिनके पास ड्युएल पासपोर्ट है। जैसे कि माननीय सदस्य श्री जोश जी ने ड्युएल पासपोर्ट की बात की। इसमें श्रीमती सोनिया गांधी हैं या नहीं, इसका क्लेरिफिकेशन हमें मिलेगा तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या आडवाणी जी पासपोर्ट लेकर आये हुए हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : मैं उनसे पूछ रहा हूं, वह जवाब दे देंगे। हमें भी पता लग जायेगा। उन्होंने एन्ट्री और एक्जिट की बात की, उन्होंने एन्ट्री ली और दो जगह का पासपोर्ट है, ओरिजिन की बात की, ओरिजिन कहां से शुरू हो जाता है, उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें बहस करेंगे तो बहुत लम्बी बहस हो सकती है। हम सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, चूंकि छः बजे तक का समय दिया हुआ है। लेकिन हमें यह कहना है कि पासपोर्ट जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इसके लिए मैं विनती करना चाहता हूं और जो लोग आये हुए हैं, जहां से आतंकवाद बढ़ गया है म्यांमार बॉर्डर से लोग आते हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, पाकिस्तान बॉर्डर और ईस्टर्न कंट्रीज के बॉर्डर्स जहां भी हैं, वहां ज्यादा निगरानी होनी चाहिए। बगैर पासपोर्ट से हिंदुस्तान में आते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान से बाहर जाते वक्त हिन्दुस्तानी पासपोर्ट के द्वारा जाते हैं, जरा इसका ख्याल रखिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ई.एम. सुदर्शन नच्चीयपन बोलेंगे। वह अंतिम वक्ता हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान एक पहलू की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं सोचता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को भी यहां उपस्थित रहना चाहिए था। फिर भी, चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यहां हैं, मैं इस तथ्य की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आजकल पासपोर्ट अत्यन्त ही दिखावटी दस्तावेज है। सन् 1920 में जब यह अधिनियम बना था, पासपोर्टधारी लोगों की संख्या कुछ सौ में थी, अब लाखों लोगों के पास पासपोर्ट हैं। आज उनके पास भी पासपोर्ट है जो यहां निवेशक हैं और जो विदेश जाकर कमा रहे हैं। इसलिए, जब निवेशक भारत आ रहे हैं तो उनके साथ आतंकवादी सदृश व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि इस अधिनियम से अब कार्यपालिका को अधिक अधिकार मिलता है। इसलिए इस संबंध में कुछ ध्यान रखा जाना चाहिए। हम यह अत्यन्त आसानी से देख सकते हैं कि एक विमान-यात्री को सुरक्षा जांच में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। सभी निवेशक, जिनके पास लाखों रुपए हैं, भारत आ रहे हैं और उन्हें साधारण पुलिसकर्मी सुरक्षा-जांच के नाम पर परेशान करते हैं। किसी भी दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है। वे देश में आने वाले किसी भी व्यक्ति का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। इसलिए, मैं कहूंगा कि यह अधिनियम कार्यपालिका को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यदि सभी धाराओं को पढ़ा जाए तो यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मूल अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 नियम बनाने की पूरी शक्तियां प्रदान करते हैं। परवर्ती संशोधन के द्वारा धारा 3(5) नियम बनाने की सांविधिक शक्तियां प्रदान करती हैं। यह संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। किंतु हम सभा पटल पर रखे गए नियमों के माध्यम से नहीं चल रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय, एक स्पष्ट अधिनियम होना चाहिए और इसे आपको बनाना चाहिए। आपको इन्हें निवेशकों, विशेष कर जो विदेश से आ रहे हैं, को भारत में प्रवेश करते समय देना चाहिए। आपको स्पष्टतः यह कहना चाहिए कि यदि उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो यह कानूनन दण्डनीय है। बजाए कार्यकारी आदेश के यदि उपयुक्त कानून बनाया जाए तो यह सार्थक होगा। तब, इस देश में पासपोर्ट लेकर अधिक निवेशक आएंगे। वे इस देश में निवेश करके अत्यधिक प्रसन्न होंगे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आर्थिक सुधारों की वर्तमान स्थिति में पासपोर्ट की महत्ता बढ़ती जा रही है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि विद्यमान कानून में दस वर्षों के दण्ड का प्रावधान है। वास्तव में, असिस्टैंट सेशन्स कोर्ट एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को 5 वर्षों का दण्ड दे सकती

है। फिर यह जिला और सत्र न्यायाधीश के पास जाता है। क्या हम नियम बनाने के लिए किसी विशेष अधिनियम के बिना उस सीमा तक एक कार्यकारी प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान कर सकते हैं? इस अधिनियम में केवल तीन बातें हैं। पहली बात है पासपोर्ट रखना; दूसरी बात है पासपोर्ट नहीं रखना और तीसरी बात अधिकृत अथवा अनधिकृत रूप से पासपोर्ट रखना। इन तीन के अलावा, अन्य बातें कार्यपालिका के अधीन हैं। अतएव, उस पहलू पर पूरी तरह से गौर करना चाहिए। कार्यपालिका को नियम बनाते समय विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसे भी नए अधिनियम के साथ बनाया जाना चाहिए विशेषकर तब जब कि सुधार किए जा रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

हमें सिर्फ आतंकवाद ही समस्या के बारे में ही चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें एक समूचे भारत के बारे में सोचना चाहिए; भारत में सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इस देश में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए दण्ड में वृद्धि करता है। मैं इस बात पर प्रकाश डालने के लिए खड़ा हुआ हूं कि एक व्यक्ति ने भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया है, इस बहाने से वास्तविक नागरिक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की काफी शिकायत है और इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों की संख्या बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही है मानों हमारे देश पर आक्रमण ही हो गया हो। यदि ऐसा कहा जाता है, तो स्थिति और खराब हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। यदि सभा सहमत होती है तो हम इस विधेयक के पूरा होने तक सभा की बैठक बढ़ा सकते हैं। दो या तीन वक्ता और हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय, 15 मिनट बढ़ा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जी.एम. बनातवाला : दुष्प्रचार किया जाता है कि वे व्यक्ति, विशेषकर पड़ोसी देशों के लोग, जो अनधिकृत रूप से भारत में घुस आए हैं, भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा आदि अन्य समानताओं के कारण आसानी से यहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। एक हौआ खड़ा किया जा रहा है और पूरी समस्या को इसके वास्तविक आकार से कहीं बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। एक हौआ खड़ा किया जाता है और कतिपय अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की नजर में संदिग्ध बना दिया जाता है। इस पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा कि मैंने पहले कहा था। हमारे देश में घुसपैठ, विशेषकर पड़ोसी देशों से, में कमी आ रही है।

मैं माननीय गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 708 के उत्तर को उद्धृत करना चाहता हूं:

> "इस तरह की कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हों कि भारत में अवैध आप्रवासियों की वृद्धि हो रही है।"

इसी में पूरा उत्तर है। किंतु समयाभाव के कारण, मैंने उल्लेख किया कि अनावश्यक हौआ नहीं खड़ा करना चाहिए। निःस्संदेह, कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। किंतु कारगर कदम के नाम पर निर्दोष नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और हौआ नहीं खड़ा करना चाहिए।

माननीय गृह मंत्री ने 6 नवम्बर, 1999 को एक अन्य अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों के वर्षवार आंकड़े दिए थे। जब हम उन आंकड़ों को देखते हैं तो हम इसमें भारी गिरावट देखते हैं? 1997 से 1999 तक इसमें एक तिहाई गिरावट है। निःस्संदेह हमें सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। इस देश में अनावश्यक हौआ न खड़ा किए जाएं इसके लिए कारगर कदम उठाए जाएं और इस पर ध्यान दिया जाए कि सही नागरिकों को परेशान नहीं किया जाए। यह विशेषकर तब जब सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भेजा है जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "इस समस्या की विकरालता और गंभीरता के बारे में स्थानीय जनता को संवेदनशील करना।"

ये बातें अनेक समस्याओं को जन्म देती हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अपरिपक्व विचार तथा हल्के वक्तव्य समस्या को और गंभीर बनाते हैं।

मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि पड़ोसी देशों से और अन्य देशों से अनधिकृत रूप से आ गए व्यक्तियों के साथ व्यवहार में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैं इस तथ्य को सरकार को पुनःस्मरण कराना चाहूंगा कि जो यहां आते हैं उनमें से अधिकांश अपनी जीविका की खोज में आते हैं। इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस पर मानवीय आधारों पर विचार करना होगा। हमारे माननीय गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस संबंध में वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने घुसपैठियों तथा अनधिकृत रूप से आने वालों के बीच

[श्री जी.एम. बनातवाला]

अंतर किया है। इसलिए मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहूंगा कि जब लोग किसी कुटिल कार्यकलाप के लिए यहां नहीं आये हैं अपितु वे जीविकोपार्जन के लिए यहां आये हैं तो मानवतापूर्ण आधारों पर जरूर विचार करना चाहिए। इस समय एक हौआ है कि बाहरी एजेंटों, अवैध आप्रवासियों और इसी तरह अन्य विदेशी व्यक्तियों बड़ी संख्या में देश में आ रहे हैं। यह आवश्यक है कि हमारे देश में शांति के लिए इस तरह का हौआ खड़ा नहीं किया जाए और इस तरह के कुटिल प्रयास को आरम्भ में ही कुचल दिया जाए। मैं यह नहीं कहता कि कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत नहीं है, किंतु मैं इस बात पर अधिक बल दे रहा हूं कि कानून के कार्यान्वयन में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

महोदय, मैं पासपोर्ट बनवाने में जनता को होने वाली विभिन्न समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। विभिन्न कारणों जैसे पासपोर्ट कार्यालय में स्टाफ की कमी, आवेदन फॉर्मों की कमी, मुद्रित पुस्तिकाओं की कमी इत्यादि के वजह से पासपोर्ट बनवाने में अत्यधिक विलम्ब होता है। इस मामले पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्तियों को उनके वीसा की सूचना मिल जाती है और ऐसे लोगों को बिना विलम्ब के पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। ऐसे मामलों में विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि ऐसे लोग कहीं उन्हें प्राप्त अवसरों से वंचित न हो जाएं क्योंकि उन्हें वीसा मिल जाने की सूचना मिल चुकी है।

पासपोर्ट जारी करने का प्रश्न विदेश मंत्रालय से संबंधित हो सकता है, किंतु मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री हमारी भावनाओं और विचारों से विदेश मंत्री को अवगत करा देंगे। पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब का मुख्य कारण इस तथ्य के कारण है कि पुलिस सत्यापन संबंधी सूचना समय पर नहीं आती है। यह अत्यंत ही गंभीर बात है। कई बार पुलिस प्राधिकारी कोई जवाब ही नहीं देते हैं। इस मामले में, कठोर कार्रवाई करनी है और एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब, हम सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में है। इसलिए सभी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि समय पर आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा सके तथा संबंधित प्राधिकारी को भेजी जा सके। तब क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों और पुलिस प्राधिकारियों के बीच समुचित समन्वय होना चाहिए। उन्हें कम से कम महीने में एक बार अथवा दो महीने में एक बार बैठक करनी चाहिए तथा समुचित समन्वय तंत्र विकसित करना चाहिए।

महोदय, अब मैं पंजाब आने हेतु वीजा का आवेदन करने वाले पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों का उल्लेख करता हूं क्योंकि उनसे सगे-संबंधी वहां हो सकते है। वे अपने सगे-संबंधियों से मिलने हेतु इच्छुक हो सकते हैं। इस मामले में आपात स्थिति भी हो सकती है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार पंजाब में भी अपने सगे-संबंधियों से भेंट करने हेतु वीजा प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। मुझे नहीं मालूम है कि इस तरह का कोई आदेश जारी किया गया है कि पंजाब के लिए वीजा जारी नहीं किए जाए। लेकिन फिर भी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं और सरकार को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

मैं वीजा की अवधि को बढ़ाने से संबंधित एक अन्य प्रश्न का उल्लेख करते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा। कई बार वीजा की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता चिकित्सा उपचार जैसी वास्तविक आवश्यकता के कारण होती है। उदाहरणस्वरूप, केरल में विश्व प्रसिद्ध 'कोट्टकल' चिकित्सालय है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में समय लगता है। इन सभी मामलों में उचित रवैया अपनाते हुए वीजा दिया जाना चाहिए।

वीजा की अवधि बढ़ाये जाने में भी अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं समय के अभाव में इसका विस्तार से उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु इस मशीनरी को सुनिश्चित करना चाहिए।

अंत में, वहां पर भारतीय मूल के भी व्यक्ति है। कार्य की तलाश में वे अन्य देश गए हैं। वे किसी प्रकार से वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। वृद्धावस्था में वे स्वदेश वापिस आते हैं। वे यहां रहना चाहते हैं। उनके अनुरोध पर भी सहानुभूतिपूर्वक तथा मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं जहां तक दंड में वृद्धि का प्रश्न है, इस विधेयक को अधिनियमित करने का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं जोर देना चाहूंगा कि इसका क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी निष्पक्ष हो तथा जहां भी आवश्यकता हो उनके द्वारा मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन विधेयक 2000 का समर्थन करने के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूं। मेरा इतना ही कहना है कि जो आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले भी इसी देश में हैं। इसलिए आतंकवादी लोगों को रोकने के लिए, अपने देश की शांति को बरकरार रखने के लिए और उन लोगों को सजा देने के लिए होम मिनिस्टर साहब यह बिल लेकर आये हैं। वैसे तो यह मैटर फॉरन अफेयर्स मिनिस्ट्री से संबंधित है लेकिन उनको सजा देने का सवाल है इसलिए होम

मिनिस्ट्री यह बिल लेकर आई है। मेरा यह भी कहना है कि हमारे देश में ऐसे दलाल या एजेंट भी हैं जो एक लाख या दो लाख रुपये लेकर ऐसे लोगों का पासपोर्ट बनाकर उन्हें अपने देश में लाने का काम करते हैं, अपने देश की शांति खराब करते हैं। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। जैसे मुम्बई में गैंगवार के लोग हैं, स्मगलर लोग भी हैं इसलिए मुम्बई के पासपोर्ट आफिस को स्ट्रैनदन करने की आवश्यकता है। उसको कम्प्यूटराइज्ड करने की आवश्यकता है क्योंकि मुम्बई में ही ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न होना चाहिए।

अंत में मेरा कहना है कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं मगर आपको एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इसके बाद एक भी आतंकवादी अपने देश में नहीं आना चाहिए। अगर एक भी आतंकवादी इस देश में नजर आता है तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे और उसका आरोप हम आपके ऊपर लगायेंगे।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का सीमित उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान बढ़ाने से है जो हमारे देश में बिना उचित यात्रा संबंधी दस्तावेज के प्रवेश करते हैं। यह सच है कि हमारे देश में विशेषकर पड़ोसी देशों-पाकिस्तान और श्रीलंका से भारी संख्या में लोग अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं। वे तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यापार और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।

ये लोग आसानी से हमारे लोगों के साथ घुल-मिल सकते हैं। उनकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। यह इसलिए नहीं है कि हमारे कानून इतने ढीले हैं कि इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कठोर कानून है जिससे इन लोगों को पकड़ कर दंडित किया जा सकता है। इसकी पहचान और रोकथाम हेतु हमें देश के आम लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

निरंतर सतर्कता बरती जानी चाहिए। इस स्थिति में हमें कारगिल घुसपैठ से सबक लेना चाहिए जहां हम घुसपैठियों का समय पर पता नहीं लगा सके और हमें उन्हें खदेड़ने के लिए पूर्ण स्तर का युद्ध करना पड़ा। इस समय सतर्कता को सुदृढ़ करने, हमारे तेज-तर्रार व्यक्तियों को और चौकस करने की आवश्यकता है ताकि हम इन लोगों को पता लगाकर इन्हें देश से बाहर खदेड़ सकें।

सामान्यत: देश भर की पुलिस होटलों और लॉजों में रह रहे विदेशी व्यक्तियों की जांच करती है। ऐसे व्यक्ति जो अधिकृत होटलों और लॉजों में ठहरते हैं उनके पास वैध कागजात होते हैं। उनके देश में अपने संपर्क हैं जहां वे छुपते हैं। हर स्तर पर लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। सरकार को इसके लिए लोगों को विश्वास में लेना चाहिए।

यह सरकार लोगों को सभी स्तरों पर परेशान करती है। इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अस्त-व्यस्त कर दिया है, इस सरकार के शासन से किसान परेशान हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सामान्य लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। अत: मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इसे इन राष्ट्रविरोधी तत्वों का पता लगाने तथा उन्हें दंडित करने हेतु लोगों का सहयोग लेना चाहिए।

फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं पुन: दुहराता हूं कि सिर्फ सांविधिक पुस्तिका में कठोर नियम होने का यह अर्थ नहीं है कि इसे रोका जा सकता है। मुद्दा यह है कि इसे आपको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना होगा। आपको इन लोगों का प्रभावी ढंग से पता लगाकर इन्हें दंडित करना होगा। यही समय की मांग हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, दिन-प्रतिदिन पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, तस्करी और आतंकवाद भी बढ़ गया है। एक राज्य या गांव में नहीं बल्कि सब जगह शरण लेने की बात हो गई है। इसे रोकने के लिए मंत्री महोदय ने कानून बनाया है लेकिन मुझे लगता है कि यह कानून आतंकवाद और तस्करी को रोकने के लिए कम पड़ जाएगा। श्री रावले और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि कानून में जल्दी से जल्दी सुधार करना चाहिए, इसे रोकने के लिए कौन सा काम होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मधुकर विट्ठल भवले नाम का एक किसान है। उसके लड़के को न्यूयार्क जाना था इसलिए वह पासपोर्ट लेने के लिए तीन-चार बार पासपोर्ट ऑफिस गया। मैंने भी खत लिख कर दिया लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। उसके बाद जब वह दफ्तर के बाबू और एजेंट से मिला तो उसे बहुत जल्दी पासपोर्ट मिल गया। दाऊद जैसे लोगों के लिए पासपोर्ट कानून का उपयोग नहीं होता लेकिन अच्छे लोगों के लिए होता है।

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

भारत देश बहुत बड़ा है। कई लोग बाहर से आते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं और उनको इधर-उधर जाना पड़ता है। उनको सही-सलामत पासपोर्ट मिलना जरूरी है, यह मेरी विनती है।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी 14 माननीय सदस्यों का आभारी हूं। यह वाद-विवाद अत्यंत उपयोगी, अत्यन्त महत्वपूर्ण और सूचनाप्रद था। लेकिन कुल मिलाकर इसका संबंध भारतीय पासपोर्ट को प्राप्त करने की प्रक्रियाओं और विलंबों अथवा पासपोर्ट में नाम अथवा छोटे-मोटे त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया संबंध अपीलों अथवा अपीलीय प्राधिकरणों के स्थल से संबंधित है।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अधिकतर सुझावों पर ध्यान दिया है और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि इन सभी सुझावों को विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाया जायेगा क्योंकि पासपोर्ट जारी करना, प्रक्रिया को सुचारू बनाना, शीघ्र पासपोर्ट जारी करना, किसी सीमित अवधि में पूछताछ करना, पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा निर्धारित समयावधि में पासपोर्ट जारी करना, ये सभी प्रश्न मुख्यतया विदेश मंत्रालय से संबंधित हैं और गृह मंत्रालय इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके सभी उपयोगी सुझाव संबंधित प्रभाग को भेज दिए जायेंगे।

जहां तक गृह मंत्रालय का प्रश्न है, अब तक कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। अन्य देशों के पासपोर्ट पर लम्बे समय से रह रहे भारतीयों, अन्य देशों में स्थायी अप्रवास करने वाले भारतीयों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें इस संबंध में कोई कठिनाई महसूस नहीं करनी चाहिए। भारतीय मूल के विदेशी पासपोर्ट धारकों पहले से ही "भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड" प्राप्त करने हेतु योग्य हैं और इसकी वैधता 20 वर्षों तक है और उन्हें अलग से वीजा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय भी ऐसी ही प्रक्रिया है।

कतिपय माननीय सदस्यों ने केरल अथवा अन्य पर्यटक स्थलों को जाने पर्यटकों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्हें कठिनाई नहीं होनी चाहिए अथवा वीजा प्राप्त करने में परेशान नहीं किया जाना चाहिए और जैसाकि कई अन्य देशों में है, उन्हें विमानपत्तन पर ही वीजा जारी किया जाना चाहिए। छः महीने के लिए पर्यटक वीजा विदेश स्थित हमारे सभी भारतीय मिशनों में इस समय भी उपलब्ध है और चार अथवा चार से अधिक व्यक्तियों के पर्यटक दलों को आगमन पर वीजा दिया जाता है और पूर्व से निश्चित कार्यक्रम के अनुरूप यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं है, उन्हें 60 दिनों तक का वीजा अत्यधिक आसानी से मिल सकता है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। वे किसी भी मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं।

दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि पड़ोसी देशों से आने वाले कतिपय लोगों को पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, वे इससे परेशान होते हैं और अपमान महसूस करते हैं। मैं इस माननीय सभा को सूचित करना चाहूंगा कि विदेशी व्यक्तियों का पंजीकरण तभी आवश्यक होता है यदि वे छः माह से अधिक वाली दीर्घावधि का वीजा लेकर आते हैं। यदि वे छः माह से कम की अवधि के लिए आते हैं तो पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है अतः परेशान होने अथवा अपमानित महसूस होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि प्रत्येक यात्रा की अवधि छः महीने से अधिक की होती है ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह व्यवस्था अभी भी है। विदेशों, उदाहरणस्वरूप अमरीका से आने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता है। आपको इसे प्रचारित करना चाहिए। आपको इस संबंध में राज्य सरकार को निदेश जारी करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : हम आपके सुझावों पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि छः माह से कम वाले वीजा अथवा ठहरने की अवधि के लिए आने वाले यात्रियों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए अथवा उन्हें पंजीकरण रिपोर्ट इत्यादि करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़े। मेरे विचार से यह ठीक रहेगा।

श्री बनातवाला द्वारा एक अन्य मुद्दे का उल्लेख किया गया था। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार की तरफ से उड़ाये गए किसी अफवाह से किसी व्यक्ति को परेशान किए जाने अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष लगभग 25 लाख विदेशी यहां आए हैं। इस संबंध में भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कहा है कि - वो इससे सहमत हुए हैं, हमें सभी एहतयाती उपाय करने चाहिए।

हमें हमारी सतर्कता और चौकसी को बनाये रखा जाना चाहिए ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति, समाज-विरोधी तत्व अथवा भारत से दुश्मनी रखने वाले तत्व हमारे देश में फर्जी पासपोर्ट अथवा घुसपैठ के द्वारा किसी नियमित वैध दस्तावेज के प्रवेश कर सकें। सरकार को सचमुच इसकी जानकारी है। हमें विश्वास है कि ऐसी स्थिति नहीं आने दी जायेगी।

माननीय सदस्यों की अधिकांश शिकायतें विलंब, भ्रष्टाचार, पासपोर्ट जारी करने हेतु कोई निर्धारित समय-सीमा निश्चित न करने तथा पूछताछ में अधिक समय लगने से संबंधित है। जहां तक गृह मंत्रालय का प्रश्न है, हम सलाहकारों को भेजते रहते है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम इसे पुनः सुनिश्चित करेंगे। जहां तक आवेदकों की सत्यापन जांच का प्रश्न है, यह जिला पुलिस अधिकारियों को भेजा जाता है तथा इसमें शीघ्रता लायी जायेगी। उनकी ओर से विलंब नहीं होने दिया जायेगा ताकि सत्यापन जांच किसी अवधि विशेष में हो जाए। इस कारण से पासपोर्ट अधिकारी को शीघ्र पासपोर्ट जारी नहीं करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए।

वास्तव में 'तत्काल' योजना शुरू की गई है। लेकिन 'तत्काल' योजना में भी कुछ पैसे जमा करके कई लोगों ने आवेदन किया है। इससे वहां भी प्रतीक्षा सूची अधिक होने के कारण ज्यादा समय लग रहा है। जहां तक कम्प्यूटरीकरण अथवा अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग इन सभी प्रौद्योगिकी संबंधी विकास को क्रियान्वित करने का उत्तम प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी विभागों में त्वरित रूप से कार्य निपटाया जा सके और यह केवल पासपोर्ट नहीं बल्कि सभी उद्देश्यों के लिए है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : जिनका वीजा खत्म हो गया है, ऐसे कितने लोग हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मेरे पास इससे संबंधित आंकड़े नहीं है लेकिन यह प्रश्न काल नहीं है। हम किसी विधेयक विशेष पर संशोधन करने के संबंध में चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैंने पर्टिकुलरली सोनिया गांधी जी के बारे में ड्युअल पासपोर्ट के बारे में पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : दोहरे पासपोर्ट का मामला काफी लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है। यह बहुत ही उलझा हुआ मामला है। यह दोहरे पासपोर्टों का मामला है। मेरे प्रिय मित्र, मैं यहां किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं आया हूं। मैंने केवल सजा में वृद्धि करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है। यह इससे ज्यादा संबंधित नहीं है परन्तु मैं आपके द्वारा प्रस्तुत सुझावों और उन प्रस्तावों की सराहना करता हूं। जहां तक गृह मंत्रालय का संबंध है मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय से संबंधित अन्य सुझाव संबंधित पक्षों को प्रेषित कर दिए जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस विधेयक से पूरी सभा सहमत तथा एकमत है कि सजा में वृद्धि करना आवश्यक है, उसे पारित किया जाए।

एक अन्य शिकायत यह है कि यह काम काफी विलम्ब के बाद हुआ है। यह पहले किया जाना चाहिए था। इसका कारण है कि अन्य कई बदलते सुरक्षा परिदृश्यों के कारण म्यांमार, पाकिस्तान और बांगलादेश आगे नहीं आ रहे है तथा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस विधेयक को पहले प्रस्तुत करना चाहिए था। परन्तु हमने इसे अब प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि यह सम्माननीय सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करेगा।

इसी अनुरोध के साथ, मैं एक बार फिर उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया तथा जिन्होंने मुझे वे बातें बताईं जिन्हें शायद मैं नहीं जानता था। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले जी, आप चर्चा में भाग ले चुके हैं। फिर भी आप स्पष्टीकरण की मांग कर रहे है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि समझौता एक्सप्रेस से भारत आने वाले अधिकांश लोग अपने साथ स्वापक पदार्थ ले आते हैं। इस देश में आई.एस.आई. द्वारा इनका प्रयोग विघटनकारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा समझौता एक्सप्रेस को बन्द करने पर सक्रियता से विचार किया जाना चाहिए। मैं आपको यह सुझाव देता हूं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैंने इस बात पर गौर किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> ''कि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 29 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 नवम्बर, 2000/8 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/11/7/2000 (एन०)
220

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।